राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 8

शुक्रवार,

11 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज, अजीतगढ़ (सीकर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

87. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एवं **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज, अजीतगढ़ जिला सीकर के विरुद्ध शिकायत के आधार पर आबकारी शुल्क की चोरी के सम्बन्ध में किन्हीं बिन्दुओं पर जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त जांच के आधार पर उक्त फर्म के विरुद्ध उसे प्राप्त सरकारी सुविधाओं पर अंकुश लगाया गया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) मैसर्स एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतगढ़ जिला सीकर के विरुद्ध आबकारी शुल्क की चोरी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, अपितु उक्त इकाई के विरुद्ध मैसर्स प्रीमियर डिस्टलरीज प्रा.लि., पुड्डुचेरी को कूटरचित आयात परमिटों के आधार पर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

40,000 बल्क लीटर ई.एन.ए. निर्यात करने की जानकारी हुई थी। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन, जयपुर द्वारा उक्त इकाई का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 20.12.2010 को किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2010 की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) इस विषय में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दो अभियोग दिनांक 21.12.2010 को दर्ज किये गये हैं। निर्यात किया गया 40,000 बल्क लीटर ई.एन.ए. गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचने से निष्पादित बांड का उल्लंघन होने पर इकाई के विरुद्ध राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 37(2) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 1,14,24,000/- आरोपित की जाकर वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त आयात परमिटों तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की कूटरचना करने के लिए इकाई के विरुद्ध आबकारी विभाग ने पुलिस थाना अजीतगढ़ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 280 दिनांक 22.12.2010 को दर्ज कराया है। उक्त तीनों अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'ब' से 'द' पर उपलब्ध है।

इसके पश्चात् इकाई के अन्य 16 निर्यात परमिटों में बांड की शर्तों के उल्लंघन के कारण रुपये 6,85,44,000/- की मांग निर्धारित की गई। इस मांग के विरुद्ध इकाई ने अब तक रुपये 1,50,00,000/- जमा करा दिये हैं तथा शेष राशि रुपये पचास-पचास लाख प्रति माह के हिसाब से चुकाने हेतु पोस्ट-डेटेड चैक प्रस्तुत किये हैं।

(3) जी नहीं। उक्त इकाई पूर्ववत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 एवं राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के अनुरूप संचालित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बहुत मासूमियत का जवाब है, मासूमियत का। मासूम आदमी कोई जवाब देता है ना, जैसे सामान्य रूप से। यह ऐसा प्रकरण नहीं है, मंत्रीजी, इसमें तीन-चार प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि मैसर्स जयश्री रोडलाइन्स से यह माल गया और केस रजिस्टर होने पर इस रोडलाइन्स का जो टैंकर था, उनको आपने जब्त किया कि नहीं किया? पहला प्रश्न यह है, नम्बर एक। (व्यवधान) आप एक-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक सुन लें। आप आराम से बोल देना, जल्दबाजी नहीं है। अपने तो घर में ही बात है। (व्यवधान)

दूसरा, मैं पूछ रहा हूं कि यह जो परमिट लेकर आया था, यह विजय नाम का आदमी कौन है? और इसको आपने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? नम्बर दो।

तीसरा मेरा प्रश्न है कि जोइंट कमिशनर आफ एक्साइज, मेघालय द्वारा सूचना आने पर आबकारी अधिकारी, सीकर ने क्या कार्यवाही की? नम्बर तीन।

चौथा मेरा प्रश्न आपसे है, उक्त कंसाइनमेंट को भुगतान किस बैंक एकाउंट से किया गया? इसकी जानकारी आबकारी विभाग ने प्राप्त की कि नहीं की? एक बार आप इन चारों प्रश्नों के जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं। जयश्री रोडलाइन्स की जो बात की है, जब माल उस रोडलाइन्स के थ्रू चला गया, यह है ट्रक नम्बर एचआर 38 पी-6289 और ट्रक नम्बर एचआर 38 एम-8495 दिनांक 22.11.2010 को यहां से रवाना हुए। लेकिन हम लोगों की यह जानकारी में आया कि सारा मामला फाल्स डाक्यूमेंट्स के द्वारा किया गया है। तब उस ड्राइवर ने हमको जो मोबाइल नम्बर दिये थे जयश्री रोडलाइन्स के, हमने उस नम्बर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वह नम्बर उस रोडलाइन्स के किसी कर्मचारी का था ही नहीं। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि मामला बिलकुल फाल्स है और जिस रोडलाइन्स की बात की, वह रोडलाइन्स इसमें इन्वाल्व नहीं है। हालांकि उन्होंने बाकायदा बिल्टी वगैरह और जितने भी डाक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, उन्होंने उस समय दिये थे लेकिन यह एक जांच का विषय है जिसके संबंध में न केवल आबकारी विभाग में बल्कि अजीतगढ़ पुलिस स्टेशन में भी इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, 280 मुकदमा नम्बर है। इसमें विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

जब इस बात की जानकारी मिली तो पुड्डुचेरी के जो एडिशनल कमिशनर है, उन्होंने इसको यह कहते हुए नकारा कि यह डाक्यूमेंट हमारे यहां का नहीं हैं। जब यह जानकारी में आया, उसी समय एक्साइज कमिशनर, राजस्थान ने एडिशनल कमिशनर, जयपुर को यह निर्देश दिये कि आप तत्काल कम्पनी के वहां पर जायें और पूरी इसकी जानकारी लें। तो जानकारी में जो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

तथ्य सामने आये, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि जो डाक्यूमेंट्स वह परमिट जारी करवाने के समय दिये गये थे, वे डाक्यूमेंट्स मूलतः वहां से, जहां से पुड्डुचेरी के एक्साइज कमिशनर ने अंकन किया गया है कि यहां से जारी हुए, वहां से जारी होना नहीं पाया गया। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी के ऊपर एक्साइज में और पुलिस एक्ट में, दोनों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मूल बात यह है, अध्यक्ष महोदय, दो बात तो इससे प्रमाणित ये हो गईं, पहली बात, कि रोडलाइन्स जिससे सारा टैंकरों से माल गया, वह फर्जी, उसका नम्बर फर्जी, उसका काम फर्जी; दूसरा यह प्रमाणित हो गया कि आबकारी विभाग ने कंसाइनमेंट का भुगतान जिस बैंक एकाउंट से किया जाता है, उसका मेल करते हैं, वह आई ही नहीं कि किस बैंक एकाउंट से भुगतान किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था पेमेंट के बाबत, पेमेंट का मामला भी बिलकुल सही है कि जिस प्रीमियर डिस्टिलरीज के नाम से, हमने जो माल यहां से भेजा, पेमेंट उससे आना चाहिए था लेकिन पेमेंट भी उस पार्टी से नहीं आकर के किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बैंक में ट्रांजिट हुआ। बैंक में उस ट्रांजेक्शन के बारे में जब हमने जानकारी ली तो पेमेंट तो उस पार्टी को हो गया लेकिन वह उस पार्टी से नहीं हुआ, जिस पार्टी को हमने माल भेजा था। इसलिए हमने तत्काल यहां पर एफ.आई.आर. दर्ज की। उसके आधार पर उस व्यक्ति को भी हमने इसमें शामिल किया और उस व्यक्ति के भी, जो मूल रूप में कहीं एम.पी. साइड का बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी पुलिस में जांच चल रही है।

मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को कहना चाहूंगा निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है कि हमारे यहां की डिस्टलरी से माल गया और उस माल को जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचा। जिस प्रीमियर डिस्टलरीज की हम बात कर रहे हैं, उस प्रीमियर डिस्टलरीज के बजाय यह माल किसी अन्य स्थान पर चला गया। तो निश्चित ही यह चिंता का विषय है लेकिन इसमें विभाग ने आगे होकर अपनी ओर से कार्यवाही की। कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उन व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया जो इस सारी जालसाजी में कहीं संदिग्ध पाये गये और

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उनमें से कुछ लोगों को हम एम.पी. से अरेस्ट करके यहां लेकर भी आये हैं। उनके खिलाफ भी दोनों ही एक्ट में, एक्साइज में और पुलिस में, आई.पी.सी. में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मैं पूरे सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि सदन की चिंता से मैं स्वयं भी इस बात से थोड़ा चिंतित हुआ। यह सदन की चिंता कोई व्यक्तिगत चिंता नहीं है, सदन की चिंता स्टेट की रेवेन्यू से बढ़कर स्टेट की चिंता यह है कि इस तरह से यदि हमारे यहां से स्पिरिट जाती रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे स्वयं निर्देशित किया है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति है, जिस किसी भी तरह की यदि संदिग्धता पाई जाये तो उनके खिलाफ गम्भीरतम जो दण्डनीय अपराध है, वह उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मैं पूरे सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई राज्य सरकार के स्तर पर नहीं बरती जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह ताली बजाने का काम नहीं है, ताली बजाने का यह काम नहीं है लेकिन आपके आश्वस्त करने से भी यह काम नहीं होगा। यह काम आश्वस्त करने से इसलिए नहीं होगा कि यह विजय नाम का जो आदमी है, जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अजीतगढ़ का थाना उसको नहीं पकड़ सकता। यह एक राज्य का मामला भी नहीं है। यह एक टैंकर का आपने मामला पुड्डुचेरी का रजिस्टर कर लिया, 16 परमिट ऐसे हैं और फर्जी आदमी ने फर्जी नाम से 16 परमिट बनाकर सारे हिन्दुस्तान भर में इनको भेजा है। अजीतगढ़ थाना इसको कहां से प्राप्त कर लेगा? 160 करोड़ रुपये होती है इसकी लागत। इसलिए सारा मामला संदिग्ध है।

इसलिए पहला प्रश्न मेरा यह था कि यह विजय कौन है, कितने राज्यों की पुलिस इसको खोज रही है और यह कितनी बार हमारे दफ्तरों में आया? इसका फोन नम्बर है, किस-किस अधिकारी से इसने बात की, एक तो उस बात का स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, यह जो आपने फीस थी न चार रुपये, इसको सात रुपये की इम्पोर्ट की फीस और फिर वापस चार रुपये की, यह क्यों की? इसका जवाब दीजिये। इसके कारण से सारा घपला हुआ है, घपला यहां से शुरू हुआ है। तीन, यह जो परमिट है पत्रावली में, कंपनी की पत्रावली में परमिट का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस समय परमिट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आया, उस समय वहां पर बैठे हमारे जो अधिकारी थे उनको इसका सत्यापन करना चाहिए था, वह सत्यापन नहीं किया और सत्यापन किये बिना यह सारा माल भरा दिया। इसका मतलब, यह वहीं से मिलीभगत शुरू हुई है, अध्यक्ष महोदय। यह वहीं से मिलीभगत शुरू हुई है, यह वहां पर हुआ है। इसके बारे में क्रास वेरिफिकेशन नहीं किया गया। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो क्रास-वेरिफिकेशन किया जाता है, वह क्रास वेरिफिकेशन नहीं किया गया और विभाग द्वारा अन्य राज्यों में इसका जांच दल गठित करके नहीं भेजा गया।

आपने कहा ना कि केस रजिस्टर कर लिया, क्या केस रजिस्टर कर लिया, मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आपने जो सवाल पूछ लिये, पहले उनका जवाब आने दीजिये वरना फिर वे भूल जायेंगे। सारे सवालों का एक साथ जवाब आयेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि जिस विजेंद्र की आप बात फरमा रहे हैं, वह विजेंद्र मूल रूप से इस कंपनी का कर्मचारी है जिसने प्रथम रूप में विभाग को इस आशय की ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विजेंद्र नहीं, विजय, विजय है...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह संजय है। वह व्यक्ति...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ..और आपका, वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है, आपकी जांच रिपोर्ट में जो आपने पेश की, उसमें कहा है कि विजय नाम का आदमी फर्जी है। आपकी रिपोर्ट मेरे पास आई है, आपने ही जवाब में भेजा है। कंपनी का नहीं, महाराज, आपने जो रिपोर्ट दी है, उसी रिपोर्ट में लिखा है कि विजय फर्जी है। यह दूसरे प्रांत का रहने वाला है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं-नहीं, वह संजय व्यक्ति है, संजय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो भी है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): संजय नाम का व्यक्ति है, वह अरेस्ट हो चुका। संजय के माध्यम से बैंक में पेमेंट हुआ है और विजेंद्र, जिस विजय की आप बात कर रहे हैं, वह हो सकता है कोई लिखने में गलती हो गई हो, वह विजय के बजाय विजेंद्र है और विजेंद्र नाम का व्यक्ति जो वहां कंपनी में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

काम करता है, साधारण सा कर्मचारी है यह, इसने वहां अपना एक्साइज का जो आफिसर है, उसको यह रिक्वेस्ट की कि आप हमको बीस हजार, बीस हजार बल्क लीटर के दो परमिट यहां से जारी करें जो हमको यहां से एक्सपोर्ट करना है। यह विजेंद्र नाम के व्यक्ति ने की। विजेंद्र नाम के व्यक्ति ने करने के बाद में कंपनी के ही दूसरे कर्मचारियों ने यह एफिडेविट दिये कि यह जो यह डाक्यूमेंटेशन है, यह बिलकुल सही है। उस पर एक्साइज आफिसर जो अपने सीकर जिले के थे, उन्होंने, माननीय, जो वहां के हमारे स्टेट के जो कमिश्नर हैं, उनसे परमिशन लेकर के 21, 22/11 को यहां से उसका एफएल-5 जो है, वह परमिट जारी कर दिया। जो ट्रकों के माध्यम से जिस कंपनी की, ट्रांसपोर्ट कंपनी की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि वह कंपनी है ही नहीं, उस कंपनी के जो फोन नम्बर जो आपने फरमाये, वे भी फर्जी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फर्जी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उस कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सही मायनों में तो यह है और जिस व्यक्ति ने बैंक में पेमेंट किया, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया।

माननीय सदस्य, पूरा सदन इस बात को सुन रहा है, आपकी भी चिंता जायज है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं ने यह निर्देश दिये हैं, इस मामले में किसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही यदि करनी है तो उसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन मामला चूंकि वहां पुलिस में अभी विचाराधीन है, दूसरे स्टेट का मामला है, हमने अपनी टीम वहां पर भेजी, टीम भेजकर हमने वहां से तीन लोगों को अरेस्ट किया जिनके माध्यम..., इसमें सबसे बड़ा, अध्यक्ष महोदय, जो जालसाज है इस मामले में सबसे बड़ा, वह है रुपयों का लेनदेन करने वाला व्यक्ति। जो मूल रूप से प्रीमियर डिस्टलरीज है उसका तो इसमें किसी तरह का कोई इंवाल्वमेंट ही नहीं है। लेकिन प्रीमियर डिस्टलरीज ने आगे निकल के...

श्री अध्यक्ष: इसमें फैक्टरी आनर का भी कुछ इंवाल्वमेंट है या नहीं है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, फैक्टरी आनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया न।

श्री अध्यक्ष: वह अरेस्ट हो गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): फैक्टरी आनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया।

श्री अध्यक्ष: वह गिरफ्तार हो गया?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): फैक्टरी आनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वह अभी है नहीं राजस्थान में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नहीं है, मंत्रीजी। आपने कहा है, फैक्टरी मालिक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, पुलिस ने क्या कार्यवाही की। पुलिस ने यह की कि जो कर्मचारी पांच सौ-पांच सौ, सात सौ-सात सौ रुपये में वहां काम करते थे न, उनके एफिडेविट ले लिये कि साहब, यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं और इसकी अगर सज़ा होगी तो मैं सज़ा भुगतूंगा और यह एफिडेविट लेकर उस माल को रवाना कर दिया। उन गरीबों पर क्यों प्रहार कर रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और वह फैक्टरी मालिक को पकड़ा ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मालिक फरार। फैक्टरी चल रही है, सारा काम है और वह कर्मचारियों से, पांच सौ-पांच सौ, सात सौ-सात सौ, हजार-हजार रुपये महीने लेने वाले कर्मचारियों से यह एफिडेविट ले लिया कि यह सारा माल हम भेज रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है और इसमें सज़ा होगी तो हम सज़ा भुगतेंगे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा रिकार्ड कि इस प्रकार से पहले एफिडेविट लेकर, यह कोल्यूजन है, यह कोल्यूजन है। यह पहले एफिडेविट लेकर के, इस प्रकार के एफिडेविट लेने की आवश्यकता क्या थी? यह मामला, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे रोक दिया, इसका कारण भी मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं ऐसे रुकूंगा नहीं, मामला अजीतगढ़ का है, हां, अजीतगढ़ का हो लेकिन आपको यह मैं कह दूं कि कबड्डी में कोई काकाजी नहीं होता है। चाहे अजीतगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का हो, मूल बात यह है कि यह मामले की जांच तब तक सही नहीं हो सकती इस कोल्यूजन की, जब तक सी बी आई से इसकी इन्क्वायरी नहीं हो। यह आठ स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है। परमिट, फर्जी परमिट बने हैं, सारे राज्य भर में सब फैक्ट्ररियों में इस प्रकार काम हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं, यह मेरा चार्ज है कि रोडलाइन्स फर्जी, विजय कुमार फर्जी या संजय कुमार फर्जी, बैंक में पेमेंट करने का काम फर्जी और एग्रो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बायोटेक ने सत्यापन नहीं किया, यह काम फर्जी और जिन राज्यों से जांच हुई, उसका क्रास-वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यह फर्जी। विभाग द्वारा गठित जांच दल ने ये दोनों बातें स्वीकार कीं। कंसाइनमेंट के आबकारी का सत्यापन का प्रमाण पत्र नहीं होने पर इकाई से जो 90 दिन का समय था, उसके पूर्ण होने के बाद भी उसकी राशि जब्त नहीं की गई, यह कोल्यूजन है। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पी डी सी चैक ले लिये, क्या मतलब है, कौन लेता है इस बात के चैक? किस बात के चैक ले लिये? क्यों कंपनी ने आसानी से चैक दे दिये? छह करोड़ रुपये के, आठ करोड़ रुपये के यह चैक लो, साहब, मैं पेमेंट कर दूंगा। मतलब क्या हुआ? अपराध तो यह है कि 16 टैंकर ले जाकर...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जानकारी दे रहे हैं या सप्लीमेंटरी प्रश्न कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सचेतक, आप बैठिये। प्लीज बैठिये। गम्भीर मामला है, बैठिये आप, प्लीज। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): गम्भीर मामला है लेकिन प्रश्न कर रहे हैं, सप्लीमेंटरी प्रश्न कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाद में मौका दूंगा, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, प्लीज बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 16 टैंकरों से इस प्रकार का काम किया है, मेरा चार्ज है, यह कोल्यूजन से हुआ है ऊपर से नीचे तक और जब तक इसकी जांच राज्य स्तर पर गठित कोई पुलिस के दल से नहीं होगी या सी बी आई से नहीं होगी, तब तक इसका भण्डाफोड़ नहीं होगा। यह अवैध शराब के कारोबार का इससे बड़ा कोई उदाहरण राज्य में नहीं हो सकता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी कहें कि इसकी जांच एक विशेष यहां पर गठित करें, उससे कराई जाय; फैक्टरी मालिक को क्यों छोड़ रखा है, यह बताया जाये। अजीतगढ़ का थाना कहां हाथ लगा लेगा? बीस-बीस करोड़, पचास-पचास करोड़ का मामला, वह ए एस आई, कांस्टेबल किसको पकड़ लेगा? सारा मामला इतना गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी बतायें कि इसकी सी बी आई से जांच कराने के लिए राज्य सरकार, आठ राज्यों का मामला है और मैं चाहता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, यह बता दें। और नहीं तो, यहां के फाइनेंस सेक्रेटरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी वे बने हुए हैं, उनसे जांच करा लें और सी बी आई में केस रजिस्टर करा दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी जांच किस लेवल के अधिकारी द्वारा की जा रही है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप विराजें, आप विराजें। आपका सब्जेक्ट नहीं है, भई, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी चिंता व्यक्त की, पेमेंट के मामले में भी चिंता व्यक्त की कि उनसे पोस्ट-डेटेड चैक ले लिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जांच कराओगे कि नहीं, यह बताओ आप तो।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं बता रहा हूं, यह मामला कोई जयपुर नगर निगम का नहीं है, भई।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह पूरे राजस्थान का है, इसकी जांच कराओ सी बी आई से।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह मामला जहां का है ...(व्यवधान) प्लीज, बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्ट डेटेड चैक, वह कंपनी, इसकी वर्थ 150 करोड़ रुपये है। मालिक यहां पर है नहीं, मैंने स्वयं ने पुलिस के अधिकारियों से पूछा है, उन्होंने इस मामले में अन्य जगहों पर भी इस बात की जानकारी ली कि वे कहां पर हैं। पोस्ट डेटेड चैक जो लिये गये हैं, वह उस कंपनी की 150 करोड़ की वर्थ यहां पर है, यदि वह पेमेंट नहीं होता है तो उसकी 150 करोड़ रुपये की वर्थ है यहां पर।

मैं केवल एक बात आश्वस्त करता हूं, माननीय सदस्य, आपको, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि ए सी एस स्वयं अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करवायेंगे, ए सी एस सी.के. मैथ्यू साहब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, इसकी जांच किस लेवल के अधिकारी द्वारा पुलिस में हो रही है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इसकी जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सी के मैथ्यू, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अभी जांच पुलिस में किस लेवल के अधिकारी द्वारा की जा रही है, सवाल यह है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इसकी जांच जो है, एस.पी. के सुपरविजन में हो रही है, एस.पी. सीकर के रूप में हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, +++ बोल रहे हैं, एस एच ओ कर रहा है जांच, एस एच ओ जांच कर रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से टेबल कूट-कूट कर यह बात चाहते हैं तो बिलकुल नहीं होगी। मैंने कह दिया, मेरे विभाग के सर्वोच्च अधिकारी इस विषय की जांच करेंगे। क्या बाकी रह गया है इसके बाद में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) 6 करोड़ 85 लाख आपने दण्डित किया ...(व्यवधान) काहे के लिए ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप जांच किस स्तर पर करवा रहे हैं? इस बात को गोलमोल क्यों करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 3 लाख 20 हजार टोटल शराब बनती है और यह जो दुखांतिका हुई है अभी जोधपुर में, उसी में यह स्पिरिट काम में ली गई है। एस एच ओ जांच करेगा? 6 करोड़ रुपए का पैनल्टी को यह पोस्ट-डेटेड चैक से दे देंगे? पैसा जब्त क्यों नहीं किया इन्होंने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाएं, प्लीज विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता ने स्वयं आगे होकर यह बात कही कि आपके सीनियर आफिसर से जांच करा दें, राजस्थान के पास में सी के मैथ्यू से बड़ा इस डिपार्टमेंट में कोई सीनियर आफिसर नहीं है। माननीय उप नेता महोदय के कहने के बाद मैंने यह जब अपना फैसला यहां आपके सामने रखा, आपसे व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद में क्या बाकी रह गया? बार-बार आप ...(व्यवधान) सदन को मिसलीड करने की कोशिश मत किया करो। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, झगड़ा यह नहीं है, झगड़ा यह है कि उप नेता ने कह दिया, सदन की नेता यहां पर बैठी हुई हैं, यदि माननीय राजेन्द्र

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जी राठौड़ नहीं बोलेंगे तो उनकी तो अभी हेठी हो जाएगी यहां पर। हर बात में बोलना जरूरी है?

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता, राव राजेन्द्र सिंहजी। मूल प्रश्नकर्ता। प्लीज विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अरे भाई, यह मान लो, वह मान लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मंशा तो बता ही दी मैंने।

श्री अध्यक्ष: प्लीज विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झगड़ा यह है कि माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी जो प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, उन्होंने अपनी ओर से आगे होकर के यह कह दिया कि आप ए सी एस जो हैं सी के मैथ्यू साहब, उनसे जांच करा लें, मैंने स्वीकार कर लिया। यह बात नागवार गुजरी है श्रीमान् राजेन्द्र जी राठौड़ को। क्योंकि सदन के प्रतिपक्ष की नेता यहां बैठी हुई हैं और यदि यह बात मान लेंगे यहां पर आराम से, राज़ी-राज़ी, तो इनकी तो हेठी हो जाएगी यहां पर। हर काम में बोलना जरूरी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात आपने स्वीकार कर ली है उसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन दो इन्क्वायरी चल रही हैं, एक विभागीय उसकी तो मैथ्यू साहब जांच कर लेंगे, हमको स्वीकार है लेकिन जो पुलिस में जांच चल रही है, वह एस एच ओ नहीं कर पाएगा। पुलिस की जो जांच है, या तो सी बी आई से आप कराये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदन के प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, जब स्वयं इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जांच करेंगे तो उनको मैं यह भी निर्देश करता हूं कि पुलिस और एक्साइज, दोनों मामलों में वे स्वयं अपनी निगरानी में जांच करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे पुलिस की नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वे पुलिस ही क्यों, पूरे विभागों की वे जांच कर सकते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जिस सी.बी.आई. के द्वारा आप जांच की मांग रहे हैं, आपको याद है कि आपकी पार्टी के लोग उसके लिए कहते हैं कि कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसीलिए करा रहे हैं उससे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन के आरोप आप लगाओ फिर उसी से जांच आप मांगों, फिर कह दो, यह तो कांग्रेस वालों ने करवाई है। वाह, क्या तमाशा है!

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह +++ के रूप में इस गम्भीर विषय को गृह मंत्री अगर चुलबुलेपन से हटाना चाहें तो हटेगा नहीं। यह एजेंसी जो है, एक ही एजेंसी है, वह एजेंसी कैसे भी काम करती हो लेकिन इन्टर-स्टेट मैटर्स में जांच करने के लिए हिन्दुस्तान में हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन ही है और सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन को चाहे कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन कहें, तो हम तो कांग्रेस से ही जांच करवा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का यह पहला मामला है स्टेट में ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जैसा मंत्री महोदय ने कहा, इसकी जांच ए सी एस मैथ्यू साहब से करवा लें। आपको शक है क्या उन पर? आपको शक है क्या उन पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं है, तो फिर क्या बात आ गई? करवा रहे हैं जांच, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात यह है कि पुलिस जांच वे नहीं करेंगे। डी.जी. से करा लीजिए, पुलिस जांच डी जी से करा लीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पुलिस की जांच वे नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो उसे डी जी से करा लेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन सी बी आई में जांच करवाने से पहले पूछ तो लो अपनी पार्टी के नेताओं से कि कांग्रेस वालों को क्या बताते हैं? कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन क्यों बताते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप हमारी चिंता मत करो, आप अपने बोझ से दबे रहें, हमारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ो। डूंगर बळती मत देखो, पगा बळती देखो। पहाड़ पर लगी हुई आग मत देखो, पैरो में लगी हुई आग को देखो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): डूंगर बळती, पगा बळती, मैं समझ रहा हूं, हम दोनों की भाषा एक ही है और हम दोनों समझ रहे हैं कि डूंगर बळती तो क्या है और पगा बळती तो क्या है? यह मामला जो है, वह पगा बळती का उधर है, इधर नहीं है। उधर तो पांव तले रहना है, मामला उधर का है। आप तो शांति से मान जाते लेकिन आपके पड़ोस में बैठे हुए राजेन्द्र जी राठौड़ के पांव जलने लग गये इससे। डूंगर बळती को देखने की जरूरत ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप मेरी चिंता मत करो, आप तो यह बताओ कि जो 6 करोड़ के आपने पोस्ट डेटेड चैक ले लिये, आपने एक्साइज एक्ट के तहत इसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया? आपको मालूम है, जोधपुर में यह शराब गई है, नागौर के अन्दर यह शराब गई है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसका एक्साइज एक्ट के तहत लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हैं। जो हमारा एक्साइज एक्ट है उसमें लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हैं। हम यह कर सकते हैं कि उस कंपनी की जितनी भी ड्यूज हैं, हमने वसूल कर ली हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक्साइज एक्ट के सेक्शन 84 के तहत कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इस तरह से अंगुलियां लहराने से कंपनियां बंद नहीं होती हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में, पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, आपने खण्ड-2 में यह बात तो स्वीकार कर ली है कि इसी फ़र्म के 16 ऐसे परमिट और हैं जो कि फर्जी हैं। क्या आपने यह जानकारी भी प्राप्त की क्या कि इस प्रदेश के अन्दर ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस प्रकार का एक्स्ट्रा-न्यूट्रल एल्कोहल बना रही हैं? और उनकी इकाइयों में से कितने इस प्रकार के फर्जी परमिट निकले हैं? मैं इसलिए आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जिस विजय नाम के आदमी की बात हम कर रहे हैं, जिसने इसी फर्म से नहीं, इसने दूसरी फर्मों से भी फर्जी परमिट लिए हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है क्या कि मेघालय में जाता हुआ, मेघालय के नाम से, फर्म का नाम भी आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, झालावाड़ के थाने में इस प्रकार का एक ट्रक जो इसी एक्स्ट्रा-न्यूट्रल एल्कोहल ले जा रहा था जब्त होकर पड़ा हुआ है? उस जब्त होने के उपरांत क्या आपने ऐसी जांच कराई जिससे आपको यह पता लगे कि इस प्रकार से पूरे प्रदेश में

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जो ऐसी इकाइयां हैं, कहां-कहां से ऐसे लोगों ने या एक ही व्यक्ति ने फर्जी परमिट उठाये हैं? अगर फर्जी परमिट उठाये हैं तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि परिशिष्ट-अ के अन्दर जो बिन्दु संख्या-15 है, जो आपके इन्क्वायरी आफिसर हैं उन्होंने बिन्दु संख्या-15 में यह स्पष्ट कहा है और इस इकाई के लिए कहा है। जब इस इकाई के लिए कहा है तो मान लिया जाए कि जहां-जहां ऐसी फैक्टरियां हैं वहां भी यही होगा कि इकाई में स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय के अभिलेख का विस्तृत अवलोकन किया गया जिससे यह विदित हुआ कि निर्यात परमिट और उनके सत्यापन प्रमाण पत्र एक ही पत्रावली में नहीं रखे गए हैं? जिससे यह पता नहीं चलता कि किसी विशेष कंसाइनमेंट का सत्यापन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। आपका तो सिस्टम ही नहीं था इस बात को पता करने के लिए या परिश्रम करने के लिए। इसके बाद आपने कौनसा सिस्टम एडोप्ट किया? यह 22.12 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट आपको पेश कर दी। 22.12 के बाद में ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, इस प्रकार के परमिट जहां बनते हैं, उन संस्थाओं में आपने अपने विभाग की किस व्यवस्था को सुनिश्चित किया?

एक बात आप मुझे यह बता दीजिए कि इतना कुछ होने के बाद में भी आज भी आप यह बात मानते हैं कि फर्जी परमिट इश्यू हुए, फर्जी परमिट इश्यु होने के सत्यापन करने का अगर काम वह इकाई करती है तो आबकारी विभाग का निरीक्षण दल किस बात के लिए मुस्तैद है? क्या उसके पास में कोई आपका एक साल, दो साल में आप यह बता दीजिए, कितने आपने इस प्रकार के परमिट स्व-विवेक से निरीक्षण किये और आपके दल ने यह पाया कि ये फर्जी हैं? यह तो किसी ने बता दिया, आपने पकड़ लिया, नहीं तो आपका निरीक्षण दल तो सिर्फ पहिये की गाड़ी में घूमता रहता है। क्या यह सही है या नहीं है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य ने परिशिष्ट-अ का जिक्र किया है। यहां से जिस ई वी सी की बात कर रहे हैं, एक्साइज वेरिफिकेशन सर्टिफ़िकेट, वह एक्साइज वेरिफिकेशन सर्टिफ़िकेट जब यहां से हमारा माल दूसरे प्रांत में जाता है तो वहां उस ज़िले का जो एक्साइज आफिसर है, वह उसको इस बात का वेरिफिकेशन करता है कि यह जो आपने वहां से भेजा है, यह हमारे पास पहुंच गया है। इस तरह के कुछ परमिट वहां से वेरिफिकेशन होकर के आये। लेकिन यह बात अभी भी सही है कि राजस्थान

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की करीब 11 डिस्टिलरीज जो राजस्थान स्टेट में हैं, उनसे ई एन ए भेजा जाता है। जब माननीय तिवाड़ी जी और माननीय राजेन्द्र सिंह जी का जब यह प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने स्वयं ने आगे बढ़कर के मेरे अधिकारियों से चर्चा की और न केवल अजीतगढ़ की एग्रो बायोटेक बल्कि पूरे स्टेट की जितनी भी जो दूसरी डिस्टिलरीज हैं, उनमें भी इस तरह की कभी भविष्य में अनियमितता नहीं हो, हमने उसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने की बात की। हमने यह भी निर्देशित किया कि उनके जितने भी जो मामले पूरे स्टेट के हैं, उनकी भी गहनतम जांच हो और हम यह देखें कि उनके द्वारा भी इस तरह से कोई ई एन ए बाहर भेजा गया है या नहीं भेजा गया है।

इसके अलावा आज तक जिस तरह से यह ई एन ए बाहर जाता रहा और इसका वेरिफिकेशन हम तीस दिन की अवधि में बाहर से करवा कर मंगाते रहे, अब हमने यह कर दिया कि जब हमारे पास में कोई इम्पोर्ट करने के लिए परमिट हमारे पास रखता है तो हम आइदर आन-लाइन और फैक्स के जरिये उस स्टेट के एक्साइज कमिश्नर से ये हम सुनिश्चित करते हैं कि जो डाक्यूमेंट आपके यहां से हमारे यहां प्रस्तुत किया गया है, ये जेन्यूइन है या नहीं है। यदि जेन्यूइन नहीं है तो हम उसको एंटरटेन ही नहीं करते।

इसलिए भविष्य में तो इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी, यह मैं आपको एंश्योर कर सकता हूं लेकिन इससे पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि ए.सी.एस. केवल एग्रो बायोटेक का मामला ही नहीं देखेंगे ...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, मंत्री महोदय, आपसे एक सप्लीमेंटरी प्रश्न में यह पूछा था कि ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं इसका जवाब दे दूं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस विजय नाम के व्यक्ति ने कहीं और भी परमिट बनाये, आप तो वह दे दो, बाकी तो आप तिवाड़ी साहब के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं, माननीय सदस्य, ये जवाब दे दूं? नहीं-नहीं, इसका जवाब दे दूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कि इस विजय नाम के व्यक्ति ने कितने और परमिट बाकी अलग डिस्टिलरीज से और बनवाये हैं? और उनकी टोटल राशि कितनी बनती है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कितने परमिट अब तक हमारी जानकारी में आये हैं, उसमें जैसे ही जानकारी में आया, 1,14,24,000 रुपये हमने तत्काल वसूल किये। उसके बाद में जब दूसरा... मेरी सुनिये तो सही आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इसके अलावा कितने और परमिट आपके ध्यान में आये और उनकी टोटल राशि कितनी बनती है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं बता रहा हूं न तो, सुन ही नहीं रहे हो आप। देखिये, मेरी बात सुनिये आप। नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं पूरे सदन को बता रहा हूं, जब पहली बार हमको पता चला 1,14,24,000 रुपये हमने तत्काल जमा किये। जब बाकी की उनकी जानकारी की और जब हमें पता लगा कि ये डाक्यूमेंट्स भी फोर्ज्ड हैं, तब 6 करोड़ और कुछ लाख रुपये हमने और उनसे जमा कर लिये। मैं पूरे सदन को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि न केवल एग्रो बायोटेक की, पूरे स्टेट की जो 11 डिस्टिलरीज हैं, उनमें गहन जांच करा करके इस तरह की यदि कोई अवैध कार्यवाही हुई हो, अवैध इस तरह का कोई बाहर भेजा गया हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) बाकी क्या रह गया?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, अगर आपको ... (व्यवधान) मंत्री महोदय, मैं आपको बता दूं कि यह किसी के व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान). एक प्रश्न पर समय बरबाद कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप ही के आबकारी विभाग का एक दल एक दूसरी इकाई को यह लिख रहा है कि जो परमिट आपने दिया है वह फर्जी है। तो आप जांच तो करा चुके हैं, तो ये बता दें कि राजस्थान में कितने परमिट ऐसे फर्जी हुए और उनकी टोटल राशि कितनी है?

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो शंका जाहिर कर रहे हैं, हमने उससे भी पैसे वसूल कर लिये। पूरे सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि यदि ...(व्यवधान) पायी जाएगी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये स्पेसिफिक पूरक प्रश्न का उत्तर दें केवल।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ... हम पैसे वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य द्वारा स्पेसिफिक पूछे गये प्रश्न का केवल उत्तर दे दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं स्पेसिफिक प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं, कोई सुने तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपसे यह ही पूछ रहा हूं कि पूरे राजस्थान में आज तक ऐसे कितने अभियोग आपके ध्यान में आये और उनकी कुल राशि कितनी है? इससे ज्यादा स्पेसिफिक तो मैं पूछ नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का यह पहली बार मामला सामने आया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक है या अनेक हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दो हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): दो हैं तो राशि पूरी कितनी है, यह ही बता दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कह रहा हूं न, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसा है, माननीय सदस्य, सुनिये आप। देखिये, केवल बात को जोर-जोर से कहना और सामने वाले को सुनना ही नहीं, ये तो गलत है।

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक जवाब दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य ये जानकारी चाह रहे हैं कि इस मामले में कितने अभियोग दर्ज हुए, कितनी राशि जमा हुई, तो मैं वह ही तो बता रहा हूं। इस मामले में एक मामला जो वहां अजीतगढ़ में दर्ज हुआ, दूसरा मामला रींगस में दर्ज हुआ। एक कंपनी पर और दर्ज हुआ, उसके भी 1 करोड़ और कुछ लाख रुपये हमने जमा कर लिये, बाकी उनकी जो डिस्टिलरी की है, वह भी हम जांच कर रहे हैं। अब ए.सी.एस. से बड़ा कोई अधिकारी मेरे पास है नहीं, उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद फिर क्या बाकी रह गया? बार-बार एक ही बात को बार-बार पूछना, अलग-अलग शब्दों में पूछना, अलग-अलग तरीकों से पूछना, तो सब्जेक्ट थोड़े ही बदल गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के विभाग की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ देता हूं जिससे कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम न तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। **Why are you taking it personally?**

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरा कोई कंसर्न नहीं है, आप पूछिये। मैं केवल एक बात कह सकता हूं पूरे सदन को...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपका विभाग है, आपका कांस्टिट्यूशनल दायित्व बनता है इसलिए आप जवाब दे रहे हैं। You haven't done anything. So please don't take it personally.

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन सिर्फ इतना है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब आप विराज जाओ, मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। मैं बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हां, आप कहिये, जरूर बताइये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो। आपका विषय नहीं है, विराजो आप। प्लीज विराजो आप।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप बात सुनिये पूरी। आप हमेशा बैठा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप सुनिये कि जो दूसरे... मैं इस मामले में नहीं बोल रहा हूं, मैं इस मामले में इंटरवीन नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। मूल प्रश्नकर्ता अपना सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं, मूल प्रश्नकर्ता सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं इस मामले में नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मुझे पता है। आप विराजो, मुझे पता है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि नये जो सदस्य आये हैं, वे पांच साल तक ऐसे ही बैठकर अपने घर वापस चले जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं, मूल प्रश्नकर्ता को सप्लीमेंटरी की इजाजत दी है मैंने।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): एक-एक प्रश्न में दो-दो घंटे लग गये, हमारा नंबर नहीं आएगा कभी-भी, जिन्दगी भर तक। ये नब्बे प्रतिशत सदस्य वापस चले जाएंगे पांच साल में अपने घर पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं। आपका विषय ही नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान) 35 मिनट हो गये एक प्रश्न पर। (व्यवधान) यह क्या तरीका है? 35 मिनट हो गये एक प्रश्न के लिए। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया है। (व्यवधान) हमारा भी नंबर आने वाला है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 35-35 मिनट तक एक ही सवाल चला रहे हो। अध्यक्ष जी, सारे प्रश्न रह जाएंगे इस तरह से। 35-35 मिनट एक-एक प्रश्न पर जा रहे हैं।

श्री नगराज (धरियावद): ...(व्यवधान) पूरे सदन का समय बरबाद कर दिया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 35-35 मिनट तक एक प्रश्न चल रहा है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब नहीं है, 35 मिनट एक प्रश्न में खराब हो गये हैं।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ...(व्यवधान) एक प्रश्न में ही लगा दिया। हमारा भी प्रश्न है, हमारा भी तो नंबर आएगा। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान) कल भी माननीय सदस्य ने कह दिया। कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान) 35 मिनट हो गये एक प्रश्न पर। दूसरे प्रश्नकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो बाकी सवाल लगे हैं, उनका क्या होगा?

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ...(व्यवधान) उत्तर मिल गये इनको। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

श्री करणसिंह (छबड़ा): औरों को भी चांस दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य आधा घंटे की चर्चा मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 35 मिनट हो गये, बाकी किसी का नंबर नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधा घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आधा घंटे की चर्चा करा दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आधा घंटे की चर्चा दे दीजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह का हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके एजेंडे में है असत्य बोल, जोर से बोल ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कैसे बैठा रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या राज्य सरकार इसकी सी बी आई से जांच कराने को तैयार है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप नहीं बैठा सकते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर सदन का समय बरबाद हो रहा है और प्रश्न लेने हैं तो मैं यह चाहता हूं कि आसन निश्चित कर ले आधा घंटे की चर्चा करा लें। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। (व्यवधान) जनता का पैसा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 36 मिनट की चर्चा तो हो गयी, प्रश्न काल बरबाद कर रहे हो आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...(व्यवधान) डिमांड है डिमांड।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, 35 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सारे जवाब दे दिये मंत्रीजी ने।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पूरे दिन करेंगे चर्चा क्या? (व्यवधान) जब मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तो और क्या रह गया बाकी?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) यहां से संबंधित दस्तावेज ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये सवाल हैं क्या? पूरक प्रश्न है क्या? आप चिट्ठियां पढ़ रहे हो। (व्यवधान) यह नहीं चलेगा।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): राजस्थान में और भी तरह की समस्याएं हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मंत्रीजी से अलग से मिल कर चर्चा कर लें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस हाउस को मजाक नहीं बनने दिया जाएगा। चिट्ठियां पढ़ रहे हो ऐसे। (व्यवधान) समय को बरबाद क्यों कर रहे हो?

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): हाउस को हाइजेक करना चाहते हैं ये लोग। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चिट्ठियां पढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): प्रश्न काल में चिट्ठियां पढ़ने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप बैठिये। मैं इस प्रकरण को समाप्त करने का आपसे निवेदन करके ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, कैसे समाप्त कर दिया प्रकरण को, अध्यक्ष महोदय। कैसे समाप्त कर दिया प्रकरण को?

श्री अध्यक्ष: बैठें, आसन पांवों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन पांव पर ही खड़ा होगा लेकिन आप इसको समाप्त कैसे कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें तो सही। कृपया शांति रखें। 37 मिनट एक प्रश्न में लगे हैं, कुछ प्रश्न और भी आने हैं। कृपया शांति रखें, आसन पांवों पर है। मैं इस विषय की गम्भीरता को महसूस कर रहा हूं और इसमें भी दो राय नहीं है कि सारी बातें मंत्रीजी ने, आपने जो आरोप के रूप में पूछे, स्वीकार भी किया है। इस विषय को इसलिए समाप्त करने का निवेदन ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आरोप नहीं स्वीकार किये हैं। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): ...(व्यवधान) जवाब दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये कैसे कह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) मैंने वे स्वीकार किये हैं...(व्यवधान) आरोप किस बात के थे? (व्यवधान) किस बात के आरोप? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये कैसे कह रहे हो? कौन स्वीकार कर रहा है आरोप? यह नहीं चलेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) आरोप कर तक सीमित थे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): किस बात के आरोप लगा रहे हो आप?

श्री नगराज (धरियावद): कोई आरोप स्वीकार नहीं किये हैं। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दिया है।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ...(व्यवधान) प्रश्न का जवाब देकर संतुष्ट किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) सच्चाई ...(व्यवधान) आपके सामने हैं।

श्री नगराज (धरियावद): ...(व्यवधान) कोई आरोप स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीजी आसन को धमकी दे रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई आरोप किसी ने स्वीकार नहीं किये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): किसी किस्म के आरोप की कोई स्वीकारोक्ति नहीं की है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) नहीं किया ...(व्यवधान) ये अजीतगढ़ तक सीमित है। आप कैसे जवाब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): किस तरह के आरोप ...(व्यवधान) जो बात पूछी, उसका जवाब दे दिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आसन को धमकी दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): और कोई जानकारी चाहिए तो मैं तैयार हूं।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य जबरदस्ती हां कराना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बात कहने ही नहीं दे रहे हो, उससे पहले ही खड़े हो जाते हो।

श्री नगराज (धरियावद): जोर से बोल कर हां कराना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): किसी तरह का आरोप स्वीकार नहीं किया है। जो बात आपने कही, जो सच्चाई थी वह स्वीकार की। ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आरोप स्वीकार आपने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने अपने उत्तर में आरोपों को स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका रोज का काम हो गया। सिस्टम को हाइजेक करना ...(व्यवधान) इनका रोज का काम हो गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ...(व्यवधान) फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान में हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बात कहने से पहले ही खड़े हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) मंत्रियों द्वारा आसन पर इस प्रकार का आक्षेप राजस्थान की विधान सभा में पहली बार हुआ है और हम इसकी कठोर शब्दों में निन्दा करते हैं।

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): ...(व्यवधान) मंत्रीजी ने सारे आरोपों का जवाब दिया है, कोई आरोप स्वीकार नहीं किया है। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान) 40 मिनट हो चुके हैं एक प्रश्न के जवाब में।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) धमका रहे हो आसन को।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): जवाब दिया है, मंत्रीजी ने जवाब दिया है। ...(व्यवधान) प्रश्न का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नों के लिए कृपया आगे देखें।)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.40 बजे, 12.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 12.40 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। नियम और प्रक्रियाओं में आसन सर्वोपरि है। सत्ता के मद में चूर मंत्रीगण...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है, प्रक्रियाओं में लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों को आप नियंत्रित करें कि वे नियमों का उल्लंघन नहीं करें। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि आसन पर हम सबका संरक्षण करने वाले, हमारे अध्यक्ष महोदय, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। सिर्फ इसलिये हो गया कि जिस तरह का आचरण सत्ता के मद में चूर मंत्रीगणों ने अध्यक्ष महोदय के साथ किया है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कोई नियमों की बात करिये। यहां, माननीय सभापति महोदय, भाषण नहीं, नियमों की बात करें, नियमों की बात करें। (व्यवधान) आसन का, परम्परा का, नियमों का ख्याल करना है तो सबसे पहले प्रतिपक्ष के सचेतक खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमें खेद है इस बात का। (व्यवधान) नियमों के नियम 307 और 308 की अगर व्याख्या करें तो असीमित अधिकार हैं। सभापति महोदय, मेरी मान्यता है कि अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाए। हम जानना चाहते हैं, यह सदन जानना चाहता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की तबीयत कैसी है। इनके आचरण से क्षुब्ध होकर अध्यक्ष महोदय आसन छोड़कर गये और वह व्यवस्था, जो व्यवस्था हम चाहते थे, वह व्यवस्था भी दें। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय आएं और अपनी बात यहां कहें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इस सदन में हम आराम से चर्चा कर रहे थे और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था देने के लिये खड़े हुए थे, उस समय पर संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आसन पर आक्षेप लगाये और आक्षेप भी अवांछनीय तरीके से लगाये। इस प्रकार के आचरण से दुःखी होकर दूसरा प्रश्न उन्होंने पुकार लिया था, उन्होंने कह दिया था कि ए.सी.एस. की जांच की घोषणा कर दी है, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। उसके बाद भी आसन पर जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने खड़े होकर और मंत्रियों ने हाथ से खड़े कर कर, सबको खड़ा कर आरोप लगाया, वह इस सदन में सबसे शर्मनाक दिन था जब आसन पर आक्षेप लगाये गये। सभापति महोदय, आसन पर आक्षेप लगने के बाद फिर सदन नहीं चलता है। इसलिये हमारी आपसे मांग है कि आप अध्यक्ष महोदय को यहां पर बुलाएं और उनसे स्पष्टीकरण करवाएं और कांग्रेस पार्टी आसन से क्षमा याचना करे ताकि सदन का मान बना रहे। यह हमारी मांग है। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप अध्यक्ष महोदय को बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, इस प्रकार के प्रतिपक्ष के आचरण के लिये प्रतिपक्ष को प्रताड़ित किया जाए। सदन की व्यवस्था में गतिरोध बनाने के लिये लगातार ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं। पाइंट आफ इंफार्मेशन। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन, एक सूचना देना चाहता हूं। (व्यवधान) इसलिये बैठाइये, सभापति महोदय, एक जरूरी सूचना। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप आसन का सम्मान नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। आप अवैध खनन करा रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, आप बैठिये। (व्यवधान) आप तो अवैध खनन के माफिया हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप आसन का सम्मान नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापतिजी, एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री ने इशारा करके सत्तारूढ़ दल के लोगों को खड़ा किया और उन पर ...(व्यवधान) यह सदन का अपमान है, पूरे राजस्थान का अपमान है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यह भय हो गया था कि कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय आधे घण्टे की चर्चा का आदेश न दे दें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हाथ उठाकर मारपीट की खुद माननीय सदस्य ने। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आसन का सम्मान सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मंत्री महोदय, आप तो विराजो। आप तो अवैध खनन करो, अवैध। खानों में घोटाले करो, फर्जी अलाटमेंट करो, आप तो बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। एक माननीय सदस्य जो नियमों का हवाला दे रहे हैं, एक सुरक्षा कर्मी को ...(व्यवधान) ओम बिड़ला जी के सामने मारपीट की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुला लें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक अन्य आदमी को वेल में लाने की कोशिश की। (व्यवधान) अन्दर जबरदस्ती घुसाने की ... (व्यवधान) करीब 15 मिनट पहले जब हाउस एडजोर्न हुआ, उस समय। ये नियमों का हवाला दे रहे हैं। (व्यवधान) अन्दर घुसाने, वेल में लाने के लिये एक सुरक्षाकर्मी से मारपीट की। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, यह सत्ता पक्ष के लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और चेयर पर अंगुली उठाकर चेयर का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान) इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ग्यारसारामजी कोली, माननीय सदस्य ने भयंकर मारपीट की और ये नियमों का हवाला दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक जरूरी सूचना...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये। आप आसन की बात तो सुनें, आप कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आसन का सम्मान नहीं करना आता है इन्हें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आसन पर कमेंटस करने की बात तो अलग है, इस तरह की बात सोच नहीं सकते हैं। माननीय अध्यक्षजी के प्रति किसी भी सदस्य ने किसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है और न कभी सोच सकते हैं। (व्यवधान) क्योंकि हमारे मन में अध्यक्षजी के प्रति बड़ा सम्मान है और अध्यक्षजी के सम्मान के बारे में ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, जब तक अध्यक्ष महोदय नहीं आएंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, ये सत्ता के नशे में चूर हैं। ये चेयर का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये नियमों का पालन नहीं करते। इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) जहां चेयर का मान नहीं है, सदन की गरिमा नहीं रख सकते हैं ये लोग ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पधारें। (व्यवधान) एक बार वे पधारें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, जो खुद बोल रहे हैं, वे विधान सभा के अन्दर हल्ला ये स्वयं पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय का अपमान, यह सहन नहीं होगा। (व्यवधान) यह इस आसन का अपमान है, यह सदन का अपमान है और सदन की गरिमा को गिराने का काम है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर विराजिये। (व्यवधान) कृपया विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापतिजी, आप अध्यक्ष महोदय को बुलवाइये ना। (व्यवधान) अध्यक्षजी का सम्मान रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप एक बार अध्यक्ष महोदय को आसन पर बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सुरक्षाकर्मी को पीट रहे हैं, बाहर के आदमी को वेल में घुसा रहे हैं और नियमों की बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य ग्यारसारामजी ने ...(व्यवधान) मैं पाइंट आफ इंफार्मेशन पर बोल रहा हूं।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आसन को धमकाने का काम किया है सत्ता पक्ष ने। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया विराजिये। (व्यवधान) कृपया विराजिये। माननीय मंत्रीजी, कृपया विराजिये। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया विराजिये। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन का अपमान किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये, मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं। मैं आसन से बात कर रहा हूं, कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय के आदेश से ही मैं यहां आसन पर आया हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) इसका मतलब आप...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलवाइये। उनके स्वास्थ्य के बारे में सदन को जानकारी दी जाए। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलवाया जाए, आसन का सम्मान किया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ नियम सिखाएं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलाया जाए। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आसन का सम्मान किया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को तो नियम सिखाएं, कोई नियम इनके समझ में नहीं आता। ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सत्ता के मद में चूर होकर आसन का अपमान करने से भी नहीं चूकना ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): जो आसन का सम्मान नहीं कर सकते ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलाया जाए। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आसन का जो सम्मान नहीं करते, उनको ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, यहां माननीय अध्यक्ष महोदय को हाउस में बुलाया जाए। (व्यवधान) आसन का घोर अपमान हुआ है। गृह मंत्रीजी माफी मांगें। आसन पर जिस तरह का व्यवहार किया गया है ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आसन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मिस-बिहेवियर हुआ है, यह लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र का अपमान है, इस आसन का अपमान है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र का अपमान किया गया है। लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा हेतु ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारी यही प्रार्थना है ...(व्यवधान)

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, केवल हम एक ही मांग कर रहे हैं, हम मुख्य मंत्रीजी को बुलाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाउस में माननीय अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाए। इस सदन में आज कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय का अपमान किया है, सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उसकी हम निन्दा करते हैं, माननीय सभापति महोदय, और हम इसलिए मांग करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब मेरी बात सुनें आप। माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, कृपया विराजिए। कृपया विराजिए। You please take your seats. माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हम माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान करते हैं, अध्यक्षजी के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, एक शब्द उनके विपरीत नहीं किया। ये खुद अध्यक्षजी की बात करके अध्यक्षजी का अपमान कर रहे हैं। हम अध्यक्षजी का सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, यह अध्यक्षजी जब यहां विराजमान थे तो अध्यक्षजी ने ...(व्यवधान) निर्णय दे दिया। ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ये आसन का अपमान कर रहे हैं। आसन खाली नहीं है, आसन के ऊपर माननीय सभापति महोदय हैं। उसके ऊपर भी ये जाकर यह नाटक कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये समय बरबाद करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): आपकी मांग से कुछ नहीं होना है। माननीय सभापति महोदय हैं जो कि अध्यक्ष की हैसियत रखते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जब सभापति महोदय आसन के ऊपर

(श्री मदन प्रजापत)

हैं, वे अध्यक्ष की हैसियत से ही हैं और उसके उपरांत भी यह ढोंग कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं और समय बरबाद करना चाहते हैं।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, जो कुछ हुआ, आपका मुख बंद हो गया। अब आपके पास बचा नहीं कुछ भी, जनता के सामने सारा फैसला हो गया आपका। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो गरीब के हित में बजट पेश किया है, बजट के बारे में प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए, आप बैठिए। Hon'ble Members, please pay attention to the Chair also.

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आसन पर माननीय सभापति महोदय विराजमान हैं और उसके उपरांत भी माननीय अध्यक्ष जी को बुलाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो गरीबों के प्रति बजट पेश किया है, उस बजट के बारे में बोलने के लिए प्रतिपक्ष के पास में कोई भी शब्द नहीं है और जान-बूझकर समय बरबाद कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बी.जे.पी. को यह निर्देश दें कि यह ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी व्यवधान)

श्री सभापति: I request you to please listen to me also. If you wish to give respect to the Chair, you are not prepared to listen to me. You are not prepared to listen to the Chair also.

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आमेर की हवेलियों को बेचने वाले अब ईमान की बात कर रहे हैं! माननीय सभापति महोदय, आमेर की हवेलियों को बेचने वाले और यहां इस तरह की बात कर रहे हैं! माननीय सभापति महोदय, ललित मोदी जो कि ...(व्यवधान) नकेल कस दिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं दोनों ही पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप कृपया सुनें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैं

(श्री सभापति)

व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान)

(समय : 13.00 बजे)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ललित मोदी के बिना ...(व्यवधान)

ललित मोदी...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आमेर की हवेलियों को बेचकर खा गये। जयपुर की पूरी जमीनें बेच दीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: स्पीकर साहब हाउस में आकर व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: कृपया आप मेरी बात सुनें। देखिये अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं यहां आसन पर आया हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप विराजें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलने दें।

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: यह भी अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, उन्होंने मुझे यहां भेजा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत बीझबायला में इण्डेन गैस एजेंसी द्वारा बी पी एल परिवारों को गैस कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में मनरेगा के अन्तर्गत खर्च की गई राशि में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से राजकीय उम्मेद अस्पताल में प्रसूताओं की मौत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली की पंचायत समिति बाली, देसूरी एवं रानी के गांवों में विकट पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, मदरसा पैराटीचर्स, शिक्षा सहयोगी एवं लोक जुम्बिश कर्मियों को प्रबोधक पद पर स्थायी नियुक्ति से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. डा. दिगम्बर सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नकली एवं अमानक दवाइयों के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किये जा रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा में सेमटेल ग्लास फैक्टरी के प्रबन्धकों द्वारा तालाबंदी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला उदयपुर की पंचायत समिति खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सभापति)

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। वैसे भी माननीय सदस्यों को बजट भाषण पर बहस एवं संबंधित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री हेमसिंह भड़ाना एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से अलवर के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाण्डूपोल हनुमान मंदिर में दर्शनार्थियों के वाहनों को लाने पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. श्री छोटू सिंह भाटी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला जैसलमेर में अकाल राहत के दौरान पशु शिविरों एवं तहसील फतेहगढ़ की बाजरी की फसल बीमा का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में बी पी एल परिवारों हेतु शहीद भगत सिंह आवासीय योजना में निर्मित मकानों के आबंटन में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. श्री शंकर सिंह रावत एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से रावत, महेरात, कठात जाति को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में आरक्षण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री हेमसिंह भड़ाना, श्री छोटूसिंह भाटी, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री शंकर सिंह रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में सीवर लाइनें चोक रहने से व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री पदमाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बेमौसम की बरसात से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में।

3. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर

(श्री सभापति)

(भरतपुर) के थानों में नए वाहन, पूर्ण स्टाफ इत्यादि उपलब्ध कराने के संबंध में।

4. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से चौमूं तहसील में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

5. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में।

6. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के किसानों को सरकारी सहायता के रूप में गोभी के घटिया बीज वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की आयकर कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री कानसिंह कोटडी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सा अधिकारी लगाने के संबंध में।

9. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के आसपास की अधिकांश भूमि अवाप्त किये जाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से बेमौसम की वर्षा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से तहसील शेरगढ़ की वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 के द्वितीय चरण के पैकेज प्रथम में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व गांवों को जोड़ने की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

295 पढ़े हुए माने गये।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना। श्री छोटू सिंह भाटी। श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री शंकर सिंह रावत।

(ये सभी माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। आप आसन का सम्मान कर रहे हैं? यह बहुत अच्छी बात है। आपने खुद ने कहा कि सभापति वापस जाओ, वरना मैं आसन से व्यवस्था देने की सोच रहा था। यह आसन का सम्मान है? सभापति वापस जाओ, आपने आसन का सम्मान कर दिया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: आप जानते हैं, मैं अनुशासन में विश्वास करता हूं और आप भी करते हैं।

आज दिनांक 11 मार्च, 2011 को शून्य काल में बोलने हेतु 22 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नांकित हैं- ...(व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 41 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या : प.2(56)वित्त/कर/2010-123 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपनी आथोराइज्ड शेयर कैपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल्स आफ एसोसिऐशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या : प.2(107)वित्त/कर/2010-124 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपनी आथोराइज्ड शेयर कैपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) अधिसूचना संख्या : प.2(37)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 8.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत लीज डीड पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है ;

(4) अधिसूचना संख्या : प.2(11)वित्त/कर/03-126 दिनांक 8.3.2011 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी वसूली के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गई है ;

(5) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-127 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(63)वित्त/कर/2005-157 दिनांक 31.3.2006 को अतिष्ठित किया गया है ;

(6) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-128 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

(7) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-129 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

(8) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-130 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

(9) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-131 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;

(10) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-132 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- IV में संशोधन किया गया है ;

(11) अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-133 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;

(12) अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-134 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सी आई एस एफ कैंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(13) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-135 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सी आई एस एफ कैंटीनों को उनके द्वारा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

किये गये माल के विक्रय को उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(14) अधिसूचना संख्याः प.12(25)वित्त/कर/11-136 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सी आर पी एफ कैंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(15) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-137 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सी आर पी एफ कैंटीनों को किसी माल के विक्रय को उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(16) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा पशु आहार के निर्माता द्वारा मोलासिस के क्रय को कर से उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(17) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-139 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा रेस्टोरेंट एवं होटल से भिन्न किसी स्थान पर किसी भी अवसर के प्रयोजन के लिये पकाये गये भोजन एवं खाद्य सामग्री के विक्रय पर आउटडोर केटरर द्वारा संदेय कर को उस सीमा तक, जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, छूट प्रदान की गई है ;

(18) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-140 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(86)वित्त/कर/09-76 दिनांक 27.1.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(19) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-141 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(20) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-142 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों को 1.4.2011 से अधिसूचित किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(21) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-143 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(41)वित्त/कर/2006-48 दिनांक 22.8.2008 को इसके द्वारा दिनांक 1.4.2011 से विखण्डित किया गया है ;

(22) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-144 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(23) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-145 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

(24) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-146 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(44)वित्त/कर/07-09 दिनांक 17.4.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(25) अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-147 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

(26) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-148 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश कर नियम, 1992 में संशोधन किया गया है ;

(27) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-149 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा मनोरंजन के कतिपय प्रवर्गों द्वारा देय प्रभार्य मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;

(28) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-150 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(14)वित्त/कर/2006-137 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;

(29) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-151 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(63)वित्त/कर/2005-160 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(30) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-152 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के विकास के प्रयोजनों के लिये और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण करने हेतु अधिसूचना में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के साथ पठित धारा-3 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया गया है ;

(31) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-153 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या-14) की धारा-9 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद-14 के अधीन बंधपत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 2 प्रतिशत तक घटाया गया है ;

(32) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-154 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.12(28)वित्त/कर/2007-158 दिनांक 9.3.2007 को अतिष्ठित किया गया है ;

(33) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-155 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा-48 के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित कृषि भूमि के विनिमय की लिखत और पैतृक कृषि भूमि के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया गया है ;

(34) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-156 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

(35) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-157 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा संस्थागत प्रयोजन या औद्योगिक प्रयोजन (पर्यटन इकाई के लिये भूमि को सम्मिलित करते हुए) के लिये भूमि से संबंधित हस्तान्तरण की लिखत पर, जिसके लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा दरों की सिफारिश नहीं की गई है, स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है ;

(36) अधिसूचना संख्या : प.12(25)वित्त/कर/11-158 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई भूमि की बाजार दरों या, यथा स्थिति महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरों को पुनः अवधारित किया जाकर और इन्हें समस्त क्षेत्रों में स्थित भूमि के 15 प्रतिशत तक तुरन्त प्रभाव से बढ़ाया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(37) अधिसूचना संख्या : प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-1 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर और कम्बाइन हारवेस्टर यानों को संदेय कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है ;

(38) अधिसूचना संख्या : प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-2 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री वाहनों को, उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा-4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है।

(39) अधिसूचना संख्या : प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-3 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या-11) की धारा-4-ड. के साथ पठित धारा-3 की उप धारा-1 के अन्तर्गत ऐसे यानों जिनकी लागत 3.00 लाख रुपये से अधिक न हो, को संदेय अधिभार के संदाय से छूट प्रदान की गई है;

(40) अधिसूचना संख्या : प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/24-बी दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : प.6(252)परि/कर/एचक्यू/07/24-ए-99 दिनांक 25.2.2008 को अतिष्ठित किया गया है ; एवं

(41) अधिसूचना संख्या : प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/26 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या-11) की धारा-4-ड. के अन्तर्गत कतिपय वाहनों को संदेय कर पर अधिभार की दर निर्धारित की गई है।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (वर्ष 2010-11) के प्रतिवेदन (संख्या 28 से 61)

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

(श्रीमती जकिया)

1- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 28वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 29वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 30वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2008-2009) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 31वां प्रतिवेदन ;

5- राजस्थान राज्य खनिज विकास विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 32वां प्रतिवेदन ;

6- राजस्थान राज्य खनिज विकास विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 33वां प्रतिवेदन ;

7- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 34वां प्रतिवेदन ;

8- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 35वां प्रतिवेदन ;

9- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 36वां प्रतिवेदन ;

10- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 37वां प्रतिवेदन ;

(श्रीमती जकिया)

11- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 38वां प्रतिवेदन ;

12- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 39वां प्रतिवेदन ;

13- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 40वां प्रतिवेदन ;

14- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 41वां प्रतिवेदन ;

15- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 42वां प्रतिवेदन ;

16- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 43वां प्रतिवेदन ;

17- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 44वां प्रतिवेदन ;

18- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 45वां प्रतिवेदन ;

19- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 46वां प्रतिवेदन ;

20- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 47वां प्रतिवेदन ;

(श्रीमती जकिया)

21- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 48वां प्रतिवेदन ;

22- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 49वां प्रतिवेदन ;

23- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 50वां प्रतिवेदन ;

24- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 51वां प्रतिवेदन ;

25- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 52वां प्रतिवेदन ;

26- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 53वां प्रतिवेदन ;

27- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 1993-1994) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 68वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 54वां प्रतिवेदन ;

28- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 85वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 55वां प्रतिवेदन ;

29- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 56वां प्रतिवेदन ;

(श्रीमती जकिया)

30- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 57वां प्रतिवेदन ;

31- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 58वां प्रतिवेदन ;

32- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 59वां प्रतिवेदन ;

33- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के पांचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 60वां प्रतिवेदन ; एवं

34- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 1998-1999) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 61वां प्रतिवेदन ;

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2010-11) के प्रतिवेदन (संख्या 14 से 16)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- गृह (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 14वां प्रतिवेदन ;

2- गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के 10वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 15वां प्रतिवेदन ; एवं

3- गृह (अभियोजन) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 16वां प्रतिवेदन।

श्री सभापतिः श्री गुलाबचन्द कटारिया, तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

(सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले।)

श्री बाबूसिंह राठौड़ ।

(सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले।)

श्री हरिसिंह रावत।

(सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले।)

डा. विश्वनाथ मेघवाल।

(सदन कूप में होने के कारण नहीं बोले।)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां तो मैं बोल लूं? मुझे बोल लेने दो। मुझे बोल लेने दो न तो, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो बोलना चाहता हूं। मेरे पर प्रतिपक्ष के द्वारा जो आरोप गया है कि मैंने आसन की ...(व्यवधान) तो मेहरबानी करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है, वह देख ली जाए, अगर उसमें एक भी शब्द अपमानजनक निकले तो मैं निश्चित तौर पर माफी मांगने को तैयार हूं लेकिन यदि नहीं निकले तो इनको माफी मांगने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष के लोग जब सदन में यह नारा लगायें कि 'सभापति वापस जाओ' तो अपमान आसन का होगा कि नहीं होगा, यह भी तय किया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हमने मांगा क्या है, हमने सब ने इतना ही किया है कि ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। ...(व्यवधान) कोई है तो मैं जिम्मेदार हूं वरना आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। यह रही प्रोसीडिंग्स। (व्यवधान) यह रही प्रोसीडिंग्स, अगर एक शब्द भी इसमें अपमानजनक होगा तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अंडर दीज सर्कमस्टांसेज मैं तो नहीं समझती हूं कि इस हाउस में बैठने का हम लोगों का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, पहले सीट पर जाएं उसके बाद बोलें। पहले हाउस आर्डर में करा लें, हाउस तो पहले आर्डर में आना चाहिए, पहले अपनी सीट पर जाना चाहिए। (व्यवधान)

बहिर्गमन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आज जो भी दिन बच रहा है उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे है, बहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अपने स्थान पर जाइये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जब बहिष्कार ही करना था तो अध्यक्षजी का अपमान क्यों करवाया? जब बहिष्कार ही करना था तो पहले ही बहिष्कार कर देते। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति जी, प्रोसीडंग्स यहां पर मौजूद है, आप चाहें तो प्रोसीडिंग्स मंगवा कर देख सकते हैं। अगर एक शब्द भी मेरे द्वारा आसन के प्रति अपमानजनक निकला हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं वरना इनको माफी मांगने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने यह मांग उठायी कि सभापति जी, आप वापस जाओ, सभापति, वापस जाओ। ये आसन का अपमान कर रहे हैं या मैं अपमान कर रहा हूं?

बहिर्गमन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति जी, इस व्यवस्था ... (व्यवधान) मैं और मेरा दल भी बायकाट कर रहे हैं।

(माकपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अनेक माननीय सदस्य: जाओ, जाओ।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, यह नाटक करके तीन बार बाहर जाना और वापस आना, यह हमेशा की परम्परा बन गयी है इनकी। एक दिन में तीन बार, तीन बार वाक आउट करना और वापस आना, बाहर जाना यह हमेशा की परम्परा बन गयी है बी.जे.पी. की। (व्यवधान)

श्री सभापति: सामान्य वाद-विवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह आसन को +++ कहने वाले और अपने आप में अनुशासन की बात कर रहे हैं। ये माफी मांगें। यह बजट के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं और माननीय आसन, माननीय सभापति जी को प्रतिपक्ष से +++ शब्द तक जो कहा है, यह अशोभनीय है। हकीकत है कि ये दिन में तीन बार बाहर जाना, वापस आना, यह नाटक और यह भाजपा की परम्परा बन गयी है।

बजट के बारे में माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो पेश किया है, इसके बारे में बोलने के लिए एक शब्द नहीं है इनके पास, ये हार मान चुके हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब आप विराजें। सदन की कार्यवाही चालू रहेगी।

सामान्य वाद-विवाद। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। (व्यवधान)

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नहीं, वह मुझे पहले से अच्छी तरह से सबने देख रखा है, आप चिंता मत करो।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति जी, हमारा तीसरा बजट हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने जब रखा, उससे पहले पूरे राजस्थान में अलग-अलग तरह की चर्चा थी, पूरा राजस्थान देख रहा था कि कैसा बजट आयेगा। महंगाई को चुनौती देने वाला बजट आयेगा, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला बजट आयेगा या एक ऐसा बजट आयेगा जिसमें आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी? प्रतिपक्ष भी यही सोच रहा था कि कोई ऐसा बजट आयेगा जो ढुलमुल होगा, जिसको लेकर हम सरकार को चुनौती दे पायेंगे। लेकिन जनता जिस बजट की उम्मीद कर रही थी, उससे कई सौ गुना बजट, ऐसा बजट आया जिसे राजस्थान की जनता ने सलाम कर दिया। पूरे राजस्थान की जनता ने यह माना कि आज पूरा देश सबसे बड़े दो मुद्दों पर लड़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती इस देश में महंगाई के रूप में पूरे देश की जनता झेल रही है। ऐसे समय में एक मुख्य मंत्री ने, एक कांग्रेस की सरकार ने एक फैसला लिया कि कांग्रेस नेता, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी ने जो संदेश दिया पूरे देश को, यह कहा कि देश को महंगाई से लड़ने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, एक ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे पूरा देश महंगाई से लड़ सके। महंगाई से लड़ने के लिए अकेला केन्द्र फैसला नहीं कर सकता, आज अकेला केन्द्र महंगाई से नहीं लड़ सकता। केन्द्र सरकार की नीतियों को स्वीकार करके पूरे देश को मजबूत करने की पहली कड़ी का काम यदि किसी ने किया है तो वह राजस्थान की सरकार ने किया है। यह पहला बजट आया है जो बजट महंगाई से लड़ेगा और बजट आने के दूसरे दिन ही, आज ही पत्रिका और भास्कर में और राजस्थान के हर अख़बार में यह खबर छपी है कि गेहूं 50 रुपये सस्ता हो गया। यह कोई मेरी बात नहीं है, अखबारों में छपा है, राजस्थान के लीडिंग न्यूज पेपर्स में छपा है। पहली बार किसी सरकार ने आम आदमी की जरूरत को समझा है और यह महसूस किया है कि आम आदमी और आम आदमी वह जो 97 परसेंट लोगों के लिए, 100 परसेंट लोंगों के लिए बजट ऐसा बने जिसमें आम आदमी की जरूरत पूरी हो सकें।

इस सरकार का नारा रहा कि यह आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करना चाहती है, गांव, गरीब, खेत के लिए काम करना चाहती है, शहर के लिए काम करना चाहती है और पहला मुख्य मंत्री है जिन्होंने बजट भाषण में भी कहा, विधायक दल की मीटिंग में भी कहा और

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पिछले बजट में यह करके भी दिखाया कि यदि बजट में कोई कमी रह गयी तो मुख्य मंत्रीजी ने अपनी रिप्लाई में उस कमी को भी पूरा कर दिया।

यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करती है और उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलते हुए सरकार जो बजट लेकर आयी, उस बजट की तारीफ सिर्फ हमने नहीं की, उस बजट की तारीफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के एम.एल.ए. कर रहे हैं, उस बजट में कमियां ढूंढने के लिए प्रतिपक्ष के लोगों को भी दिक्कत आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सर्व धर्म समभाव की बात करती है, उन बी.जे.पी. के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप हमको यह बता दो कि इस देश में आपने कहा कि हम धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, हम राम के सिद्धान्तों पर चलना चाहते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया। यह पहली सरकार है जिसने निर्णय लिया कि सभी धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। आप प्रस्ताव बनाकर दे दो और वह प्रस्ताव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बनाकर नहीं देना है, सिर्फ कांग्रेस को बनाकर नहीं देना है, किसी भी पार्टी का विधायक प्रस्ताव बनाकर देगा तो उस धार्मिक स्थल को सड़क से जोड़ा जाएगा। पहली बार पुजारियों की तनख्वाह बढ़ा दी।

जिस देश, जिस भारत के लिए यह कहा जाता है कि यहां की संस्कृति संस्कृत में बसती है और संस्कृत पर यह पूरा देश टिका हुआ है, यहां की सभ्यता और संस्कृति बिना संस्कृत के अधूरी है। आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी साहब भी यहां थे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं लेकिन संस्कृत के लिए किसी ने काम नहीं किया। जिस कांग्रेस के लिए यह कहा जाता है कि आप तो हमेशा धर्म पर आधारित भेदभाव कर देते हो, उस कांग्रेस ने कोई भेदभाव नहीं किया। ना मन्दिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कहीं पर भी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको बराबरी से देखा और जिस संस्कृत के लिए इनको काम करना चाहिए था, उस संस्कृत के 72 स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया, आठवीं से हायर सेकंडरी स्कूल बना दिये, 300 संस्कृत के शिक्षक भर्ती करने की तैयारी कर ली।

मन में एक विश्वास, एक जज्बा है कि राजस्थान में हर वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। उसी लाभ में, आप आश्चर्य करेंगे, आज शहर में बैठा हुआ आम आदमी यह महसूस करता है और सब जगह चर्चा है, टी वी में, अखबारों में, सब जगह आ रहा है मंहगाई को लेकर। यह सिर्फ हमने तारीफ नहीं की,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राजस्थान के हर अख़बार ने लिखा-घोषणाओं का अंबार लग गया; गरीब, आम आदमी को राहत मिली; और हर व्यक्ति की सुनवाई हुई, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला। गेहूं सस्ता हो गया, चावल सस्ता हो गया, दाल सस्ती हो गयी, केरोसीन सस्ता हो गया, फल और सब्जियां सस्ती हो गयीं, लाइमस्टोन सस्ता हो गया। बेकरी वाले जो जगह-जगह बेकरी लगाकर आम आदमी की जरूरत की चीजें बेच रहे हैं, उस बेकरी पर से भी वैट 14 परसेंट से पांच परसेंट कर दिया। एल ई डी लैम्प जो हर घर में काम आते हैं उन पर वैट कम कर दिया। हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों से टैक्स कम कर दिया, वैट कम कर दिया। हाथ से कुटी हुई ऊन, प्लास्टिक टंकियां, जयपुरी रजाइयां, जो आज से नहीं, आजादी के पहले से पूरी दुनिया, पूरा देश जयपुरी रजाइयों का लोहा मानता है, जयपुर की रजाइयों पर चौदह परसेंट टैक्स था। पहली बार किसी सरकार ने छोटे-छोटे मजदूर, हाथ से काम करने वाले लोग जो समाज में सबसे पीछे खड़े थे, ऐसा मजदूर जिसके काम करने का तरीका लोग नहीं समझते, जिसकी मेहनत नहीं समझते, उन मजदूरों की तरफ ध्यान गया और जयपुर की रजाइयों पर टैक्स खतम।

इसके अलावा पहली बार एक बड़ा फैसला हुआ। आज पूरे राजस्थान में सब जगह हम लोग जानते हैं, आम आदमी की जरूरत का सबसे बड़ा काम हुआ कि अब कोई भी हास्पिटल में जाएगा, कोई भी व्यक्ति तो उसको जो भी दवाइयां शुरुआती दौर में चाहिए वे फ्री मिलेंगी। पहले क्या होता था, जैसे ही कोई इमरजेंसी में पहुंचा, दवाई लेने के लिए उसके परिवार को भागना पड़ता था, आज उसके परिवार को नीची गर्दन करने की जरूरत नहीं है, उसके परिवार का व्यक्ति पहुंचे या नहीं पहुंचे लेकिन राजस्थान की सरकार उस मरीज का परिवार बनकर हास्पिटल में उसके लिए दवाई की व्यवस्था करेगी, फ्री दवाई की व्यवस्था करेगी। यह फैसला पहली बार राजस्थान में हुआ है। आजादी के बाद इतने वर्षों में कई सरकारें आयीं, हास्पिटल को लेकर बड़ी-बड़ी सोच आयी लेकिन आम आदमी की परेशानी को किसी सरकार ने नहीं समझा। आज आम आदमी जब भी हास्पिटल में जाएगा तो वह धन्यवाद देगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को, कांग्रेस की सरकार को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कि यह सरकार वास्तव में गरीब की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, भेदभाव नहीं करती।

इसके अलावा, राजस्थान का जब बजट पेश हुआ तब लोगों ने तरह-

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तरह के कयास लगाये थे और उस वक्त कहा था, जयपुरी रजाइयां, डेजर्ट कूलर, केबल, सिनेमा, आज हर घर में केबल है। गरीब से गरीब आदमी, कच्ची बस्ती में रहने वाला आदमी, हर बच्चा यह कहता है कि मेरे घर में केबल का कनेक्शन ले लूं। केबल के कनेक्शन मंहगे हो गये थे लेकिन राजस्थान की सरकार को लगा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी भी कीमत पर हर व्यक्ति तक सरकार की अच्छाइयों को, सरकार के काम को लेकर जाऊंगा, ऐसा मन गहलोत साहब ने बनाया और उसी मन के आधार पर यह फैसला किया गया कि आज केबल के कनेक्शन सस्ते हो गये। केबल के कनेक्शन के अलावा केबल सिनेमा और आपको पता है, इस युग में हर व्यक्ति मनोरंजन के पीछे भागता है, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर मदर-फादर पिक्चर देखने जाते हैं, मिडल क्लास, गरीब व्यक्ति, हायर क्लास, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। सिनेमा पर टैक्स कम कर दिया राजस्थान की सरकार ने और सिनेमा की दरें तुरन्त कम हो गयीं दूसरे दिन, हर व्यक्ति ने धन्यवाद दिया। हर नौजवान जाता है, कालेज का व्यक्ति, स्कूल का व्यक्ति, झोंपड़ी का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति जाता है। यह सोच किसमें आती है? जो सरकार आम आदमी के दर्द को समझती है, वह करती है फैसला कि सिनेमा से टैक्स हटा लो, चावल से टैक्स हटा लो, दाल से टैक्स हटा लो, केरोसीन से टैक्स हटा लो, हर उस चीज से टैक्स हटा लो जो आम आदमी की जरूरत की चीज है। आम आदमी की सुनवाई की बात अगर कहीं पर हुई तो इस राजस्थान के बजट में नजर आती है। सिनेमा से टैक्स हट गया।

इलैक्ट्रिक मिल्क टैस्टर, आज शुद्ध-के-लिए-युद्ध अभियान राजस्थान की सरकार ने चलाया। जब भी अख़बार में खबर छपी कि अशुद्ध मसाला पकड़ा गया, जब भी अख़बार में खबर छपी कि इतना बड़ा अन्याय जनता के साथ हो रहा है, राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। दूध में मिलावट नहीं हो, कहीं हम दूसरे राज्यों के साथ आकर खड़े नहीं हो जाएं, उस मिलावट को रोकने के लिए इतनी बारीकी से बजट बनाया गया कि उस बजट में यह भी तय कर दिया, इलैक्ट्रिक मिल्क टैस्टर आम आदमी खुद लेकर दूध को टैस्ट कर सके और यह तय कर सके कि यह दूध नकली है या असली है, इसलिए उसको भी बिलकुल सस्ता कर दिया।

आम आदमी तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश की गयी जिनसे आम आदमी दूर खड़ा था, गरीब आदमी दूर खड़ा था, कच्ची बस्ती का आदमी,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मिडल क्लास आदमी दूर खड़ा था। इस तरह का बजट पहली बार राजस्थान में देखने को मिला।

इसके अलावा जेम स्टोन कटिंग, पालिशिंग, टूल्स, सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर, लूज स्प्रिंग, तेल आधारित वाशिंग सोप और स्टाम्प ड्यूटी पर पांच परसेंट से दो परसेंट पर आ गये। मन में कहीं न कहीं भावना थी कि मैं एक ऐसा बजट लेकर जाऊं जिस बजट के लिए यह नहीं कहे कि यह तो चुनावी बजट है। हमेशा सरकार एक ऐसा बजट लेकर आती है, जब चुनाव आ रहा होता है तब सरकार इस तरह का बजट लेकर आती है। तब सरकार के मन में भावना होती है कि अब हमें चुनाव में जाना है, हम चुनाव के लिए बजट लेकर आ रहे हैं। जब आप बजट से मुकाबला नहीं कर पाए तो विपक्ष ने भी रणनीति बना ली, चाहे कुछ भी हो सदन का ध्यान डाइवर्ट करना है, राजस्थान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करना है। यदि बजट पर बहस होगी तो हम बजट का आपरेशन नहीं कर सकते। बजट में आज विपक्ष यह नहीं कह सकता कि गेहूं सस्ता कर दिया तो गलती कर दी, चावल सस्ता कर दिया तो गलत कर दिया, दाल सस्ती कर दी तो गलत कर दी।

अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष नई बातें लेकर आ रहा है कि आपने नियामक आयोग में सिफारिश भेज दी। सिफारिश भेज दी, लागू थोड़े ना कर दी। लागू तो सरकार के हाथ में है, लागू करना कोई भी सरकार नहीं चाहती। सरकार जब सब्सिडी देती है तो सरकार को रास्ता भी आता है। कोई भी सरकार कोई व्यापारी की दुकान की तरह नहीं चलती। हर लोकतांत्रिक सरकार जन-कल्याणकारी सरकार होती है। सरकार को कई बार अधिकतर घाटे के बजट बनाने पड़ते हैं लेकिन आम आदमी को राहत देने की तैयारी करनी पड़ेगी। लोकतंत्र का सिद्वान्त यही है, सरकार तो जन-कल्याण के आधार पर चलती है, सरकारें नफे और नुकसान के आधार पर नहीं चलतीं और वही फैसला गहलोत सरकार ने किया कि यह सरकार जन-कल्याणकारी सरकार है, नफे और नुकसान पर चलने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान में जन-कल्याण होना चाहिए, राजस्थान के गरीब, मजदूर और किसान का जन-कल्याण होना चाहिए। पहली सरकार है जो कर्मचारियों को जगह-जगह राहत देने की बात करती है।

मैं आज कहता हूं, सभापति महोदय, नये-नये कानून लेकर सरकार आयी। सरकार ने पहली बार फैसला किया कि राजस्थान भू-जल नियंत्रण एवं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

प्रबन्धन कानून, पूरा राजस्थान पानी से लड़ रहा है, पूरे राजस्थान में पानी की चुनौती है। पिछली बार जब बजट आया तब जल नीति लेकर आए। मैं आज जन नीति की तारीफ इसलिए करूंगा कि राजस्थान का शहर, राजस्थान का गांव, राजस्थान की ढाणी, राजस्थान का खेत और खलिहान यदि सबसे ज्यादा चिन्तित है, पूरी दुनिया सबसे ज्यादा चिन्तित है तो वह पानी को लेकर चिन्तित है और राजस्थान के बारे में तो यह कहा जाता है कि यह सूखा प्रदेश है, लेकिन पहले किसी भी सरकार ने जल नीति नहीं बनाई। पहली बार जल नीति आयी, लोगों ने जल नीति को स्वीकार किया। मैं देख रहा हूं, जयपुर में ही 300 मीटर से ज्यादा जो भी मकान बन रहा है, वहां प्राइवेट आदमी भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहा है। सरकार उसमें जाग्रति लेकर आती है, उसको समझाती है। यह पानी सरकार का काम नहीं, यह हम सबको बचाना होगा। इस नीति को हमको स्वीकार करना होगा। एक बार फिर नया कानून राजस्थान भू-जल नियंत्रण एवं प्रबन्धन कानून, जमीन में हमारा जल है उसका कम से कम दोहन हो, उसके नियंत्रण के लिये कानून लेकर आयी। सरकार आज कोई 3 बरस के लिये योजना नहीं बना रही, सरकार की योजना है, सरकार का मन है कि योजना इस तरह की बने कि आने वाले इतिहास में लोग सरकार को याद करें और कहें एक सरकार आयी थी जिसने इस तरह के कानून बनाएं कि राजस्थान में कहीं पानी की कमी नहीं रह जाए। मैं आज आपसे कहता हूं, जब सरकार की नीति और नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी मेहरबानी करता है। लगातार बरसात आ रही है।

जिस तरह की जल नीति, जिस तरह का सिस्टम सरकार लेकर आयी है, उसका सबसे बड़ा फायदा एक और हो रहा है कि जितने भी कानून हम लेकर आ रहे हैं, वे कानून सारे लागू होने की तैयारी है। आज जितनी भी रियायतें राजस्थान की सरकार ने दीं, टैक्स कम कर दिये, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है लेकिन जब यह फसल कट जायेगी, फसल लोगों के घरों में उतरेगी तब आप देखियेगा कि जितना वैट कम किया, जितने भी आप लोगों ने वैट, टैक्स कम किये हैं, वे सारे फायदे नजर आयेंगे। जब फसल उतर जायेगी तब लोगों को लगेगा कि महंगाई राजस्थान से गायब हो गयी। राजस्थान महंगाई खतम करने वाला पहला प्रदेश माना जायेगा क्योंकि महंगाई से लड़ने वाला बजट हमारी सरकार लेकर आयी है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति महोदय, राजस्थान में राजस्थान महिला अत्याचार निवारण एवं संरक्षण विधेयक महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकने के लिये, उनके संरक्षण के लिये राजस्थान की सरकार बिल लेकर आयी कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार रुकना चाहिये, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिये, सोनिया गांधी का संदेश घर-घर तक पहुंचना चाहिये। वही सोनिया गांधी जो महिलाओं के आरक्षण की बात करती हैं उसी सोनिया गांधी की कांग्रेस के मुख्य मंत्री राजस्थान महिला अत्याचार निवारण एवं संरक्षण विधेयक लेकर आये।

राजस्थान पारदर्शिता विधेयक, सार्वजनिक सेवा की सुनिश्चितता एवं अधिकार विधेयक, जिस तरह की योजनाएं हमारी सरकार लेकर आयी, उस तरह की योजनाओं को चुनौती देने के लिये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। आज भारतीय जनता के लोग जब से बजट पेश हुआ है तब से चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का नेता बोल रहा हो, उनका प्रयास यह हो रहा है कि इस बजट की तारीफ समाज के दर पर अखबारों के जरिये, टी वी के जरिये लोगों के बीच में नहीं पहुंचनी चाहिये, उसके लिये ध्यान डाइवर्ट कर दो, नये-नये मुद्दे लेकर आओ, नये-नये इश्युज लेकर आओ, उन इश्युज पर सदन को मत चलने दो। खबर कोई और आनी चाहिये।

कल जब हमारे माननीय विधायक नाथूरामजी सिनोदिया के पुत्र का देहान्त हो गया तब भी प्रयास यह किया गया कि राजनीति होनी चाहिये। किसी के दर्द में हम हाथ नहीं बंटाएं, उसका दर्द दूर करने का प्रयास नहीं करें लेकिन हम यह कोशिश जरूर करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो राजनीति करनी है।

आज जब ये कुछ चीजें महंगी हुईं तो सरकार की उसमें नीयत नजर आती है। सरकार चाहती है कि तम्बाकू से होने वाले नुकसान से राजस्थान की जनता सबक ले, कम से कम तम्बाकू का सेवन करे। सरकार ने पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू उत्पादन, ऐसी चीजों पर टैक्स बढ़ाए जो आम आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं।

इसी दौरान जब सरकार ने आम आदमी की जरूरत के सब काम कर दिये, उसी दौरान सरकार ने एक और काम किया। 60 साल से अधिक के हर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

व्यक्ति को रोडवेज की बसों के किराये में छूट मिलेगी। 60 वर्ष का व्यक्ति जब जायेगा रोडवेज की बस में, जब उसको कंसेशन मिलेगा तो वह धन्यवाद देगा कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नेताओं को।

सरकार ने जिस तरह के फैसले किये, उन फैसलों के बीच में मैं आज राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि 52,144 नयी नौकरियों की आपने घोषणा कर दी। राजस्थान की जनता देख रही थी हमें नौकरियां मिलें, राजस्थान का जवान देख रहा था हमें नौकरियां मिलें। 25,406 स्कूल प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक व प्रयोगशाला सहायक, 500 तृतीय श्रेणी उर्दू शिक्षक, 12,000 पुलिसकर्मी, जेलों में 500 प्रहरी, 8,500 नये पद विद्युत कम्पनीज में, उप पंजीयक कार्यालयों में 200 पद, 335 कनिष्ठ विशेषज्ञ, 1975 नर्स, 549 आयुर्वेद डाक्टर, 392 आयुर्वेद कम्पाउंडर, 3,899 चिकित्साकर्मी भर्ती करने का फैंसला राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। पंचायत समितियों में 82 प्रचार-प्रसार अधिकारी, 309 एल डी सी, 151 जे ईएन, 209 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 300 से अधिक अन्य भर्तियां। कहीं भी, कोई भी क्षेत्र, कोई भी वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, हर वर्ग का बजट यदि कोई लेकर आया तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार लेकर आयी, राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत लेकर आया।

मैं यह मानता हूं, यह लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर में हम सबको सच बोलने का अधिकार है। हमारी सरकार जब डिबेट होती है, बात करते हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छा बजट लेकर आये हैं और उस बजट में आपने सबको दिया। युवाओं को मिला, मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था कर दी। आपके मन में एक भावना थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट भी यदि कोई लेकर आया तो वह कांग्रेस सरकार लेकर आयी। टोटल प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का, फर्स्ट फेज शुरू हो गया और पहली बार ऐसी सरकार जिसने मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जयपुर पर कोई नया टैक्स नहीं, जयपुर की जनता से कोई वसूली नहीं। फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ है, उस फर्स्ट फेज का पूरा पैसा राजस्थान की सरकार वहन करेगी। काम शुरू हो गया और आज जब लोगों ने कहा, मेट्रो प्रोजेक्ट का अपोजिशन के लोग भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अपोजिशन के बड़े लीडर्स ने जब जनता की भावना समझी, विपक्ष के लोगों ने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

धरना दिया तो बड़े लीडर्स ने कहा, इस धरने को उठा लो क्योंकि इससे लोगों को कम्पेयर करने का मौका मिलता है। दो तरह की सोच है। पिछली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी वह राजस्थान की राजधानी माडल के रूप में देखती है। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वह सरकार लेकर आयी बी आर टी एस। सीकर रोड से जब भी लोग निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए निकलते हैं, रास्ता जाम करवा दिया। गहलोत साहब की सरकार आयी तो वह सरकार लेकर आयी मेट्रो प्रोजेक्ट। ऊपर से, पिलर्स के ऊपर ट्रेन चलेगी, नीचे कोई यातायात नहीं रुकेगा। सस्ते टिकट पर ट्रेन में लोग बैठेंगे, बैठकर आनन्द लेंगे। आज राजधानी जयपुर में मेट्रो ट्रेन का डिब्बा लाकर रखा गया। आप आश्चर्य करेंगे छोटे-छोटे बच्चे देखने के लिये जा रहे हैं। जाकर अपने मम्मी-पापा से जिद करते हैं, हमें मेट्रो के डिब्बे में बैठा कर लाओ और कहते हैं, मम्मी, यह ट्रेन चल तो नहीं जायेगी। मैं सच कह रहा हूं आपको, यह मजाक नहीं है। वास्तव में बच्चे, मेरा खुद का छोटा बच्चा गया, दिल्ली में बैठा हुआ है, फिर भी यहां बैठा तो वहां से आकर मुझसे कहा कि मैं आज मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में बैठकर आया हूं। उसने मेरे ड्राइवर से कहा, यह ट्रेन चल जायेगी, जल्दी उतर जाओ। कहीं न कहीं आनन्द आ रहा है, मजा आ रहा है। आम आदमी को लग रहा है, जयपुर में मेट्रो चलेगी। लोग कहते हैं मेट्रो पापुलर नहीं है, धक्के खा रहे हैं लोग डिब्बे को देखने के लिये। लोगों के मन में भावना है।

मैं आज कह रहा हूं, राजस्थान में जहां सड़कों की बात आयी, इस बजट में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहीं भी भेदभाव नहीं किया। हर जिले को सड़कें दीं। भारतीय जनता पार्टी के कितने ही नेता, दिग्गज नेता जो लगातार यहां पर बुराई कर रहे हैं, क्या उनको सड़कें नहीं मिलीं ? सबको सड़कें मिलीं। कोई किसी में भेदभाव नहीं, किसी के प्रति कोई चुनौती की भावना नहीं, भेदभाव की नहीं।

आज जब बजट, इस तरह का बजट आया, उस बजट में कुल बजट 64,097.97 करोड़ रुपये का, कुल प्राप्तियां 52,287.36 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय 51,934.74 करोड़ रुपये, राजस्व अधिशेष 352.62 करोड़।

इस सबके बीच में इतनी बड़ी तैयारी के साथ एक व्यक्ति ने सपना लिया। अपने विधायकों से भी बात की, सबसे बात की। सबके सुझाव लेकर इस तरह का बजट बनाया कि हर व्यक्ति को राहत मिले। उसके बाद भी सबसे एक ही बात कही कि मैंने प्रयास किया, पूरी सरकार ने प्रयास किया,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अधिकारियों ने भी प्रयास किया। सबने प्रयास करके एक बजट बनाया है। उस बजट में पानी के लिए भी प्रावधान हो गया, विद्युत के लिए भी प्रावधान हो गया, चिकित्सा के लिए भी प्रावधान हो गया। शिक्षा के लिए भी प्रावधान हो गया।

सभापति महोदय, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर यह बता दें कि यह पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। पूरे देश में धर्म को लेकर के जहां भी मौका मिलता है हिन्दू, मुसलमान को लड़ाने का, सिख-ईसाई को लड़ाने का, अपने वोट पक्के करने का वह पार्टी हमेशा तैयार रहती है कि कहीं न कहीं दंगा हो जाये, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम दंगे करवा दें और लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट ले लें। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में भी शासन कर चुकी, राजस्थान में भी चार बार शासन कर चुकी, चार बार इनके मुख्य मंत्री बन लिये लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी, कभी सुविधा नहीं दी लेकिन कांग्रेस की सरकार जो सर्व धर्म सद्‌भाव की बात करती है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है, जो देश में समन्वय की राजनीति करती है, जो हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ लेकर पूरे हिन्दुस्तान को मजबूती देना चाहती है, उस कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कैलाश, मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों को 20 हजार की सब्सिडी दी। इससे लोगों की हिम्मत बढ़ गयी। जयपुर से जत्थे के जत्थे कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब जत्थे के जत्थे जाते हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत का पता चलता है। जब पैसे होंगे, सरकार सब्सिडी देगी तो लोग कैलाश मानसरोवर जायेंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि हिन्दुस्तान के लोग आतंकवाद से नहीं डरते हैं, हिन्दुस्तान के लोग आतंकवादी गतिविधियों से नहीं डरते हैं। हिन्दुस्तान के लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं तो कैलाश मानसरोवर भी जाते हैं क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार उनको सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करती है, जाइये, धार्मिक यात्राओं पर जाइये।

सभापति महोदय, आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि यहां पर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं राजस्थान में, हिन्दुस्तान में। हिन्दुस्तान में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि यहां किसी एक धर्म का शासन नहीं है। यहां पर सांप्रदायिक सद्‌भाव की बात होती है, यहां पर सब लोग मिलकर रहते हैं। इस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

डेमोक्रेसी में सब लोग एक धर्म के आधार पर नहीं चलते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जिन देशों में एक धर्म का शासन है, एक धर्म के लोग रहते हैं, वहां आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उन देशों में सैकड़ों लोगों के कत्ल हो रहे हैं, सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान में जब पूरी दुनिया समझ रही है, अख़बार, मीडिया, टी.वी., सब जगह खबरें आ रही हैं कि पूरी दुनिया हिल गयी है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार को लेकर, तानाशाहों को लेकर चुनौती खड़ी हो गयी है। सारी दुनिया के मुल्क डरे हुए हैं, सारे देश डरे हुए हैं, बड़े-बड़े नेता डरे हुए हैं, बड़ी-बड़ी सरकारें डरी हुई हैं कि कहीं हमारे देश में आवाज नहीं उठ जाये, कहीं हमारे देश में हंगामा नहीं हो जाये। लेकिन यहां इसलिए नहीं होता कि इस देश में कांग्रेस की सरकार शासन कर रही है जो हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार देती है। यहां धर्म के आधार पर अधिकार नहीं बांटे जाते, यहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाते। यही कारण है कि पूरी दुनिया के अधिकतर मुल्कों में अमन-चैन खराब हो रहा है लेकिन आज हिन्दुस्तान में फिर भी अमन-चैन कायम है। आज पूरे देश में चाहे केन्द्र की कांग्रेस सरकार हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कह दिया कि कोई पुलिस वाला गलती करेगा, प्रताप नगर का मामला आया, एक बच्ची के साथ घटना हो गयी, पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों ने कहा कि हमारे एस.एच.ओ. की कोई गलती नहीं है, खुद मुख्य मंत्रीजी बच्ची से मिलने के लिए जो ट्रेन के सामने आ गयी थी, हास्पिटल जाते हैं, जाकर मिलते हैं, उससे बात करते हैं। जब वह बच्ची पूरी घटना बताती है तो तुरन्त थाना इंचार्ज को गिरफ्तार करवाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। मन में भावना, मन में जज्बा है काम करने का।

सभापति महोदय, मैं आज कह सकता हूं कि जब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इतना बड़ा बजट लेकर आये तो विपक्ष की नेता ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी के पास विकास को लेकर के कोई सोच नहीं है। मैं विपक्ष के लोगों से एक बात कहूंगा, पहला मुख्य मंत्री है, पहली कांग्रेस की सरकार है जो आने वाले सौ वर्ष की बात कर रही है। जल नीति लेकर आ रही है, भू-जल प्रबंधन की बात सोच रही है, ऊर्जा को लेकर प्लानिंग कर रही है। चिकित्सा में आम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आदमी को किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा फ्री में दवाइयां मिलें, वह सोच लेकर आ रही है। बी पी एल परिवारों के लिए केरोसीन सस्ता कर रही है; गेहूं, चावल, दाल के लिए सोच रही है। यहां तक सोच रही है कि चिमटा भी सस्ता कर दो, घर में भी बात हो जाये तो काम में तो ले लेवें।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जिस बारीकी से बजट पेश किया है, जब यह बजट पेश किया सदन में तो मैं खुलकर कहता हूं कि तब हमको भी यह अंदाज नहीं था, जब बजट उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा कहा जा रहा था, तब मैंने भी कहा, नौजवान लोग हैं, जल्दीबाजी में कि यह बजट तो अपने को मार देगा। लेकिन जब पूरा बजट उन्होंने पढ़ दिया तो हमको लगा कि यह बजट वह बजट है जो आम आदमी की आवाज बनेगा, आम आदमी की पसंद बनेगा और आम आदमी ने इस बजट को अपनी पसंद के रूप में लिया।

सभापति महोदय, आम आदमी ने जहां भी हम जायें वहां पर, आप आश्चर्य करेंगे कि पहला राज्य, लोग जब आटे की बात करते हैं यहां पर, ठीक है कि आटे की योजना को लेकर के हम आरोप-प्रत्यारोप लगा दें, लेकिन आटा लेने के लिए आम आदमी लाइन में खड़ा है। मेरे खुद के घर के पास आटे की दुकान है, चार दिन पहले मैं वहां से गुजरा, भीड़ हो रही थी, मुझे लोगों ने रोक लिया। कहा, साहब, इस आटे वाले ने हमें परेशान कर दिया है, तीन घंटे से हम लाइन में खड़े हैं। मैंने कहा कि आपको क्या लेना है तो उन्होंने कहा कि आटा लेना है। मैंने कहा कि आपको आटा पसंद है तो उन्होंने कहा कि हम तो यही आटा खाते हैं। मैंने कहा कि यह आटा कौन लेकर आया, सब चुप हो गये। मैंने कहा कि यह आटा लाया कौन? क्या पहले आटा मिलता था? बोले नहीं, कांग्रेस वाले आटा लेकर आये हैं। मैंने कहा कि आटा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया; कहा, हां, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। आटा आपको पसंद है; बोले, हां, पसंद है। मार्केट से सस्ता है; कहा, बहुत सस्ता है। लोगों की पसंद है, लोग आटा खा रहे हैं। लोगों को आटा पसंद आ रहा है, आटे की नीति पसंद आ रही है। उसी आटे को फिर सस्ता कर दिया, गेहूं सस्ता कर दिया। इससे ज्यादा कोई भी सोच नहीं रख सकता।

सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि या तो इस देश में एक नेत्री हुई थीं इंदिरा गांधी, जिस इंदिरा गांधी ने पहली बार, आज भी आप गांवों में चले जाओ, मैं छोटा हूं, जब से देख रहा हूं, लोग कहते हैं कि हमे इंदिरा गांधी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ने मकान बनाकर के दिये। बहुत लोग मिलेंगे, इंदिरा गांधी द्वारा बनाये गये घरों में आज भी लोग रह रहे हैं, इंदिरा जी को लोग याद करते हैं। उसी तर्ज पर दस लाख गरीबों को मुफ्त मकान की योजना, दस लाख गरीबों को बहुत बड़ी बात है, वहां मकान बनाकर देगी सरकार। सरकार ने एक चुनौती के रूप में गरीब आदमी को लिया कि मेरे प्रदेश में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, मेरे प्रदेश में गरीब की आवाज सुनी जानी चाहिए, गरीब की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

सभापति महोदय, बजट में मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की घोषणा की, उसमें इंदिरा आवास योजना को मिलाकर अगले तीन साल में करीब दस लाख परिवारों को मुफ्त में घर मिलेगा, मुफ्त में! दस लाख परिवारों को, कोई पैसा नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह की योजना जो हमारी सरकार ने बनायी, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को इस बात के लिए भी साधुवाद दूंगा कि केन्द्र की योजनाओं के अनुसार राजीव आवास योजना के तहत जहां भी गरीब चाहता है, आगे बढ़कर जब सरकार जाती है, सरकार के अधिकारी जाते हैं, वे जाकर के कहते हैं कि कच्ची बस्ती को व्यवस्थित करवा लो, इस कच्ची बस्ती को हम बिलकुल माडर्न स्टाइल में बसा देते हैं। आपको राजीव आवास योजना में मकान दे देते हैं। जो गरीब तैयार होता है उसको सरकार उसकी सहमति पर मकान बनाने की स्वीकृति दे देती है। वह योजना हम ला रहे हैं। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई दूंगा।

जब राजस्थान में विपक्ष की नेता ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने जो आज बजट पेश किया है उसमें न तो प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की कोई सोच नजर आती है, ना कोई विजन नजर आता है लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत कहते हैं अखबारों को कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र होगी, बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में भी अहम फैसले किये हैं,

(समय : 14.00 बजे)

रोजगार सृजन, अगले तीन सालों में ग्रामीण बी पी एल परिवारों को 10 लाख सस्ते आवास, मकान बनाकर देने की हमने योजना बनाई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि बजट में आम आदमी पर कोई भार हमने नहीं डाला है। पहला मुख्य मंत्री है जो खड़ा होकर विपक्ष को जब भी सदन में कोई बात होती है, अपनी बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कोई और सुझाव हों तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, कोई न कोई फैसला कर लेते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अंत में मैं हमारी राजस्थान की सरकार को, हमारे मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह राजस्थान की आम जनता का बजट है, गरीब, मजदूर और किसान का बजट है। राजस्थान के विधायक, कांग्रेस के विधायक, नौजवान विधायक हम जितने भी हैं, आपने हमारी उम्मीद से आगे बढ़कर बजट दिया है, इतनी उम्मीद हमको भी नहीं थी कि इतना अच्छा बजट आएगा।

जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बात करते हैं कि कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई-वड़ाई हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में एक बात अच्छी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। कांग्रेस और बी जे पी में बड़ा भारी अंतर है। मैंने हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी से भी यह बात कही कि कांग्रेस और बी जे पी में एक अंतर है, कांग्रेस फ्री स्टाइल पार्टी है और बी जे पी बिलकुल नैरो मेंटेलिटी की पार्टी है। बी जे पी की मीटिंग चल रही हो, मण्डल की और कोई नया आदमी वहां जाकर बैठ जाए तो कह देंगे कि आप इसमें अपेक्षित नहीं हैं और यदि कांग्रेस की मीटिंग चल रही हो, प्रदेश की और वहां कोई आदमी आकर बैठ जाए तो उसका असम्मान नहीं किया जाता है। मीटिंग खतम हो जाएगी, उसके बाद यह पूछेंगे कि यह भाई साहब कौन थे, मीटिंग तो खतम हो गई, सारी मीटिंग उन्होंने सुन ली। कांग्रेस के दफ्तर में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सेठ, साहूकार, चपरासी, मालिक, आई ए एस, चौकीदार, कोई भी कांग्रेस के दफ्तर में जा सकता है। यह बात मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी नजदीक से देखी हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी तरह से समझता हूं और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं, वे दिल से अपनी कहने वाले लोग हैं, दिल से अपनी बात कहते हैं।

अभी से भारतीय जनता पार्टी को यह मद हो गया कि हम तो आ ही रहे हैं, अब कहां आ रहे हैं, पता नहीं। हमें यह मद नहीं है कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, इसका फैसला जनता को करना है, नेता खुद फैसला नहीं करते हैं। फैसला तो सबसे बड़ा, जनता से ज्यादा किसी के पास है तो उस पावर के पास है जिसने दुनिया बनाई है। मेरी मां एक बात जोरदार कहती है कि बेटा, नम्बर कोई नहीं दे सकता, नम्बर तो भगवान ही दे सकता है, बाकी कोई आदमी को आदमी नम्बर नहीं दे सकता है। कोई आदमी अच्छा है, ईमानदार है, भला है, काम कर रहा है तो उसको किससे नम्बर चाहिए? उसको किसी से

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नम्बर नहीं चाहिए। यदि लोग उसको गलत भी मान रहे हैं तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने तो एक छोटा सा कम्प्यूटर बनाया है, ऊपर वाले ने तो बहुत बड़ा कम्प्यूटर बनाया है। मैं गलती करूंगा तो मेरा हिसाब बराबर, मेरा नम्बर कट; दूसरा गलती करेगा तो दूसरे का नम्बर कट। वहां पर हिसाब बराबर से हो रहा है।

सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज बी जे पी को एक बात के लिए मैं चुनौती दे सकता हूं कि दो साल तीन महीने या दो महीने कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, दो साल तीन महीने में यह मेरी चुनौती है, आज विपक्ष के लोग यहां पर नहीं हैं, दो साल तीन महीने में यदि कांग्रेस ने कोई घोटाला किया हो तो वे मेरे पास बैठ जाएं, दो साल तीन महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जितने घोटाले किए, वह यदि मैं साबित नहीं कर दूं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, जो राजस्थान की पूरी जनता स्वीकार करेगी कि यहां पर चोरी हुई है। क्योंकि मैं तो इसी फील्ड का खिलाड़ी रहा हूं। और अकेले जयपुर में हजारों करोड़ के घोटाले दो साल तीन महीने में जो उन्होंने किए, वह मैं साबित कर दूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो घोटाले किए, जिन जमीनों पर वे काबिज हैं, सरकारी जमीनों पर, वह जमीनें आज भी अभी तक भी, मैं इसलिए नहीं बोला हूं कि बोल दूंगा तो विस्फोट हो जाएगा, कइयों के घर बिक जाएंगे लेकिन मैंने कहा है कई जानकारों को कि ज्यादा बोलोगे तो वह फाइल खुलेगी, सच्चाई सामने आएगी तो पूरा राजस्थान देखेगा कि कांग्रेस के राज में आकर भी कांग्रेस राज में बैठी है, फिर भी दो साल तीन महीने में अभी तक सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का जो काम इन्होंने शुरू किया था, वह काम आज भी इनका चल रहा है। कई काम मुख्य मंत्रीजी की नालेज में लेकर हम आए हैं, बहुत काम मुख्य मंत्रीजी ने रोके भी हैं और मुख्य मंत्रीजी खुद आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा भी हो रहा है। मैंने कहा कि धीरे-धीरे ही तो पकड़ में आएंगे। चोरी एकदम पकड़ में आए लेकिन यदि आप लोग ध्यान डाइवर्ट करना चाहेंगे...

कोई घटना हो गई जोधपुर में, आपने कहा कि प्रसूताओं की मौतें हो गईं, स्वीकार कर रहे हैं कि मौतें हो गईं, कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, मुख्य मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं, कार्यवाही हो रही है। किसी के साथ भी, कहीं भी घटना हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक के बेटे की हत्या हो गई, नाथूरामजी सिनोदिया, कांग्रेस के विधायक के पुत्र का अपहरण हो गया,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

क्या अपहरण करवाना कोई चाहता था? नाथूरामजी चाहते थे? सरकार चाहती थी? विधायक चाहते थे? मुख्य मंत्रीजी चाहते थे? खुद मुख्य मंत्रीजी दु:खी थे, उनकी आंखें भर गईं, इसलिए भर गई, खुद वहां पर गए। उस दिन रात को विधायक दल की मीटिंग लेट हो गई, कैसे भी हो, जिंदा पकड़ में आ जाए लेकिन इस मुद्दे पर भी कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, हम तो सबकी सुरक्षा चाहते हैं, पूरे राजस्थान की सुरक्षा चाहते हैं और उसी सुरक्षा का काम मुख्य मंत्रीजी कर भी रहे हैं।

मैं एक बात और कहूंगा कि अधिकारियों को कंट्रोल करने में, यह तय बात है कि कार्यपालिका इनके भी कंट्रोल में नहीं थी लेकिन इनका कंट्रोल इसलिए था कि बंटवारा बराबर से हो रहा था। अब स्थिति गड़बड़ है। अधिकारियों के मुंह पर खून लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अधिकारियों के मुंह पर खून लग गया। माल आता था, बंटवारे में आप भी ले लो, हमें भी दे दो। कांग्रेस का राज आ गया, मुख्य मंत्री, मंत्री, कांग्रेस के विधायक साथ खड़े हैं, कांग्रेस का विधायक पकड़ लेता है कि माल नहीं खाने दूंगा, माल नहीं खाने दूंगा तो उठा कर अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश करता है। अधिकारियों पर कंट्रोल करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र मुख्य मंत्रीजी ने जारी किया।

पहली बार, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं जो लोगों के गले उतरेगी, मैं रामकिशोरजी को भी धन्यवाद दूंगा, जयपुर कलक्टर को भी धन्यवाद दूंगा, सरकार ने यहां पर, पूरे राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, गरीब मां लाइन में खड़ी हो जाती है, फार्म भरती है, फार्म भरकर और फार्म जमा करवाने के लिए कलेक्ट्री में जाती है, पहले रिसीप्ट नहीं मिलती थी, फार्म जमा हो गया, दुबारा गई और कहा, मुझे पेंशन दो तो कहा कि आपका फार्म ही नहीं है, दुबारा फार्म भर दो। पन्द्रह-पन्द्रह बार फार्म भर दिए। सरकार ने हमारे ने एक योजना बनाई कि अब जो भी फार्म जमा करवाएगा, उसको एक रिसीप्ट मिलेगी। जयपुर में काम शुरू हो गया है। 21 दिन में जवाब देना होगा। कोई बूढी मां 80 वर्ष की, 60 वर्ष की, 70 वर्ष की यदि फार्म लेकर जाएगी तो कर्मचारी उसको रिसीप्ट देगा, डेट डालेगा कि इतनी तारीख को फार्म जमा कराया है, दुबारा जाएगी तो उसको कारण बताना होगा कि इस कारण से विधवा पेंशन उसको नहीं मिलेगी, विकलांग पेंशन उसको नहीं मिलेगी या वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। एक टैग लग गया। अब उनको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

किसी भी कीमत पर पेंशन देनी होगी, नहीं देंगे तो वह कारण बताएगा, कारण बताएगा तो कांग्रेस का विधायक और कार्यकर्ता छाती पर जाकर खड़ा हो जाएगा, काम करवाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि, मुख्य मंत्रीजी, हमारा बजट अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, हमारे काम करने की शैली अच्छी है, कांग्रेस के लोग जनता का विश्वास जीत रहे हैं, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, हम रसगुल्ले और गुलाब जामुन बहुत अच्छे बना रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं लेकिन जो विरोधी दल है, वह झूठा प्रचार करके, गलत तस्वीर पेश करके लोगों को भ्रम में रख कर, नए सपने, झूठे सपने दिखाकर, राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। विपक्ष बार-बार कहता है कि आपने आयोग बना दिया, आपने जांच करवा ली, क्या हो गया, जांच कर ली, आयोग बना दिया, आप क्या चाहते हो। मन की भावना कभी छुपती नहीं है, सब कुछ ले गए, चोरी कभी छुपती नहीं है, चोरी सबके सामने है।

मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सब काम अच्छा किया है लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप दो कामों में हमारी मदद करो।

सिर्फ 50 करोड़ रुपये की वसूली होगी और 50 करोड़ रुपये की वसूली के लिए, 50 करोड़ रुपये ज्यादा नहीं हैं, आपने शहरों में सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर नगरीय उप कर के रूप में 5 पैसे यूनिट की वृद्धि की है। एक, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी-अभी बिजली कम्पनियों ने एक अलग से सिक्युरिटी बिल भेजकर लोगों से वसूली की है जिसका यहां हवाला नहीं है कि क्यों की है। वह वसूली हो चुकी है। आप अधिकारियों से बात कर लें। आपने राजस्थान की जनता को आम आदमी की सरकार के रूप में दोनों हाथों से, पूरे मन से, कांग्रेस का आपने मन खोलकर रख दिया; सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंहजी के महंगाई से लड़ने के सपने को आपने साकार कर दिया। मुख्य मंत्रीजी, एक निवेदन है, 5 पैसे की जो वृद्धि की है, इसको वापस ले लें।

भाई रमेश खण्डेलवालजी ने याद दिलाया ...(व्यवधान)... एक मिनट में खतम कर रहा हूं मैं, एक निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी, सब विधायकों की मांग है, पूरे सदन की मांग है, आपसे एक निवेदन है, राजस्थान की मां, बहन, बेटी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

का निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी, पूरे देश में, हरियाणा में वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन पर, कहीं पर भी राइडर नहीं है। पहले 18 वर्ष जिनका बच्चा होता था, उसको पेंशन नहीं मिलती थी, आपने उसको 25 वर्ष कर दिया, आपने लाभ भी दिया, आपने 450 को 750 कर दिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, इस देश में आपने बहुत बड़ा काम किया, पहली बार राजस्थान की सरकार एक कानून लेकर आई कि जो अपने मां-बाप की सेवा नहीं करेगा, अपने दादा-दादी की सेवा नहीं करेगा, इनको जेल में बिठा देंगे। मुख्य मंत्रीजी, आप तो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, सारा सदन आपसे निवेदन करता है कि जो वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन में राइडर लगा हुआ है कि जिसके बेटा हो गया 25 वर्ष से ज्यादा का, उसको नहीं मिलेगा, आप यह राइडर हटा दो और जो भी वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन मांगे, जो भी मां, उसको दो, उसका वह अधिकार बना दो।

एक आपने जो सम्पति कर में कहा है, उस कर को बड़े लोगों तक बढ़ा दो; जिसके पास छोटा प्लाट है, छोटा मकान है, उसको इस सम्पति कर से अलग कर दो। उसके बाद पूरे राजस्थान में सौ परसेंट लोग सब आहलादित हो जाएंगे।

इस बजट से मुझे विश्वास है कि यह बजट पूरे हिन्दुस्तान में मिसाल बनेगा, पूरे देश में मिसाल बनेगा। अब जो भी राज्य सरकारें बजट लेकर आएंगी, वे राजस्थान के बजट को जरूर देखेंगी, मैं यह विश्वास करता हूं। यह बजट गांव, गरीब, राजस्थान के हर शहर, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, सब के दिल की आवाज बनेगा, पूरे राजस्थान का विकास होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे और यह बजट एक नये आधुनिक राजस्थान का निर्माण करेगा, जो राजस्थान की जनता को खुशहाल कर देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, you have taken full 45 minutes.

प्रदीप कुमार सिंह।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में अपनी बात निवेदन करने के लिए आपके पास उपस्थित हूं। महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में एक गरीब आदमी से, एक आम आदमी से लेकर इस प्रदेश के प्रत्येक तबके को जो

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

राहत दी है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। इस बजट में किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वर्ग को, किसी जाति को, किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा गया। यह मुख्य मंत्रीजी की दूरगामी सोच का परिणाम है। मुख्य मंत्रीजी ने एक आम आदमी की जरूरतों को मध्यनजर रखकर बजट पेश किया है, वह विकासोन्मुखी है। माननीय गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इस प्रदेश को अब तक की ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: अच्छा हो, माननीय सदस्य, आप दूसरे को भी सुनें तो। (व्यवधान) आप ही से कह रहा हूं।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): सबसे बड़ी योजना 27,500 हजार करोड़ रुपये की इस प्रदेश को प्रदान की है, जो अपने आप में सबसे बड़ी आकार की योजना है।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से ढाई सौ की आबादी के गांव, पांच सौ की आबादी को गांवों को जोड़ने की बात अब तक कही जाती रही है लेकिन पहली बार ढाई सौ से पांच सौ की आबादी की ढाणियों और मजरों को जोड़ने की बात जो इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी ने कही है, वह अपने आप में अनूठी है और इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काली डामर की सड़क पर चलने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

साथ ही पिछले दो-ढाई साल से हरेक विधायक की मांग थी कि हमें मिसिंग लिंक्स या हमारे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भी बजट आबंटित किया जाए, इस बार पहली बार उन्होंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 16 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए जो प्रावधान किया है, साथ ही 7 करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खर्च होंगे और 30 से 40 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब तक धर्म के ठेकेदार जो माने जाते थे, हमेशा जिस पार्टी के जो लोग धार्मिक स्थलों की बात करते थे और धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, उनकी सरकार ने कभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात नहीं सोची। लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष देश के राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री ने इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए, एक आम आदमी की जो आस्था है धार्मिक स्थलों पर जाने की, उस आस्था को प्रबल करने के लिए धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

जो पैकेज दिया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से बहुत-बहुत साधुवाद अर्ज करना चाहता हूं।

कल उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मेवाड़ संभाग को कुछ भी इस बजट में नहीं दिया गया है, यह उनका मिथ्या प्रवचन था, मिथ्या भाषण था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट में मेवाड़ को जो कुछ दिया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को 400 केवीए के ग्रिड स्टेशन दिलाये गये हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात पहली बार कही गयी है, क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा मेवाड़ के क्षेत्र नहीं हैं? चित्तौड़ की बागदरी, भीखाभाई कैनाल, सागवाड़ा, डूंगरपुर बृहद पेयजल योजना हेतु डूंगरपुर को 72 करोड़ रुपये की योजना, राजसमंद के आमेट को बाघेरीनाका से पेयजल के लिए जोड़ने की इस बजट में प्रस्तावित की है, पेयजल राज्य योजना मद में 1,420 करोड़ तथा केन्द्रीय योजना मद में 1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे एस सी की 3,623 तथा एस टी की 1,073 गांव व ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह अपने आप में महती बात है। उदयपुर की बात कर रहे थे माननीय सदस्य, उदयपुर शहर की जलापूर्ति हेतु भी माननीय मुख्य मंत्रीजी देवास जल योजना में 50 करोड़ रुपये व्यवस्था करने का प्रावधान इस बजट में किया है। यह शायद माननीय कटारिया साहब ने पढ़ा नहीं था। उदयपुर के महिला चिकित्सालय में 50 बेड का इजाफा किया है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष से 40 हजार की आय वाले लोगों को ही अब तक सहायता प्रदान की जाती थी चिकित्सा हेतु, उसे बढ़ाकर 60 हजार रुपये की सीमा तय कर दी गई है। इससे निश्चित रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और 2 अक्टूबर के बाद गरीब लोगों को सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। यह गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा है। साथ ही 77 आयुष चिकित्सालयों पर 49 करोड़ रुपये का जो प्रावधान हुआ है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। 250 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 70 करोड़ का जो प्रावधान हुआ है, इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता बढ़ेगी।

उदयपुर में 50 मानसिक रोगियों के लिए चिकित्सालय की स्थापना

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

करने का प्रावधान किया गया है; प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर सम्प्रेषण एवं किशोर गृह की स्थापना की घोषणा की है;एसटी के छात्रों हेतु 62 छात्रावास तथा छात्राओं हेतु 7 नये छात्रावास के भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें मैं उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माननीय कटारिया साहब ने कल कहा था कि उदयपुर के लिए और मेवाड़ संभाग के लिए कुछ नहीं किया है जबकि बहुत कुछ मुख्य मंत्रीजी ने हमें दिया है। मैं उसी सम्भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं। एस टी के छात्रावासों व आवासीय छात्रावासों, आश्रम छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को एक हजार रुपये जो मैस भत्ता मिलता था, उसे 1,250 रुपये कर दिया गया है।

साथ ही गरीब आदमी को राहत देने के लिए दाल, गेहूं, आटा, चावल, लाइमस्टोन, केबल टीवी, डी टी एच, एल ई डी लैम्प, जयपुरी रज़ाई, हस्तनिर्मित गलीचे, लमदे, गैस लाइटर, चकला, बेलन, चिमटा, सिनेमा, छलनी, मुल्तानी मिट्टी पर भी कर कम किया गया है या समाप्त किया गया है। मुल्तानी मिट्टी पर कल एक महिला माननीय सदस्या मजाक उड़ा रही थीं क्योंकि वे मुल्तानी मिट्टी का मतलब ही नहीं समझती हैं। मुल्तानी मिट्टी गांवों में जो औरतें हैं वे सिर धोने के काम में लेती हैं। इनको तो शैम्पू लगाने से ही फुर्सत नहीं है। बढ़िया-बढ़िया मल्टीनेशनल कम्पनियों के चमकीले, तड़कीले, भड़कीले शैम्पू लगाकर के यहां पधारते हैं, इनको मुल्तानी मिट्टी से क्या लेना देना। गांव को मजा आया कि मुल्तानी मिट्टी पर भी छूट मिली है। 10 लाख गरीब लोगों को मकान बनाकर देने की जो घोषणा की है, उससे बहुत सारे गरीब लोगों को राहत मिलने वाली है।

मुख्य मंत्रीजी ने जैसा मैंने पहले कहा था कि किसी भी वर्ग को, किसी भी तबके को नहीं छोड़ा है। सहरिया आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, विद्यार्थी, छात्र-छात्राओं, एस सी, एस टी, विकलांग, ए पी एल, बी पी एल, किसान, महिलाओं, हर वर्ग को इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने राहत प्रदान की है। मैं अलग-अलग निवेदन करके समय जाया नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने सारी बातें निवेदन की हैं। 9 हजार से अधिक साथिनों को एक हजार से बढ़ाकर 1,250 रुपये का भत्ता देने की घोषणा की है।

डी एल सी की रेट जो बढ़ी है, इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डी एल सी रेट

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

बढ़ने से जो फायदा गांव के किसान को होगा, गरीब को होगा, उसको हमारे माननीय सदस्य जो बड़े ऊंचे लोग हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। जितनी जमीनें शहरों के आजू-बाजू एक्वायर हो रही हैं या किसी सरकारी प्रयोजन हेतु वह सब जो एक्वीजिशन हो रहा है, उसमें डी एल सी रेट लो होने की वजह से किसान को उसका ठीक से भाव नहीं मिल पा रहा था। हां, बड़े लोगों को, जो जमीन खरीदने वाले हैं, उनको डर लग रहा है कि हमें रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा देनी पड़ेगी लेकिन आम आदमी को इस चीज से फायदा हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं।

राजकीय कोष में 250 करोड़ रुपये का घाटा सहन करके भी इस महंगाई पर लगाम लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पचा नहीं पा रहे हैं कि ये मुख्य मंत्रीजी, यह कांग्रेस की सरकार इन सब चीजों की मार्फत लोगों में पापुलर हो जायेगी, लोगों में लोकप्रिय हो जायेगी और लोग इनके साथ लग जायेंगे। इसलिए अच्छी चीज का भी विरोध बार-बार किया जा रहा है। हां, समझ में आता है कि अगर टैक्स बढ़ाने की बात कहीं मुख्य मंत्रीजी ने की है, वहां विरोध किया, वह समझ में आया लेकिन जहां टैक्स कम किया, जहां टैक्स-फ्री किया, जहां लोगों को आटा, दाल, चावल, गेहूं सस्ता करने की बात कही, वहां भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का मजाक उड़ाया गया और उनका विरोध किया गया। यह केवल मात्र विरोध करने के उद्देश्य से विरोध करते हैं। आम आदमी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अपने क्षेत्र की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व अगर इन लोगों को करना है तो अच्छी चीज की तारीफ करें और जो गलत चीज हो रही है, उसका विरोध करें तो कुछ बात समझ में आती है।

कल माननीय सदस्य कृषि जिंसों की महंगाई की बात कर रहे थे कि गेहूं 22 रुपये किलो हो गया, अटलजी के जमाने में इस भाव मिलता था, डीजल इस भाव मिलता था और आज यह भाव हो गया, लहसुन महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, वास्तव में महंगा हो गया। मैं आगे आ रहा हूं, श्रीमान्। यह महंगा हो गया, इसका फायदा किसको मिला? ये चीजें कौन पैदा करता है? गांव का किसान पैदा करता है और किसान को अगर 5 रुपया ज्यादा मिलता है क्योंकि किसान आज इस देश का कर्णधार है और 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उन 80 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

लोग खेती करते हैं और उनका जीवन-यापन खेती की इन जिंसों के ऊपर आधारित है, अगर उनको 5 रुपये ज्यादा मिलते हैं तो माननीय सदस्यों को इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये विरोध करें, गांव में जाकर के किसान को भड़काते हैं कि आपकी जिंस सस्ती बिक रही है, यहां आकर के कहते हैं कि यह किसान की चीज महंगी हो गई है। यह इनकी दोहरी नीति मुझे समझ में नहीं आती।

मैं भावों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ये अटल बिहारीजी के जमाने की बात करते हैं, मैं मेरे दादाजी के जमाने की बात करता हूं। जब मैं छोटा था, छठी-सातवीं क्लास में पढ़ता था तो वे कहा करते थे, वे गांव के जागीरदार थे और उस जमाने में वह कहा करते थे कि एक रुपये में सवा मण गेहूं आता था। क्या आप अटल बिहारीजी की बात कर रहे हो, डेढ़ रुपये में, दो रुपये में एक किलो घी आता था और मेरी शादी हुई थी, तब 100 रुपये तोला में सोना आता था, यह मुझे भी याद है। तो यह तो जमाने की रफ्तार है। आज ग्लोबेलाइजेशन हो रहा है, विश्व मार्केट की बात हो रही है और हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्रीजी ने आर्थिक नीतियां लागू कीं, उनका परिणाम आज इस देश में आ रहा है। उस समय रुपये किलो में घी मिलता था लेकिन कोई घी नहीं खा सकता था। एक रुपये का 25 किलो गेहूं, 25 सेर अनाज मिलता था या 40 सेर अनाज मिलता था लेकिन गांवों में गेहूं की रोटी खाने को लोगों को नहीं मिलती थी। जौ की रोटी खाते थे और त्योहार पर जौ के अन्दर थोड़ा सा गेहूं मिलाकर के गुज्जी की रोटी खाकर के राज़ी हुआ करते थे। एक वह जमाना था और आज मनमोहन सिंहजी और इस कांग्रेस की देन है कि हर आदमी के घर में गेहूं भरा पड़ा है और जिसके घर में गेहूं नहीं है, वहां हमारे मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत हर घर में दो रुपये किलो का गेहूं पहुंचाकर के गांव के आदमी को आबाद करने में लगे हुए हैं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे वहां जाकर के देखें, उस गरीब को जाकर के पूछें जिसके घर में गेहूं की बोरियां भरी पड़ी हैं। पूछो उनको कि आपके दादाबा ने कभी गेहूं खाया था क्या। यह हिन्दुस्तान में जो कांग्रेस का राज रहा, सोनिया गांधीजी, मनमोहन सिंहजी, इंदिरा गांधीजी की, राजीव गांधीजी की जो नीतियां इस देश में लागू हुईं, जवाहर लालजी नेहरू की जो नीतियां इस देश में लागू हुईं, उनकी बदौलत आज यह देश खुशहाल है। आज हर किसी के पास मोटर साइकिल नजर आती है, हर किसी के पास

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

मोबाइल नजर आता है। नरेगा में मजदूरी करने वाली हर औरत के पास मोबाइल है। किसी जमाने में औरत को सामान खरीदने के लिए अपने पति से पैसे मांगने पड़ते थे पर आज वह पति से पैसे नहीं मांगती, बाजार से खुद अपना सामान खरीदकर लाती हैं और गर्व के साथ खरीदकर के लाती है। कई बार ऐसा देखा गया है जब पति उस औरत से पैसे मांगता है कि मुझे थोड़ा सामान लाना है, आज तो तुम पैसे दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है। यह अगर परिवर्तन आया है तो इस कांग्रेस की नीतियों की बदौलत आया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें करना छोड़ें और वास्तविकता पर आयें, इस जमाने की रफ्तार के साथ चलने का प्रयास करें, गांवों की ओरिजिनल समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करें और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो विकासोन्मुखी गरीब के लिए बजट पेश किया है, उसकी खुले मन से तारीफ करें तो मैं समझूंगा कि वे असली राजनीति कर रहे हैं अन्यथा वे दिखावा मात्र कर रहे हैं। सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल झंवर।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2011-12 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा, उसके पक्ष में बोलना चाहता हूं परन्तु मेरे सुझाव भी साथ-साथ देना चाहता हूं। जिस दिन बजट रखा गया, बोलना शुरू किया गया, उस दिन बजट शुरू हुआ तो मुख्य मंत्रीजी ने पहले पिछले बजट के बारे में बोलना शुरू किया, उसके बाद में नये बजट में जब घोषणाएं करनी शुरू कीं तो कहते हैं कि टेबलें बजा रहे हो, बजाओ-बजाओ। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के लोगों के मन में भी आ रही थी कि हम टेबल बजायें परन्तु वे इस बात से बंधे हुए थे कि हम टेबल नहीं बजा सकते। जब गेहूं को, दाल को, सबको कर-मुक्त किया, उस वक्त उनके मन में आ रही थी। मेरे पास मोबाइल पर नोखा से फोन आ रहे थे कि इस बार मुख्य मंत्रीजी ने कमाल कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 5 किलोमीटर सड़कें देवस्थानों को जोड़ने के लिए दी गई हैं, यह बहुत बढ़िया काम किया गया है परन्तु इसमें मैं सुझाव देना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर से एक विधायक का एक देवस्थान पूरा नहीं जुड़ पाता इसलिए इसको 5 किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर किया जाए तो आम जनता के हित में होगा और जो देवस्थान को जोड़ने की मुख्य मंत्रीजी की भावना है वह फलीभूत होगी।

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

ऊर्जा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा उत्पादन पर खूब बजट दिया है। पिछली बार जब मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने खूब ऊर्जा का उत्पादन किया और चुनाव आते-आते इनके उत्पादन किये हुए का लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पांच साल तक उन्होंने उत्पादन कुछ नहीं किया, इस वजह से वापस यह परेशानी आई है। सभापति महोदय, इस बारे में मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस उत्पादन के साथ-साथ बिजली खर्च करने का काम भी अभी शुरू कर दें ताकि इसका लाभ आपको मिले और पार्टी को मिले और आम जनता बिजली प्राप्त कर सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से 250 की आबादी की ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, इसी प्रकार से कोई भी ढाणी इन तीन साल के कार्यकाल में बाकी नहीं रहे। हर ढाणी में, हर गरीब आदमी के घर में लट्टू जले, ऐसी व्यवस्था तुरन्त माननीय मुख्य मंत्रीजी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

ऊर्जा के क्षेत्र में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि गांव की आबादी क्षेत्र की ढाणियों में जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं बी.पी.एल. परिवार को, वे तो फ्री किये जाते हैं। शहर में जो बी.पी.एल. परिवार रहते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। कम जरूर किये 1,500 रुपये, बाकी उनको फ्री नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि शहर के बी.पी.एल. को भी फायदा मिले और उसको मुफ्त कनेक्शन देने का कष्ट करें।

मैं ढाणियों के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत जो विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसमें 3,600 रुपये लिये जा रहे हैं और गांव के कनेक्शन के 1,700 रुपये हैं। मेरा सुझाव है सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यह गांव के जो 1,700 रुपये हैं, उसी प्रकार ढाणी में कनेक्शन के भी 1,700 रुपये ही रखें तो उचित रहेगा।

इसके बाद मैं जल संसाधन पर आता हूं। जल संसाधन में अभी हाल ही में एस.सी. एस.टी. की ढाणियों पर खूब खर्च किया है, खुले मन से खर्च किया है, खुले मन से बजट दिया है, काम शुरू भी हो गया है परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस काम की मानिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था करें। वैसे तो सरकार जागरूक है, परन्तु जो तखमीना उन्होंने स्वीकृत किया है, जो

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

राशि स्वीकृत की है, उसके अनुसार काम हो। उसके लिए एक मानिटरिंग कमेटी हर जिले में बना दें या जो भी विधायक महोदय हैं, उनको अधिकार देवें कि कोई कमी नहीं रहे। अगर कमी रहे तो विधायक का जैसे ही पत्र आये, उस पर कार्यवाही शुरू की जाये कि यह कमी रह गई है।

सड़कों की क्वालिटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सड़कों की क्वालिटी के लिए जहां शिकायत आती है, उस डामर का सैम्पल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जाये कि उस मात्रा में डामर मिलाया हुआ है या नहीं। डामर की क्वालिटी कैसी है, डामर गलत तो नहीं आ रहा है क्योंकि जो शिकायत आ रही है, वह डामर के गलत होने की शिकायत आ रही है, कम होने की शिकायत आ रही है। अभी जैसे लोग चाहते हैं, गड़बड़ करें। अभी 45 लाख रुपये नगरपालिकाओं को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये थे, प्रत्येक नगरपालिका को 45-45 लाख रुपये दिये थे। उसमें एस्टिमेट यहां से बनाकर भेजा, बहुत बढ़िया एस्टिमेट बनाकर भेजा परन्तु वहां के जो अधिकारी लोग हैं, वहां के जो ठेकेदार लोग हैं, वे उस एस्टिमेट को छोड़कर दूसरा अपना नया बनाकर, उस एस्टिमेट के अनुसार काम नहीं करके, सस्ती दर पर काम करना चाहते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए, पैसा तो आपने भेज दिया, उस पर रोक लगाने के लिए जो दो तकनीकी अधिकारी और एक्स.ईएन. हैं नगरपालिकाओं में और नगर निगमों में जो भी पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी हैं, उनको पाबंद करें।

इसके अलावा चिकित्सा पर मैं बोलूंगा। चिकित्सा में खूब बजट दिया है, दवाइयां सभी को मुफ्त कर दीं। नहीं तो स्थिति यह थी कि बीमार आदमी अस्पताल पहुंचता है और एकाएक उसके पास पैसा नहीं होता। तो उसको दवाई की पर्ची पकड़ा दी, वह दवाई लेकर आता है। यह सुविधा बहुत बढ़िया की है। परन्तु उसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव है कि नेशनल हाइवे के जितने भी अस्पताल हैं पूरे राजस्थान में, वहां जिला अस्पताल की तरह 24 घंटे एक डाक्टर ड्यूटी पर रहे, ऐसी व्यवस्था करें ताकि मरीज के आते ही उसका इलाज शुरू हो जाये।

एस.एम.एस. अस्पताल जो जयपुर का है, बहुत बढ़िया इलाज होता है प्राइवेट अस्पताल की जैसे, लोग बहुत खुश हैं परन्तु वहां भीड़ ज्यादा है। जैसे-जैसे जनता बढ़ती गई, यह एस.एम.एस. अस्पताल जब बना था, उस समय की आबादी और आज की आबादी को देखते हुए ऐसा ही एक एस.एम.एस.

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

अस्पताल और बना दिया जाये तो, मुख्य मंत्री महोदय, आने वाली जनता आपको याद रखेगी और जयपुर में जो आप बाकी काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले इससे आपको ज्यादा फायदा होगा, जनता ज्यादा खुश रहेगी। अभी देख रहे हैं कि वहां बेड 50 हैं एक वार्ड में और 150 लोगों का इलाज हो रहा है। मैं उन डाक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे 50 के हिसाब से लगे हुए हैं और 150 का इलाज कर रहे हैं। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक दूसरा एस.एम.एस. अस्पताल अभी चालू कर देवें, इसी बजट में शामिल कर लेवें तो दूसरा एस.एम.एस. अस्पताल चालू होकर के जनता को लाभ मिले।

इसके अलावा नगरीय निकाय में पुनर्वास के लिए रोजाना टीवी पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं किसी दूसरे को मिठाई खाते हुए, पास वाले जिसके घर में मिठाई नहीं है तो उसका मन चलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से जयपुर में पुनर्वास के लिए रोजाना शिलान्यास किये जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं, सारी 183 नगरपालिकाओं में एक साथ शिलान्यास करें और पुनर्वास की योजना का काम करें ताकि पूरे राजस्थान को लाभ मिल सके। यह उद्घाटन का और शिलान्यास का जो सिलसिला है, यह जयपुर की तरह पूरे राजस्थान में चले।

नगरीय निकाय के बारे में दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा कि रोजाना सर्वे हो रहे हैं, 1971 का हो गया, 1981 का कच्ची बस्तियों का सर्वे हो गया, वही सर्वे वापस हो रहे हैं परन्तु नियमन नहीं होने का कारण है कि पहले तो 110 गज का प्रावधान कर दिया, अब 300 गज का प्रावधान कर दिया 1991 के सर्वे में। मेरा यह निवेदन है कि इस सर्वे के सिस्टम में, एक बार जो सर्वे हो चुका है, जो जितनी जमीन जिसके पास है, निवास करते हैं, गलियां छोड़ी हुई हैं और वही रहेंगे, उनको हटा सकते नहीं, या तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें या उनको नियमन के लिए अगर 300 गज से ज्यादा है तो आप आरक्षित दर से और ज्यादा रेट लेकर उनका नियमन करने की व्यवस्था करें ताकि रोजाना सर्वे नहीं हो, रोजाना लोग कब्जे नहीं करें।

दूसरा निवेदन नगरीय निकाय के बारे में करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के पास भूमि नहीं है, आसपास में जमीन है, एक्वायर करने में 10-10 साल लग जाते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि नई कालोनी बसाने के लिए कम से कम 500 भूखण्ड हर नगरपालिका क्षेत्र में हों और उनका आबंटन

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

लाटरी द्वारा हो ताकि यह जो जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, नगरपालिकाओं में एक कालोनी 500 प्लाटों की बसा दें तो आने वाले 10 सालों में जरूरत नहीं रहेगी। 500 प्लाट का मतलब हो गया, एक लाख लोग पट्टे प्राप्त करेंगे और, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको जनता धन्यवाद देगी और जनता याद करेगी।

इसी के साथ में जैसा प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने बताया, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि जो वृद्ध होते हैं, उनको आप पेंशन 65 साल की आयु जिनकी हो गई, उनको प्रत्येक को पेंशन देवें। किसी के 18 साल का बच्चा है, अब आपने 25 साल कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि 65 साल की उम्र के बाद प्रत्येक को आप पेंशन जारी कर दें। विकलांग का आपने सर्वे करवाया है, नि:शक्तजन का सर्वे करवाया है। नि:शक्तजन, जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, वह कमा नहीं सकता, इसलिए मेरा सुझाव है नि:शक्तजन जितने भी आपके सर्वे में आये हैं, जो 60 प्रतिशत से ऊपर विकलांग हैं, उनको आप पेंशन की व्यवस्था कर दें तो उचित रहेगा।

इसके अलावा राजस्व मंत्रीजी यहां नहीं विराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो सेटलमेंट हुआ था, उसमें खूब गड़बड़ी हुई। किसी का केस कहीं सेटलमेंट हो गया, कहीं मार्ग हो गया। तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पांचू ऐसा गांव है जो पूर्णतया सेटलमेंट गड़बड़ हो रखा है और अब कह रहे हैं कि उसमें प्रत्येक आदमी अपना दावा लगाये। तो वह 10,000 की आबादी वाला गांव दावों में घूमता रहेगा। इसलिए माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो गांव के सेटलमेंट के लिए जिला कलक्टर ने सिफारिश की है कि पुन: सेटलमेंट करवायें, तो उचित रहेगा।

इसके अलावा बजट में 108 एम्बुलेंस की पिछली बार घोषणा की थी, करीब-करीब प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है, मेरे यहां भी पहुंच चुकी है। मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

नर्सेज की जो कमी है, नर्सेज भर्ती करने का जो प्रावधान रखा गया है, मैं निवेदन करूंगा कि यह भर्ती की प्रक्रिया तीन-चार महीने में पूरी कर लें तो उससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गांव में आपने खूब सैंक्शन किये हैं सब-सेंटर, परन्तु नर्सेज नहीं होने के कारण थोड़ी परेशानी आ रही है। आपने

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

बजट में घोषणा की है, इस बजट की घोषणा को तुरन्त इम्प्लीमेंट कर दें तो उसमें मैं और सारे राजस्थान की जनता आपकी आभारी रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट पर माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद प्रज्ञापित करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापतिजी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और मैं कह दूं, सफेद कपड़ों में संत मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 का बजट सदन के समक्ष, वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के साथ, प्रस्तुत किया विचारार्थ और स्वीकृति हेतु। यह बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जो उद्देश्य है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अंतिम पंक्ति पर जिस पर कि विपक्ष के उप नेता द्वारा शाब्दिक टिप्पणी की गई थी, अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पशयन्तु, मा कश्चित दुःख भाग्भवेत्। इस उद्देश्य को लेकर और वह ज्ञानी लोग चेतान्सी देवी भगवती शा बंलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयछन्ति ओम्, उन सब सूत्रों को लेकर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिसने कि अपने युवा काल से निरन्तर राजनीति में रहते हुए, 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए दो बार मुख्य मंत्री, तीन बार प्रदेश अध्यक्ष, तीन बार केन्द्र में मंत्री, महामंत्री, अन्य कई पदों पर रहे, सुशोभित किये लेकिन वह सफेद कपड़ों में संत जिन पर आज तक 35 वर्षों में उसकी राजनीति पर दाग नहीं लगा, यह सबसे श्रेष्ठ बात है। उन मुख्य मंत्रीजी के मन में आम व्यक्ति के प्रति एक गहरी चिंता है। उन्होंने इस पूरे राजस्थान को, पूर्व से लगाकर पश्चिम तक पूरे राजस्थान को स्वयं जाकर देखा, गांव और ढाणी को जाकर देखा और उसके द्वारा जो उनके मंथन से एक निष्कर्ष निकला उस आधार पर दस्तावेज को तैयार किया और यह दस्तावेज आम आदमी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भाव दिया- दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। यह तो प्रभु के केवल नाम लेते हैं, वास्तविक जो बात जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें व्यक्ति कैसे निभ सके, इस बात को देखते हुए उन्होंने यह सूत्र दिया। पहले क्या होता था, अभी तो यह सूत्र है, पहले होता था, राम नाम जपना और

(श्री ओम जोशी)

पराया माल अपना। राम का नाम जपते, राजनीति करते और कैसे माल पराये को अपना लेवें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते थे। हमने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया और विपक्ष की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा। विपक्ष ने धार्मिक भावनाओं को भड़का कर राजनीति करने का प्रयास किया।

कटारियाजी बोल रहे थे, कल मैं उनके भाषण को और उनके उद्‌बोधन को, उनके प्रवचन को, उनके वक्तव्य को बड़ी गौर से सुन रहा था। पिछली बार जब कटारिया जी बोले थे तो वे मेरे गांव की ढाणी, मेरे गांव के व्यक्ति, मेरे गरीब आदमी की बात कर रहे थे, इस बार जब उनके सब गरीब आदमी, राजस्थान के पूरे गरीब आदमी, गांव के आदमी, आम आदमी की बात जब इस बजट में पूरी हो गई तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो आंकड़े लेकर आ गये, 98 से लेकर आज तक के आंकड़े लेकर आ गये। उन आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता उनमें नहीं थी, अगर विश्लेषण करते तो वे हमारे अनुकूल पड़ते थे इसलिए वे विश्लेषण नहीं कर पाये, इस राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। बोलते तो इस बजट पर बोलते, कहते कि इसमें यह कमी है लेकिन आंकड़ों का मायाजाल, मकड़जाल फैलाकर अपनी बात को रखने की कोशिश की।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया, हमारे विपक्ष के उप नेता तिवाड़ीजी, इनको भी एक बोलने का मौका मिला, इनको भी मैंने बहुत गहराई से सुना, मैं उनका सम्मान करता हूं। जब उनको सुना तो मुझे लगा कि उनके पास राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 में जो काम किये, उनकी आलोचना के लिए शब्द नहीं थे, उनके पास में कोई बात नहीं थी जो कि वे इस सरकार के बारे में विपरीत भाव से कह सकें। तब उन्होंने केवल मात्र शब्दिक गलतियां निकालने की कोशिश की। बड़ी इ की मात्रा और छोटी इ की मात्रा पर निरन्तर एक चर्चा की। हां, तिवाड़ीजी, मैं मानता हूं, हो सकता है, इस बजट में भी आपकी वही हालत रहेगी। जब आपका बोलने का मौका आयेगा तो इस बजट में जो अच्छा किया गया है उसकी आलोचना करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, मात्र दो गलतियां शाब्दिक इसमें आप निकाल देंगे, मैंने भी निकाली है, जलेबी चौक को जलेब चौक किया है, वह आप बोल जायेंगे जलेबी चौक को जलेब चौक कैसे कर दिया।

(श्री ओम जोशी)

इसमें मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, हीरापुरा में हुआ करता था जी एस एस, बड़ा जी एस एस, जयपुर के पास। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सुदूर कोर्नर में, पश्चिमी कोर्नर में सीमा से लगता हुआ भडला गांव में, भडला गांव में 400 केवीए का जी एस एस दिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार हमारे राठौड़जी एक बात को लेकर और बात इंगित करना चाहते थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत तो पढ़ी है कि नहीं लेकिन यह जरूर कहते थे कि यक्ष प्रश्न यह है, इसका उत्तर नहीं है। मैं यह कहता हूं, यह यक्ष प्रश्न जो है, थोड़ा उत्तर दे दें कि क्यों तो गई और क्यों आई? यह यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर दे दें, बात पूरी हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य: सब भाग गये आपकी नहीं सुनने के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी): बजट पर कटारियाजी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने यह प्रावधान किया, हमने वह प्रावधान किया; मैं एक छोटी सी घटना, सभापति महोदय, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे फलौदी में दस साल से दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। एक तीन तालाबों की झील निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी हुई, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई। मजे की बात तो यह है कि वे स्वीकृतियां हो गईं, काम करवा लिये गये लेकिन वास्तविक बजट के ट्रांसफर की व्यवस्था इस सरकार के जाने तक नहीं हुई और हालत यह रही कि वह जो काम हो चुका, उसका भुगतान और उस झील के कार्य को पूरा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी रही। यह एक छोटा उदाहरण हैं, ऐसी कई बातें इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए कीं। जल योजनाएं, करोड़ों रुपयों की, हजारों करोड़ की जल योजनाएं बनाकर रख दीं, जनता के सामने जाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की, मेरे क्षेत्र में भी चार योजनाएं बनाईं, पांच सौ करोड़ की योजनाएं बनाईं वोट प्राप्त करने के लिए लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया।

माननीय सभापतिजी, इस बजट में जो कुछ दिया गया, उसके ऊपर कुछ कहने की स्थिति नहीं होने की वजह से हमारा प्रतिपक्ष निरन्तर ऐसी-ऐसी बातों को उठा रहा है जो कि आधारहीन हैं। यह प्रतिपक्ष तत्कालीन सरकार के समय पांच वर्षों में जिन्होंने पानी मांगा, उनको गोली दागी, युवाओं पर गोली दागी, महिलाओं पर गोली दागी, रास्ते चलते हुए लोगों पर, गर्भवती

(श्री ओम जोशी)

महिलाओं पर गोली दागी। जिस हक के लिए किसी ने भी मांग की, उनको गोली दिखाकर और हत्याएं की गईं। आपके सामने है, हमारा राजस्थान जानता है, सौ लोगों के करीब हत्याएं हुईं। प्रसूताओं की मौतें हुई हैं, निश्चितरूपेण एक चिंता का विषय है, प्रसूताओं की मौत को लेकर, व्यवस्था को लेकर बात करना उचित है लेकिन उसको एक मुद्दा बनाकर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति कहां तक उचित है, यह एक विचार की बात है। अब यह शासन गोली का शासन नहीं है, आपके सामने गवाह हैं, कई ऐसे आंदोलन हुए, आरक्षण के आंदोलन की बात आई इन्होंने हमेशा सामाजिक समरसता को खतम करने की कोशिश की और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विवेकपूर्ण दृष्टि रखते हुए एक समरसता और सद्भाव, समाज को तोड़ना नहीं, सोचते हुए ऐसा रास्ता निकाला है जिससे यह राजस्थान समृद्ध बने, यह राजस्थान शांत रहे और राजस्थान विकास के पथ पर निरन्तर आगे बढ़े।

इन बातों के सूत्रधार हमारे नेता जन-जन के लाडले मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी द्वारा जो यह विकास का बजट पेश किया गया है, उसके संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पंचायतों को सशक्तिकरण, जो 2 अक्टूबर, 2010 को बात कही गई थी नागौर में हमारी सम्माननीय नेता सोनिया गांधीजी की ओर से, उनके द्वारा जो पंचायतों को अधिकार देने की बात जनता के सामने रखी थी, हमारी सरकार ने उसको पूरा किया और पांच विभाग पंचायतों को सौंपे जा चुके हैं। इस बजट में न केवल अधिकार सौंपे हैं बल्कि उनके लिए फंडस ट्रांसफर भी, सीधे पंचायतों को फंडस मिले, इस बात की भी व्यवस्था की गई है, अन-टाइड फंड देने की व्यवस्था की गई है और यहां तक की प्रधान जो हमारे चुने हुए जन-प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी गाड़ी देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

माननीय सभापति महोदय, पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में खास तौर से लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी, हमारे यहां फलौदी लिफ्ट कैनाल पर हमारे काश्तकार चाहते थे कि सिंचाई का पानी मिले। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी बारिश होने के पश्चात् एक व्यवस्थित रूप से सिंचाई का पानी देने के लिए ढाई हजार हैक्टेयर जमीन के लिए व्यवस्था की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ढाई हजार हैक्टेयर में से डेढ़ हजार हैक्टेयर फलौदी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

(श्री ओम जोशी)

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के मामले में जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से उल्लेख किया, बहुत बड़ी बात है, अगर किसी भी विधान सभा क्षेत्र में 40 किलोमीटर के आसपास सड़क का सुदृढ़ीकरण हो, नवीनीकरण हो, उसका विकास हो तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल मात्र धर्म के नाम पर ढकोसला करने वाले, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली प्रवृत्ति इन्होंने आज तक नहीं की। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने की योजना आपके समक्ष रखी है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे मिसिंग लिंक्स जो कि बरसों से पड़े हुए थे, उनको जोड़ने के लिए हमारे सामने योजना रखी।

चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम किया गया है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, वह एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा बी पी एल का आदमी, अंत्योदय का आदमी, आम गरीब आदमी, जिसको कि चाहे ईश्वर करे कोई रोग नहीं हो, ईश्वर करे उनको कोई तकलीफ नहीं हो लेकिन अगर वह तकलीफ में आ जाए तो उसके लिए एक रुपए से लगाकर के दस लाख रुपए तक की भी अगर कोई राशि की आवश्यकता है तो इसमें व्यवस्था की गई है। बात कर रहे थे कि बजट 2009 और बजट 2010 और 2011 में एक ही बात कही है। एक बात नहीं की गई, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 2009 में 24 हजार थी तो उसे सुविधा दी गई आने वाले वर्ष कि उसकी आय अगर 40 हजार होती है तब तक उनको यह मेडिकल की सुविधा मिलेगी और इस बजट में 60 हजार रुपए की आय वाले व्यक्तियों को यह नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, एक राहत देने की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा रखी गई है। नयी एम्बुलेंस देने, नसबंदी के मामले में चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए जो एक रोल माडल हमारे समक्ष रखा है, वह अपने आप में अनूठा है। नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात, चाहे वह नये पी एच सी खोलने की बात हो, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, दस वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और मेरा विधान सभा क्षेत्र वंचित रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारू और केलनसर पी एच सी को क्रमोन्नत किया जाए और फलौदी जो एक प्रमुख स्थान है, उस स्थान को जिला स्तरीय सुविधा प्रदान की जाए, यह मेरा अनुरोध है।

प्रशासन-गांवों-की-ओर, प्रशासन-गांवों-की-ओर कोई कम कार्य नहीं

(श्री ओम जोशी)

हुआ है। मैं आपके ये जो आज हैं नहीं, मैं इनको बताता प्रतिपक्ष वालों को कि यह जो काम हुआ हमारा प्रशासन-गांवों-की-ओर, इस सीढ़ी के माध्यम से 18 विभाग, 19 विभागों में काम हुआ है।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का क्षेत्र कैसे बढ़े, तकनीकी शिक्षा कैसे मिले, मेरे बाप क्षेत्र में आई टी आई की व्यवस्था दी गई। एम्पावरमेंट के माध्यम से मेरे बाप क्षेत्र में महिला और उनके सशक्तिकरण के लिए आर्थिक व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति महोदय, राजीव आवास योजना आपके समक्ष है, दो लाख लोगों को इस वर्ष इसका लाभ मिलेगा। फलौदी-ओसियां-जोधपुर मार्ग पर तीन लेन की सड़क बनाने का शिलान्यास इस वर्ष हो चुका है और वह आने वाले समय में पूरी होगी। प्रसिद्ध मेलों पर विकास के लिए जो व्यय किया गया है, मेरे क्षेत्र में रामदेवरा मेले पर इस संबंध में काम होगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकारों का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, उनको खास तौर से राजकीय सम्मान देना, इसका प्रावधान किया गया है। देवस्थानों के विकास के लिए बहुत बड़ी एक योजना हमारे सामने इस बजट में आई है। जैसा कि भाई खाचरियावासजी ने कहा, बहुत बड़ी बात जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे सामने रखी है, वह है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त करनी हो तो उसके लिए बीस हजार रुपए तक की जो सहयोग राशि रखी है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी पर, थोड़ा गला भी गड़बड़ होता है, थोड़ा बोलने दीजिए, बहुत टाइम है, आज तो बड़ा अच्छा मौका है, ड्यूटी के दौरान मृत होने वाले कर्मचारियों को दस लाख से बीस लाख रुपए तक की सुविधा दी गई है।

श्री सभापति: मुझे आपके गले का खयाल है ज्यादा।

श्री ओम जोशी (फलौदी): तीन वर्ष की सेवाकाल वाले लोगों को, परिवीक्षा वाले लोगों के लिए अनुकम्पात्मक नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। कर प्रस्तावों में मनोरंजन कर समाप्त किया गया है, डी टी एच केबल का कर समाप्त किया गया है।

जैसा कि ये कह रहे थे कि हमारी मानिटरिंग कमजोर है, हमारा

(श्री ओम जोशी)

पर्यवेक्षण कमजोर है, यह बात बिलकुल मिथ्या है। हमारी मानिटरिंग और पर्यवेक्षण ताकतवर करने के लिए करीब ये दस व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जिसमें निशक्तजनों का निदेशालय, भूमि अवाप्ति नीति, राजस्थान पुनर्वास संस्थान, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन, हाइड्रोलाजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। एन जी ओ की महती भूमिका को देखते हुए राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद, राज्य स्तरीय एग्रो फूड और प्रोसेसिंग सेंटर, राजस्थान कौशल एवं आजीविका सेंटर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस यूनिवर्सिटी, ई-गवर्नेंस, गुड-गवर्नेंस कैसे हो, इस बात की भी व्यवस्था की गई है। साधुवाद के पात्र माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं कि जोधपुर जिले को ई -डिस्ट्रिक्ट में चयन किया है। पहली बार बजट एकीकृत वित्तीय प्रणाली और रियल टाइम बेसिस बनाया गया है।

मैं इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, संवेदनशीलता की बात निवेदन करना चाहता हूं। खीवाराम की घटना कोई छोटी घटना नहीं है। खींवाराम के ससुराल जाकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से एक उनके अन्दर के जो शानदार व्यक्तित्व ने अपनी बात को रखा है,

(समय : 15.00 बजे)

वह हमारे राजस्थान की जनता कोने-कोने में सराह रही है। मैं कहना चाहता हूं, अख़बार में एक ऐसा किस्सा आया था, हमारी प्रतिपक्ष की नेता को किसी ने मिलने के लिए समय मांगने के लिए टेलीफोन कर दिया था, दो बार तो उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा था, लेकिन खींवाराम के साथ जो सद्‌व्यवहार हुआ, वह स्तुत्य है। सात पापों से दूर रहने का संदेश खास तौर से महात्मा गांधीजी ने दिया था, वह सात पापों का संदेश इनको भी इसी भांति दे रहे हैं कि ये किस तरीके से इन पापों से दूर रह कर राजनीति करेंगे तो एक शुद्ध राजनीति होगी।

आज आपने देखा कि सभापति जी के विरुद्ध नारे लगाना, सभापति जी को आसन से जाने के लिए कहना, यह एक संसदीय परम्परा नहीं है। परम्परा की बात करने वाले लोग, सैद्धांतिक बात करने वाले लोग, इनके अन्दर कभी-भी सिद्धांत और परम्परा नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता को बरगलाने के लिए नाम बदले हैं, पार्टी के झंडे बदले हैं और हमेशा इन्होंने यह कोशिश की है कि किस तरीके से लोगों को भुलावे में डाल कर और सत्ता प्राप्त की जाए। सरकार जो अच्छा काम करती है

(श्री ओम जोशी)

उस अच्छे काम के लिए मैं एक मारवाड़ी की कहावत को कहना चाहूंगा। इनके लिए तो वह ही बात लागू होती है, ऊंट वाली कि 'ऊंट को अगर फिटकरी दे तो भी डाडे और ऊंट को अगर गुड दे तो भी डाडे', चोखे काम में इणने डाडने री आदत पड्योडी है इण वास्ते ये डाड रह्या है।

एक मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात है, वह माननीय सभापति महोदय, आपके समक्ष रखना चाहूंगा। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर, चार जिलों का केन्द्र बिन्दु है और सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। वर्षों से फलौदी को जिला बनाने की मांग की जा रही है। तत्कालीन सरकार के समय कथनी और करनी में फर्क रखने वाली मुख्य मंत्रीजी फलौदी पधारी थीं। हमारे पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्णजी थानवी मृत्यु शैया पर थे। मुख्य मंत्रीजी वहां पर गईं, उनके सिरहाने बैठीं और हमेशा मिथ्या कहने वाली तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा कि अभी तो हमारी पाबंदी है, जब भी जिला बनेगा तो फलौदी को पहले जिला बनाया जायेगा। लेकिन खेद है कि वह फलौदी नहीं बन कर प्रतापगढ़ जिला बना था। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोतजी और वर्तमान कांग्रेस सरकार से फलौदी क्षेत्र को बहुत बड़ी आशा है। फलौदी क्षेत्र मुख्य मंत्रीजी के सामने देख रहा है और उनके मन में एक निश्चितरूपेण धारणा है कि ये आने वाले समय में समग्र विकास हेतु और जन भावनाओं को देखते हुए और लोक हित में, मैं पूरी संजीदगी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ यह मांग मेरी प्रस्तुत कर रहा हूं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आने वाले समय में जो समय की मांग है, उसको देखते हुए, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जनता की सुविधाओं को देखते हुए फलौदी को सीमान्त जिला बनाने की कृपा करें। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां आपको सदैव याद रखेंगी और पूरा करेंगी।

नयी परिसीमन व्यवस्था हो गयी। फलौदी, लोहावट और पोकरण, तीन विधान सभा क्षेत्र बने हैं। इस परिसीमन की व्यवस्था के अन्तर्गत इस तरीके से प्रशासनिक ढांचा अव्यवस्थित हो गया है। इसको एकीकृत करते हुए मेरा यह सुझाव है कि फलौदी बनाने वाले जिले में फलौदी विधान सभा क्षेत्र, लोहावट विधान सभा क्षेत्र और पोकरण विधान सभा क्षेत्र के साथ बीकानेर क्षेत्र के कुछ गांवों को जोड़ते हुए इस जिले को बनाया जाए। वहां की भौगोलिक परिस्थिति है, वहां पर वर्तमान में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। भूमि

(श्री ओम जोशी)

और भवन की व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि वहां आई जी एन पी का बहुत बड़ा कार्यालय था, काम पूरा होने से वे सब भवन हमारे पास उपलब्ध हैं। रेलवे का ब्राडगेज है। जैसलमेर और नागौर से जुड़ने वाला है, कोलायत से जुड़ चुका है। दूरी इसके लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का भड़ला गांव जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया, जोधपुर जिले से ढाई सौ-तीन सौ किलोमीटर दूर पड़ता है। फलौदी में एक बहुत-बड़ा एयर बेस्ड एयर फोर्स स्टेशन बन चुका है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्य मंत्रीजी की कृपा से हमें जिला स्तरीय सुविधाएं मिलना चालू हो गयी हैं। इस वर्ष हमें, मुख्य मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले हमारी गौण मंडी को मुख्य मंडी घोषित कर दिया, एडिशनल एस.पी. की पोस्ट दे दी, महाविद्यालय में एक अतिरिक्त विषय दे दिया, महाविद्यालय की सीटें बढ़ा दीं। पिछली सरकार जब आयी थी तो हमारी जो मांग थी महाविद्यालय खोलने की, वह अशोक गहलोतजी के हाथों से हुई थी। उसी आधार को देखते हुए वर्तमान में भी हमारी जनता उनकी तरफ देख रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरी इस विनम्र मांग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करके विकास के लिए, फलौदी की जनता के हित के लिए, फलौदी को सीमान्त जिला बनाने की कृपा करेंगे।

इसके साथ ही फलौदी में लोहावट कांस्टिट्यूएंसी रखते हुए एक उप तहसील आऊ, एक उप-तहसील लोहावट नयी सृजित की जानी चाहिए, मेरी बाप पंचायत समिति, हैडक्वार्टर की उप-तहसील बाप को तहसील मुख्यालय बनाया जाना चाहिए और फलौदी में अतिरिक्त जिला कलक्टर का कार्यालय 1 अप्रैल से ही स्थापित हो जाए, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हमारा फलौदी जिले की तरफ अग्रसर हो सके।

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस बात का उल्लेख खास तौर से करना चाहूंगा कि जो कर प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं, जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने छूट दी है, वह हमारे समक्ष उन्होंने अगर पांच सौ करोड़ के जो कर प्रस्ताव किये हैं उनमें से 50 प्रतिशत तो छूट दे दी है और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, वह पैसा नगरीय विकास और पंचायती राज संस्थाओं को जाएगा। यह करना एक बहुत बड़ी सोच का परिचायक है।

सोनिया गांधी जी के दृष्टिकोण को जो पांच सूत्रीय दृष्टिकोण था, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रशासन को मजबूत करने के लिए माननीय

(श्री ओम जोशी)

मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़ कर सभी मंत्री महोदयों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। सभी मंत्रियों के जो विवेकाधीन अधिकार थे, उनको समाप्त किया है। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो कि जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत करके और यह एक संदेश दिया है कि हम माननीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के द्वारा दिये गये एक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

अंत में, मेरा क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और वहां के करीब तीस हजार मतदाता हैं। उस अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. देना अपने-आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की रही कि जब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय दिया गया तो वर्षों से इन्होंने अल्पसंख्यकों को उपेक्षित किया था। उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे करीब 8 मिडल स्कूल थे, उनको क्रमोन्नत करके माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। यह अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा किया था। जोधपुर के साथ अन्य जिला स्तर पर भी हज में जाने वाले लोगों के लिए जो हेल्प डेस्क स्थापित करने की बात की है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जेंडर का गेप और हमारी महिलाओं में शिक्षा की जो कमी है, मेरे क्षेत्र में खास तौर से यह कमी पायी गयी है उस दृष्टि को देखते हुए शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए मेरे क्षेत्र में जो महिलाओं की शालाएं हैं वे स्थापित होनी चाहिए। अंत में ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी घंटी बराबर बज रही है।

श्री सभापति: कई बार कह चुके न आप 'और अंत में', 'और अंत में' तो मैं समझा कि शायद अब अंत हो गया है। कृपया समाप्त करें। कोई तो समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मेरा सौभाग्य है कि आप आसन पर विराजे हैं। मेरा बाप ब्लाक जो है वह पेयजल के दृष्टिकोण से डार्क जोन में है। बहुत ही खारा पानी है। भूगर्भ में पूरा खारा पानी है और वहां की मिट्टी ऐसी है, अगर तालाब खोद दिया जाये तो बरसात का पानी एक महीने भी नहीं टिकता। लोगों को 300-300 रुपये में टंकी मंगा कर पानी पीना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है। इस बार तो ईश्वर की कृपा है, नरेगा में तो टांके बन

(श्री ओम जोशी)

गये और इन्द्र भगवान की कृपा से बरसात खूब हो गई तो टांके भर गये, इस बार तो सुविधा ठीक है लेकिन आने वाले समय में यह तकलीफ कैसे दूर हो, इसके लिये दीर्घकालीन योजनाएं लागू किया जाना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे बाप ब्लाक के करीब 39 गांवों में पेयजल की जो यह गम्भीर समस्या हो सकती है, उसको देखते हुए वृहत योजना बनाकर स्वीकृति प्रदान करेंगे।

पंजीयन और मुद्रण क्षेत्र में जो राहत प्रदान की गई है, एग्रीमेंट-टू-सेल में रजिस्ट्रेशन फीस खतम की गई है। यह सब जो बाते हैं, आप मुस्करा रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूं कि मेरे क्षेत्र की बात...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें। आपका इरादा माननीय प्रतापसिंहजी खाचरियावास का रेकार्ड तोड़ने का तो नहीं है? अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री ओम जोशी (फलौदी): प्रतापसिंहजी तो छात्र नेता रहे हुए हैं, मैं तो एक ...

श्री सभापति: आपको 32 मिनट हो गये हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, एक बात अवश्य है कि यह हमेशा जो अख़बार लाकर फैलाते हैं, वह झूठी खबरों के आधार पर फैलाते हैं और मैं ऐसे अख़बार आपके समक्ष फैला रहा हूं जो मुख्य मंत्रीजी के शानदार व्यक्तित्व की गाथा गाते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान के विकास के लिये और आम आदमी के विकास के लिये किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उसका चित्रण करते हैं। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अनुसार समाचार पत्र को या किसी भी पत्र को लहरा कर के, हिला कर के, उसको प्रदर्शित कर के अपनी बात नहीं कही जाये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं प्रथम बार चुन कर आया हूं, इसलिए नियम की जो उपेक्षा हुई है उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, आप कह सकते थे कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं हवा कर रहा हूं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने 9 मार्च, 2011 को वर्ष 2011-12 का जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया, उसके पक्ष में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट राज्य सरकार द्वारा चहुंमुखी विकास और आमजन के हितों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि विशेष बात यह है कि योजना आयोग ने राज्य की वर्ष 2011-12 की योजना का आकार 27,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया था, उससे भी बढ़कर 961 करोड़ रुपये अधिक बढ़ाकर बजट अनुमान प्रस्तुत करने से साबित हो जाता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के विकास के लिये हमेशा प्रयत्नशील हैं।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी की 57,49 ढाणियों, मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिये 4000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं । प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 1,530 करोड़ की लागत से पांच सौ से अधिक आबादी वाली 1,833 ढाणियों-मजरों को सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करने तथा धार्मिक सड़कों के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 1,100 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा करने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही इन भावनाओं के अनुरूप मिसिंग लिंक के 16 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण कार्य तथा 30-40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कराये जाने हेतु 1,400 करोड़ रुपये की घोषणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लिये की है। इसके लिये मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से ओ एम एम वृत खंडों व उप खंडों का पुनर्गठन किये जाने तथा इस हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 8,500 नवीन पदों के सृजन से विद्युत आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ बेरोजगार युवकों को भी लाभ मिलेगा। गत दो वर्षों में 1,52,781 कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी करने के पश्चात् आगामी वर्ष में 65,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन तथा 500 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट प्रदान करने की घोषणा से निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा।

(श्री कमल बैरवा)

सभापति महोदय, विद्युत दुर्घटना से आम जन की जो मृत्यु हो जाती थी उसको 25 हजार रुपये दिये जाते थे। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने उसको बढ़ाकर ढाई लाख रुपये जो किये हैं, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक सराहनीय कदम है, मैं इसके लिये उनको साधुवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पेयजल के संबंध में इस वर्ष अच्छे मानसून के बावजूद भी राज्य में पेयजल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। 249 में से 198 ब्लाक डार्क जोन में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हैंड पम्प मरम्मत, पेयजल परिवहन एवं पानी की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर पेयजल हेतु नये स्रोत विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में आश्वस्त किया है कि जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हर सम्भव कदम उठाये जायेंगे और इसमें पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक सराहनीय कदम है।

चालू वित्त वर्ष में टोंक शहर में बीसलपुर से जोड़ने हेतु नई पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की जो घोषणा उन्होंने की है, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू में बीसलपुर योजना के तहत पीपलू तहसील को जिसके 114 गांव पेयजल से जोड़ने के लिये लिये गये थे प्रथम फेज में, उनमें से करीब 70 गांवों को जोड़ दिया गया है और बाकी में काम चल रहा है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि सेकंड फेज में निवाई के 195 गांवों को लेना था, वह इसी वर्ष चालू कर शुद्ध पेयजल मेरे उन गांवों को दिलाया जाये जिससे वहां की जनता उनको धन्यवाद दे सके और पानी की समस्या से निजात पा सके।

सभापति महोदय, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां 2 अक्टूबर, 2011 से नि:शुल्क उपलब्ध कराने और थैलेसीमिया और हिमोफिलिया के मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा लागू करने से आमजन को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त समस्त पी एच सी को इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के साथ कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का भी एक सराहनीय काम है। एन आर एच एम के अन्तर्गत 975 नर्स ग्रेड सेकंड तथा जी एन एम की नियुक्तियों की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो इस बजट में की है, वह भी एक सराहनीय कदम है।

(श्री कमल बैरवा)

सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 250 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ केन्द्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से 77 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का 49 करोड़ की लागत से सुदृढीकरण करने की बात जो इस बजट में रखी है, वह भी एक सराहनीय कदम है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं।

पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सी एच सी, पी एच सी में 369 चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेदिक नर्स कम्पाउंडरों की नियुक्ति करना आगामी वित्तीय वर्ष में 250 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में व 50 पी एच सी व 10 सी एच सी के भवनों का निर्माण कराया जायेगा निश्चित तौर से चिकित्सा पद्धति में और चिकित्सा सुधार में यह एक सराहनीय कदम है। इससे निश्चित तौर से बेरोजगार लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा।

आमजन हेतु टोल फ्री 104 चिकित्सा परामर्श सेवा केन्द्र प्रारंभ करना, मुख्य मंत्री सहायता कोष के अंतर्गत जरूरतमंद गैर बी पी एल श्रेणी के व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु आय पात्रता में जो छूट दी है, 40 हजार से बढाकर 60 हजार की है, यह निश्चित तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक सराहनीय काम किया है इससे आम गरीब को भी लाभ मिलेगा और वह अपना इलाज करा सकेगा। बजट अनुमान 2011-12 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन सराहनीय और कल्याणकारी योजनाओं से राज्य की जनता को लाभ मिलेगा इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं।

महिला एवं बाल विकास के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 हजार से अधिक साथिनों को मानदेय एक हजार प्रति माह से बढ़ाकर एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति माह किया गया तथा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी ढाई सौ रुपये प्रति माह की वृद्धि किये जाने की घोषणा की। इससे उक्त पदों पर कार्यरत महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर से वे अच्छे ढंग से काम कर सकेंगी। साथ ही कम्प्यूटर के बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण सभी महिलाओं को नि:शुल्क कराने की घोषणा कराने से भी महिलाओं का उत्साह और मनोबल बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के आवास की मांग पर इन्दिरा आवास योजना जो 3,400 करोड़ रुपये की लागत से लागू की गई, इसी की तर्ज पर मुख्य मंत्री ग्रामीण

(श्री कमल बैरवा)

बी.पी.एल. आवास योजना लागू कर आगामी वर्ष में 1,400 करोड़ रुपये की लागत से 2,80,000 आवास स्वीकृत करने की घोषणा से गांवों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और गांव के लोग इससे खुश हो रहे हैं कि हमें भी हमारी छत मिलेगी और हम भी हमारे घरों में रह सकेंगे।

इसी प्रकार किसानों के लिये अगले वर्ष 6 हजार करोड़ के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, पशुधन के लिये आगामी वर्ष में सौ पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में व 200 पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों को पशु औषधालय में तथा 45 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की गई है, निश्चित तौर से इससे हमारे पशुधन का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने यह जो बजट रखा है, आम मजदूर, किसान और गरीब आदमी को मद्देनजर रखते हुए किया है और सबका भला इसमें समाविष्ट किया है। सभी जातियों और सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए राजस्थान के विकास के लिये यह जो बजट पेश किया है, निश्चित तौर से यह सराहनीय बजट है।

मैं आपके माध्यम से यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बजट अनुमान 2011-12 में राज्य के लिये जहां इतना कुछ दिया है, वहीं मैं अपने विधान सभा क्षेत्र निवाई का कस्बा, जो एन.एच. 12 पर बसा हुआ है, के समबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां आये-दिन एक्सीडेंट होते हैं और उससे मरीजों को असुविधा होती है। जब-तब मरीज अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते, जयपुर भेजते-भेजते मर जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इसी वर्ष वहां एक ट्रोमा हास्पिटल की स्थापना की जाए जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत कुछ किया है, 50 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने उनसे बार-बार निवेदन किया भी है कि टोंक जिले में देवली, टोंक और मालपुरा में राजकीय महाविद्यालय हैं मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने की वजह से वहां के आम बच्चों को, वहां की बच्चियों को दूर-दराज पढ़ने के लिये जयपुर या

(श्री कमल बैरवा)

टोंक जाना पड़ता है जिसकी वजह से उनको असुविधा होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बजट में निवाई विधान सभा क्षेत्र में निवाई शहर में एक कालेज की घोषणा करें, कालेज हमें दिलायें और इसके आदेश प्रदान करें। साथ ही मैं यहां बैठे, विराजमान हमारे राजस्व मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में चतरभुजपुरा में जो सेटलमेंट हुआ था, वह पूरा टोटल गलत है, इसकी वजह से आम किसान वहां बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा निवेदन रहेगा कि वहां पुनः सेटलमेंट कराकर उस गांव की व्यवस्था को बनायें।

मैं अंत में जो मुख्य मंत्री महोदय ने इतना शानदार बजट पेश किया है जिसका विपक्ष ने, विपक्ष का तो यह है कि कुछ भी हो, हमें विरोध करना है तो उन्होंने किया है, मगर जो बजट, इतना शानदार बजट पेश किया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय लोकप्रिय, संवेदनशील, शांति के प्रतीक श्री अशोक गहलोत जी ने आम आदमी को ध्यान में रखकर बजट को पेश किया है जिससे आम आदमी को राहत मिले, वे प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनें। यह बजट, खैर मैं तो पहली दफे आया हूं लेकिन बजट तो पहले भी पढ़ता था अखबारों में, मेरे खयाल से बेमिसाल बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें गरीब को गणेश मानकर और गरीब पर ध्यान केन्द्रित करके बजट पेश किया है। इसके लिये मेरी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई व धन्यवाद। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सबको मिला है। चाहे वह हास्पिटल हो, स्वास्थ्य विभाग में हास्पिटलों का जो पी.एच.सी. से सी.एच.सी. और नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले हैं, स्वागत योग्य है। इससे हमें दूरदराज गांवों में भी चिकित्सा मिलेगी। उससे गरीब की जेब से पैसा न जाकर, 2 अक्टूबर को सभी मरीजों से जो मुफ्त दवाई देकर आम जन को राहत पहुंचाई है। बी.पी.एल. में बीमारों का नि:शुल्क इलाज, उसके अलावा भी जो बी.पी.एल. में भी नहीं हैं और धनाढ्य भी नहीं हैं और वह तिल-तिल करके बीमारी से मरता

(श्री सूरजभान धानका)

था, उसके लिये मुख्य मंत्री सहायता कोष चलाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसमें कि कुछ मरीज खर्चा कर लेते हैं और कुछ मुख्य मंत्री कोष से देकर उस मरीज को उस बीमारी से निजात दिलाते हैं और वह अपनी जिन्दगी बढ़िया ढंग से जी सकता है। जो 600 बेड की बढ़ोतरी की है, एम्बुलेंस-108 जो आगामी 50 देने की घोषणा की है, यह एम्बुलेंस बिलकुल एक जीवन दायिनी सिद्ध हुई है। जो मरीज हास्पिटल में नहीं पहुंच पाता था और वह इलाज, आक्सीजन की कमी से रास्ते में दम तोड़ देता था, तो 108 एम्बुलेंस में सभी सुविधाएं होने से मरीज को राहत मिलती है और वह हास्पिटल में पहुंच जाता है।

हास्पिटल्स के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टरों की, नर्सों की बहुत भारी कमी है। नये तो खोल ही रहे हैं लेकिन खुलने वाले, जो खुले हुए हास्पिटल, मेरे रैणी में चार डाक्टर आथोराइज्ड हैं, एक डाक्टर काम कर रहा है। इसी प्रकार से लक्ष्मणगढ़ में भी आधी पोस्टें खाली हैं। तो इनमें डाक्टरों की, नर्सों की पूर्ति करें जिससे हास्पिटल्स का वास्तविक यूटिलाइजेशन हो सके।

जल नीति, राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदय ने पहली दफे जल नीति तैयार की है जिसमें जो शहर हैं, उनमें पुरानी लाइनों को चेंज करना, नई लाइन डालना, नई योजना बनाना, एस.सी., एस.टी. के क्षेत्र में नई जल योजना देना, सराहनीय है।

श्रीमान् माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरी एक गुजारिश है कि मेरा राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ ड्राई जोन में आ चुका है, पानी बहुत गहरा चला गया, हैंडपम्प कामयाब नहीं हैं तो इसके लिए, माननीय जल संसाधन मंत्रीजी, कोई दूरगामी लम्बी योजना बनाएं ताकि हमारी आम जनता को इसमें फायदा हो। लक्ष्मणगढ़ में एक घाट कैनाल है, पूर्व में टूट चुकी थी। वैसे पिछली बार भी यह बताया गया था कि 10 करोड़ 13 लाख रुपये की इसके लिए योजना बनी है लेकिन वित्तीय संसाधन मिलने पर यह चालू कर दी जाएगी। तो मेरा यह निवेदन है कि इससे तकरीबन 50 गांवों को फायदा होगा और जल स्तर भी ऊंचा आएगा और सिंचाई में भी काम आयेगी। तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इससे आधी जल समस्या हमारी खतम हो जाएगी।

सड़कों में पीछे भी पांच-पांच किलोमीटर और सात किलोमीटर जो

(श्री सूरजभान धानका)

विधायकों के जरिए जो मांगी हैं, उससे काफी राहत मिली है और आगे भी जो पांच किलोमीटर धार्मिक स्थलों के लिए और मिसिंग लिंक के लिए 16 किलोमीटर दिया है, यह बहुत स्वागत योग्य है। इससे जब हम जाते हैं, हमारे यहां पर दो किलोमीटर का टुकड़ा है, उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। तो उसमें हम लोगों को काफी राहत मिलेगी, जनता को भी राहत मिलेगी। 30-40 किलोमीटर जो सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण सड़कों के लिए बजट में घोषित किया है, यह बहुत अच्छी योजना है। इससे देखिए, आवागमन के साधन जब होंगे, क्षेत्र का विकास तब ही होगा जब आवागमन हो।

शिक्षा के बारे में अभी जो नई नीति चली है, राइट-टू-एजुकेशन, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है लेकिन यह ग्राउंड में भी आनी चाहिए। उसके अलावा जो आठवीं का बोर्ड खतम किया है तो यह मेरे ख्याल से गलत हुआ है। इससे निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। आठवीं में जब बोर्ड होता था, पहले पांचवीं में भी बोर्ड होता था तो बच्चों को ठोक-ठोक कर आगे करते थे। लेकिन अब आठवीं और नवीं तक तो बच्चों को कुछ लिखना ही नहीं आएगा तो आगे दसवीं-ग्यारहवीं में निश्चित रूप से वह टोल रहेगा और फेल होगा।

मेरे क्षेत्र राजगढ़ में बहुत दिनों से एक गर्ल्स कालेज की मांग चली आ रही है। लक्ष्मणगढ़ तहसील में गवर्नमेंट कालेज नहीं है। पिनान में 20 हजार की आबादी के आस-पास वहां आठवीं क्लास तक बालिका स्कूल है। तो निवेदन है कि यह दो कालेज के साथ-साथ पिनान स्कूल का भी दर्जा बढ़ाएं।

सामाजिक जो कार्य हैं जैसे वरिष्ठ नागरिकों को 65 साल से 60 साल कर देना, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नया नियम बना रहे हैं, बालिकाओं को जो पहले दसवीं में साइकिल मिलती थी, आठवीं से साइकिल देकर बच्चों को काफी प्रोत्साहन दिया है।

बिजली में बढ़ोतरी पीछे से की है। सबसे फायदेमंद चीज तो यह हुई है कि जहां एक कृषक काम करते हुए बिजली से एक्सीडेंट होकर चिपक कर मर जाता था, मात्र 25 हजार रुपये मिलते थे। 25 हजार से, माननीय, पट्टी भी नहीं होती। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको ढाई लाख रुपये कर दिया है, जो बहुत स्वागत योग्य कदम रहा है।

पेंशन के बारे में कुछ विसंगतियां हैं। वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विधवा

(श्री सूरजभान धानका)

पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, देखिए, हरियाणा, राजस्थान में 60 साल से ऊपर सभी को पेंशन देते हैं। वे बढ़िया-बढ़िया गाड़ियों में आते हैं लेकिन वे पेंशन लेकर जाते हैं क्योंकि जब आदमी वृद्ध हो जाता है, औलाद उनको पैसे तो कहां देगी, खाने को भी नहीं देती। वे भी चाहते हैं कि जब बहन-बेटी आए तो उसको कुछ दें। उसकी जेब में हो, मांगे नहीं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस प्रतिबंध को हटा कर सभी वृद्धों को पेंशन दें, विधवाओं की सीमा को खतम करें। जैसे 25 साल, जो 25 साल से पहले विधवा होगी तो उसका भी तो कोई धनी-धोरी होना चाहिए। विकलांगता पेंशन में बड़ी खामियां हैं। वैसे विकलांगता के बारे में जो चिह्नित किया है, चिह्नित किये गये है कैम्पों में, अच्छी शुरुआत है लेकिन उसके साथ-साथ एक यह जोड़ा है कि यह डिपेंडेंट है। मैंने देखा, जो 80 परसेंट विकलांग है, उसके मां है, बाप है, भाई है तो उसको डिपेंडेंट की अड़चन आ जाती है। तो इसको समाप्त करें, विकलांग को पेंशन दी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों का आपसी आवश्यक वार्तालाप समाप्त हो गया हो तो कृपया अपने निश्चित स्थान पर जाएं। अपने-अपने निश्चित स्थान पर जाएं कृपया।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सैनिकों के लिए क्योंकि आप भी माननीय सभापति महोदय, सैनिक रहे हैं और मैं भी रहा हूं, उनकी समस्याओं को देखते हुए जो सी.एस.टी. में सामान मिलता है, रम वगैरह मिलती है तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में काफी अन्तर है तो उसको भी कम करें और जो रिजर्व जगह है, ...(व्यवधान) रम की कीमत, मंत्रीजी, कम हो। (व्यवधान) अब यह तो आप देखो। इसमें बी.एस.एफ, सी.आई.एस.एफ. को सामान सस्ता करके एज ए कैंटीन, अच्छा स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से हमारे फौजियों को फोरेस्ट गार्ड में, मंत्रीजी हैं, उनको मात्र आठ हजार में कहीं-कहीं भेज रखा है। तो उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो उसमें भी या तो उसको नियमित करें और उसकी वेतन वृद्धि करें क्योंकि वे बहुत दूर जाकर, हिमालय की चोटियों में जाकर धक्के खाकर आया है। पेंशन उसको पहले वाली कोई खैरात में नहीं मिल रही है। वे अपने परिवार को छोड़कर और दूरदराज रहकर, आज हमारे तो यहां सब घर में रहते हैं, टीचर को दो किलोमीटर भेज दो तो भी यह कहता है कि हमारे तो बहुत दूर हो गया, लेकिन वे भी शख्स हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर 12-12 महीने बर्फ में,

(श्री सूरजभान धानका)

जंगल-झाड़ियों में रहे हैं। उनको जो विसंगति है, जो आश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है, कई चीजें आ रही हैं तो उनका निस्तारण करने के लिए, माननीय मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी, सैनिक कल्याण मंत्रीजी, आप उस पर विशेष ध्यान दें। जो सहरी, कथुडिया, वगैरह, एस.सी., एस.टी. को अलग से जो बजट नोशनल फ्लो के बजाए वास्तविक दिया है, तो यह भी स्वागत योग्य है जो ओरिजनल धरातल सोच है।

पुनः मैं विशेष अलवर जिले को तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शायद कुछ भी नहीं दिया, मेवात विकास बोर्ड को छोड़कर। तो थोड़ा अलवर की तरफ भी अगर कोई पानी या कोई ऐसी चीज पर, जैसे हमारे एनिकट्स वगैरह हैं, बड़े बांध, वगैरह पर ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया होगा।

ओवर-आल बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सराहनीय है, स्वागत योग्य है। इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैं बजट 2011-12 जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस बजट योजना का आकार 27,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह अब तक हमारे राज्य की सबसे बड़ी कार्य योजना होगी। मेरा मानना है कि बजट से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा राज्य के निर्धन व पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। बजट पूर्ण रूप से गांव और गरीब को समर्पित है। दाल, चावल और केरोसीन को कर-मुक्त कर सरकार ने आम आदमी को बढ़ती मंहगाई से राहत देने का प्रयास किया है। यह बजट राज्य में विकास के नये अवसर पैदा करेगा। यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया शानदार बजट है। इसके साथ ही बी पी एल परिवारों के लिये 10 लाख आवास उपलब्ध कराने की एक ऐतिहासिक योजना, जो इस बजट में प्रस्तुत की है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो केशवरायपाटन है, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद वहां पर अभी तक उप-अधीक्षक कार्यालय नहीं था, उसकी घोषणा बजट में की हे। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

इसके साथ-साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चाकल परियोजना है, जो सिंचाई की परियोजना है, वह काफी समय से लम्बित थी। उसमें भी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना को पूरा करने का प्रावधान रखा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, बूंदी जिले में पर्यटन में 50 लाख का प्रावधान रखा गया है तो मैं माननीय पर्यटन मंत्री, बीना काकजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ-साथ मैं इनसे यह भी कहना चाहूंगा कि बूंदी जिला एक धार्मिक नगरी है और उस धार्मिक नगरी में केशवरायपाटन का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, पौराणिक नगरी है और चम्बल नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो मैं माननीय पर्यटन मंत्री, बीना काकजी से कहना चाहूंगा कि उस स्थान को भी डवलप करने का प्रयास करें ताकि पर्यटन की दृष्टि में केशवरायपाटन का स्थान हो। मैं इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार ने नरेगा जैसी योजना बनाई, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इसमें गरीब, किसान और मजदूरों को रोजगार दिया है। उसके लिये मैं बोलना चाहूंगा कि इससे गरीब, किसान और मजदूरों को, जो काम के लिये पलायन कर जाते थे, उसके लिये उनको रोजगार मिला है। उससे वे लोग वहीं रुककर, अपने गांव में रुककर अपनी मजदूरी कर लेते हैं तो उनको पैसा भी मिलता है और उनका रोजगार का साधन भी उससे बनता है और चलता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चलाकर एक बहुत अच्छा संदेश राजस्थान में दिया है। उसमें 18 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। माननीय सभापतिजी, वहां जितने कामों के लिये तहसील पंचायत तक, एस.डी.ओ. हैड-क्वार्टर पर जितने भी लोग पहुंचते थे, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जितने जो भी काम थे, वे करके प्रशासन-गांवों-के-संग जो एक प्रोग्राम बनाकर मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, उससे बहुत सारे काम हुए हैं। खातेदारी के, गैर-खातेदारी से खातेदारी के, तो बहुत अच्छे बंटवारे के काम हुए हैं। इससे माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो संदेश है, वह पब्लिक में बहुत अच्छा

(श्री सी.एल. प्रेमी)

गया है। मैं इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधीजी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो ऐसा लगता था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। लेकिन उसके पीछे उनकी यह मंशा थी कि बैंकों का फायदा वहां के गरीब किसान और मजदूरों को मिले। उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में छोटे-छोटे गांवों में बैंक खुल रहे हैं और उससे किसान, गरीब और मजदूरों को उसका बहुत फायदा मिल रहा है। इससे बड़ी योजना यह हो सकती है, चाहे वह मकान का लोन ले, चाहे वह मोटर साइकिल का लोन ले, चाहे वह क्रोप लोन ले, उससे किसानों को, मजदूरों को बहुत फायदा मिला है।

अंत में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो क्षेत्र है, उसमें केशवरायपाटन एक शुगर मिल हुआ करती थी। वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में बंद हो गयी थी और उसके मजदूर दर-बदर हो गये। लोग वहां से पलायन कर गये। लेकिन हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद उनका पलायन रोका, उनको दूसरे विभागों में भेजा और उनको नौकरियां दीं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जब दुबारा मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने वहां पर एक हजार मेगावाट का गैस पर आधारित प्लांट स्वीकृत किया है। इसलिये भी मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं।

अंत में, मैं ज्यादा न बोलकर, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मिसिंग लिंकों के निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, रिपेयरिंग, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सात करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। इसमें 16 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक्स, 30 से 40 सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण व रिपेयरिंग के कार्य होंगे। एक बात इसमें बहुत अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने आज तक धार्मिक स्थानों को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं किया था लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसका प्रावधान कर -करके धार्मिक स्थान जितने भी थे, जो-जो भी जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में आते थे, उनको जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। इसलिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं, माननीय सभापतिजी, एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान

(श्री सी.एल. प्रेमी)

सभा क्षेत्र में चार नगरपालिकाएं हैं और बिलकुल अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उसमें 70 कि.मी. तक कोई कालेज नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लाखेरी, जिसको औद्योगिक नगरी माना जाता है बूंदी जिले की, मैं चाहता हूं कि वहां पर गवर्नमेंट कालेज हो और वहां के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को कालेज की सुविधा मिले। सभापति महोदय, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां एक कालेज खुले ताकि एस सी, एस टी के लड़के और लड़कियों को फायदा मिले।

सभापति महोदय, आगामी वर्ष में नौकरियों का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है, 1,25,000 नौकरियां आगामी वर्ष में मिलेंगी। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत अच्छा है और पूरे राजस्थान का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पदमा राम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत द्वारा राजस्थान का जो बजट 09 मार्च, 2011 को विधान सभा में पेश किया गया, उसमें एक साल के राजस्थान सरकार के जो कार्यकलाप हैं और राजस्थान सरकार द्वारा एक साल के अन्दर जो राजस्थान का विकास होगा, उसका आइना इस बजट के अन्दर पेश किया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री लोकप्रिय, गांधीवादी और सादगी-पसन्द मुख्य मंत्री हैं। उनके दिल के अन्दर हर समाज के, हर वर्ग के विकास के लिए हमेशा तत्परता रहती है। जब सरकार बनी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस समय यह घोषणा की थी कि हमारी कांग्रेस की सरकार आम आदमी और गरीब की सरकार है, इसके अन्दर गांव का, शहर का और क्षेत्र का, किसी प्रकार के बिना भेदभाव के विकास किया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब पदभार संभाला था, उसी दिन सबसे पहले वे अस्पताल के अन्दर गये और वहां जाकर शराब दुखान्तिका के लोगों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने यह घोषणा की कि राजस्थान प्रदेश गांवों में रहने वाले गरीब आदमियों का प्रदेश है। उनकी सेवा के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की व्यवस्था

(श्री पदमाराम)

की। बी पी एल परिवार और अल्प आय वर्ग के 66 लाख लोगों का नि:शुल्क इलाज करवाकर भारत के अन्दर यह दिखाया कि राजस्थान का लोकप्रिय मुख्य मंत्री आमजन का मुख्य मंत्री है, गरीब का मुख्य मंत्री है और हर वर्ग का मुख्य मंत्री है व गरीब से गरीब, झोंपड़ी में पीछे रहने वाले किसान के लिए हमेशा सेवा के लिए तैयार है। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश करने के लिए विधान सभा में प्रवेश किया, उस वक्त मैं थोड़ा लेट आ रहा था, तब विपक्ष के माननीय सदस्य एकत्रित होकर यह योजना बना रहे थे कि कांग्रेस के जो नव-निर्वाचित विधायक आये हैं, उनको दबाना है, कांग्रेस सरकार को दबाना है और यह प्रदर्शन करना है, जो बजट पेश किया जाएगा उसका पूरा विरोध करना है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदया पधारीं, उनकी नयी नियुक्ति हुई, माननीय सदस्यों को यह डायरेक्शन दिये गये कि मैं दो साल से आयी हूं और जब मैं अन्दर आऊं तो आप जोरदार स्वागत करना और कांग्रेस का एक साथ रहकर विरोध करना। उनकी यह धारणा बन गयी है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उसका संदेश जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए जैसे ही अन्दर आये, उनके द्वारा हल्ला मचाने की उनकी नीति थी, उनकी भावना थी। उनकी यह भावना रहती है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित में, गरीबों के हित में, आमजन के हित में, व्यापारियों के हित में और सभी वर्गों के हित में जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उसका सन्देश राजस्थान में नहीं पहुंचे, हम हमेशा विद्रोह करके उसका विरोध करें। हमेशा इनकी भावना रहती है। हमने राजस्थान में विकास की गंगा बहा दी, हमारा राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है जो आपके समय में अग्रसर नहीं हो रहा था। इन दो सालों के अन्दर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान का विकास ही किया है। आपकी कौनसी योजना हमने बन्द कर दी? आपके द्वारा चालू किये गये कौनसे कार्य हमने बन्द कर दिये? हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, जनता के हित के लिए किया है और अच्छा काम किया है। वे धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मिसिंग लिंक्स और साढ़े पांच किलोमीटर की धार्मिक रोड्स दी हैं। यह सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत हमारे विरोधी सदस्यों को यह निवेदन कहना चाहता हूं कि आपने

(श्री पदमाराम)

हमेशा फूट-डालो-राज-करो, धर्म के नाम पर, खून के नाम पर राजनीति की है। मन्दिर और धर्म के नाम पर आपने वोट बटोरे। आपने एक दूसरे को लड़ाने का काम किया। आपके राज में आपने एक किलोमीटर की सड़क भी धर्म के नाम पर, मन्दिर के नाम पर नहीं दी। राजस्थान प्रदेश श्रद्धा का प्रदेश है, यहां सभी धार्मिक लोग रहते हैं, उनके दिलों के अन्दर अपने भगवान, ईश्वर और अल्लाह की श्रद्धा है, उनके लिए एक किलोमीटर की रोड नहीं दी। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सबको समानता देते हुए, बिना भेदभाव के सभी दो सौ विधायकों को साढ़े पांच किलोमीटर की और सोलह किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स की रोड दी हैं। यह सराहनीय कदम है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक साल के अन्दर एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सात करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार दिया है, एक प्रस्ताव रखा है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।

दूरदराज की ढाणियों में रहने वाले आमजन, गरीब लोग जो अपने खेतों के अन्दर रहते हैं, उनके लिए ढाई सौ की आबादी का जो प्रावधान रखा है, वह सराहनीय है। अभी इसी साल पांच सौ की आबादी के क्षेत्र में इनके राज के अन्दर हमेशा सौतेला व्यवहार होता था। जो इनके आदमी थे, प्रभावशाली लोग जो कहते थे वह काम होता था, आम गरीब का काम नहीं होता था। आम गरीब का शोषण होता था, आम गरीब की अनदेखी होती थी। उसको संतुलित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह काम किया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

सभापित महोदय, मैं जलदाय योजना के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर नर्मदा नहर चल रही थी, उसका जब सर्वे हुआ था तब बी जे पी का शासन था, उन्होंने उस सर्वे को नहीं मानकर नया सर्वे करवाकर मेरे क्षेत्र के अन्दर यद्यपि निकली परन्तु मेरा क्षेत्र छोड़ दिया। जहां गरीब लोग, आमजन, अल्पसंख्यक, एस सी, एस टी के लोग और किसान रहते हैं, उनका पूरा क्षेत्र छोड़ दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर उन्होंने तीस हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचित क्षेत्र घोषित करके हमारी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जाग्रत की है। दूसरा इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है जहां दूरदराज के अन्दर एस सी, एस टी और अल्पसंख्यक

(श्री पदमाराम)

(समय : 16.00 बजे)

लोग काफी संख्या में रहते हैं। उनकी सेवा के लिए एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक योजना के अन्दर जो नये ट्यूबवेल निर्माण करने की योजना लागू की और नयी पाइप लाइन लगा कर उनकी पेयजल की व्यवस्था की, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब हमारा राज आया और राज के अन्दर जो बजट पेश किया, उसके अन्दर सबसे पहले उन्होंने ऊर्जा को प्राथमिकता दी। उनकी भावना है कि राजस्थान, भारतवर्ष गांवों का देश है, यहां 70 परसेंट लोग किसान हैं, गांवों में रहते हैं, धोरों में रहते हैं, उनको उजाले के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है और किसान खेती करने के लिए, अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए हमेशा कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए बिजली के जो नये सब-सेंटर बनाये, 132 के.वी. का, 220 के.वी. का, 33 के.वी. का, गांव-गांव में बनाकर यह बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज के अन्दर, जब कांग्रेस की सरकार आयी, किसानों को सात घंटे, साढ़े छह घंटे लगातार बिजली मिल रही है। इस कारण से किसानों की फसल बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले साल में 1,860 मेगावाट बिजली पैदा करके राजस्थान को एक स्वावलंबी राज्य बनाने की जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है, वह बहुत सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उनका 66 हजार लोगों का जो इलाज कराया, वह बहुत सराहनीय है। इसके उपरान्त जो बी.पी.एल. परिवार हैं उनकी दवाइयों के लिए जो मुफ्त और नयी योजना लागू की गयी, कोई भी किसान हो, कोई भी गरीब हो, उनको हास्पिटल में सबसे अधिक उपयोग वाली दवाई नि:शुल्क हास्पिटल में देना, बहुत सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी बाड़मेर पधारे थे, हमारे सब माननीय सदस्यों ने यह डिमांड की थी कि हमारा बाड़मेर सीमांत

(श्री पदमाराम)

जिला है, यहां सब लोग खेतों में, दूर-दराज की ढाणियों में रहते हैं, जो इन्होंने 50 पी.एच.सी. और 35 सी.एच.सी. की घोषणा की है, वह बहुत सराहनीय घोषणा है। हमारे को विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले, गरीब लोगों की सेवा के लिए हमारे ऊपर जरूर मेहरबानी करेंगे। मेरे क्षेत्र के अन्दर मात्र एक ही सी.एच.सी. है। शेराऊ तहसील है, वहां लगभग 25 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र लगता है, वहां पी.एच.सी. है उसको सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करेंगे और जो बोर्डर पर रहने वाले लोग, अल्पसंख्यक, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, वहां उनको 15-15, 20-20 किलोमीटर में पी.एच.सी. की सुविधा नहीं है, उस सुविधा का जरूर उनको लाभ मिलेगा। इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए जो बालिकाएं हैं, जो कम्प्यूटर सीखेंगी या उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी, उनके लिए उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो भावना है, हर वर्ग को साथ में लेने की भावना है, हर किसान की सेवा करने की भावना है, हर गरीब की सेवा करने की भावना है। वह बहुत सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि शिक्षा के अन्दर बी.जे.पी. की सरकार के टाइम में इन्होंने स्कूलें क्रमोन्नत तो बहुत कर दीं परन्तु लास्ट के समय में सब सिटी के अन्दर भेज दिया, गांवों की स्कूलें खाली कर दीं। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 50 हजार थर्ड ग्रेड के टीचर और 25 हजार जो प्रिंसिपल और लैक्चरर हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं सेकंड ग्रेड के अध्यापक, उनकी नियुक्ति करने की घोषणा की है और जल्द पूर्ति करेंगे। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि दो साल के अन्दर पांचवीं से आठवीं स्कूल एक भी क्रमोन्नत नहीं की है। एक मेरा गांव ऐसा है जहां प्राइमरी स्कूल है, 15 साल से प्राइमरी स्कूल है और 350 बच्चे आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेहरबानी करके यदि एक स्कूल क्रमोन्नत कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरे को विश्वास है कि हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी यह काम करेंगे।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंच के अन्दर आमजन का अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चलाया, उसके अन्दर सबसे पहले जो निशक्तजन थे, उनका चयन हुआ। चयनित करने के बाद में उनकी जो पेंशन की व्यवस्था की, वह बहुत ही सराहनीय है परन्तु जो विकलांग लोगों के लिए भाई या मां-बाप की जो एक कंडिशन लागू की है, यह अच्छी बात नहीं है। जो विकलांग हैं, भगवान ने पहले ही उनको विकलांग कर दिया है, उनको मां-बाप की तो जरूर इच्छा होगी कि उनका बच्चा विकलांग हो गया है, उनके सेवा करेंगे परन्तु आज के जमाने के अन्दर भाई और भौजाई, उसकी सेवा करने लायक नहीं रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि विकलांगों के लिए जो कंडिशन लागू की है, उसके लिए थोड़ा सुधार करें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक गरीब के लिए, किसान के लिए, निम्न मजदूरी करने वाले के लिए जो एक सौगात दी है, गेहूं, चावल, केरोसीन, दाल के अन्दर जो टैक्स हटाकर आम आदमी का जो खाना सस्ता किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। जो आम आदमी है, दिन भर मजदूरी करके जो पैसे लाता है, वह गेहूं खरीदना या दाल खरीदना हो महंगे भाव के अन्दर, जो उनका खून-पसीने का पैसा व्यर्थ खर्च हो जाता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा आमजन की भावना को देखते हुए, गेहूं को गरीब से लगाकर करोड़पति तक यूज करता है, दाल गरीब से लेकर करोड़पति तक यूज करता है और गरीब भी यूज करता है, उनके लिए यह नयी व्यवस्था की है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास के रूप में जो आवास मिलता था, वह एक छोटा मिलता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करके राजस्थान के अन्दर, भारत के अन्दर नाम अमर कर दिया है। उनकी भावना हो गयी है कि आमजन, जो किसान गांवों के अन्दर रहते हैं, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, उनका पक्का मकान नहीं है, उनकी भावनाओं को देखते हुए दो लाख मकान, बहुत बड़ी बात है, दो लाख और तीन साल के अन्दर दस लाख मकान, राजस्थान की कायाकल्प हो जायेगी और गरीब की झोंपड़ी पक्के मकान में तब्दील हो जायेगी। उनको राजीव गांधी विद्युतीकरण के अन्दर जो विद्युत फोकट में मिल गयी है और इसके उपरान्त अब मकान मिलेगा, नि:शुल्क मकान, यह बहुत सराहनीय कदम है। इसलिए हम माननीय मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि सराहना करते हैं।

(श्री पदमाराम)

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान के अन्दर जो बी.पी.एल. परिवारों का है, बी.पी.एल. का हमेशा बी.जे.पी. वाले हमारे भाई कहते हैं कि सर्वे आपके टाइम में हुआ, सर्वे तो अपने समय में हुआ परन्तु इसका अनुमोदन 2004 में हुआ है। इनके राज के अन्दर इनकी हमेशा भावना रहती है कि गरीब का नहीं, अपना हो, उसका सबसे पहले सलेक्शन करें। ऐसे आदमियों का सलेक्शन हो गया जिनके पास 300 बीघा जमीन है, वह बी.पी.एल. बन गया है परन्तु गरीब आदमी, उसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, रहने के लिए उसका मकान नहीं है, उसकी झोंपड़ी नहीं है, वे वंचित रह गये हैं। मेरे को उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पहले फरमा रहे थे, अभी 2011 की जनगणना हो गयी है, नया सर्वे कराया जाय; जो वास्तव में बी.पी.एल. हैं, उनको चयनित करवाने की कृपा करावें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग हैं, उनके जो छात्रावास चल रहे हैं, पहले 725 रुपये मिलते थे, गत बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 1,000 रुपये कर दिया परन्तु इस महंगाई को देखते हुए, बहुत सराहनीय कदम है, अभी 1,250 रुपये करके यह बड़ी उपलब्धि की है। धन्यवाद के पात्र हैं। आमजन, गरीब के जो बच्चे रहते हैं उनको पौष्टिक आहार मिलेगा, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी और आगे बढ़कर वे राजस्थान का और भारत का नाम रोशन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के अन्दर भी हमारे पिछले दो साल में 1,52,881 किसानों को कनेक्शन दिये गये और आने वाले समय में किसानों को 65 हजार और कनेक्शन देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है किसानों को सबल बनाने की।

इसके साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए बूंद-बूंद फव्वारा पद्धति में पहले जो 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती रही थी, उसको बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया। यह बहुत सराहनीय कदम है। एक किसान को अपना फव्वारा सेट खरीदने के लिए सिर्फ पांच हजार रुपये देने पड़ेंगे। यह बहुत सराहनीय कदम है माननीय मुख्य मंत्रीजी का, किसानों के हित के अन्दर बहुत अच्छा कदम है। ट्रैक्टर है, किसान के यूज में आने वाले साधन हैं, उनके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टैक्स कम किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं।

(श्री पदमाराम)

किसानों के हित में मेरा एक निवेदन है कि अभी जो बीमा योजना चल रही है, मौसमी बीमा योजना, इस मौसमी बीमा योजना के अन्दर अभी तक मौसम के आधार पर जो फसल का नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने का इसके अन्दर प्रावधान होना चाहिए। अभी जो बेमौसम बरसात हुई है, हमारे क्षेत्र के अन्दर जीरे की फसल नष्ट हो गई है, लम्प सम्प 70 से 75 परसेंट जीरे की फसल नष्ट हो गई है। उसका प्रावधान होना चाहिए। उसमें किसानों के हित के अन्दर माननीय कृषि मंत्रीजी आगे कृषि बीमा कम्पनी को लिखें और किसानों का हक किसानों को मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मौसमी बीमा के अन्दर जो दर अभी रखी, बहुत बढ़ी दर है। पहले किसानों को जो दर मिल रही थी और किसानों के हित के लिए पहले जो क्राप कटिंग के आधार पर बीमा मिल रहा था, वह अच्छा था। मौसमी बीमा के अन्दर बेमौसम बारिश हो जाती है परन्तु उनके जो मापदण्ड रखें, उनमें परिवर्तन किया जाए। बेमौसम बरसात इसबगोल और जीरे की फसल की पक्की दुश्मन है। लाखों-करोड़ों की किसानों की फसल नष्ट हो गई है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके ऊपर विचार करें और किसानों के हित में कुछ नया काम करें।

विद्युत के अन्दर जो किसान खेत के अन्दर काम कर रहा है, ऐसी अनहोनी न हो पर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो पहले मात्र पच्चीस हजार रुपये दे रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित में, आम गरीब के हित में, जो खेती में काम करने वाला आम गरीब है, उनकी जरूरत को देखते हुए उसका रेट दो लाख पचास हजार किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बजट इन्होंने आमजन, गरीब, किसान, व्यापारी, निम्न वर्ग के व्यापारी, हर व्यापारी के हित में जो काम किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, भा ज पा के लोग अभी जो भाग के गये हैं, इनका विरोध करने का उद्देश्य यह था कि दो दिन लगातार छुट्टी है, हम जाकर गांवों में मौज करेंगे। इनकी हमेशा आदत है। ये करोड़पति आदमी हैं, पूंजीपति लोग हैं। इनकी यह भावना नहीं है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है, उनकी आवाज यहां पहुंचाएं, उनकी मांग करें।

(श्री पदमाराम)

इनकी हमेशा भावना रहती है कि हम मौज करें, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगे, हमारे ऊपर जो पुराने दाग लगे हुए हैं, उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाए, इस कारण से हमेशा वे वाक-आउट करते हैं। जनता को यह दिखाना नहीं चाहते हैं। जनता की सेवा के लिए जनता ने इनको वोट देकर यहां भेजा है, उनकी मांग करने के लिए भेजा है। ये माननीय सदस्य कभी जनता के हित में बात नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। इनकी भावना रहती है कि हमने पांच साल के अन्दर जो कार्यकलाप किये हैं, हमने पांच साल में जनता के साथ घोर अन्याय किया है, जनता के अधिकारों का हनन किया है, जनता के खून-पसीने की कमाई हमने हड़पी है, उनके लिए वह हमारे ऊपर लांछन नहीं लगाए। इस कारण से हम नये लड़के जीतकर आए हैं। हमारी कोई सोच तो है नहीं, हम इससे इतर भी बोल सकते हैं, इस कारण से ये विधान सभा छोड़कर वाक-आउट करके चल गये। जय हिन्द।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे राजस्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के हित को देखते हुए एक लोकप्रिय बजट पेश किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पाना चंद।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजस्थान की उस जनता का जिन्होंने हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी सम्माननीय गहलोत साहब को इस स्थिति पर पहुंचाया और आज उसी की परिणति है कि गांवों में निवास करने वाले गरीब का, गांवों में निवास करने वाले उस किसान का, शहर में निवास करने वाले उस व्यापारी का, उद्योगपति का, सभी वर्गों की भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार से 28 हजार 400 करोड़ का जो बजट पेश किया, यह अपने आप में राजस्थान के इतिहास में सराहनीय है।

चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सामाजिक सुधार की बात करें, हर वर्ग को साथ में लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा थी, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने और हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री सम्माननीय प्रमोदजी जैन 'भाया,' दोनों ने मिलकर राजस्थान में सड़कों के निर्माण में, सड़कों के विस्तार में व सड़कों

(श्री पानाचन्द)

के नवीनीकरण में जिस प्रकार से जाल बिछाया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है।

मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जिन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर चाहे वह मस्जिद की सड़क बनाने की बात करें, चाहे गुरुद्वारे की सड़क के निर्माण की बात करें या मन्दिर की सड़क के निर्माण की बात करें, सभी धर्मों को और पूरे राजस्थान में 613 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य लिया है जिसमें एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और जिससे 1,100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। अपने आप में इतिहास में बहुत बड़ी देन है। जिन गांवों में और जिन ढाणियों में केवल एक, डेढ़, दो किलोमीटर के टुकड़े जो सड़कों से जुड़ने बाकी थे और आवागमन में परेशानी आती थी, पूरे सदन के विधायकों की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सोलह किलोमीटर मिसिंग लिंक की 35 से 40 किलोमीटर सड़कें जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं, उनके भी डवलपमेंट के लिए सात-सात करोड़ रुपये का हर विधान सभा क्षेत्र में डवलपमेंट करने का काम किया है।

मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री महोदय का कि जब राजस्थान में विधान सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा तैयार किया था, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आयी तो हम किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करेंगे, हम युवाओं की भावना को ध्यान में रखकर काम करेंगे, हम व्यापारी की भावना को ध्यान में रखकर बात करेंगे, हम उद्योगपति की भावना को ध्यान में रखकर काम करेंगे, आज उसी की परिणति के तहत लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने तीसरा बजट पेश किया। उसमें यह साबित कर दिया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि यह चुनावी बजट है, अभी चुनावी बजट आने में दो बजट और बाकी हैं, जब चुनावी बजट आएगा तब आप लोगों को चक्कर आ जायेंगे।

मैं मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को कि जिस आशा और विश्वास के साथ आज राजस्थान की जनता ने विकास की बागडोर आपके हाथों में सौंपी है, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में आज किसी के परिवार में कोई बीमार होता है और उसको अस्पताल ले जाने के लिए उसकी जेब में एक पैसा नहीं होता तो वह हिचकिचाता है कि इसको कैसे ले जाऊं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजस्थान

(श्री पानाचन्द)

की जनता की तरफ से आपको कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप बीमार को तत्काल सरकारी अस्पताल में ले जाएगा। उसको यह आशा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत है और अशोक गहलोत के शासनकाल में एक रुपये की आवश्यकता नहीं साथ में ले जाने की। वह अस्पताल में ले जाएगा जरूर, वह उसका खर्चा होगा लेकिन वहां पर जाने के बाद उसका मुफ्त इलाज। चाहे वह बी पी एल हो, स्टेट बी पी एल हो या उद्योगपति हो या गरीब हो या अमीर हो, उसका नि:शुल्क इलाज सरकारी चिकित्सालय में किया जाएगा।

मैं इस मंच के माध्यम से और सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने मानवता की जो तीन चीजें हैं, इन्सान को तीन चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उन तीनों चीजों का इस बजट में ध्यान रखते हुए, गरीबों का छप्पर किस प्रकार से बनाया जाए, उसी के तहत राजस्थान में दस लाख पक्के मकान बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से कपड़ों पर चाहे रजाइयों पर वैट कम करने की बात करें, गेहूं पर वैट कम करने की बात करें, खाद्यान्न में चावल पर वैट कम करने की बात करें या गृहणियों के लिए जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, चाहे चकला-बेलन की हो या चिमटे की हो या गैस कटर की बात हो या अन्य चीजें जो रोजमर्रा की आवश्यकता में काम आती हैं, उनमें वैट कम करने की बात हो, इन सभी चीजों पर वैट कम किया गया।

मैं माननीय अशोकजी गहलोत साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने किसानों की भावना को ध्यान में रखते हुए, गांवों में खेती करने वाले किसान की भावना को ध्यान में रखते हुए, वे जानते हैं कि किसान की जब मृत्यु होती है तो उसके परिवार पर कितनी आपदाएं आती हैं, उसके पीछे कितने परिवार के सदस्य होते हैं, उस भावना को ध्यान में रखते हुए जो पच्चीस हजार रुपये विद्युत विभाग के द्वारा उसको सहायता मिलती थी, पच्चीस हजार को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये में परिणत किया गया है ताकि अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे चाहे उसकी पत्नी हो, उसके वृद्ध माता-पिता हों, उसके छोटे बच्चे हों, उनका लालन-पालन अच्छी तरह से हो सके, उनको अच्छी तालीम मिल सके, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए यह किया गया।

(श्री पानाचन्द)

मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का कि उन्होंने एस टी, एस सी के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, वे जानते हैं, राजस्थान में दूसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं, 2009-10 का बजट उन्होंने पेश किया,

उन्होंने देखा कि सरकारी छात्रावासों में जो एस टी और एस सी के बालक रहते हैं उनके खाने-पीने की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होती है, उनके रहन-सहन की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, उनके लिये कपड़ों की व्यवस्था नहीं होती है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले बजट में ही 725 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया, फिर पुनः निरीक्षण किया गया कि यह भी इन लोगों के लिये कम है, इन लोगों की अच्छी तामील के लिये कम है, इस बजट में उसको 1,250 रुपये किया है। मैं राजस्थान के समस्त एस टी, एस सी के उन तमाम युवाओं की तरफ से, उन छात्र-छात्राओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से एस टी, एस सी की भावनाओं को ध्यान में रखा, निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में एस टी, एस सी का हर वर्ग, हर जवान और हर बूढा आपके साथ है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आपने हर चीज को ध्यान में रखा लेकिन राजस्थान की जनता को आपसे बहुत ज्यादा आशा और आकांक्षा है। राजस्थान की जनता को याद है कि राजस्थान में लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोतजी हैं, हमारी भावना निश्चित रूप से अगर उन तक पहुंची तो निश्चित ही क्रियान्विति होगी। इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा। आज राजस्थान में जिस प्रकार से असहाय व्यक्तियों को आप लोगों ने प्रशासन गांवों-के-संग अभियान के माध्यम से चिंहित किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा चिन्हित के साथ-साथ वे असहाय व्यक्ति जो कमाने और चलने में असमर्थ हैं, उनको आर्थिक सहायता सरकारी नियमावली के अनुसार पेंशन की पात्रता में मिलनी चाहिये थी वह आज नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति 60 परसेंट से ज्यादा चाहे वह विकलांग हो, निःशक्त हो, उसको स्टेट बी पी एल के साथ चाहे स्टेट बी पी एल में हो, चाहे इंदिरा गांधी बी पी एल में हो, निश्चित रूप से सभी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक को पेंशन का हक देने के लिये निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री पानाचन्द)

हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे युवा नेता राहुल गांधीजी ने एक नीति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उन गरीबों के लिये बनायी कि उनके घरों में प्रकाश हो, बिजली जाए। इसको ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी कुटीर ज्योति योजना के तहत गांवों में निवास करने वाले व हर बस्ती में उजाले की व्यवस्था की गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जो लोग गांव में निवास करते हैं उनके तो लाइट लग जाती है लेकिन उसी गांव में जो लोग 500 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर कच्ची बस्तियों में 100, 200, 500 व्यक्ति बी पी एल के रहते हैं लेकिन कम्पनी वाले वहां लाइट नहीं लगाते हैं। वे कहते हैं, हमें कलक्टर से, एस डी ओ से प्रमाण पत्र चाहिये, यह आबादी में नहीं है। इसलिये आपसे निवेदन है कि सभी कलक्टर्स को निर्देशित कर दें कि जो बस्तियां 30, 40, 50 साल से बसी हुई हैं, उनका नियमन कर दिया जाए और वहां बी पी एल की लाइट लगाने के आदेश जारी कराये जाएं।

एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन एक्ट बनाकर पूरे देश में शिक्षा का अंधकार मिटाने का जो बीड़ा हमारे प्रधान मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने उठाया है, वह सराहनीय है क्योंकि अशिक्षा मानव जीवन में नारकीय जीवन के समान होती है। उसका हर जगह शोषण होता है। उसी के तहत एजुकेशन एक्ट लागू किया गया। एजुकेशन एक्ट के साथ चाहे हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो देश का, हमारे प्रदेश का एक भी बालक अशिक्षित नहीं रहे, इसके तहत सर्वे करवाकर पूरे राजस्थान के 12 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को आपने शिक्षा से जोड़ने का बीड़ा उठाया, वह सराहनीय है।

आपने सभी वर्गों को साथ लेने का जो काम किया है, माइनोरिटी की शिक्षा की बात करें, आज तक जहां पर माइनोरिटी के व्यक्ति के स्तर की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता था, आपने पहली बार बजट में माइनोरिटी की छात्राओं को चाहे जयपुर स्थित मुख्यालय की बात करें, कोटा की बात करें या अजमेर की बात करें, सम्भाग मुख्यालयों पर जिस प्रकार कन्या छात्रावासों की स्थापना करने की बात की, वह सराहनीय है। 200 मदरसों को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा देने का काम भी सराहनीय है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मदरसें हैं, जहां पर छात्र पढ़ने जाते हैं लेकिन उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। मैं

(श्री पानाचन्द)

सुझाव देना चाहूंगा, इस बजट में यह भी जोड़ा जाए कि जहां-जहां मदरसों में बिल्डिंग नहीं हैं, जहां छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां बिल्डिंग निर्माण का प्रस्ताव इस बजट में लिया जाए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सारी कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिस प्रकार का बजट मंथन करके बनाया। जब यह बजट तैयार हो रहा था, राजस्थान का हर वर्ग यह सोच रहा था कि तीसरा बजट राजस्थान का किस प्रकार का होगा। आपने फीडबैक लेकर गांव में निवास करने वाले किसान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, शहर में निवास करने वाले व्यापारी की भावना को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग के युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया, वह सराहनीय है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां नहीं हैं लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, वे टी वी के माध्यम से या सदन में कहीं बैठे हों, आपके प्रतिपक्ष की नेता को जाकर बताएं, राजस्थान में जब आप मुख्य मंत्री थीं, कितने धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ा गया, मिसिंग सड़कों के तहत राजस्थान में कितनी सड़कों का डवलपमेंट किया? कितने अध्यापकों को पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक बनाया गया, कितने मदरसों में उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था और पदोन्नति की गयी।

मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिन्दुस्तान में एक पहली मिसाल होगी कि स्टेट गवर्नमेंट रेलवे के लिये बजट देना प्रस्तावित करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिये 1,200 करोड़ रुपये वहां की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए रेल के लिये दिये और आज वह केन्द्र द्वारा स्वीकृत किये गये।

मुख्य मंत्री महोदय अभी कुछ दिन पहले बारां के दौरे पर आए और जिले में सहरियाओं के उत्थान के लिये योजना को क्रियान्वित किया है। किशनगंज और शाहबाद सहरिया क्षेत्र हैं लेकिन इनके साथ 3 विधान सभा क्षेत्र चाहे बारां की बात करें, अटरू की बात करें, अंता या छबड़ा की बात करें, वहां भी सहरिया निवास करते हैं लेकिन उनको वे सुविधाएं नहीं मिलती थीं। मैं बारां जिले के सहरियाओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि किशनगंज, शाहबाद के साथ बारां जिले में निवास करने वाले सम्पूर्ण

(श्री पानाचन्द)

सहरियाओं को टी डी एस के माध्यम से जितनी सुविधाएं उन सहरियाओं को मिलती थीं वे उन लोगों को भी दीं।

हर जिला मुख्यालय पर हवाई पट्टी के निर्माण का काम किया और उसमें बारां जिले का भी नाम लिया, इसके लिये जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, बातें करना अलग चीज होती है लेकिन उसकी क्रियान्विति बहुत बड़ी बात होती है। राजस्थान में एक हजार बसों का क्रय किया जायेगा। जो पंचायत मुख्यालय हैं, गांव में हिन्दुस्तान का व्यक्ति निवास करता है, हिन्दुस्तान का हृदय निवास करता है और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत मुख्यालय को रोडवेज की बस से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिये यातायात मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

कोटा में IIIT की बात करें, राजस्थान में पहली होगी और यह हाड़ौती के लिये बहुत बड़ी एक सौगात है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने उस टाइम पर नारा दिया था, क्योंकि इनकी सोच बहुत लम्बी है, ये जानते हैं कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा। 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ' उसी की परिणति है कि राजस्थान में पुन: मुख्य मंत्री बने। उन हालातों को ध्यान में रखते हुए आज इन्होंने जल नीति बनायी, आने वाली पीढ़ी को आपने एक सौगात दी है, तोहफा दिया है। आपका नाम वे याद रखेंगे कि आपने नीति बनायी और उसी की परिणति होगी कि उन लोगों को भी जल मिल सकेगा।

चाहे कोटा की बात करें, बारां की बात करें, झालावाड़ की बात करें, डूंगरपुर-बांसवाड़ा की बात करें, राजसमन्द की बात करें, पाली या सिरोही की बात करें, आज जिस प्रकार से आपने पूरे राजस्थान का सर्वे कराकर जहां-जहां पानी की किल्लत है, वहां पर पेयजल चाहे टैंकर के माध्यम से पहुंचाने की बात करें या जल स्रोत विकसित करने की बात करें, आपने योजना बनायी है।

मैं चिकित्सा मंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। चाहे चिकित्सकों की भर्ती की बात करें, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की बात करें, कम्पाउंडर की भर्ती की बात करें, सी एच सी क्रमोन्नत करने की बात करें, पी एच सी खोलने की बात करें, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मैं

(श्री पानाचन्द)

जिस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व 20 साल से हो रहा था। दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र की जनता का कि 40 गांवों के बीच में जहां पर 35 किलोमीटर तक आस-पास कोई सी एच सी, पी एच सी नहीं है, वहां आप एक पी एच सी खोल दें तो इन 40 गांवों की जनता आपको दुआ देगी। निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात पर गौर करेंगे।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पिछली बार दसवीं तक की बालिकाओं को साइकिल दी जाती थी और वह भी 300 रुपये में। राजस्थान की उन बालिकाओं की भावना को ध्यान में रखा आपने कि जो बालिकाएं अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, उनको आने-जाने में परेशानी होती है। आपने उनको जो सौ रुपये मात्र में साइकिल देने का वादा किया, बीड़ा उठाया, यह बहुत बड़ी देन है। अगर कोई बालिका साइकिल नहीं लेना चाहती है तो उसके बदले उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर देने की जो व्यवस्था की है, वह अपने आप में बहुत बड़ी देन है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अपना घर छोड़कर चाहे गांव के स्कूल में जाता हो, शहर के स्कूल में जाता हो, अगर उसके साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, उस बालक पर उस परिवार की आशाएं होती हैं, उस बालक पर उस परिवार की आकाक्षाएं होती हैं, उस बालक से उस परिवार का सपना होता है, अगर बाई-चांस उसकी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाये तो आपने बीमा बढ़ाकर चाहे वह कक्षा 1 से 8 की बात हो, चाहे कक्षा 1 से 12 तक की बात हो, उसको एकमुश्त एक लाख रुपये जो किया है, उसके लिए राजस्थान का हर बालक आपको दुआ देगा, बधाई देगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने एस.टी., एस.सी., माइनोरिटी की बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया, आज राजस्थान की एस.टी., एस.सी. की बस्तियों में चाहे नलकूप खोदने की बात हो, चाहे सिंगल फेज लगाने की बात हो या टैंकरों के माध्यम से जिस प्रकार से हजारों ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, वह अपने आप में बहुत बड़ी देन है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने बारां जिले के सहरियाओं की भावनाओं को ध्यान में

(श्री पानाचन्द)

रखा, क्योंकि सहरिया वह जाति है जिसका जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। आपने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सौ दिन काम पूरे करने के बाद यदि कोई सहरिया काम फिर भी मांगता है तो आपने इस बजट में यह घोषणा की है कि वह सहरिया जितना काम मांगेंगे उतना काम हम देंगे। मैं बारां जिले के सहरियाओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने करों में कटौती की, उससे राजस्थान के चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे किसान हों, चाहे उद्योगपति हों, आपके द्वारा दी गयी हर राहत का वे स्वागत कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष यहां विराजमान नहीं है, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से बजट जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया, आप लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए लेकिन आप यहां आलोचना करने के लिए भी विराजमान नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे धार्मिक सड़कों को जोड़ने की बात करें, उससे राजस्थान में कांग्रेस की रीति और नीति स्पष्ट होती है। कांग्रेस की रीति और नीति जब कांग्रेस की स्थापना की गयी थी, कांग्रेस का गजट बना था, कांग्रेस का संविधान बना था, उसमें सब धर्मों की बात और सभी प्रदेश और सारी भाषाओं को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया था। हमें आपकी तरह की रीति और नीति की बात नहीं आती है। आपकी जो रीति है वह सिद्वांतहीन राजनीति है; आपकी जो संपत्ति है वह श्रमहीन संपत्ति है; आपका जो भोग-विलास है वह विवेकहीन भोग विलास है; आपका जो चरित्र है, आपकी जो शिक्षा है, वह चरित्रहीन शिक्षा और आपका व्यापार भी चरित्रहीन और आपकी विद्वता महानता-विहीन और आपकी पूजा त्यागहीन है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस प्रकार से मुख्य मंत्री की मंत्री पूजा करते थे, आज मैं राजस्थान के उस लाल को, उस गौरव को बधाई देना चाहूंगा जिसको राजस्थान की जनता ने राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की गति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया। आज उसी की परिणति है कि राजस्थान की जनता के लिए आज चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करें या आम जनता की सुरक्षा की

(श्री पानाचन्द)

बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करें, हर युवा को रोजगार देने की बात करें, हर खेत को पानी देने की बात करें, हर किसान को राहत देने की बात करें, वह इस बजट में दी गयी है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपके शासन में राजस्थान में आज खुशहाली है, राजस्थान में आज शांति है, आज राजस्थान की जनता महसूस कर रही है कि हमने जिस मुख्य मंत्री को राजस्थान के विकास की बागडोर सौंपी, वह वास्तव में एक गांधीवादी है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा हौसला बुलंद किया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात बोलना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पांच मिनट, आपके क्षेत्र की जनता को पता चलेगा तो क्या होगा?

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): वहां भी इतना ही बोलता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2011-12 का जो बजट प्रस्तुत किया है, यह निश्चित रूप से आम आदमी को लाभान्वित करने वाला बजट है। हर उस वर्ग को इससे लाभ मिलेगा जिसको इससे अपेक्षा थी। मैं मानता हूं और यह तय है कि यह बजट कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता की रीति, नीति और इंटीग्रिटी को दर्शाने वाला है।

सभापति महोदय, बजट में जिस प्रकार से वैट में, करों में जो छूट दी गयी, इससे आम इस्तेमाल होने वाली चीजों के भाव कम होंगे, हर उस मजदूर, गरीब को खाने का सामान सस्ता मिलेगा। उसके घर में उसकी मजदूरी का जो लाभ है, वह उसके परिवार को मिलेगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चाहे वह सड़कों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विकास से जुड़े हुए मामले हों, सब में दिल खोलकर के बजट में प्रावधान किया है। अभी बजट की प्रतिक्रिया में हमारे विपक्ष के साथी जो आज यहां नहीं विराज रहे हैं, चुनाव में अभी तीन साल बाकी हैं, लेकिन इसको चुनावी बजट कहना उनकी घबराहट को दर्शाता है। अभी माननीय सदस्य

(श्री संतोष कुमार सहारण)

फरमा रहे थे कि जब चुनाव का बजट आयेगा तो आपको चक्कर आने लग जायेंगे सुनकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार की यह मंशा है कि सरकार आम आदमी को लगातार उसकी बहबूदी में, उसके विकास में जितना भी योगदान दे सके, वह दे।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधायकों को सात-सात करोड़ रुपये दो साल के अन्दर सड़कों में प्रावधान किया है, वह बहुत काबिले-तारीफ काम है। बहुत सी स्कीमें हम पी.डब्ल्यू.डी. के मार्फत नहीं करवा पाते हैं। स्कीमें बनने में, प्रोजेक्ट बनने में, प्रपोजल बनने में समय लग जाता है। सड़कों की रिपेयर जिनको कई साल हो गये, गांव में सभी सदस्य जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या हालत है उन सड़कों की जो पुरानी बनी हुई हैं। उस वक्त की, आठ-आठ, दस-दस साल की पुरानी सड़कें हैं, उनमें खड्डे हैं। साइकिलों पर चलने वाले लोगों को, छोटे-छोटे साधनों पर चलने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उनकी मरम्मत के लिए जो पैसा दिया गया है, वह वाकई में गांव और ढाणियों में आम आदमी तक पहुंचने की जो बात है, उससे इसमें राहत मिलेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, पावर जनरेशन के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, वे सारी इस बजट के अन्दर हैं। मैं आंकड़ों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं हमारे पंचायत राज मंत्रीजी से कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके की जो ढाणियां हैं, पूरे राजस्थान में भी लोग गांव और ढाणियों में रहते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत उनका विद्युतीकरण होना चाहिए। वह हो भी रहा है लेकिन जो गांव इलैक्ट्रिफाइड की लिस्ट में आ गये, वहां इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ।

के एल जी कम्पनी जिसको ठेका दे रखा है हमारी साइड में, मैं तो यह कह रहा था कि बाकी पूरे राजस्थान में काम चल रहा है, हमने विधायक कोटे से उन ढाणियों को ग्रुप में क्लब करके आठ-दस, सात-दस ढाणियों को, उनके इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए हमने पैसा दिया, हजारों, सैकड़ों ढाणियों का वहां इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ और वे इससे लाभांवित हुई लेकिन पिछले दिनों ऐसा कोई सर्कूलर निकाला है और उनको वह इंडिविजुअल मानते हैं, निश्चित तौर पर वे इंडिविजुअल ढाणियों में रहने वाले हैं लेकिन हमने उनको अकेले में नहीं

(श्री संतोष कुमार सहारण)

दिया, एक आदमी को नहीं दिया। मैं माननीय पंचायतीराज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हर ढाणी में आज 62 साल, की 60 साल की आजादी के बाद भी अगर उसमें एक चिमनी जलती है तो यह हमारे प्रजातंत्र का एक मखौल है। हमने आम आदमी को राहत देने के लिए, आम आदमी की ढाणी में बल्व जले, उसके बच्चे पढ़े लाइट के अन्दर, उनको लाभ मिले, गर्मी के अन्दर वह भी पंखा चला कर सो सके इस बात का ध्यान दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंशा किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने की नहीं है और जो सरकार की मंशा है उसी मंशा को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए थे। तो इस प्रकार का जो लैटर अधिकारियों के द्वारा, कमेटी के द्वारा जारी कर दिया गया है उसको विथड्रा करें। विधायक कोटा भी सरकार का है और सरकार की स्कीम के तहत ही इलैक्ट्रिफिकेशन होना है तो पैसा तो सरकार का ही है, ग्रुप के अन्दर दे रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं दे रहे हैं तो उसमें मेरा निवेदन था।

अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में हम सभी लोग कैम्पों में गए। आम आदमी को इन कैम्पों का खूब लाभ मिला, सरकार की भी इसमें वाहवाही हुई, काम हुए। जो नामांतरण वर्षों से अटके हुए पड़े थे, किसानों के परिवारों में भाई चारे से, बिना खर्चे के, बिना पैसा, बिना किसी बात के हाथों हाथ वे काम हो गए और उनको सनद मिल गई और उनको इन्तकाल की कॉपी मिल गई। विकलांगों का रजिस्ट्रेशन जो प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में हुआ, मैं उसको सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि मानता हूं। जो विकलांग थे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होने से निश्चित रूप से लोंग रन में हमारे जो स्टेट के प्रोजेक्ट बनेंगे, जो प्लानिंग बनेंगी उसमें उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनको लाभांवित करने के लिए हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। पेंशन फार्म भरे गए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए गए,

माननीय खाचरियावास साहब फरमा रहे थे कि यह पूरे राजस्थान में, बाकी स्टेटों में नहीं है, हमारे राजस्थान में है बुजुर्गों को पेंशन का जो राइडर है, इससे भी कई समस्याएं सामने आ रही है, जब भी जाते हैं तो पेंशन की बात करते हैं, बी पी एल सर्वे की बात करते हैं, बी पी एल जो नहीं हैं वह बी पी एल में लाने की मांग करते हैं तो जो राइडर अपने यहां है राजस्थान में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 18 साल से 25 साल का तो कर दिया उसके लिए तो वे बधाई के पात्र हैं लेकिन यह जो पंजाब और हरियाणा में नहीं है, सब

(श्री संतोष कुमार सहारण)

लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस राइडर को, पेंशन जो 60 साल से ऊपर का आदमी, औरत या विधवा, जो भी है, यदि लेना चाहती है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा प्रावधान करने की व्यवस्था करने की कोशिश करें। ऐसा कोई प्रावधान करे कि गरीब बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन मिल जाए।

बजट में तो मैंने निवेदन किया कि बजट में सारे आंकड़े उसमें है, मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र नया बना हुआ है, विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर राजस्थान रोडवेज से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लालगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा है हमारा, उप तहसील बनने वाला है, सादुलशहर से आगे हमारे हरियाणा और पंजाब पड़ता है, पंजाब के आखिरी छोर तक, जम्मू कश्मीर तक भी जा सकते हैं, उससे आगे दिल्ली भी जा सकते हैं, हरियाणा भी जा सकते हैं। उसके लिए कोई रोडवेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारी साइड से, गंगानगर साइड से हमारा कोई रोडवेज से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार से। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई रूट हैं जैसे करणपुर साइड से आते हैं, जैसे केसरीसिंहपुर से आते हैं तो जो पंचायतों के मार्फत बनी हुई सड़कें हैं, उनके बीच में होते हुए रोडवेज चलाने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसा कुछ सर्वे करवाएं ताकि लोगों को जो हमारी सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप परिवहन के साधन उपलब्ध हो सकें।

सिंचाई के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सरहिंद फीडर, राजस्थान कैनाल, आई जी एन पी कैनाल और नहरों के रिनोवेशन के लिए बहुत पैसा उपलब्ध करवाया है लेकिन सबसे बड़ी समस्या, निश्चित रूप से जब इर्रिगेशन की मांग आएगी, उसमें बात करेंगे लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारा जो पानी पंजाब के मार्फत आता है, इस बार हमारी कमेटी यहां गई थी, उसमें बी बी एम बी में हमारा एक प्रतिनिधि वहां बैठाने का तय हुआ है लेकिन पंजाब का जो कंट्रोल है, पंजाब के मार्फत जो पानी की चोरी है, पंजाब के मार्फत जो नहरें आती हैं, पंजाब के रास्ते से, जैसे हमारी गंग कैनाल है, हमारे यहां तीन सिस्टम गंगानगर और हनुमानगढ जिले में काम करते हैं- गंग कैनाल, भाखड़ा प्रोजेक्ट और आई जी एन पी, यह इनका सारा पंजाब से आता है। गंग कैनाल की जमीन, जब गंग कैनाल आयी,

(श्री संतोष कुमार सहारण)

उस वक्त महाराजा गंगासिंहजी ने पंजाब के लोगों से जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवाकर उस नहर को लाए, 1927 में जब यह नहर आई लेकिन कंट्रोल डिस्ट्रिब्यूशन का जो है वह पंजाब के पास आज भी है। इसी प्रकार से इसके तथा दूसरी नहरों के रिनोवेशन के लिए हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत जब बने तो 460 करोड़ रुपए उस वक्त दिए, और वह नई नहर बनी लेकिन पंजाब वालों ने उस नहर के अन्दर नई टेक्निक से नान- रिटर्न वाल्व जो लगाए थे, वे वाल्व तुड़वा दिए गए या किसी प्रकार से वे हट गए जिससे वह वाटर-लोगिंग जो साइड में होती थी, नहरों के जो किनारे हैं, बैंक्स हैं, वे फिर उसी प्रकार से खराब होते जा रहे हैं। इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है। मेरा निवेदन है कि पंजाब के साथ हमारी इस प्रकार की कोई रपट बैठे, कोई बात हो। हमारा इसमें इन्टरफीयर बिलकुल नहीं है सिवाय पैसे देने की बात के। वे जैसे मर्जी आए, पानी की चोरी कर लेते हैं, पानी के पम्प लगा लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं। हमारे अधिकारी वहां जाते हैं तो उनको वे लोग ज्यादा तवज्जोह नहीं देते हैं। स्टेट टाइम की जो जमीनें थीं, रेस्ट हाउस बने हुए थे, उन जमीनों को जो आज की पंजाब की मौजूदा सरकार है और यहां की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूर्व में थी, उन जमीनों को बेच कर खा गए लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि पंजाब के साथ इस प्रकार की मजबूती से कोई कार्यवाही शुरू की जाए ताकि उनके ऊपर कुछ अंकुश लग सके और किसान को पानी लगातार मिले। हमारा जो सिस्टम है वह डैमेज नहीं हो, यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार भाखड़ा का जो हमारा सिस्टम है सरहिन्द फीडर से, बात वह ही आती है कि ये चीजें उठने वाली तो मांग के समय हैं लेकिन मेरा यह बजट से जुड़ा हुआ मामला है और माननीय मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्री महोदय, सब मिलकर के यह हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जीवन-दायिनी है, इनकी बात करना मेरा धर्म बनता है। लोगों ने मुझे यहां चुनकर के भेजा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात यहां सरकार के सामने तरीके से रखने की कोशिश करूं। मेरा यह निवेदन है कि भाखड़ा नहर की हमारी वितरिकाएं हैं, मेरे क्षेत्र का जो टेल पोर्शन है, जो कच्ची नहरें हैं, उनमें आज तक टेल पर पानी पूरा नहीं पहुंचा लेकिन जो-जो नहरें पक्की हो गईं उनके टेल पर पूरा पानी है। मेरे यहां के एस जी नहर बड़ी नहर है जिसमें भाखड़ा

(श्री संतोष कुमार सहारण)

का पानी आता है, उसकी बागसर माइनर, वणवाला माइनर और के आर डब्ल्यू, इस तरह के जो हमारे इर्रिगेशन सिस्टम के नाम हैं, उन नहरों के लिए वर्ल्ड बैंक का करीब 17 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उनसे उन नहरों को पक्का करवाने में माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस प्रकार से निर्देशित करें जिससे टेल पोर्शन जो हमेशा से जब से नहरें आई हैं, पीड़ित है और भुगत रहा है, उनको उनका पूरा पानी मिले। आई जी एन पी में मुख्य मंत्रीजी ने.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आज के अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो नहरें भाखड़ा की हैं, उनको पक्का करवाने में और हमारी बात को समझते हुए पैसा वर्ल्ड बैंक का 17 करोड़ रुपये बचा हुआ सेविंग का पड़ा हुआ है। उससे उन नहरों को, टेल पोर्शन को पक्का करते हुए जो के एस जी हमारी नहर है, वह पीछे से काफी क्षतिग्रस्त है, उसको पक्का करवाया जाए।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय गृह मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि मेरा सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र और जिसकी मण्डी एक ही सादुलशहर, एक ही नगरपालिका क्षेत्र है, मैंने पिछली बार भी बात कही थी, एक जमाने में यह नशे की मण्डी के नाम से मशहूर थी एशिया के अन्दर और इण्डिया टुडे में यह लेख आया था, जब चुनाव में हमने वहां से फार्म भरा और वहां लोगों में गये तो हमने लोगों से एक बात की थी, लोगों में एक विश्वास जताया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम

(श्री संतोष कुमार सहारण)

भ्रष्टाचार-मुक्त, भयमुक्त और नशामुक्त वातावरण देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय गृह मंत्रीजी का और इस पूरे सदन का आभारी हूं कि सबके सहयोग से हमने, निश्चित तौर पर सब चीजें खतम नहीं की जा सकतीं लेकिन एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने में हम कामयाब हुए हैं जिसमें सरकार का, मुख्य मंत्रीजी का वरदहस्त हमारे साथ रहा। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

इसमें कोई दो राय नहीं, साहब, जब सुनने में बात लगे, मैं गंगानगर में रहता हूं, गंगानगर और सादुलशहर दो तहसीलें मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, सादुलशहर के अन्दर यह बात थी, स्मैक ऐसी गंदी बीमारी है, मैंने तो कभी देखा नहीं कि क्या चीज होती है यह लेकिन पंजाब से, जो हमारे बिलकुल नजदीक लगता है अबोहर, वहां से लड़कियां गाड़ियों में बैठकर के आया करती थीं, वे पीछे अपनी कुर्सियां लेकर के आतीं और वहां नहरों पर बैठकर के इस नशे का सेवन करके बाकायदा मस्त होकर के वहां से वापस पंजाब जाया करती थीं। यह सुनने में आया है। बिलकुल, लड़कियां, जो मैंने सुना है। आज के दिन, माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति है कि जब शहर के अन्दर, गांव के अन्दर जाते हैं तो पता नहीं, हमारे सामने या लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इस प्रकार से नशे में या बेचने वाली ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने आई हो। परन्तु लोग यह चर्चा करते हैं कि युवा वर्ग, पढ़ने वाले बच्चे, उनके मुंह पर जैसे हमारी देशी भाषा में चेलका बोलते हैं, वह आ गया, एक रौनक आ गई कि उनको नशे से मुक्ति मिली। कल-परसों हमें कोई कह रहा था, हमारे कोई अधिकारी बता रहे थे कि नशा आपने दूसरी तहसीलों में भेज दिया, यहां से अपना पिण्ड छुड़ा लिया। तो मैं पुनः इसके लिए इलाके के लोगों का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय गृह मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की और आज हम इस स्थिति में हैं कि वह हमारा इलाका नशामुक्त होने की तरफ अग्रसर है।

यह बात बिलकुल सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह शराब के ठेके, यह एक ऐसी चीज बन गई है कि इसका सेवन लोग अपने हिसाब से करते हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है लेकिन इसका जो एक समय निर्धारित कर दिया, इससे बहुत बड़ी सामाजिक, कानूनी पहलुओं पर मदद मिली है।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

सामाजिक और पारिवारिक पहलू पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बहनें घरों में, जिसको आदत थी वह जब तक ठेका खुला रहता तब तक उसके पास ही बैठा रहता, जो इसके एडिक्ट लोग थे, वे जब वापस घर आते रात को और उनकी क्या स्थिति परिवारों में होती थी, उससे आप सब लोग वाकिफ है। लेकिन आठ बजे का समय निश्चित करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया है जिसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आज भी वह कायम है और निश्चित तौर पर समाज में उससे एक अच्छा वातावरण बना है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय विराज रहे हैं, आपने कृषि के क्षेत्र में और पर्टिकुलरली मेरे विधान सभा क्षेत्र और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में, आपने जो पूरे राजस्थान में डिग्गियों पर अनुदान दिया है, ड्रिप सिस्टम पर जो अनुदान दिया है, इससे आपने किसान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में जो हमें दिखाई दे रहा है, पानी की जो स्थिति आने वाली है, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट पर बोल रहे थे कि ठीक है, बरसात अच्छी हुई है लेकिन बहुत से जिलों में पानी की बहुत कमी है लेकिन आपने इस क्षेत्र में अनुदान देकर के पानी की जो बचत करने का तरीका लोगों को सुझाया है और आपकी यह लगातार मंशा बनी रहती है कि किसान लेटेस्ट टेक्नोलाजी में, चाहे वह ग्रीन हाउसेज हो या खेती का दूसरा तरीका हो उसको एडाप्ट करें। मुझे एक दिन फरमा रहे थे कि आप गुजरात में जाकर के देखो 10 दिन, 15 दिन, निश्चित तौर बड़ा मन करता है और मैं मानस बना रहा हूं लेकिन इस लेटेस्ट टेक्नोलाजी को हम एडाप्ट नहीं करेंगे तो यह पानी का जो क्राइसिस है, कठिन रहेगा; खेती नाम की चीज खासकर के हमारे जैसे इलाके में जहां बारानी में फसल होने वाली जमीनें ही नहीं रहीं क्योंकि हमने उनमें यूरिया और खाद डालकर के जमीन को इतना पक्का कर दिया है कि उसमें पानी की सेविंग के बिना, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के बिना हमारे यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता।

मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से एक निवेदन पशुपालन विभाग के लिए करना चाहूंगा। पशुधन किसान का एक बहुत बड़ा जरिया है अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए। तो पशुधन, आज के इस वातावरण में जैसे मनुष्यों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण जो दूषित

(श्री संतोष कुमार सहारण)

हो रहा है उसका असर पशुओं पर भी पड़ रहा है और उनको भी मेडिकल ऐड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार इन्सान को आवश्यकता है, उसी प्रकार इन पशुओं को भी बहुत ज्यादा मेडिकल ऐड की आवश्यकता है। इसलिए आप इस प्रकार से कोई और बजट में बढ़ोतरी करें। सब-सेंटर, हास्पिटल, वेटेरिनरी हास्पिटल आप बनवाने में योगदान करें। आप माननीय मुख्य मंत्रीजी से, अपने विभाग से बात करके कोई ऐसा रास्ता बनायें कि किसान को उसके अन्दर जो उसका पशुधन है, आज के इस दूषित वातावरण में बहुत तरह की बीमारियां हैं, चारा जो है, हरा चारा, बिलकुल उसके अन्दर यूरिया हम डालते हैं,

(समय : 17.00 बजे)

तो जैसे इंसान का पेट खराब होता है, उसी तरह से पशुधन का भी पेट खराब होता है। उसकी नई जो बढ़ोतरी है, उसका क्या कहना चाहिए मुझे, उसमें इसकी जो प्रेग्नेंसी है वह स्टे नहीं कर पाती, उसके अन्दर इतनी भारी गड़बड़ हो जाती है। मोटी बात बता रहा हूं आपको देशी भाषा में। उसके अन्दर उसके इलाज के लिए डाक्टरों की हमें कोई बहुत नजदीक से ऐसी व्यवस्था हो तो माननीय कृषि मंत्री महोदय ध्यान दें इस मामले में।

मैं फिर नहर पर वापस आता हूं, साहब। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था हमारा, गंग कैनाल जब बनी, मैं वापस उस पर आ रहा हूं एक सैकंड के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, ...(व्यवधान).. बंद कर दूं क्या? आप कहो तो कर दूं। हमारे गंग कैनाल जब बनी तो पंजाब से पानी लेने के लिए एक माध्यम बनाया गया था जिसको लिंक चैनल बोला गया था, आज भी वह नहर वहां मौजूद है। किसानों की जमीन एक्वायर करके और वह नहर बनाई गई थी, उसके माध्यम से गंग कैनाल का पानी आया था। अब वह नहर बन गई तो वह लिंक कैनाल, उसमें झाड़-झंकाड़ हो गया, उसमें बंद हो गई। तो मैंने ...(व्यवधान) आप पधारे थे न। तो वह नहर बंद होने और उसमें झाड़-झंकाड़, माननीय सिंचाई मंत्रीजी वहां पधारे थे तो मैंने निवेदन भी किया था कि उस नहर को उसमें झाड़-झंकाड़ हटा करके, उसके अलांग विथ द कैनाल हजारों ट्यूबवेल्स हैं, माननीय सभापति महोदय, जो उस नहर के आने से लगे थे और उनमें पानी जो है, वाटर चार्ज हुआ था और ट्यूबवेल कामयाब हुए थे लेकिन अब वह नहर बंद होने से उन ट्यूबवेल्स का पानी खारा हो गया। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था और आज भी आपके माध्यम से माननीय मुख्य

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नहर के अन्दर करोड़-दो करोड़ रुपये, कोई लम्बा-चौड़ा खर्चा नहीं है, लगाकर इसकी साफ-सफाई करके और इसके अन्दर वक्तन-प्रवक्तन पानी प्रवाहित किया जाए और पानी हेल्ड-अप किया जाए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो यह पानी हेल्ड-अप करने से फिशरीज का वहां, फिशरीज डवलप हो जाएंगी, आम आदमी को रोजी मिलेगी और सरकार को इसमें आमदनी होगी; दूसरा सबसे बड़ा काम होगा, वे ट्यूबवेल्स हमारे रिचार्ज होंगे और वे ट्यूबवेल्स रिचार्ज होने से किसानों के खेतों में पैदावार बढ़ेगी। मैं इसको नेशनल प्रोडक्शन मानता हूं। वह नेशनल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो किसान की, देश की व हमारे प्रांत की उन्नति होगी। यह बहुत बड़ा काम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसमें निश्चित तौर पर हमें एक दो सब-डिविजन बनाने पड़ेंगे, उसकी मेंटिनेंस के लिए तो उसमें कोई प्रावधान करने का कष्ट करें ताकि हमारा यह सिस्टम पुनः चालू हो सके।

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय विराज रहे हैं। मैं स्वयं सहकारिता से जुड़ा हुआ हूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी बहुत वर्षों से का-आपरेटिव से जुड़े रहे लेकिन आज जो का-आपरेटिव की स्थिति है, माननीय मंत्री महोदय, हमारे इलाके में, मैंने आपको निवेदन भी किया है, आप इसको थोड़ा सा सख्ती से देखें। का-आपरेटिव का जो मोटो था आम किसान को लाभान्वित करना, कम ब्याज पर पैसा मुहैया करवाना, सरकार कर रही है, आप कर रहे हैं, बहुत दिल खोलकर लोगों को आप सहयोग कर रहे हैं, चुनाव भी आपने करवाये, आप उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं लेकिन जिस लेवल पर जो मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गंगानगर जिले की जो बात कर रहा हूं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर आप थोड़ा सा पर्सनली ध्यान देकर के जो करप्शन हो रहा है, जो लोग मिस-यूज कर रहे हैं इस का-आपरेटिव मूवमेंट का, इस पर आप थोड़ा ध्यान देकर उन पर अंकुश लगाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी कार्यशैली भी है, आप का-आपरेटिव से बहुत जुड़े हुए हैं बहुत लगातार आप, पिछली बार भी आप जब सहकारिता मंत्री थे अपनी बात हुई थी।

मैं पुनः इस बात का धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इन्होंने यह जो बहुत शानदार, आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया, निश्चित

(श्री संतोष कुमार सहारण)

तौर पर आम आदमी को उससे लाभ मिलेगा; चाहे वह टैक्सों में छूट है, चाहे वह और तरह की राहतें हैं, हर तरह के विकास के अन्दर यह बजट जो है, सक्सेसफुल बजट माना जाएगा। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक दिनांक 14 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.05 बजे दिनांक 14 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज अभियन्ता, जोधपुर द्वारा नियम विरुद्ध आबंटन

88. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाडा) व **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खनिज अभियंता, जोधपुर द्वारा वर्ष 2002 से जनवरी, 2011 तक गेप एरिया के रूप में कितनी स्वीकृतियां जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गेप एरिया के नाम पर स्ट्रिप आफ लेण्ड का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृतियों में सम्मिलित क्षेत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11 के अनुसार गेप परिभाषा में आते हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गलत परिभाषा के आधार पर किये गये आबंटनों तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खनि अभियन्ता, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्वारी लाइसेन्स बाउंड्री में तत्कालीन खनिज अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 2002 से आज तक गेप एरिया के रूप में स्ट्रिप आफ लेण्ड के रूप में डेलिनेटेड क्वारी क्षेत्र में 12 व खातेदारी भूमि में 3 प्रकरणों में क्षेत्र बढा कर स्वीकृत किया गया है (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) ।

(2) खनि अभियन्ता, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 12 प्रकरणों में सरकारी भूमि पर एवं 3 प्रकरणों में खातेदारी भूमि में स्ट्रिप आफ लेण्ड का आबंटन किया गया है (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है) ।

(3) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 11 में खननपटटों में गेप एरिया स्वीक़त करने का प्रावधान है । नियम 11 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर है । उक्त नियम क्वारी लाइसेन्स पर लागू नहीं है।

(4) गलत आबंटन करने के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची व प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 18 फरवरी, 2011

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में आवास आबंटन के लम्बित प्रकरण

19. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2005 से 2010 के मध्य जयपुर शहर में कितने मकान किन-किन कालोनियों में बनाये गये और कितने मकान किन लोगों को आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवासन मण्डल द्वारा मकान किस-किस वर्ग/लोगों को किस प्रक्रिया से आबंटित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में आवासन मण्डल के पास कितने लोगों के आवेदन कितने-कितने समय से विचाराधीन हैं तथा उन्हें कितने समय में मकान उपलब्ध करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2005 से 2010 के मध्य जयपुर शहर में विभिन्न कालोनियों में बनाये गये मकान एवं आबंटित किये गये मकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकृत आवेदकों को मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के विनियम 5 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवास आबंटन किया जाता है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आवासन मण्डल में वर्ष 1973 से 2010 तक मण्डल की पंजीकरण योजनाओं में आवेदित आवेदकों के वर्तमान में प्रदेशभर में 22862 आवेदन लम्बित हैं। जिसका आयवर्गानुसार विवरण निम्नानुसार है :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	7329
अल्प आयवर्ग	7659
मध्यम आय वर्ग-अ	3122
मध्यम आयवर्ग-ब	2868
उच्च आय वर्ग	1884
कुल योग	**22862**

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इन प्रतीक्षारत आवेदकों की वर्षवार वरीयता का निर्धारण किया हुआ है। संबंधित शहर/कस्बा में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध होने तथा अन्य कमियों को दूर करने पर ही आवास उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

उपरोक्त प्रतीक्षारत आवेदकों में से उदाहरणस्वरूप 8659 जयपुर शहर की विभिन्न आवासीय योजनाओं के हैं, जिनका योजनावार विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	आवासीय योजना का नाम	सामान्य पंजीकरण	विशिष्ट पंजीकरण	स्ववित्त पोषित पंजीकरण	कुल
1.	मानसरोवर	997	38	89	1124
2.	प्रतापनगर, सांगानेर	544	4455	80	5079
3.	इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा	1355	827	274	2456
	योग	**2896**	**5320**	**443**	**8659**

परिशिष्ट-1

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2005 से 2010 के मध्य जयपुर शहर में विभिन्न आय वर्गों के 8845 मकान मानसरोवर, प्रताप नगर, सांगानेर एवं इन्दिरा गांधी नगर योजना में बनाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	कालोनी/ योजना का नाम	आय वर्ग	वर्ष 2005 से 2010 के मध्य बनाये गये आवासों की संख्या	निर्माणाधीन में से आबंटित आवास	कुल आबंटित आवास
1.	मानसरोवर	1. मध्यम आय वर्ग 'अ'	15		12
		2. मध्यम आय वर्ग 'ब'	446		231
		3. उच्च आय वर्ग	85		79
			546		322

क्र. सं.	कालोनी/ योजना का नाम	आय वर्ग	वर्ष 2005 से 2010 के मध्य बनाये गये आवासों की संख्या	निर्माणाधीन में से आवंटित आवास	कुल आबंटित आवास
2.	प्रताप नगर, सांगानेर	1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1487		1082
		2. अल्प आय वर्ग	1402		1364
		3. मध्यम आय वर्ग 'अ'	687	357	1044
		4. मध्यम आय वर्ग 'ब'	488	183	671
		5. उच्च आय वर्ग	902	59	961
			4966	**599**	**5122**
3.	इन्दिरा गांधी नगर	1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	753		477
		2. अल्प आय वर्ग	612		465
		3. मध्यम आय वर्ग 'अ'	770		761
		4. मध्यम आय वर्ग 'अ'	714		239
		5. उच्च आय वर्ग	534	82	616
			3383	**82**	**2558**
		कुल योग	**8895**	**681**	**8002**

परिशिष्ट-2

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों का आबंटन समाज के हर वर्ग के लोगों को मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के नियम 5 के तहत समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। वर्तमान प्रक्रियानुसार भूमि उपलब्धता के अनुरूप आवासों के नियोजन को दृष्टगित रखते हुए निश्चित अवधि के लिए पंजीकरण योजना प्रारम्भ की जाती है। मण्डल की योजनाओं में निम्नलिखित आय वर्ग के अनुसार आवासों के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं :-

क्र.सं.	आय वर्ग	परिवर्तित वार्षिक आय सीमा
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	60,000/- तक
2.	अल्प आय वर्ग	60,001 से 1,50,000/- तक
3.	मध्यम आय वर्ग-अ	15,00,001 से 2,40,000/- तक
4.	मध्यम आय वर्ग-ब	2,40,001 से 36,000/- तक
5.	उच्च आय वर्ग	3,60,001 एवं अधिक

आवासन मण्डल द्वारा 45 प्रतिशत आवास नकद भुगतान पद्धति पर तथा 55 प्रतिशत आवास किराया क्रय पद्धति पर आबंटित किये जाते हैं। वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के आवेदकों के लिए आवास आबंटन में निम्नानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है :-

क्र.सं.	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा
1.	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्रीय एवं गैर सरकारी तथा प्राइवेट सैक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी) वैतनिक श्रेणी-तृतीय (मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक)	29 प्रतिशत 10 प्रतिशत 1 प्रतिशत
2.	अवैतनिक श्रेणी-प्रथम अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (एडवोकेट, चार्टेट एकाउन्टेंट एवं प्राइवेट डाक्टर्स) केवल प्रोफेशनल्स	27.25 प्रतिशत 5 प्रतिशत
3.	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	3 प्रतिशत
4.	अनुसूचित जाति	8 प्रतिशत
5.	अनुसूचित जन जाति	6 प्रतिशत
6.	विधायक/सांसद/पत्रकार	2.5 प्रतिशत
7.	स्वतंत्रता सेनानी	1 प्रतिशत
8.	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत
9.	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत
10.	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक	0.75 प्रतिशत
11.	एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.5 प्रतिशत
	योग	**100 प्रतिशत**

आवेदन प्राप्त होने पर इनकी वरीयता लाटरी द्वारा निर्धारित की जाती है। वरीयता निर्धारण के पश्चात आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया जाकर आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि का मांग पत्र जारी किया जाता है। पूर्वग्रहण राशि

जमा होने के पश्चात लाटरी द्वारा उपलब्ध आवासों का आबंटन किया जाता है। आवास पूर्ण होने पर आवास का आबंटन पत्र नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति पर जारी किया जाकर आवास की पूर्ण राशि/आंशिक राशि आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः तीन व एक माह में जमा कराने हेतु आवेदक को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जाता है। आवेदक द्वारा आबंटन पत्र के अनुसार मांग राशि जमा करा देने के पश्चात आवास का भौतिक कब्जा दे दिया जाता है।

प्रदेश में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की पालना

89. श्री रोहिताश कुमार (बानूसर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में लागू हो चुका है? यदि हां, तो किस शिक्षा सत्र से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग, असुविधाग्रस्त समुह के बच्चों के प्रवेश का प्रावधान है? यदि हां, तो शिक्षा सत्र 2010-11 में कितने कमजोर, असुविधाग्रस्त विद्यार्थियों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 में किसी भी विद्यालय में बालकों का प्रवेश बालक या उसके माता-पिता अथवा साक्षर को किसी जांच प्रक्रिया अथवा टेस्ट के अधीन है? यदि हां, तो क्या इस नियम की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त अधिनियम में विद्यालय के लिये मानदण्ड और मानक की पालना राज्य के समस्त विद्यालयों द्वारा की जा रही है? क्या यह भी सही है कि अधिनियम में वर्णित मानकों की पालना नहीं करने पर विद्यालय को मान्यता नहीं दी जा सकती?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से बिना मान्यता लिये विद्यालय संचालन अवैध है? यदि हां, तो राज्य में मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने-कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है।

(2) जी हां। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि समस्त गैर-सरकारी विद्यालय, चाहे वह अनुदानित हो या गैर-अनुदानित हों, पहली कक्षा में दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रवेश देंगे।

शिक्षा सत्र 2010-11 में 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया गया था क्योंकि शिक्षा सत्र 2010-11 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम नहीं बने थे।

(3) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई कैपीटेशन फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा सरंक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।

शिक्षा सत्र 2010-11 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम नहीं बने थे। अत: शिक्षा सत्र 2010-11 की प्रवेश प्रक्रिया में धारा 13 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु नियम बनाने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 'राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011' को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जायेगा।

(4) नये विद्यालयों की स्थापना के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि किसी भी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जायेगा या मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक वह उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय निर्धारित मान और मानकों को पूरा नहीं करता है वहां वह विद्यालय इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के कदम उठायेगा।

(शिक्षा मंत्री)

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि जहां कोई विद्यालय उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे विद्यालय को प्रदत्त मान्यता को उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित प्रक्रिया से वापिस ले लेगा।

धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार कोई भी विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापिस लेने की तारीख से कार्य जारी नहीं रखेगा।

उक्त अधिनियम में निर्धारित मान और मानकों को पूरा करने हेतु विद्यालयों को जो तीन वर्ष की अवधि प्रदान की गई हैं वह 31 मार्च, 2013 में समाप्त होगी।

(5) नये विद्यालयों की स्थापना के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई भी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित विद्यालयों द्वारा यदि इस अधिनियम की प्रारम्भ की तारीख के तीन वर्ष की अवधि से भीतर निर्धारित मान और मानकों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे विद्यालयों को प्रदत्त मान्यता को वापिस लिया जा सकता है।

उक्त अधिनियम में निर्धारित मान और मानकों को पूरा करने हेतु विद्यालयों को जो तीन वर्ष की अवधि प्रदान की गयी है वह 31 मार्च, 2013 में समाप्त होगी।

वर्तमान में राज्य में 25050 उच्च प्राथमिक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। गैर मान्यता प्राप्त कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है।

प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के संचालन हेतु पूर्व में मान्यता लिये जाने की अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन 4365 प्राथमिक विद्यालयों ने मान्यता प्राप्त की थी। मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक स्तर के विद्यालयों हेतु पूर्व में मान्यता लिये जाने की अनिवार्यता नहीं होने के कारण विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी संकलित नहीं की जाती थी। अब गैर मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों की सूचना संकलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या का विवरण

जिले का नाम	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
चूरू	122	885
बीकानेर	158	730
झुंझुनूं	38	1353
श्रीगंगानगर	107	817
हनुमानगढ़	30	990
जोधपुर	174	1046
पाली	186	731
जैसलमेर	51	120
जालौर	220	453
बाड़मेर	47	374
सिरोही	80	188
जयपुर	151	3080
दौसा	44	738
अलवर	72	2047
सीकर	53	1745
अजमेर	292	728
टोंक	111	536
भीलवाड़ा	149	464
नागौर	229	1355
भरतपुर	208	1268
धौलपुर	29	504

जिले का नाम	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
सवाईमाधोपुर	225	615
करौली	101	461
उदयपुर	225	514
बांसवाड़ा	133	263
डूंगरपुर	155	186
चित्तौड़गढ़	265	451
राजसमंद	192	175
कोटा	167	892
बूंदी	148	409
बारां	65	489
झालावाड़	54	362
प्रतापगढ़	84	81
महायोग	**4365**	**25050**

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 23 फरवरी, 2011

जयपुर शहर में जल पुनर्भरण संरचना की क्रियान्विति

40. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के दोनों विकास प्राधिकरणों के अधिनियमों में नवीन धारा क्रमश: 37-ब व 38-क तथा नगर सुधार न्यास अधिनियम में नवीन धारा 73-सी जोड़कर एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में धारा 238 को संशोधित कर 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड के प्रत्येक भवन में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। जल संग्रहण प्रणाली सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी। उक्त संबंध में जारी किये गए अधिनियमों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 15.09.2010 से पूरे प्रदेश के साथ जयपुर शहर में उपरोक्त संशोधन प्रभावी है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में धारा 37-क को जोड़ने तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 238 को संशोधित करने के पश्चात वर्षा जल पुनर्भरण सरंचना स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर में दुकानों के आबंटन हेतु प्रक्रिया

90. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर धान मण्डी प्रांगणों में रिक्त गोदाम व दुकानों का आबंटन करते समय डी.एल.सी. की दर के हिसाब से राशि जमा करवाने संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) में दुकानों के आबंटन के लिए डी.एल.सी. दर निर्धारण के बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर में कुल कितनी दुकानों का आबंटन होना है तथा इस हेतु कितने फार्म जमा हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आबंटन नीति 2005 अचल सम्पत्ति के तहत फुटकर दुकानदारों एवं व्यापारी वर्ग को कितनी-कितनी दुकानों का आबंटन किया जाएगा? क्या इसमें महिलाओं व कृषि स्नातकों के लिए आरक्षण निर्धारित होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डी प्रागणों में परिसम्पत्तियों का आबंटन अचल सम्पति आबंटन नीति 2005 के अनुरूप किया जाता है, जो पूरे राज्य के लिए प्रभावी है। रिक्त गोदाम व दुकानों के आबंटन हेतु उक्त नीति के बिन्दु संख्या 7(2) में दिनांक 24.1.2011 को परिवर्तन किया गया है, जो परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) श्रीगंगानगर में दुकानों के आबंटन के लिए डी.एल.सी. दर निर्धारण हेतु कोई पृथक नीति निर्धारित नहीं है। इस मण्डी में भी आबंटन हेतु उक्त नीति के अनुसार ही डी.एल.सी. दर प्रभावी होगी।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर में आबंटन होने वाली दुकानों एवं प्राप्त आवेदन का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(4) फुटकर दुकानों एवं व्यापारियों हेतु प्रस्तावित आबंटन का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है। आबंटन नीति के अनुसार व्यापारियों को आवंटन हेतु कुल उपलब्ध दुकानों में 20 प्रतिशत आरक्षण महिला कृषकों का होगा तथा फुटकर दुकानों में दो दुकान कृषि स्नातकों के लिए आरक्षित रहेगी ।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.4(12)कृषि/ग्रुप-2/2000 लूज जयपुर दिनांक 24 जून, 2011

निदेशक

कृषि विपणन विभाग,

राज. जयपुर।

विषय :- द्वितीय एवं पश्चावर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्ड या दुकानों के आवंटन हेतु आरक्षित आवंटन दर के निर्धारण के लिये डी.एल.सी. की प्रतिशत राशि के क्रम में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक प.5(74)निकृवि/आबंटन/श्रीगंगानगर/ 35704 दिनांक 20.10.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र में प्रस्तावानुसार अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 के बिन्दु संख्या 7(2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

बिन्दु संख्या	विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7(2)	आबंटन की दर डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी, परन्तु यह दर निकटतम क्षेत्र की रीको दर से कम नहीं होगी।	आबंटन की दर डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी, परन्तु यह दर निकटतम क्षेत्र की रीको दर से कम नहीं होगी। परन्तु जिन मण्डियों हेतु पृथक से डी.एल.सी. दर निर्धारित हो गई है, तो उसी डी.एल.सी. दर (100 प्रतिशत) को ही द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आबंटन का आधार रखा जावेगा।

भवदीय

ह./-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-ब

श्रीगंगानगर मंडी में आबंटन हेतु उपलब्ध दुकानों एवं इनके आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम मंडी समिति	प्रांगण की वर्तमान डी.एल.सी. दर जिस पर आबंटन प्रस्तावित है	उपलब्ध दुकानों की संख्या			आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			वि. विवरण
			कृषक	व्यापारी	फुटकर		कृषक	व्यापारी	फुटकर	
1.	श्रीगंगागनर (अ) गौण मण्डी प्रांगण लालगढ़ जाटान	4400 रु. प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत (निकटतम क्षेत्र की डी.एल.सी. दर)	1	4	-	21.1.11	13	3		आबंटन समिति द्वारा बैठक दिनांक 28.2.11 में इन आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है।
2.	श्रीगंगानगर (फल सब्जी)	4600 रु. (दुकान) व 2300 रु. (पिड व गोदाम) प्रति वर्ग मीटर का 100 प्रतिशत (नई अनाम मंडी प्रांगण की डी.एल.सी. दर)	6	24	10	21.12.10	329	90	914	प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जारी

बाला किला अलवर का जीर्णोद्धार प्रकरण

91. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के बाला किले के जीर्णोद्धार हेतु बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना एवं किस मद में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किला राष्ट्रीय स्मारक घोषित है? यदि हां, तो इस बाबत जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उक्त किले को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से बाहर करने की योजना बना रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त किले का जीर्णोद्धार कार्य किस कम्पनी को दिया गया है तथा किये जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच किये जाने की क्या व्यवस्था है? क्या कार्य मानदण्डों के अनुरूप हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाला किला, अलवर में संरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए विगत तीन वर्षों में निम्न योजनाओं में बजट स्वीकृत किया गया है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	राज्य आयोजना मद	7.50 लाख
2.	बारहवां वित्त आयोग	10.00 लाख यह स्वीकृति बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2008-09 में स्वीकृत राशि रुपये 445.30 लाख में सम्मिलित है।
3.	टयूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना	395.20 लाख

(पुरातत्व मंत्री)

(2) जी नहीं। बाला किला, अलवर, राज्य सरकार का संरक्षित स्मारक घोषित है । अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) विभाग द्वारा बाला किला, अलवर में निम्न फर्मों द्वारा संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये गये हैं-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	फर्म का नाम	योजना का नाम	भुगतान की गई राशि				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (फरवरी, 2011 तक)	कुल
1.	सिंघल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, करौली	आयोजना	7.69	-	-	-	7.69
2.	सिंघल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, करौली	बारहवां वित्त आयोग	-	11.54	-	-	11.54
3.	मै. हरी प्रसाद शर्मा, भरतपुर	टयूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना	-	10.77	108.26	21.82	140.85
4.	मै, रघुनाथ लाल ताराचन्द, जयपुर	टयूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना	-	-	-	49.27	49.27
5.	मै. राज इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर	टयूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना	-	-	9.68	25.83	35.51

विभाग के अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन के दौरान कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है ।

परिशिष्ट-अ

	राजस्थान राज-पत्र असाधारण साधिकार प्रकाशित	R.N.I. No. RAJ BIL/2000/1717 POSTAL REGD No. J.P.C./3588/02/03-05 **RAJASTHAN GAZETTE** Extraordinary
	श्रावण 8, बुधवार, शाके 1930-जुलाई 30, 2008 Sravana 8, Wednesday, Saka 1930-July 30, 2008	

भाग 1 (ब)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 26, 2008

संख्या एफ 5 (48) क.सं./07:- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5 (48) क. सं. 07/दिनांक 30-11-07 जो राजस्थान के असाधारण अंक में दिनांक 4 दिसम्बर 2007 के भाग 1 (ख) पृष्ठ 669 में प्रकाशित हुई के द्वारा निम्न अनुसूची में भवन व उससे संलग्न संरचनाओं को रक्षित स्मारक घोषित करने के आदेश की सूचना जैसा कि राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित है। उक्त भवन व उससे संलग्न संरचनाओं में हित रखने वाले व्यक्तियों को उक्त अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने से दो माह के अन्दर आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा सुनिश्चित की गई थी।

उक्त अधिसूचना 4 दिसम्बर, 2007 के संबंध में प्रकाशन के दो माह की अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है।

अत: अब राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट भवन व संरचनाओं को उक्त अधिनियम के तात्पर्य एवं प्रयोजनार्थ रक्षित स्मारक होना घोषित करती है :-

अनुसूची

क्र. सं.	स्मारक/वस्तु/ स्थान का नाम	तहसील	जिला	महत्व
1	2	3	4	5
1.	बाला किला, अलवर खसरा नं. 181	अलवर	अलवर	अरावली पर्वत की ऊंची पहाडी पर स्थित अलवर का ''बाला किला'' ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस किले का निर्माण सन 1049 ई. में आमेर नरेश कांकिल के द्वितीय पुत्र अलघुराय ने कराया था।

एस. अहमद

प्रमुख शासन सचिव।

निगम बस स्टैण्ड सवाईमाधोपुर से वाह्न संचालन

92. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर) : क्या यातायात एवं परिवह्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सवाईमाधोपुर स्थित डिपो बस स्टैण्ड से वाह्नों का संचालन करने का निर्णय दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त डिपो का संचालन कर हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त बस स्टैण्ड से पूर्ण रूप से वाह्न संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अभी सवाईमाधोपुर में डिपो की स्थापना नहीं की गई है, मात्र बस स्टैण्ड स्थापित है जहां से निगम की बसों का संचालन दिनांक 01.01.2011 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय किया गया था, परन्तु वांछित सुविधाऐं इस दिनांक से पहले ही उपलब्ध करवा दिये जाने के उपरान्त दिनांक 01.12.2010 से ही उक्त स्थान से बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) उक्त डिपो के निर्माण के लिए दिनांक 22.2.2011 को दैनिक भास्कर कोटा संस्करण में राजस्थान राज्य पथ परिवह्न निगम द्वारा निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर डिपो प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 18 फरवरी, 2011

जवाहरात व्यवसाय के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार को अभिशंसा

23. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर जवाहरात के कारोबार में तंजेनाइट की खरड़ की प्रोसेसिंग की विश्व की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस उद्योग में जयपुर शहर के करीब 40 हजार से ज्यादा कारीगर जुड़े हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि तंजानिया सरकार ने तंजेनाइट की खरड़ के निर्यात पर दिनांक 1 जनवरी, 2011 से प्रतिबन्ध लगा दिया है, जिसके कारण जयपुर शहर के हजारों कारीगरों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है?

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को तंजानिया सरकार द्वारा खरड़ के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अधिकारिक रूप से कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(3) प्राप्त जानकारी के अनुसार तंजानिया सरकार द्वारा एक ग्राम अथवा उससे अधिक वजन वाली खरड पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिसके कारण से रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा हैं।

(4) जी हॉं। दिनांक 24 फरवरी, 2011 को वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, वाणिज्य सचिव भारत सरकार तथा महानिदेशक विदेश व्यापार को पत्र लिखे गये हैं।

प्रदेश के निर्धारित मानदण्ड रहित तकनीकी महाविद्यालय

93. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजकीय, अनुदानित, गैर-अनुदानित एवं निजी इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय कितने एवं कहां-कहां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में से कितने महाविद्यालयों के पास स्वयं के भवन एवं स्वयं की जमीन मानदण्डानुसार उपलब्ध है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय/अनुदानित/गैर अनुदानित/निजी इंजिनियरिंग/तकनीक महाविद्यालयों के पास स्वयं की जमीन/भवन मानदण्डानुसार नहीं है? यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार की क्या योजना है? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में इंजीनियरिंग महाविद्यालय 122, एम.बी.ए. 135, एम.सी.ए. 38 एवं 168 पालिटेक्निक महाविद्यालय हैं। सूची परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एम.बी.ए. व एम.सी.ए. एवं पालिटेक्निक महाविद्यालयों के पास मानदण्डानुसार स्वयं के भवन एवं स्वयं की जमीन उपलब्धता की सूचना निम्नानुसार है -

संस्थान	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालय			पालिटेक्निक		
	भूमि उपलब्ध	भवन उपलब्ध	कुल महावि.	भूमि उपलब्ध	भवन उपलब्ध	कुल पालि.
राजकीय	-	-	-	32	26	32
अनुदानित/ विश्वविद्यालय के संघटक	11	11	11	01	01	01
निजी/निजी जन सहभागिता	193	191	202	26	24	135

सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एम.बी.ए. व एम.सी.ए. एवं पालिटेक्निक महाविद्यालयों के पास मानदण्डानुसार स्वयं के भवन एवं स्वयं की जमीन अनुपलब्धता की सूचना निम्नानुसार हैं-

संस्थान	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालय			पालिटेक्निक		
	भूमि उपलब्ध नहीं	भवन उपलब्ध नहीं	कुल संस्थान	भूमि उपलब्ध नहीं	भवन उपलब्ध नहीं	कुल पालि.
राजकीय	-	-	-	-	06	32
अनुदानित/ विश्वविद्यालय के संघटक	-	-	-	-	-	01
निजी/निजी जन सहभागिता	09	11	202	109	111	135

सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालय जिनके पास मानदण्डानुसार भूमि एवं भवन उपलब्ध नहीं है उनके सम्बन्ध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मानदण्डों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु 97 निजी पालिटेक्निक महाविद्यालयों को एक से तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि एवं भवन जुटाने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई है। निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत संचालित पालिटेक्निक महाविद्यालयों में 12 संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटित किया जाना है तथा 14 संस्थानों (12 संस्थान जिन्हें भूमि आबंटित नहीं हुई को सम्मिलित करते हुये) के पास भवन निर्मित नहीं है। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

(स्थगित प्रश्न)

23 फरवरी, 2011

जयपुर शहर के अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु आवासीय योजना

43. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवासीय भू-खण्ड देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में अपनाई गई चयन प्रक्रिया में अब तक कुल कितने पत्रकारों का उक्त योजना में चयन किया गया और चयन के क्या मानदण्ड रहे?

(2) पत्रकार आवासीय योजना में चयनित पत्रकारों को जयपुर शहर में भू-खण्ड कहां आबंटित किए जायेंगे? जगह का नाम एवं भू-खण्ड की दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिस्वीकृत पत्रकारों को भूखण्ड का आबंटन डिस्पोजल आफ अरबन लेण्ड रूल्स 1974 के तहत किया जाता रहा है। गत दो वर्षों में भी आबंटन हेतु चयन की प्रक्रिया उक्त नियमों के अनुसार ही हुई है। चयन के मापदण्ड वही है जो उक्त नियमों में वर्णित है। आवासीय योजनाओं में लाटरी द्वारा आवंटित किये जाने वाले कुल भूखण्डों के दो प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। गत दो वर्षों में जारी निम्नलिखित आवासीय

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजनाओं में लाटरी द्वारा आवेदन अधिस्वीकृत पत्रकारों को भूखण्डों का आबंटन किया गया है।

क्र.सं.	आवासीय योजना	योजना में आबंटित भूखण्डों की संख्या	पत्रकारों को आबंटित भूखण्ड
1.	अभिनव विहार	884	6
2.	अनुपम विहार	1540	24
3.	स्वर्ण विहार	249	5
4.	हरित विहार	828	7
5.	अमृत कुंज	1173	10
6.	निलय कुंज	436	5
	योग	**5110**	**57**

राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के संबंधित अंश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-1)

(2) जविप्रा क्षेत्राधिकार में "पिंक सिटी प्रेस एन्क्लेव" नामक योजना वर्ष 2010 में पत्रकारों को भूखण्ड आबंटित किये जाने हेतु सृजित की गई है। इस योजना में आवेदन हेतु पत्रकारों को चयनित नहीं किया गया है बल्कि भूखण्ड आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार आबंटन हेतु पात्रता की शर्त पूर्ण करने वाले पात्र आवेदक पत्रकारों को जरिये लाटरी भूखण्ड आबंटन किया जावेगा। उक्त योजना तहसील चाकसू के ग्राम उदयपुरिया में सृजित की गई है, जिसमें पत्रकारों को योजना की आरक्षित दर 3400/- रुपये प्रति व.मी. की दर की 50 प्रतिशत रु. 1700/- वर्ग मीटर दर पर कार्यवाही विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्थानों पर भी भूमि तलाश की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र (अजमेर) में बीसलपुर योजना से पेयजल आपूर्ति

94. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 में पंचायत समिति जवाजा के समस्त गांवों को पीने के पानी की योजना के लिए सरकार ने 1.49 करोड़ की

(श्री शंकर सिंह रावत)

स्वीकृति जारी की थी? क्या जलदाय विभाग ने इस कार्य को कराने के लिए सारा नक्शा मौका देखकर सर्वे भी कर लिया था? यदि हां, तो कार्य अभी तक शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीसलपुर योजना से पीने के पानी की पंचायत समिति जवाजा की स्वीकृत योजना को चालू नहीं कर इसके स्थान पर अन्य योजना बनाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त स्वीकृत योजना को तत्काल इसी सत्र में चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति, जवाजा के अन्तर्गत 199 ग्रामों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रुपये 149.30 करोड़ के प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति माह दिसम्बर, 2007 में जारी की गई थी । वित्तीय संसाधनों एवं बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार ।

बहरोड विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कें

95. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु सरकार की क्या नीति है?

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षो में कुल कितनी मिसिंग लिंक सड़कें, कहां-कहां स्वीकृत की गई व उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण आगामी वर्षों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत दो वर्षों में मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत नहीं हुई हैं।

भरतपुर जिले में कुश्ती प्रोत्साहन हेतु बजट आबंटन

96. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में भरतपुर जिले में कुश्ती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और इस हेतु कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? क्या सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर में राज्य सरकार की "डे-बोर्डिंग" (कुश्ती) योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है और इस योजना के तहत खिलाड़ियों को निम्न सुविधायें देय हैं:-

1. 500/- प्रतिमाह स्टाइफण्ड।

2. ट्रेकसूट, टीशर्ट/कास्ट्यूम, नेकर, मौजे, जूते,

नी-कैप एवं किट बैग की सुविधा।

इस हेतु रुपये 89,000/- खेल अधिकारी भरतपुर को जारी किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

उदयपुर शहर में नगरीय बस सेवा का पुनः संचालन

97. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर शहर में उदयपुर सिटी बस कम्पनी की बस सेवाएं कितने समय से बन्द हैं?

(2) क्या यह सही है कि निविदा शर्तों की पालना नहीं होने के कारण अनुबन्धकर्ता कम्पनी ने अपनी बसें सेवा से हटा ली हैं?

(3) उक्त शर्तों में कौनसी शर्तों की पालना नहीं होने का कारण बताकर नगरीय बस सेवा बंद कर दी गई है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) क्या सरकार द्वारा उदयपुर में नगरीय बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने के लिये कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हां, तो अब बस सेवा कब तक प्रारम्भ हो जायेगी?

उत्तर

(1) माह अगस्त, 2010 से बस संचालक कम्पनी यू.एन. स्पीडवेज प्रा. लि. ने बसों का संचालन बंद कर दिया है।

(2) यह सही नहीं है। बस संचालनकर्ता कम्पनी यू.एन. स्पीडवेज प्रा. लि. के साथ उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. उदयपुर का उदयपुर शहर में बस संचालन एवं बसों पर विज्ञापन प्रकाशन का अनुबंध हुआ था। बस संचालन कम्पनी को निम्न सुविधाएं प्रदान की गई :-

1. लवकुश स्टेडियम के बाहर बस खड़ी करने हेतु जगह उपलब्ध करायी गई।

2. निर्धारित मार्गों पर साइन बोर्ड लगाये गये।

बस संचालन कम्पनी को उपरोक्त सुविधाएं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप उपलब्ध कराने के अलावा बस आपरेटर की मांग को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जनहित में उच्च स्तरीय उड़न दस्ते का गठन किया एवं बसों की आकस्मिक जांच हेतु अलग से उड़न दस्ते का गठन किया गया।

इसके उपरान्त भी बस आपरेटर द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप प्रति बस, प्रतिमार्ग की राशि एवं विज्ञापन की राशि जमा नहीं करायी व अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सुरक्षा राशि की बैंक गारण्टी का दिनांक 21.06.2008 के बाद नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर इन्हें कई बार नोटिस दिये गये व कम्पनी की साधारण बैठकों में भी इन्हें निर्देश दिये गये परन्तु इनके द्वारा नोटिस के उपरान्त भी अब तक न तो राशि जमा कराई गई और न ही बैंक गारण्टी का नवीनीकरण करवाया गया है।

उक्त राशि जमा कराने एवं बैंक गारण्टी के नवीनीकरण हेतु दबाव बनाने पर बस संचालन कम्पनी ने बस शेल्टर्स एवं बस स्टाप उपलब्ध नहीं कराने का कारण बताकर बसों का संचालन माह अगस्त, 2010 से बन्द कर दिया है। जबकि बस आपरेटर द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट दिनांक 24.03.2007 को जारी करने व अनुबंध दिनांक 22.06.2007 से अगस्त, 2010 तक उपलब्ध कराये गये बस शेल्टर्स से बसों का संचालन कर रहे थे।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) बस शेल्टर्स एवं बस स्टाप उपलब्ध कराने की शर्त की पालना नहीं होने का आधार लेकर बस सेवायें बन्द कर दी हैं। जबकि अनुबंध अनुसार ऑपरेटर को पूर्व में लवकुश स्टेडियम व वर्तमान में फतेह स्कूल ग्राउण्ड व अन्य स्थल पर बस शेल्टर अर्थात पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए गए। बसें आज भी फतेह स्कूल ग्राउण्ड पर खड़ी हैं फिर भी आपरेटर द्वारा बसें संचालित नहीं की जा रही हैं।

(4) बस संचालनकर्ता यू.एन. स्पीडवेज प्रा. लि. को कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.11.2010 को दिया गया है। जिसका जवाब उनसे दिनांक 30.11.2010 को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि फिर भी बस आपरेटर द्वारा बस सेवा प्रारम्भ नहीं की जाती तो अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जाकर नये सिरे से कार्यवाही की जाएगी।

धौलपुर जिले के औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

98. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह भी सही है कि सरकार ने वर्तमान में अपनी उद्योग नीति बनाई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग नीति के अन्तर्गत सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है? यदि हां, तो कौन-कौन से व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिला धौलपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में रोजगार हेतु बहुत कम उद्योग हैं? क्या सरकार उक्त जिले में उद्योगों को बढावा देने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने राजस्थान उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2010 बनाई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में आर्थिक दृष्टि से पिछडे बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा सिरोही जिलों में नये उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री (वित्त मंत्री) द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ जिलों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आबंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज लागू करने की घोषणा की गयी है।

(4) उपरोक्तानुसार

(5) उपरोक्तानुसार

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीडूंगरगढ़ में वन भूमि पर अतिक्रमण

99. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितना-कितना वन क्षेत्र किस-किस जगह स्थित है? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त क्षेत्र की वन भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है? क्या सरकार इन भू-माफियाओं से वन भूमि खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा क्षेत्रवार कभी भूमि की पैमाइश करवाई गई है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस क्षेत्र की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के नजदीक वन विभाग का एरिया नगरपालिका क्षेत्र से लगता है? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र के लगते एरिये की संयुक्त पैमाइश करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर किस-किस भू-माफियाओं का कब्जा है और कब्जे वाली जमीन में कितने पौधे लगे हुए थे व कितने पौधों की कटाई हो चुकी है? क्या सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ विधान सभा क्षेत्र में रक्षित वन क्षेत्र 878 हैक्टेयर व अवर्गीकृत वन क्षेत्र 1222 हैक्टेयर कुल 2100 हैक्टर वन क्षेत्र है, जिसकी सूची वनखण्डवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी.एल.आई. वनखण्ड श्रीडूंगरगढ़ में 11 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें 7 प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर, 2 प्रकरण सिविल न्यायाधीश (क, ख) श्रीडूंगरगढ़ एवं 2 प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बीकानेर में विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(2) क्षेत्रवार भूमि की पैमाइश का कार्य वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा जी.एल.आई. वनखण्ड के 305 हैक्टेयर, सुनारो की जोहड़ी-ए में 572 हैक्टेयर व श्रीडूंगरगढ़ नर्सरी में 1 हैक्टेयर कुल 878 हैक्टेयर क्षेत्र का पैमाइश का कार्य करवाकर राजस्थान राजपत्र दिनांक 19.3.1983 द्वारा रक्षित वन घोषित करवाया जा चुका है। इसके अलावा अन्य वनखण्डों का संबंधित कार्यप्रभारी द्वारा भली-भांति सार-संभाल की जा रही है। इन क्षेत्रों में पैमाइश करवाने हेतु सहायक वन संरक्षक श्रीडूंगरगढ द्वारा अपने पत्रांक 4-7 दिनांक 25.2.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ को लिखा गया है।

(3) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के नजदीक जी.एल.आई. वनखण्ड का 305 हैक्टेयर, सुनारों की जोहड़ी-ए का 572 हैक्टेयर व सुनारों की जोहड़ी-बी का 399 हैक्टेयर कुल 1276 हैक्टेयर वन क्षेत्र लगता है। इन क्षेत्रों की पैमाइश करवाने हेतु सहायक वन संरक्षक श्रीडूंगरगढ़ द्वारा अपने पत्रांक 4-7 दिनांक 25.2.2011 द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ को लिखा गया है, जल्द ही संयुक्त टीम का गठन करवाकर पैमाइश का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी.एल.आई. वनखण्ड में भू राजस्व अधिनियम 1991 के तहत अतिक्रमण के 11 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसकी सूची वनखण्डवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। यह वनखण्ड ग्रासलैण्ड इम्पूवमेंट क्षेत्र है, जहां अधिकांशतया चरागाह विकास किया गया है। अतिक्रमण का क्षेत्र मात्र 0.2628 हैक्टेयर है जिसमें पेडों की कटाई की संभावना नगण्य है। इन अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1991 के तहत अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बीकानेर में प्रेषित किये गये। 9 प्रकरणों में विभाग के

(वन राज्य मंत्री)

पक्ष में निर्णय उपरान्त वर्तमान में 7 प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर, 2 प्रकरण सिविल न्यायाधीश (क, ख) श्रीडूंगरगढ़ एवं 2 प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बीकानेर में विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट-1

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रक्षित व अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की सूचना

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम रेंज	रक्षित	अवर्गीकृत	रकबा (Hac.)
1	सुनारों की जोडी (बी)	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़		399.000	399.000
2	समन्दसर	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	0	548.000	548.000
3	पुनरासर	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	0	98.000	98.000
4	झझेऊ	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	0	12.000	12.000
5	हेमासर	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	0	18.000	18.000
6	जोधासर	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	0	147.000	147.000
7	सुनारो की जोडी (ए)	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	572.000	0.000	572.000
8	जी एल आई एरिया	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	305.000	0.000	305.000
9	नर्सरी श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़	1.000	0.000	1.000
	योग श्रीडूंगरगढ़ तहसील	रेंज डूंगरगढ़		878.000	1222.000	2100.000

मण्डल वन अधिकारी

बीकानेर

परिशिष्ट-2

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर

डूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	नाम रेंज	नाम वनखण्ड	अतिक्रमी का नाम	खसरा नं.	रकबा	दर्ज प्रकरण दिनांक	निर्णित वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	सोहनलाल विश्नोई	428/15	648 वर्गफीट	13.1.04	8.8.08	न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बीकानेर द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिये जाने पर अतिक्रमियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर में अपील की गई जिसका निर्णय अतिक्रमियों के पक्ष में होने के कारण विभाग द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में सुनवाई हेतु अपील की गई है, जो विचाराधीन है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.3.2011 नियत है।
2.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	सत्यनारायण व्यास	428/15	500 वर्गफीट	”	”	”
3.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	अमराराम गोदारा	428/15	1500 वर्गफीट	”	”	”

क्र. सं.	नाम रेंज	नाम वनखण्ड	अतिक्रमी का नाम	खसरा नं.	रकबा	दर्ज प्रकरण दिनांक	निर्णित वर्ष	वर्तमान स्थिति
4.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	ओमप्रकाश/ जीवणराम	428/15	7860 वर्ग फीट	"	"	"
5.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	श्रवणराम/ रतनाराम	428/15	250 वर्गफीट	"	"	"
6.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	रामनिवास कलवानिया	428/15	500 वर्गफीट	"	"	"
7.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	लाल मोहम्मद	428/15	2952 वर्गफीट	"	"	"
8.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	देवनाथ/ लाखूनाथ	428/15	4960 वर्गफीट	"	"	सिविल न्यायाधीश (क.ख) श्रीडूंगरगढ़ में विचाराधीन है
9.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	रामदेव बोहरा	428/15	7200 वर्गफीट	"	"	"
10.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	मुनीराम	561	1692 वर्गफीट	10.12.09	-	न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बीकानेर में विचाराधीन है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.5.2011 नियत है।
11.	श्रीडूंगरगढ़	जी.एल.आई. एरिया	शोकत अली	561	864 वर्गफीट	10.12.09	-	"
			योग		28278 वर्ग फीट (0.2628 हैक्टेयर)			

मण्डल वन अधिकारी
बीकानेर

निजी एवं अनुदानित/गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण

100. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के निजी एवं अनुदानित/गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निजी एवं अनुदानित/गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमर्जी से बढ़ाई जा रही फीस एवं अन्य मदों में की जा रही वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही मनमर्जी को रोकने हेतु कोई नीति बनाने एवं ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के प्रावधानानुसार किया जाता है ।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.8(17) शिक्षा-5/2004 पार्ट 11 दिनांक 1.6.2009 द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु निर्देश जारी किए गये हैं । आदेश दिनांक 1.6.2009 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) राज्य में गैर सरकारी अनुदानित/निजी विद्यालयों द्वारा मनमर्जी से फीस वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच करवाई जाकर तदनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ।

संलग्नक

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प.8(17)/शिक्षा-5/2004 पार्ट-।।　　जयपुर, दिनांक 01.06.2009

<u>आदेश</u>

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3 सहपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 5 (i) तथा उसके अन्तर्गत परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 7 तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता (सम्बद्धता) संबंधी विनियम का अध्याय 13 के

विनियम 3 (11) एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के Byelaws के Chapter 3 व तद्‌नुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के लिए जारी राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में फीस वृद्धि के बारे में गठित कमेटी की अनुशषांओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार इस विनिश्चिय पर पहुंची है, कि राज्य में कार्यरत समस्त निजी विद्यालयों (चाहे किसी भी बोर्ड से सम्बद्धता रखते हो) द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त की जाने वाली फीस व फीस वृद्धि को विनियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः वर्ष 2009-10 के शैक्षिक सत्र के लिए निजी विद्यालयों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस में की जाने वाली वृद्धि व भविष्य में की जाने वाली अधिकतम फीस वृद्धि निम्न सारणी व शर्तों के अध्यधीन की जावेगी-

स्कूल श्रेणी	महंगाई एवं अन्य खर्चों में बढ़ोत्तरी के कारण देय प्रतिशत* वृद्धि			छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर स्टाफ को देय भुगतान के कारण फीस में वृद्धि	कुल वृद्धि
	2007-08	2008-09	2009-10		
चैरीटेबल सोसायटी एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाए	7	7	3.5	15	32.5%
शेष संस्थाए :- (अ) संभागीय मुख्यालय स्थित	6	6	3	15	30%
(ब) अन्य संस्थाएं	5	5	2.5	15	27.5%

*(वृद्धि प्रतिशत वर्ष 2007-08 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए प्रस्तावित किया है)

उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए फीस वृद्धि बाध्यकारी (Fee Hike is not Mandatory) नहीं है।

2. फीस वृद्धि का अधिकार उन्हीं संस्थाओं को होगा जिन संस्थाओं द्वारा स्थाई स्टाफ नियोजित किया हुआ है, उनका सेवाभिलेख संस्था द्वारा नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है एवं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन भुगतान शैक्षिक सत्र 2009-10 से प्रारम्भ किया जा रहा है।

3. तीन सत्रों में (2007 से 2009-10 तक) कुल वृद्धि उपरोक्त सारणी सीमा से अधिक नहीं होगी। यदि पूर्व सत्रों में वृद्धि कर ली गई है तो वह सारणी के कालम संख्या 6 में अंकित कुल वृद्धि में से कम कर दी जावेगी पर अधिकतम वृद्धि इस वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. जिन विद्यालयों में पिछले 2 वर्षो में वृद्धि नहीं की है उन्हें सारणी के कालम संख्या 2 से 5 तक में अंकित कुल अधिकतम वृद्धि का अधिकार होगा, पर इसकी अधिकतम सीमा 22 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5. जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व तीन सत्रों में की गई फीस वृद्धि की सीमा, सारणी के कालम संख्या 6 में अंकित वृद्धि से समग्र रूप से अधिक फीस वसूल की गयी हो तो अधिक वसूली गई फीस समायोजित की जायेगी।

6. राज्य सरकार द्वारा इसके बारे में मांगी जानी वाली समस्त सूचनाएं संस्था द्वारा तुरन्त उपलब्ध कराई जावेगी।

7. उपरोक्त सारणी के अनुसार फीस वृद्धि से किसी विद्यालय को कठिनाई हो तो संस्था पूर्ण औचित्य सहित राज्य सरकार को आदेश प्रसारित किये जाने के अधिकतम 1 माह में प्रतिवेदन दे सकेगी। इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा 1 माह के भीतर निर्णय लिया जाकर संबंधित संस्था को सूचित किया जावेगा।

8. अगले सत्रों में सामान्य फीस वृद्धि एक सत्र में अधिकतम सारणी के कालम संख्या 3 में दर्शायी गई वृद्धि से अधिक नहीं होगी।

9. आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक स्कालरशिप का प्रावधान किया जाना जरूरी है।

10. सभी विद्यालयों में पैरेंटस-टीचर्स एसोसियेशन को प्रभावी किया जावेगा।

11. शैक्षिक सत्र के बीच (मिड सैशन) में किसी प्रकार की फीस वृद्धि नहीं की जावेगी।

12. विकास शुल्क, वार्षिक शिक्षण शुल्क (Tution Fee) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसका उपयोग फर्नीचर, फिक्चर्स, शिक्षण सामग्री के क्रय व भवन मरम्मत व रख-रखाव आदि के लिए किया जावेगा एवं इसका अलग से रिकार्ड संधारित किया जावेगा।

13. संस्थाएं शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, निर्धारित काशन मनी एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क, खेल शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करेंगी। खेल शुल्क वे ही संस्थाऐं वसूल कर सकेंगी जो खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करा रही हों।

14. कोई भी संस्था प्रवेश के समय छात्र से पंजीयन शुल्क के रूप में 25 रुपये से अधिक चार्ज नहीं करेगी।

15. प्रवेश शुल्क 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा एवं प्रवेश शुल्क प्रथम प्रवेश के समय ही चार्ज किया जावेगा।

16. Caution money/ Security Deposit प्रत्येक छात्र 500/- रुपये चार्ज किया जावेगा एवं यह राशि किसी Scheduled Bank में विद्यालय के नाम से जमा रखी जावेगी। छात्र के विद्यालय छोड़ते समय यह राशि लौटाई जावेगी चाहे छात्र द्वारा इस हेतु आवेदन किया जावे अथवा नहीं।

17. प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उनके द्वारा प्रेषित प्रारूप में सूचना अधिकतम 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी।

18. कोई भी विद्यालय छठे वेतन आयोग के एरियर के भुगतान के आधार पर विद्यार्थियों से किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं करेगा।

आर.पी. जैन

प्रमुख शासन सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी में सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट का आबंटन

101. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी में नये शेड निर्माण एवं मण्डी प्रांगण के अन्दर सडकें एवं अन्य सुविधाओं हेतु सरकार बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. रघु शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि पर्याप्त शेड न होने के कारण इस वर्ष किसानों का अनाज खुले में पड़े होने के कारण बरसात में भीग कर खराब हो गया? यदि हां, तो भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार खराब हुये अनाज का आंकलन करवाकर संबंधित को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी से मुख्य मण्डी प्रांगण में नये प्लेटफार्म एवं इसको कवर करने के प्रस्ताव क्रमशः दिनांक 11.2.2011 एवं 25.2.11 को प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

(2) मण्डी में अधिक आवक होने पर एवं अधिक बरसात होने पर किसानों के द्वारा लाई गई उपज यदा कदा भीग जाती है। मण्डी समिति से नवीन कवर्ड प्लेटफार्म निर्माण कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही स्वीकृत पर विचार किया जा सकेगा।

(3) मण्डी समिति को किसी भी कृषक ने अपनी उपज भीग कर खराब होने से अवगत नहीं कराया है ना ही मण्डी समिति द्वारा ऐसा कोई आंकलन कराया गया है। इस हेतु मण्डी समिति द्वारा मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूरू जिले में राजीव गांधी बालिका "सबला" योजना का संचालन

102. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला चूरू में राजीव गांधी बालिका ''सबला" योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में अब कब तक यह योजना प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) पाइलेट आधार पर दस जिलों यथा-भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर को चयनित किया गया है।

(2) चूरू जिले में या अन्य जिले में योजना का विस्तार करने अथवा नहीं करने का निर्णय भारत सरकार के स्तर से ही लिया जावेगा।

परिवहन निगम में घाटे पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

103. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के अवैध संचालन, भ्रष्टाचार एवं अधिक लागत खर्च के कारण निरन्तर घाटा हो रहा है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितना-कितना घाटा हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) निगम को घाटे से उबारने एवं लाभ में लाने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से संचालित वाहनों का नियमित रूप से निरीक्षण करवाया जाता है तथा समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाकर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है । राजस्थान परिवहन निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कडी कार्यवाही की जाती है निगम में अधिक लागत खर्चें आदि का मुख्य कारण कर्मचारियों को छठे वेतन का भुगतान किया जाना, डीजल दर खर्चें आदि से निगम को निरन्तर घाटा हो रहा है । गत 5 वर्षों में निगम को हुए घाटे का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	**घाटा लाख रुपये में**
2005-06	3007.58
2006-07	1914.05
2007-08	2357.43
2008-09	18932.61
2009-10	7894.97

(2) राजस्थान परिवहन निगम के स्तर पर निगम को लाभ में लाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

निगम को हानि से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयास :-

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिये निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-

1. यात्रियों को अधिकाधिक मासिक पास सुविधा के साथ-साथ नगर वाहन सेवाओं में दैनिक पास की सुविधा उपलब्ध कराना तथा इसकी सूचना बस स्टैण्डों पर यथा स्थान प्रदर्शित करवाना।
2. विभिन्न मेलों, अवकाशों, त्यौहारों, पुलिस भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि अवसरों पर बढ़े हुये यात्रीभार के लिये निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त बसों का संचालन करना।
3. अन्तर्राज्यीय सेवाओं का संचालन करने के लिये पड़ौसी राज्यों से पारस्परिक समझौते के प्रस्ताव भेजकर करार संबंधी कार्यवाही करने के प्रयास।
4. अधिक से अधिक राजस्व बुकिंग के माध्यम से संग्रहित करने के उद्देश्य से बुकिंग घरों पर वाहनों का ठहराव सुनिश्चित करना।
5. जिन स्थानों/क्षेत्रों में निगम वाहन सेवायें संचालित नहीं हैं उन स्थानों पर वाहन संचालन कर राजस्व में वृद्धि के प्रयास तथा वाहन संचालन में अधिकाधिक सेवाओं का विस्तार करना।
6. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित अनाधिकृत वाहनों की रोकथाम के लिये संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन कर कड़े कदम उठा कर निगम की आय में वृद्धि करना।
7. सुपर लग्जरी श्रेणी की बसों को बड़ी संख्या में अनुबन्ध कर लिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है तथा नवीन व पुराने मार्गों पर लम्बी दूरी की यात्रा हेतु वोल्वो और वातानुकूलित बसों की सेवाऐं प्रदान करना तथा यात्रियों को इन बसों से आरामदायक यात्रा हेतु प्रोत्साहित करना।
8. चालक/परिचालक तथा संचालन से जुडे हुये कर्मचारियों को यात्रियों के साथ सदव्यवहार मृदुभाषी होने हेतु प्रेरित करना ताकि जनता को निगम सेवाओं के प्रति आकर्षण में वृद्धि हो सके।
9. जोनल व्यवस्था लागू की जाकर त्रि-स्तरीय वाहन चैकिंग व्यवस्था करवाई जा रही है तथा वाहनों की निरीक्षण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।

10. यात्रियों की सुविधार्थ निगम द्वारा समस्त केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर समय सारिणी तथा किराया तालिकाओं का प्रदर्शन करवाया जाना।
11. पीपीपी माडल पर बस स्टैण्डों का निर्माण कराया जाना।
12. आवश्यकतानुसार नये ठहराव स्थल घोषित करना तथा बसों का वहां पर ठहराव सुनिश्चित करना।
13. यात्रियों द्वारा सेवाओं और चालकों/परिचालकों के प्रति की गई शिकायतों का निपटारा कर यात्रियों को उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रदान करना।
14. निर्धारित समय सारिणी (समय पाबन्दी) के अनुरूप वाहनों का संचालन।
15. वर्तमान संचालित सेवाओं का जनता की मांग पर व आय वृद्धि की दृष्टि से परिवर्तन करना तथा परिचक्रों/ कि.मी. में वृद्धि करना।
16. बस एजेण्ट योजना के माध्यम से लक्ष्यबद्ध राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कर आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।
17. संभाग मुख्यालयों पर ई-टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही आधुनिक प्रणाली से टिकटें जारी किये जाने हेतु परिचालकों से ईटीएम मशीनों से टिकिट जारी करवाये जा रहे हैं।
18. परिचालकों द्वारा अर्जित आय की मानिटरिंग की जाकर आय के आधार पर डयूटियां आबंटित की जाकर आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।
19. यात्रियों को निगम वाहनों में मात्रा करने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से निगम के सभी बस स्टैण्डों पर यात्रियों को सुविधार्थ पीने का पानी, पंखे, बैठने के लिए कुर्सियां, पेशाबघरों/शौचालयों की व्यवथा की गई है।
20. जनता की यात्रा को सुखद व आरामदेह बनाने हेतु डीलक्स/वोल्वो, द्रुतगामी व रात्रिकालीन बसों में एक माह पूर्व से टिकिट आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है।
21. वाहनों की ब्रेक डाउन व दुर्घटनाओं में कमी कर यात्रियों को निर्बाध यात्रा सुलभ करवाई जा रही है।
22. समूह में पांच व पांच से अधिक महिलाओं की यात्रा करने पर 25

प्रतिशत किराये में छूट देकर महिलाओं को यात्रा सुविधा का लाभ उठाने हेतु महिला यात्रियों को प्रेरित किया जा रहा है।

23. बजट घोषणा 2009-10 अनुसार 2375 पदों के साथ-साथ अन्य 207 अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी भर्ती किया जाना प्रस्तावित है।

24. पुरानी बसों को आरसी करवाकर उप नगरीय मार्गों पर चलाया जाना।

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के जनजाति छात्रावासों की मरम्मत

104. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कितने व कहां-कहां जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास चल रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार उक्त भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? जीर्ण-शीर्ण भवनों की स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में जनजाति छात्र/छात्राओं के 15 छात्रावास चल रहे हैं। स्थानवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	वर्ग
1.	झेड	बालक
2.	मामेर	बालक
3.	बाघपुरा	बालक
4.	मादडी	बालक
5.	पानरवा	बालिका
6.	ढीमडी	बालक
7.	ओडा	बालक
8.	गोराणा	बालक
9.	फलासिया	बालिका
10.	झाडोल (फलासिया)	बालक
11.	नालवा	बालक

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	वर्ग
12.	अम्बासा	बालक
13.	अम्बासा	बालिका
14.	बिरोठी	बालिका
15.	डैया	बालक

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के बाघपुरा बालक छात्रावास भवन को छोड़कर कोई छात्रावास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है । उक्त बाघपुरा छात्रावास भवन के बजाय नवीन भवन बनाने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 100.00 लाख की प्रसारित की गयी है तथा निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है ।

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति

105. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा का भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति चम्बल नदी से करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि विगत वर्षों से लगातार कम वर्षा होने के कारण तदनुसार भू-जल पुनर्भरण की धीमी गति के फलस्वरूप क्षेत्र में भू-जल स्तर अवश्य घटा है परन्तु विधान सभा क्षेत्र, राजाखेड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद होने के कारण इस क्षेत्र हेतु चम्बल नदी पर आधारित कोई योजना बनाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कें

106. श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नवीन सड़क मार्ग निर्माण की क्या प्राथमिकतायें हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जनवरी, 2009 के बाद कितने नये सड़क निर्माण कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी)

(3) सरकार के पास वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितनी नवीन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में जनगणना 2001 पर आधारित 500 एवं अधिक आबादी की बसावटों तथा मरू एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 एवं अधिक आबादी की बसावटों को डामरीकृत नवीन सड़कों से जोड़ने एवं महानरेगा योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र के 250 से 499 आबादी के गांव एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की प्राथमिकता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जनवरी, 2009 के बाद कराये गये नवीन सड़क निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नवीन सड़कों के निर्माण हेतु विचाराधीन प्रस्ताव एवं उनका विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चयनित खेल संयोजकों की नियुक्ति

107. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2008 में ग्रामीण खेल संयोजक चयनित किये गये थे? यदि हां, तो कितने? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008-09 की बजट घोषणाओं में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 पंचायतों को शामिल करने के साथ-साथ 1500 प्रशिक्षित पी.टी.आई; को खेल प्रशिक्षक के

(खेल राज्य मंत्री)

रूप में लगाये जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा की क्रियान्विति के तहत अनुबन्ध के आधार पर 1500 पी.टी.आई. प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया वर्ष 2008 में की गई थी। जिनका जिलेवार विवरण ''परिशिष्ट क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। चिन्हित 1500 पंचायतों में खेल मैदान बनाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि इसके अन्तर्गत विद्यालयों के खेल मैदानों को विकसित न कर अलग से खेल मैदान विकसित किये जायेंगे। तदानुसार जिला कलक्टरों को चिन्हित पंचायतों में खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षण की कार्यवाही करने तथा अनुबन्ध के आधार पर 1500 खेल प्रशिक्षकों के चयन/लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

चिन्हित 1500 पंचायतों हेतु चयनित प्रशिक्षकों को लगाने से पूर्व खेल मैदानों के लिए भूमि आरक्षण की सूचना जिला कलक्टरों से प्राप्त की जा रही थी। इसी बीच केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध होने पर आगामी नौ वर्षों में देश की सभी पंचायतों में खेल मैदान तैयार किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना में खेल उपकरण उपलब्ध कराने, प्रतियोगिताएं आयोजित कराने व अंशकालीन खेल प्रशिक्षक "क्रीड़ाश्री" लगाने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन केन्द्र सरकार द्वारा सहायता स्वरूप प्राप्त होने का प्रावधान भी है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कार्यक्रम को राज्य में लागू किये जाने के निर्णय को देखते हुए चयन किये गये 1500 पीटीआई प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों को नहीं लगाया गया।

(3) जी नहीं। भारत सरकार की योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत अंशकालीन खेल प्रशिक्षक ''क्रीड़ाश्री'' लगाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-क

वर्ष 2008 में पी.टी.आई. प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों की गई चयन प्रक्रिया का जिलेवार पदों का विवरण :-

क्र.सं.	जिले का नाम	पदों की संख्या
1.	अजमेर	48
2.	अलवर	87
3.	बीकानेर	44
4.	भरतपुर	64
5.	बाड़मेर	69
6.	बूंदी	31
7.	भीलवाड़ा	56
8.	बांसवाड़ा	53
9.	बारां	28
10.	चूरू	42
11.	चित्तौड़गढ़	59
12.	धौलपुर	30
13.	दौसा	39
14.	डूंगरपुर	40
15.	गंगानगर	52
16.	हनुमानगढ़	41
17.	झुंझुनूं	42
18.	जयपुर	83
19.	झालावाड़	34
20.	जोधपुर	59
21.	जालौर	47
22.	जैसलमेर	40
23.	करौली	38
24.	कोटा	19
25.	नागौर	72
26.	पाली	37
27.	राजसमंद	32
28.	सिरोही	20
29.	सीकर	51
30.	सवाईमाधोपुर	25
31.	टोंक	34
32.	उदयपुर	84
	कुल	**1500**

अजमेर जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरण

108. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में गत दो वर्षों में चोरी, चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी, बलात्कार, लूटपाट व हत्याओं के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? थानानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये व सामान बरामद किया गया? थानानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से पुलिस ने कितने मामलों का चालान पेश किया व कितने दोषियों को सजा दिलाई गई? थानानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में गत दो वर्षों के दौरान (2009-2010) चोरी, चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी, बलात्कार, लूटपाट व हत्याओं के दर्ज मामलों की थानानुसार जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) व (3) थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु कार्य योजना

109. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में राज्य में जहरीली शराब से कुल कितनी मौतें हुई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में हरियाणा से अवैधानिक रूप से भारी मात्रा में शराब लाकर अधिकांशतः प्रतिबंधित समय में बेची जा रही हैं? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या प्रयास किए व कितने मामले आबकारी व पुलिस विभाग में दर्ज किए गए और कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में राज्य में जहरीली शराब पीने से 42 व्यक्तियों की मौत हुई है।

(आबकारी मंत्री)

(2) यह सही है कि राज्य में हरियाणा से अवैध रूप से तस्करी कर शराब लाई जाकर अधिकांशतः प्रतिबन्धित समय में चोरी-छिपे बेची जाती है।

सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये हरियाणा राज्य से लगते सीमावर्ती जिलों हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुन्झूनूं, अलवर, भरतपुर व जयपुर ग्रामीण में चैक पोस्टे लगाई है जहां पर हरियाणा से आने वाली अवैध शराब की चेकिंग कर कार्यवाही की जाती है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग एवं राज्य पुलिस द्वारा नियमित रूप से हरियाणा राज्य से आने वाली अवैध शराब की रोकथाम हेतु प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में आबकारी विभाग एवं राज्य पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं दर्ज अभियोगों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

हरियाणा से राज्य में लाई गई अवैध शराब के प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता का कोई प्रकरण सामने नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

प्रदेश में वन क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की भूमि के विक्रय पर रोक

110. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र में स्थित खातेदारी के अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को बिना पैमाइश किये ही अतिक्रमी मानने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

(2) क्या यह भी सही है कि वन क्षेत्र में बसे हुए राजस्व ग्रामों में खातेदारी भूमि के विक्रय करने पर सरकार द्वारा रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वन क्षेत्र में स्थित खातेदारी के अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को बिना पैमाइश किये ही अतिक्रमी मानने के कोई प्रकरण सामने नहीं आये हैं। प्रत्येक प्रकरण की माप-जोख के पश्चात ही अतिक्रमण के प्रकरण बनाये जाते हैं।

(वन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। परन्तु वन्यजीव अभयारण्य/राष्टीय उद्यान के अन्दर राजस्व ग्रामों में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-18 के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त उत्तराधिकार अथवा वसीयत के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से नये अधिकार प्राप्त नहीं करने का वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रावधान है।

प्रदेश में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का नियमितीकरण

111. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विद्यार्थी मित्र अध्यापकों की संख्या कितनी है तथा ये कब से कार्यरत हैं? क्या सरकार इनकी वेतन वृद्धि स्वीकृत करने एवं इनको नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य में कार्यरत अप्रशिक्षित विद्यार्थी मित्रों की संख्या कितनी है? क्या सरकार इनको प्रशिक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंधी कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 24761 विद्यार्थी मित्र संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। यह विद्यार्थी मित्र शैक्षिक सत्र 2009-10 से कार्यरत हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.17(7)शिक्षा-2/2003 दिनांक 23.6.2010 द्वारा इनके मानदेय में वृद्धि की गई है। इन्हें नियमत किये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(2) राज्य में कुल 8969 अप्रशिक्षित विद्यार्थी मित्र हैं। इन्हें प्रशिक्षण देने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

जमवारामगढ़ में कृषक सहायता योजना के लम्बित प्रकरण

112. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु या घायल हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो संबंधित प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि किसी व्यक्ति को कुत्ता/सियार के काटने पर उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता राशि दी जा सकती है? यदि हां, तो कितनी? संबंधित नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2010 तक सहायता राशि हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने व्यक्तियों को सहायता राशि दी गई तथा कितने व्यक्तियों को सहायता राशि दिया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त क्षेत्र के शेष रहे व्यक्तियों को कब तक सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषकों को कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 के अन्तर्गत सहायता राशि दी जाती है। उक्त योजना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, दी गई सहायता राशि सहित शेष रहे प्रकरणों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) कार्यालय रेकार्ड के अनुसार उक्त अवधि का कोई भी प्रकरण शेष नहीं है।

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

शेरगढ़ तहसील क्षेत्र (जोधपुर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

113. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवन में संचालित नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सरकारी भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(3) क्या तहसील शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्वीकृत कुल 390 आंगनबाड़ी में से 169 आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवन में संचालित नहीं हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से राज्य में 380 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही स्वयं के अथवा राजकीय भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(3) जी,हां। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार एवं निर्धारित जनसंख्या मापदण्डानुसार ग्राम/ढाणी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तथा भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। तहसील शेरगढ़ के विचाराधीन प्रस्तावों को भी परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सही पाये जाने पर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा तथा भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही राज्य सरकार स्तर से स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर

आ.बा. केन्द्रों की सूची जो सरकारी भवन में नहीं चल रहे हैं

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	मेघवालों का बस शेरगढ़
2	मोचीयों का बास शेरगढ़
3	भीलों की ढाणी शेरगढ़
4	दूसरी टंकी शेरगढ़
5	मेघवालों की ढाणी भूगरा
6	चाबां द्वितीय
7	नरसिंह पुरा
8	मोमत नगर
9	सुवालिया गांव
10	माला. मेघ की ढाणी शेरगढ़
11	दादाणियों की ढाणी
12	मेघवालों का बेरा
13	अधूरी भाखरी
14	भाटीयों की ढाणी
15	सिहान्दा
16	सोइन्तरा द्वितीय
17	जाटों की ढाणी सोइन्तरा
18	मट की डोली सोइन्तरा
19	राईका राजपूतों की झाणी
20	गुंदियालनाडी
21	मेघवाल की ढाणी जाटीभाड़ू
22	चारणी भाण्डू
23	बिनालानाडा
24	मेघवाल ढाणी प्रथम साई
25	मेघवाल ढाणी द्वितीय साई
26	साई फाटा

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
27	देवी गढ
28	गजेसिंह पुरा
29	डूगर पुरा
30	मेधवाल ढाणी सोलकीया
31	झीपों की ढाणी
32	चोरडिया प्रथम
33	कलाउ प्रथम
34	कलाउ द्वितीय
35	सगरा
36	देचू तृतीय
37	देचू चतुर्थ
38	डाडे की बेरी
39	सादुल पुरा
40	धोलासर
41	बाकासर
42	नगसिंह पुरा
43	विसरलाई नाडी
44	गुमान सिंह पुरा
45	हेमा वास
46	हनवन्त नगर
47	नाहर सिंह नगर
48	रतनपुरा गडा
49	सोमेसर द्वितीय
50	गैनाणगढ़
51	हिन्दकुडी
52	राणी भटियाणी थान
53	रतनगढ़
54	श्रीखेत सिंह नगर
55	एकलिया धोरा
56	चैनसिंह नगर

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
57	नथासर
58	जाल पुरी
59	लक्ष्मण नगर
60	बाबू सिंह नगर
61	रावतसर (मुकनासर)
62	रायधन पुरा
63	संतोष नाथ पुरा
64	पदम गढ़ (मेराज सिंह)
65	गैनाणगढ़
66	हिन्कुडी
67	मेघवाल ढाणी खेतसर
68	जामडा लक्ष्मणगढ़ चाबा
69	टेलासर चाबा
70	भूंगरा-2
71	भोम सागर-2
72	टावरियों की ढाणी
73	कासुरामनगर शेरगढ़
74	पाबुगढ़ शेरगढ़
75	किशनपुरा सुवालिया
76	लाम्बी भाखरी रायसर
77	गोमाणीसठओ की ढाणी
78	राणुसिंह नगर
79	भोनसागर साई
80	भीलों की ढाणी सिहान्दा
81	सियागो की ढाणी
82	सैदपुरा डूंगरपुरा
83	उत्तमसिंह नगर
84	गोस्वामियों की ढाणी
85	मगाणी मेघ. की ढाणी सो.
86	जोगल मेघ. की ढाणी

क्र.सं.	आंगनबाडी केन्द्र का नाम
87	अनूपगढ़ जैतसर
88	कल्याणसिंह नगर
89	बन्ने सिंह नगर चौरड़िया
90	हिमताणियों की ढाणी देचु
91	लालसर गुमानपुरा
92	रामदेवनगर सगरा
93	गोविन्दपुरा जवाहरपुरा
94	पन्नासर
95	काठो का बेरा लक्ष्मण
96	रायधनगढ किशोर नगर
97	रूपनगर दासानिया
98	जेठानिया-2
99	आगोलाई-II
100	टीकमगढ़
101	खाण्डों का बास
102	विष्णु नगर
103	सुराणी
104	गहलोतों का बास
105	मेघवालों का बास
106	मेघवालों का बास
107	खुडियाला-I
108	खुडियाला-II
109	पाबु नगर
110	बस्तवा माताजी
111	विजय नगर
112	सुख मण्डला-I
113	बारनाउ
114	नया बेरा
115	पडिण्तों का बास
116	देवानिया
117	करणी नगर
118	चौमूं-I
119	राज सागर
120	गोदरलाई रातड़ा नाड़ा

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
121	डेरिया-I
122	काछब नगर
123	जवाहर पुरा
124	हापासर
125	गोगा देवगढ़
126	सुख मण्डला
127	देव नगर
128	पाबु नगर-I
129	भालू रतनगढ़
130	उदया सागर
131	भाटेलाई चारणा
132	शिवसर
133	जालम नगर
134	मेहताबगढ़
135	मुकनसर
136	सुवेरी शासन
137	अजीतगढ़
138	इस्लाम नगर
139	हिम्मत नगर
140	डाबला की ढाणी
141	डूंगरगढ़
142	चन्द्रभान की ढाणी
143	जैतसर
144	श्रीराम नगर
145	मुंडसर
146	बेलवा राणाजी
147	प्रजापतों की ढाणी
148	जुनाबेरा
149	सूर्य नगर
150	जलधर नगर
151	पृथ्वी राज नगर
152	उम्मेद नगर
153	मेहोजी नगर
154	जीवराज नगर

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
155	प्रेमसिंह नगर
156	अलीदास नगर
157	मेघवाल गडेरा राईका ढाणी
158	जेठू सिंह नगर
159	बगताण नगर
160	मोती नगर गोदेलाई
161	रणजीत सिंह नगर
162	रूसा एरिया
163	कल्याणी नगर
164	चिमन गढ़
165	प्रजापतों की ढाणियां
166	विश्वकर्मा नगर
167	धान्धलो की ढाणी
168	बलदेव नगर
169	रेवतसिंह नगर

परिशिष्ट 'ब'

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	केन्द्र खोला जाना है
1	चौरडिया	खेतसिंह नगर
2	कलाउ	नयासरा
3	जाटी भाण्डू	खेराजगढ़
4	पाबूसर	अमरासर
5	साई	सांगसिंह नगर
6	सोलंकियातला	लाल सिंह नगर
7	सुवालिया	खेमासर
8	देवराजगढ़	सोहनसिंह नगर
9	देचु	अनोपसिंह नगर
10	चांदसमा	आनन्दपुरा
11	जेठानिया	करणीनगर

परिवहन निगम द्वारा नवीन वाहनों की खरीद

114. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में 01 अप्रैल, 2010 से अद्यतन राजस्थान रोडवेज द्वारा कौन-कौनसी गाड़ियां किस-किस कम्पनी से किस-किस माडल की कितनी-कितनी संख्या में कब-कब कितनी-कितनी राशि में क्रय की गई है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज द्वारा एक वर्ष से अधिक पुराने माडल की गाड़ियां भी नये माडल की दर पर ही क्रय की गई हैं? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो एक वर्ष से अधिक पुराने माडल की कौन-कौनसी गाड़ियां किस दर पर क्रय की गई हैं तथा उक्त गाड़ियों के लेटेस्ट माडल की क्या कीमत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम में गत दो वर्षो में किस-किस तिथि को कौन-कौनसा वाहन क्रय हुआ तथा क्रय करने के पश्चात् सड़क पर वाहन कब चलना प्रारम्भ हुआ? वाहनवार एवं तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 01 अप्रैल, 2010 से फरवरी 2011 तक राजस्थान परिवहन निगम द्वारा माहवार खरीदी गई वाहनों की मेक कम्पनी, माडल, संख्या, दर प्रति वाहन लाख रुपये में की सूचना परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नये माडल की बसें क्रय की जाती रही हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान क्रय की गई बसों में मैसर्स मर्सडीज बैंज इण्डिया प्रा.लि. से क्रय की गई 10 बसों में से 6 बसों के चैसिस वर्ष 2010 मॉडल के थे एवं शेष 4 बसों के चैसिस वर्ष 2009 माडल के थे, जिनकी दरे 72.39 लाख रु. समान थी। उक्त बसों के शीघ्र संचालन को ध्यान में रखते हुये मैसर्स मर्सडीज बैन्ज के पास उपलब्ध 2009 माडल के 4 चैसिसों पर बस बाडीज निर्माण करवाकर निगम को उपलब्ध करवाने की अनुमति दी गई।

(3) गत दो वर्षो में तिथिवार प्राप्त वाहनों की क्रय दिनांक तथा सड़क पर वाहन संचालन की दिनांक का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पाली जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

115. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह जनवरी 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद पाली ज़िले में किस-किस अपराध के अपराधी गुण्डातत्व एवं माफियाओं को चिह्नित कर किस-किस के विरुद्ध किस-किस धारा में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त से पूर्व उक्त अपराधियों, गुण्डातत्वों, माफियाओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही किस-किस धारा में की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चिह्नित आदतन एवं पेशेवर अपराधियों, गुण्डातत्वों एवं माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु कानून में कोई प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माह जनवरी 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद पाली जिले के अपराधी गुण्डातत्व एवं माफियाओं को चिन्हित कर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में कालम 1 से 9 तक अंकित है।

(2) इससे पूर्व उक्त अपराधियों, गुण्डातत्वों माफियाओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में कालम संख्या 1, 2, 3 एवं 10 से 15 तक अंकित है।

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चिन्नू माइनर क्षेत्र के खालों का निर्माण

116. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इंदिरा गांधी नहर मैन कैनाल 1120 आरडी से चिन्नू माईनर का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शाले मोहम्मद)

(2) क्या चिन्नू माईनर के सिंचित क्षेत्र विकास खालों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कितने खालों का निर्माण हुआ व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चिन्नू माईनर के उक्त खालों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी मैन कैनाल की बुर्जी 1121.200 से उदगमित होने वाली चिन्नू माईनर का निर्माण वर्ष 2004-05 में पूर्ण हो चुका है।

(2) चिन्नू माईनर के कुल 7 चकों में से 5 चकों (3 सी.एन.एम., 4 सी.एन.एम., 5 सी.एन.एम., 6 सी.एन.एम. व 7 सी.एन.एम.) में खालों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष रहे 2 चकों में से चक 1 सी.एन.एम. में पूर्णतया तथा 2 सी.एन.एम. में आंशिक घना जंगल होने के कारण इन चकों को व्यावहारिक नहीं माना गया तथा इस कारण इन दोनों चकों की चक स्कींम नहीं बनाई गयी।

(3) चिन्नू माईनर जो कि इगानप, स्टेज-II के अधीन आती है, के कुल 7 चकों में से 5 चकों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 2 चक 1 सी.एन.एम. व 2 सी.एन.एम. में घना जंगल होने के कारण इन चकों में खालों का निर्माण नहीं किया जाना है ।

सीकर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का डामरीकरण

117. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कलस्टर के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जिला सीकर में सड़क डामरीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो कब तथा कहां-कहां के कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्र्तगत भेजे जाने वाले प्रस्तावों को पंचायत समिति तथा जिला परिषद् की साधारण सभा से अनुमोदन कर भेजे जाने का प्रावधान है? क्या सीकर जिले में कलस्टर के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रस्ताव पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की साधारण सभा के अनुमोदन के बिना भेजे गये हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कलस्टर के आधार पर सड़कों के डामरीकरण का प्रावधान नहीं है, अतः मापदण्डों के अन्तर्गत थ्रू-रूट के डामरीकरण (उन्नयन) के प्रस्ताव दिनांक 29 नवम्बर, 2009 को केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं। जिला सीकर के प्रस्तावों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। दिनांक 28-11-2010 को भारत सरकार को कलस्टर के आधार पर जिला सीकर सहित पूर्ण राज्य में 500 से अधिक आबादी की बसावटों को जोड़ने के लिए डामर सड़क निर्माण के प्रस्ताव कोरनेटवर्क में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत किये गये थे। इसके उपरान्त पंचायत समिति एवं जिला परिषद सीकर की साधारण सभा में दिनांक 24-01-2011 को अनुमोदन प्राप्त कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दिनांक 1 मार्च, 2011 को प्रेषित किये गये हैं, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जिला सीकर के थ्रू-रूट के डामरीकरण (उन्नयन) के प्रस्ताव

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाख)
1.	दांतारामगढ़	डान्सरोली से सुलीयावास सड़क कि.मी. 6/0 से 10/725	4.73	153.46
2.	दांतारामगढ़	कुली करड़ से कान्करा कि.मी. 8/0 से 10/0	2.00	54.48
3.	धोद	धोद सिंगरावट कि.मी. 0/0 से 8/300	8.30	246.83
4.	धोद	फागलवा से ब्लाक बाउन्डरी कि.मी. 0/0 से 6/0	6.00	203.77

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाख)
5.	फतेहपुर	फतेहपुर बेसवा सड़क से दीनवा लाडखानी सड़क कि.मी. 1/500 से 3/100 एवं 3/600 से 7/400	8.40	224.20
6.	फतेहपुर	रोरू बड़ी से बाटडानाउ सड़क कि.मी. 9/200 से 11/400	2.20	54.80
7.	फतेहपुर	एन.एच.-11 से मारडाटू बड़ी सड़क कि.मी. 0/0 से 6/0 एवं 10/0 से 13/700	9.70	215.18
8.	फतेहपुर	एन.एच.-11 (बागडी) से राजास सड़क कि.मी. 0/0 से 2/600 एवं 9/400 से 9/800	3.00	93.00
9.	फतेहपुर	फतेहपुर से सालासर (चाचीवाड़ बड़ा) सड़क कि.मी. 11/0 से 24/300	13.30	377.27
10.	फतेहपुर	एन.एच.-65 (हौदसर) से तिहावली सड़क कि.मी. 0/0 से 18/500	18.50	396.72
11.	फतेहपुर	एन.एच.-11 रौसावा रामपुरा सड़क कि.मी. 9/0 से 14/0	5.00	124.63
12.	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ सालासर सड़क से ब्लाक बाउन्डरी कि.मी. 0/0 से 2/500 एवं 8/0 से 8/800 एवं 10/0 से 14/700	8.00	196.73
13.	लक्ष्मणगढ़	एन.एच.-11 से खिंवासर सड़क कि.मी. 0/0 से 8/0 एवं 10/0 से 15/0	13.00	267.29
14.	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ सालासर सड़क से तिडोकी छोटी कि.मी. 0/0 से 4/100	4.10	107.84

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाख)
15.	लक्ष्मणगढ़	काछवा से रूलयानी सड़क कि.मी. 0/0 से 6/200	6.20	112.92
16.	नीम का थाना	डाबला से बिहारीपुर सड़क कि.मी. 12/500 से 19/700	7.20	188.46
17.	नीम का थाना	रायपुर मोड से रायपुर पाटन कि.मी. 0/0 से 6/0	6.00	178.35
18.	नीम का थाना	पाटन से मोटुका कि.मी. 0/0 से 11/300	11.30	386.21
19.	नीम का थाना	नीम का थाना से प्रीतमपुरी कि.मी. 0/0 से 21/0	21.00	359.43
20.	नीम का थाना	मन्डा खुर्द जीलो रामसिंह की ढाणी कि.मी. 0/0 से 13/0	13.00	355.72
21.	सीकर	शिवनगर से जिला सीमा तक कि.मी.0/0 से 1/200	1.20	37.88
22.	श्री माधोपुर	एम.डी.आर-46 से दादीया रामपुरा कि.मी. 0/0 से 10/200	10.20	218.90
	योग-		**182.33**	**4554.07**

प्रदेश में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को देय सुविधाओं में वृद्धि

118. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को धनराशि, मकान व अन्य सुविधाएं पुरस्कार के रूप में दी गई हैं? यदि हां, तो पदक विजेता खिलाड़ी का नाम व पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा धनराशि, मकान व अन्य सुविधाएं पुरष्कार के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों की तुलना में कम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सुविधाओं को अन्य राज्यों के समान देने पर विचार रखती है?

(श्री रामहेत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष एशियाड पाल नौकायन में राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई पदक जीता है? यदि हां, तो खिलाड़ी का नाम, पदनाम व मूल निवास का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पदक विजेता खिलाड़ी को राज्य सरकार ने धनराशि, मकान व अन्य सुविधाएं पुरस्कार के रूप में दी हैं और क्या यह पुरस्कार अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं? क्या उक्त पदक विजेता को सरकार अन्य राज्यों के समान पुरस्कार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

गत दो वर्षो में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम एवं स्वीकृत धनराशि की सूची परिशिष्ट "क" एवं पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 के अन्तर्गत देय अनुदान दरों में बढ़ोतरी संबंधी संशोधन विचाराधीन है। अन्य मदों में देय सुविधाओं के यथेष्ट होने के कारण अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। गत वर्ष एशियाड पाल नौकायन में राजस्थान के श्री शेखर सिंह यादव, पायलट आफिसर, रेडियो (टेलीग्राफिक) ग्राम पीपली, तहसील मण्डावर, जिला अलवर (राज.) ने रजत पदक प्राप्त किया।

(4) ग्वागंझू (चीन) में आयोजित 16वें एशियाई खेलों में राजस्थान के श्री शेखर सिंह यादव को पाल नौकायन की 5 सदस्य टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप 3.00 लाख रूपये एक मुश्त राशि स्वीकृत की गई एवं दिनांक 26.01.2011 को गणतन्त्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। विभिन्न राज्यों में इस बारे में अलग-अलग प्रावधान हैं।

(सूची, विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय सैक्टर प्लान के तहत नमक श्रमिकों हेतु आवासीय योजना

129. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय सेक्टर प्लान के अन्तर्गत नमक बनाने वाले मजदूरों के लिए 5 हजार आवास निर्मित किये जाने थे? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) राजस्थान में नमक बनाने वाले श्रमिकों के लिये कितने आवास वर्षवार कहां-कहां बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त श्रमिकों के लिए आवास हेतु अब कोई योजना बनाई जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय सेक्टर प्लान के अन्तर्गत नमक बनाने वाले मजदूरों के लिए भारतवर्ष में 5000 आवास निर्मित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से राजस्थान में 450 आवासों का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 में स्वीकृत 450 आवासों का निर्माण कराया गया है।

(2) राजस्थान में वर्ष 2004-05 में नांवा नमक क्षेत्र में 202 आवास एवं वर्ष 2006-07 में 109 आवास नांवा, 50 आवास कुचामन, 89 आवास ग्राम-बाप (फलौदी) में बनाये गये।

(3) भारत सरकार के स्तर पर मोडिफाइड नमक मजदूर आवास योजना का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।

कोटा में स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) की स्थापना

130. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा में उद्योगों को प्रोत्साहित

(श्री भवानी सिंह राजावत)

करने के लिये मण्डाना के समीप स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) स्थापित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त हेतु भूमि अवाप्ति से अब तक क्या प्रगति हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने किसानों की मांग पर कृषि योग्य भूमि पर से सेज की योजना को निरस्त कर दिया है? क्या भविष्य में कोटा में अन्य किसी दूसरी जगह सरकार की स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक और कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा कोटा के समीप मण्डाना में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है:–

1. धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 25.07.2006

2. अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान रीको प्रबन्धन द्वारा इस भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना पर विचार किया गया किन्तु भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 15.06.2007 के अनुसार जिन प्रकरणों में अनिवार्य भूमि अवाप्ति शामिल है, उनमें भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2007 के पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की अनुमति नही देने का नीतिगत निर्णय होने से इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

3. धारा 6 की उदघोषणा जारी दिनांक 08.08.07

राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.08.07

स्थानीय चस्पानगी दिनांक 29.08.07

समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशन 20.06.09

समाचार पत्र देश की धरती में प्रकाशन 20.06.09

4. उक्तानुसार 147.48 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इसमें से 74.26 हैक्टेयर भूमि पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है।

(2) अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान रीको प्रबन्धन द्वारा इस भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना पर विचार किया गया किन्तु भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 15.06.2007 के अनुसार जिन प्रकरणों में अनिवार्य भूमि अवाप्ति शामिल है, उनमें भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2007 के पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की अनुमति नहीं देने का नीतिगत निर्णय होने से इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

बाढदेवरी (मानसरोवर) जयपुर में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत वंचित आवेदकों को पट्टे

131. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर ने वर्ष 2010 में बाढदेवरी (मानसरोवर) जयपुर में स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पट्टे जारी करने हेतु आवेदन लिये हैं? यदि हां, तो अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राप्त आवेदन सही पाये जाने पर इनकी निर्धारित राशि भी जमा कर ली गई है? यदि हां, तो कितने लोगों से राशि ली गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त आवेदकों को सरकार द्वारा पट्टे जारी कर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार आबंटन से वंचित रहे आवेदकों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(4) जी हां। आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता के आधार पर पटटे जारी किए जाते है, यह एक सतत प्रकिया है।

सिरोही जिला कलक्टर द्वारा नगरपालिकाओं की पत्रावलियों की जांच अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट

132. श्री राईया मीणा (आसपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कलक्टर सिरोही ने 1 जनवरी, 2009 से 15 फरवरी, 2011 तक जिले की पांचों नगरपालिका शिवगंज, सिरोही, पिंडवाडा, आबूरोड एवं माउंट आबू की किस-किस पत्रावली को कब-कब मंगवायी गई? उक्त पत्रावली मौखिक आदेश से मंगवाई अथवा लिखित आदेश से तथा उक्त पत्रलियों पर जिला कलक्टर ने क्या कार्यवाई की? विवरण प्रकरणवार नगरपालिकावार सदन की मेज पर रखें।

(श्री राईया मीणा)

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में? जांच सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर सिरोही ने उक्त अवधि में उक्त नगरपालिकाओं में कब-कब किस अधीनस्थ अधिकारी को जांच करने भेजा? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे? उक्त अधीनस्थ अधिकारी जांच करने लिखित आदेश पर गए अथवा मौखिक आदेश से? जांच अधिकारी द्वारा कलक्टर को दी गई रिपोर्ट की प्रति सहित कलक्टर द्वारा जांचों के संबंध में राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

(3) प्रकरण संख्या 1

जी हां। मेंसर्स संभव एनर्जी लिमिटेड सिरोही को फैक्ट्री के लिये जारी लीज के संबध में जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता कायम करने के उद्रदेश्य से अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के तहत दिनांक 10.12.10 से उपखण्ड अधिकारी सिरोही एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सिरोही को लीज की शर्तो एवं किस आदेश के तहत दी गई के संबंध में पत्रावली पर जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिखे गये1 प्रति ध्वज- 'अ एवं ब' पर संलग्न है।

इस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, सिरोही ने पत्र दिनांक 10.01.11 द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर सिरोंही को प्रेषित की गई, जिसकी छाया प्रति ध्वज-'स' पर उपलब्ध है। उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने उक्त प्रकरण में जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर सिरोही को दिनांक 06.02.11 को प्रस्तुत की, जिसे जिला कलक्टर सिरोही ने प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु नगरीय विकास विभाग, जयपुर को भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी सिरोही के पत्र दिनांक 08.02.11 के द्वारा जांच रिपोर्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित की गयी। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की छाया प्रति ध्वज- 'द' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रकरण संख्या 2

जी हां। नगरपालिका सिरोही के विरुद्ध माननीय सांसद, जालोर सिरोही एवं पार्षदगण ने दिनांक 17.01.11 को शिकायत प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक/सामान्य/2010/97 दिनांक 17.01.2011 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को प्रकरणों के संबंध में जांच कर 3 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने प्रकरण की जांच कर दिनांक 20.01.11 को जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर सिरोही ने उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट को निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 17.02.2011 के द्वारा स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाई गई है। शिकायत की प्रति एवं जिला कलक्टर के निर्देश ध्वज- 'य', जांच रिपोर्ट ध्वज- 'र' एवं विभाग को लिखे गए पत्र 17-02-11 की प्रति ध्वज- ' ल ' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

धाबास (दाउवास) ग्राम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई भूमि

133. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम धाबास (दाउवास) तहसील एवं जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम कितनी भूमि दर्ज है? खसरा नं. एवं रकबा सहित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी भूमि विभिन्न योजनाओं के लिये आबंटित की गई है एवं शेष कितनी भूमि उपलब्ध है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम धाबास (दाउवास) में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर विभिन्न खाताधारक व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर लिये गये हैं? यदि हां, तो अतिक्रमियों की बेदखली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ग्राम धावास (दाउवास) में सड़क, विद्युत लाइन डाले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री कालीचरण सराफ)

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किसी विकास कार्य व सुविधा के भूखण्डधारियों से लीज शुल्क के नोटिसेज दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार ब्याज व शास्ति की राशि कम कर एक मुश्त लीज राशि कैम्प लगाकर जमा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम धाबास (दाउवास) तहसील एवं जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम कुल दर्ज भूमि 230 बीघा 17 बिस्वा है। खसरा नम्बर एवं रकबा सहित भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी भूमि विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित की गई है एवं शेष कितनी भूमि उपलब्ध है के संबंध में विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पूर्व में अतिक्रमण था परन्तु अब अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

(4) ग्राम धावास में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध भूमि पर डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य करा दिया गया है तथा विद्युतीकरण कार्य के लिये तकनीकी स्वीकृति हेतु पत्रावली जयपुर विद्युत निगम लि. में प्रेषित की जा चुकी है। जयपुर विद्युत निगम लि. से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जावेगी, तदउपरान्त निविदा आमंत्रित की जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा लाटरी के माध्यम से आबंटित अथवा जरिये नीलामी विक्रय किये गये भूखण्डों पर लीज राशि शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत ली जाती है। लीज राशि की वसूली एक नियमित प्रक्रिया है। भूखण्डधारियों को आबंटित भूखण्डों के योजना क्षेत्र में आबंटन के पूर्व एवं पश्चात विकास कार्य करवाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा बिना किसी विकास कार्य व सुविधा के भूखण्डधारियों के लीज शुल्क के नोटिसेज दिये गये हैं।

(6) प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

धौलाई ग्राम (जयपुर) की आवासीय योजना का नियमन

134. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर में ग्राम धौलाई स्थित विधान सभा नगर योजना के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के संबंध में दायर सभी याचिकाओं का फैसला हो गया है? यदि हां, तो न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त नगर के कुछ मामले अभी भी मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो विचाराधीन प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर स्टे की वजह से सम्पूर्ण योजना में निर्माण कार्य पर रोक है? यदि नहीं, तो किन-किन भूखण्डों पर यह रोक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित उक्त योजना के संशोधित नक्शे के अनुसार सभी भूखण्डधारियों को उनकी जमीन का भौतिक कब्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त योजना में मूलभूत पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज आदि सुविधायें विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण के प्लान के अनुसार प्रस्तावित विभिन्न सैक्टर रोड्स को चिह्नित कर उन पर रोड बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक सैक्टर रोड बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(7) क्या सरकार उक्त योजना का निकट भविष्य में कैंप लगाकर नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर में ग्राम धौलाई स्थित विधान सभा नगर योजना के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वाद विचाराधीन है एवं माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण वर्तमान में कोई जविप्रा स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन याचिकाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस योजना के संबंध में दायर सभी याचिकाओं का फैसला नहीं हुआ है। विचाराधीन याचिकाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश पारित किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2010, 24.02.2010 एवं 26.02.2010 को पारित आदेशों में आदेश पारित करने के दिनांक की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश है अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये यथास्थिति के आदेश के प्रकाश में निर्माण कार्य निषेध है।

(4) जी नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के प्रकाश में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(5) विधान सभा नगर सहकारी समिति की योजना है जिसमें नियमानुसार पानी की व्यवस्था जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा की जानी है। सीवरेज की व्यवस्था आउट फाल सीवर की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार जविप्रा द्वारा कराया जाना प्रास्तावित है। किन्तु उक्त योजना का नियमन नहीं किया गया है, वर्तमान में योजना की भूमि का वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एवं स्थगन है। बिजली की उपलब्धता का दायित्व जविप्रा का नहीं है।

(6) वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में सड़क कार्य नहीं किया जा सकता है।

(7) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात तथा योजना के नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात ही नियमन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा नगर से संबंधित रिट याचिकाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रकरण सं.	उनवान	स्थगन का दिनांक	स्थगन का प्रकार
1.	एस.बी.सी. 2788/10	सुरेश माथुर, हरिशकुमार काला, गीता रानी, बृजेश कुमार, देवी सिंह, राजेन्द्र कुमार शर्मा, रहिसा बेगम, श्रीमति किरण, श्रीमति उषा वर्मा	26.02.10	उप रजिस्ट्रार सहकारिता के आदेश दिनांक 9.12.09 एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित सूचना नं. 536 दिनांक 31.12.09
2.	एस.बी.सी. 3331/10	पवन कुमार सैनी, किशोर सैनी, श्रीमती पुजा सैनी, श्रीमती लाली देवी	26.02.10	
3.	एस.बी.सी. 2922/10	आर.के. सैन, अंकित सहाय, श्रीमती गायत्री सैनी श्री अनिल कुमार श्रीमती गीता देवी, श्रीमती मंजु पंडित कृष्णा सिंह	26.02.10	
4.	एस.बी.सी. 1723/10	कमलेश पालीवाल, के.डी. पालीवाल, सुन्दर दास बोझवानी	11.02.10	
5.	एस.बी.सी. 445/10	श्रीमती भुनेश्वरी सिंह मुराद बानो, श्रीमती सुषमा शर्मा श्रीमती अरूणा भारद्वाज, देवेन्द्र कुमार जिन्दल मनोज भटनागर गीता पुरोहित, महेन्द्रा, दिनेश कुमार भटनागर, देवराज सिंह	24.02.10	

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन इस प्रकार हैं :-Till then, the status quo as obtaining today i.e., February 26, 2010 shall be maintained by the parties.

नगर सुधार न्यास अजमेर में नियमित कालोनियों का हस्तान्तरण

135. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26-5-2000 के तहत कृषि भूमि के नियमन के अधिकार (जहां नगर सुधार न्यास कार्यरत हैं) नगर सुधार न्यासों को दिये गये है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नियमन उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाही के अधिकार नगर निगम, नगर परिषद् अथवा नगरपालिकाओं को दे रखे हैं? यदि हां, तो अजमेर नगर सुधार न्यास ने अजमेर नगर निगम क्षेत्र की नियमित की गई किन-किन बस्तियों व कालोनियों की पत्रावलियां निगम को हस्तान्तरित कीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के तहत जिन नगरों में नगर विकास न्यास कार्यरत है उनमें नगर परिषद/निगम के अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐसे भूखण्डों/भवनों का नियमन भी नगर विकास न्यास द्वारा किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में आबंटन/नियमन पत्र जारी करना, ले-आउट प्लान स्वीकृत करना, लीज राशि वसूल करना व पंजीयन संबंधी कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा ही की जावेगी। उसके उपरान्त समस्त कार्यवाही भवन निर्माण, मानचित्र स्वीकृत आदि संबंधित नगर परिषद/निगम द्वारा की जावेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा आबंटन/नियमन पत्र जारी करना, ले-आउट प्लान स्वीकृत करना, लीज राशि वसूल करना व पंजीयन संबंधी कार्यवाही नगर सुधार न्यास द्वारा किये जाने के उपरान्त समस्त कार्यवाही भवन निर्माण, मानचित्र स्वीकृत आदि के अधिकार नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगरपालिकाओं को दे रखें हैं। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा नगर निगम क्षेत्र की नियमित की गई बस्तियों व कालोनियों की पत्रावलियां निगम को हस्तान्तरित नहीं की जाती हैं।

सीकर रोड जयपुर के विजयबाड़ी पथ नं. 7 पर अतिक्रमण

136. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में सीकर रोड पर खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन के विवाह स्थल मोड़ तक विजयबाड़ी पथ नं. 7 की सड़क की चौड़ाई

(श्री निर्मल कुमावत)

सरकार द्वारा कितनी निर्धारित की हुई है और वर्तमान में उक्त सड़क की चौड़ाई कितनी है? उक्त सड़क की वर्तमान में मौके पर स्थित चौड़ाई एवं उक्त सड़क के दोनों तरफ के कार्नर प्लाटों की साइज, प्लाट नं., लम्बाई व चौड़ाई सहित सड़क के नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की पूर्व में 80 फीट चौड़ाई निर्धारित की गई थी और बाद में कालोनियों की विकास समितियों से समझौता करते हुए सड़क की चौड़ाई में परिवर्तन किया गया था? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यस्ततम मार्ग पर सड़क की चौड़ाई कम करने के उपरान्त भी उक्त मुख्य सड़क पर दोनों और स्थित मकान मालिकों द्वारा सड़क सीमा में अतिक्रमण किया हुआ है जिससे यातायात जाम रहता है? यदि हां, तो उक्त मुख्य सड़क के दोनों ओर के किन-किन प्लाट वालों द्वारा कितना-कितना अतिक्रमण किया हुआ है? उक्त दोनों तरफ के प्लाटों का जेडीए द्वारा आबंटित पट्टों में दर्शाया एरिया (लम्बाई व चौड़ाई) एवं वर्तमान में किये गये कब्जे का एरिया लम्बाई व चौड़ाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन के विवाह स्थल मोड़ तक विभिन्न दुकानदारों/मकान मालिकों द्वारा चबूतरे बनाने अथवा अन्य थड़ी ठेले वालों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर स्थित कुछ मकान मालिकों द्वारा न्यायालय से स्टे प्राप्त किया हुआ है और अतिक्रमण किये हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन प्लाटों पर कब से स्टे मिला हुआ है और सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार न्यायालयों में दर्ज मामलों का शीघ्र निस्तारण करवाकर उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विजयबाड़ी पथ नं. 7 की सड़क की चौडाई सेक्टर प्लान के अनुसार 80' निर्धारित है। सड़क की चौडाई को कम किए जाने के संबंध में प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की विभिन्न बैठकों में निर्णय लिया गया है। सेक्टर प्लान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिसके अनुसार 80 फीट से 60 फीट, 80 फीट से 40 फीट की गई है। उक्त सडक की वर्तमान में मौके पर स्थित चौड़ाई एवं उक्त सड़क के दोनों तरफ के कार्नर प्लाटों की साइज प्लाट नं. लम्बाई व चौड़ाई सहित सड़क के सम्पूर्ण विवरण की स्थिति संलग्न योजना मानचित्र में दर्शा दी गई है। योजना के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पूर्व में सड़क की चौडाई कम किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की बैठक में निर्णय लिए गये हैं। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

1. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक संख्या 28 दिनांक 08.10.2001
2. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक संख्या 17 दिनांक 03.05.2002
3. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक संख्या 27 दिनांक 24.07.2002

पूर्व में सड़क की चौड़ाई 80 फीट रखी गई थी, जिसे बी.पी.सी. के निर्णयानुसार बाद में सड़क की चौड़ाई 40 फीट कर दी गई है।

(3) जी हां। सड़क की चौड़ाई में मकान मालिकों द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार रोड को रखते हुए भूखण्डों के पट्टे जारी किए गए हैं। उक्त दोनों तरफ के प्लाटों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित पट्टों में दर्शाया एरिया (लम्बाई व चौड़ाई) एवं वर्तमान में किये गये कब्जे का एरिया लम्बाई व चौड़ाई मानचित्र में दर्शित कर दी गई है। मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन के विवाह स्थल के मोड़ तक विभिन्न दुकानदारों/मकान मालिकों द्वारा चबूतरे बनाने अथवा थड़ी ठेले वालों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण आम जनता को परेशानी हो रही थी। अतः अतिक्रमण को दिनांक 10.02.2011 को हटवा दिया गया है। पूर्व में भी समय-समय पर प्रवर्तन शाखा द्वारा अस्थायी अतिक्रमण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

हटवाया गया है। जो कि एक सतत प्रक्रिया है। प्रकरण संख्या 270/10 श्री लीलाधर बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण में माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 04.04.2011 तक स्थगन आदेश प्रभावी है। अत: स्थगन आदेश निरस्त होने अथवा माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण लम्बित है।

(5) प्रकरण संख्या 76/2010 श्री हरिमोहन खण्डेलवाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण में माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.04.2010 को प्राधिकरण को रिमाण्ड किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर शीघ्र निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। प्रकरण संख्या 76/2010 में माननीय न्यायालय हेतु निर्देशानुसार शीघ्र निर्णय हेतु सुनवाई में प्रकरण प्रक्रियाधीन है एवं प्रकरण संख्या 76/2010 में प्रभावी पैरवी हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को निर्देशित कर दिया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर की निजी शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन हेतु निर्धारित शर्तों की पालना

137. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत 20 वर्षों में किन-किन निजी शिक्षण संस्थाओं को जयपुर में रियायती दर पर कितनी-कितनी जमीन किस-किस दर पर उपलब्ध करवाई गई है? शिक्षण संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त निजी शिक्षण संस्थानों को किन शर्तों पर भूमि उपलब्ध करवाई गई तथा क्या ये संस्थाएं इन शर्तों को पूरा कर रही हैं?

(3) सरकार द्वारा आबंटन की शर्तें पूरी नहीं करने वाले संस्थानों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 20 वर्षों में जयपुर में निजी शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर निगम जयपुर द्वारा कितनी-कितनी जमीन किस-किस दर पर आबंटित की गई है का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नगर निगम द्वारा निजी शिक्षण संस्था को आवंटित भूमि की शर्तों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त संस्था द्वारा शर्तों की पालना की जा रही है।

जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त निजी शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटित करने सम्बन्धित शर्तों का विवरण परिशिष्ट-2, 3 व 4 पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में संस्थाओं द्वारा शर्तों की पालना सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजस्थान आवासन मण्डल क्षेत्राधिकार में आदर्श विद्या मन्दिर, जानकी देवी एजुकेशन ट्रस्ट, रावत बाल विद्या निकेतन समिति द्वारा आबंटन शर्तों की पालना की जा रही है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण व राजस्थान आवासन मण्डल क्षेत्राधिकार में जिन-जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा आबंटन की शर्तें पूर्ण नहीं की हैं का विवरण परिशिष्ट-1 व 5 पर संलग्न है, उनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर से नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर का निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

138. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में बीस एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है? यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का विवरण एवं उक्त ट्रीटमेंट प्लांट कब तक बनेगा और इससे शहर के किस-किस सीवरेज जोन से निस्तारित सीवरेज जल उपचारण हो सकेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रीटमेंट प्लान्ट के बावजूद जोधपुर शहर से निस्तारित कुल सीवरेज जल का पूरा उपचारण नहीं हो पायेगा? यदि

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

हां, तो जोधपुर में सीवरेज नेटवर्क की मौजूदा स्थिति, नेटवर्क की मौजूदा खामियां, सुदृढ़ीकरण की योजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। 20 एमएलडी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण आर.यू.आई.डी.पी. के प्रथम चरण में नांदडी गांव जोधपुर में महामंदिर जोन के लिए हुआ था। वर्तमान में 50 एमएलडी क्षमता का ट्रीटमेंट प्लाण्ट गांव सालावास में निर्माणाधीन है। इस ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण 31 मई, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस 50 एमएलडी क्षमता के ट्रीटमेंट प्लाण्ट में जोधपुर शहर के पाल एवं झालामण्ड जोन में निस्तारित सीवरेज जल का 50 एमएलडी क्षमता तक जल उपचारण हो सकेगा।

(2) उपरोक्त दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की कुल क्षमता 70 एमएलडी है। अतः यह सही है कि इन दोनों ट्रीटमेंट प्लाण्टों के द्वारा जोधपुर शहर से निस्तारित समस्त सीवरेज जल का पूरा उपचारण नहीं हो सकेगा। अतः जोधपुर शहर के शेष भाग (जिनमें सीवर लाइन नहीं डली हुई है) एवं नवीन विकसित क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने तथा जोधपुर शहर से निस्तारित सीवरेज जल के उपचारण हेतु अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट बनाने की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य कन्सलटेंट द्वारा करवाया जा रहा है। डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात डी.पी.आर. अनुसार सीवरेज नेटवर्क डालने एवं ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

श्रीराम कालोनी, ढहर के बालाजी, सीकर रोड़ जयपुर के आम रास्ते पर अतिक्रमण

139. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीराम कालोनी, खेतान हास्पिटल के सामने, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर के खसरा नं. 160 व 161 ग्राम बीड़ सरकारी के आम रास्ता जयपुर सीकर नेशनल हाइवे नं. 11 को विद्याधर नगर रोड को जोड़ने वाले आम रास्ता 30 फीट पर कतिपय माफियाओं ने अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है? यदि हां, तो किस-किस ने, कब से व क्यों?

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने भी उक्त सड़क को अपने नक्शें में दर्शा रखा है? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आम रास्ते (सड़क) पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कालोनीवासियों ने दिनांक 13-7-2010 को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री व दिनांक 15-7-2010 को उप महानिरीक्षक (अतिक्रमण) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं दिनांक 30-12-2009 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय और दिनांक 30-12-2009 को क्षेत्रीय सांसद द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किये गये? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नोटिस संख्या नं. 38/31 दिनांक 14-11-2005 द्वारा तीन दिवस में आम रास्ता (सड़क) से अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त नोटिस के पश्चात् आम रास्ते (सड़क) का अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सड़क/आम रास्ते से माफिया द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमण है। खसरा नं. 160, 161 में माली समाज द्वारा स्थापित मंदिर, धर्मशाला बने हुए हैं। बगीची एवं पेड़-पौधे आदि लगे हुए हैं। जो कि श्योहर महादेव फूलमालियान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर माली समाज का वर्षों पुराना कब्जा है। पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर के कार्यवाही विवरण में धर्मशाला तामीर हेतु दिए जाने की अनुशंषा दिनांक 21.11.1957 में की गई है।

(2) जी हां। नक्शे की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त आम रास्ते (सड़क) पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कालोनिवासियों ने दिनांक 13.07.2010 को

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री व दिनांक 15.07.2010 को उप महानिरीक्षक (अतिक्रमण) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं दिनांक 30.12.2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दिनांक 30.12.2009 को क्षेत्रीय सांसद द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किए गए थे। उक्त प्राप्त पत्रों के संदर्भ में मौके की रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर पाया गया कि सड़क क्षेत्र में माली समाज के लोगों द्वारा मंदिरों का निर्माण पूर्व में कर लिया गया था। प्रकरण धार्मिक भावनाओं से जुडा होने के कारण इसके विरुद्ध धार्मिक भवन एवं भूमि अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक डी-1309 दिनांक 12.04.2010 द्वारा जिला कलक्टर जयपुर को लिखा गया था। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी। हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने अन्तर्गत धारा 72 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत नोटिस जारी किया था। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात अभियोजन हेतु अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर विकास प्राधिकरण के न्यायालय में परिवाद 18/06 दायर किया हुआ है।

(5) इस संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर जयपुर को पत्र क्रमांक डी-1309 दिनांक 12.04.2010 लिखा जा चुका है। निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) चूंकि मामला मंदिर व धर्मशाला से जुडा है। जिससे बिन्दु संख्या-4 में वर्णित परिवाद के निर्णय पश्चात व कलक्टर जयपुर से निर्देश प्राप्त होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भूखण्ड

140. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के पट्टे देने हेतु नियमितीकरण के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दो वर्षों (2009-10 एवं 2010-11) में जोनवार कितने भूखण्डों का नियमितिकरण किया गया? जोनवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

(3) उक्त भूखण्डों के नियमितिकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के स्तर पर कितने नियमितिकरणों की अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के पट्टे देने हेतु नियमितिकरण के राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाये गये हैं की प्रति परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दो वर्षों में (2009-10 एवं 2010-11) कुल 14732 भूखण्डों का नियमितिकरण किया गया जिसका जोनवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जोन सं.	कुल पट्टे जारी
1.	जोन-1	260
2.	जोन-2	476
3.	जोन-3	3
4.	जोन-4	1007
5.	जोन-5	484
6.	जोन-6	1758
7.	जोन-7	1796
8.	जोन-8	3797
9.	जोन-9	4706
10.	जोन-10	शून्य
11.	जोन-11	76
12.	जोन-12	311
13.	जोन-13	10
14.	जोन-14	2813

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण की समस्त सहकारी समितियों की योजनाओं का अनुमोदन भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक में किया जाता है। जिसके अध्यक्ष आयुक्त, जविप्रा है। योजनाओं के अनुमोदन के बाद प्रत्येक पट्टे का अनुमोदन आयुक्त जविप्रा स्तर पर नहीं किया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

समिति की बैठक में स्वीकृति पश्चात ही योजना का नियमन शिविर लगाकर भूखण्डधारियों को पट्टा जारी किया जाता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वास्तुकारों की बकाया राशि

141. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा वर्ष 2005 में टाउन प्लानिंग/आर्किटेक्चरल/अरबन डिज़ाइन हेतु वास्तुकारों का पेनल बनाया गया? यदि हां, तो किन-किन वास्तुकारों का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पेनल में सूचित वास्तुकारों को जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं की डिजायनिंग का कार्य दिया गया था? यदि हां, तो किस-किस वास्तुकार को कौन-कौनसी योजना तथा कितनी-कितनी राशि का?

(3) उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा दिये गये डिजायनिंग कार्यों की योजनाओं के अनुमोदन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? योजना वार स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना की वास्तु-कारों को भुगतान की शर्तें क्या-क्या निर्धारित थीं? नियमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनाओं में कार्यरत किस-किस वास्तुकारों द्वारा कितना-कितना कार्य पूर्ण किया गया तथा उसका कितना-कितना भुगतान प्राधिकरण द्वारा उन्हें कब-कब किया?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ योजनाओं को वास्तुकारों से डिजायनिंग करवाने के पश्चात् रद्द कर दिया गया या किसी अन्य उपयोग में ले लिया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाओं को?

(7) उक्त योजना जो प्राधिकरण द्वारा वास्तुकारों से डिजायनिंग कर देने के पश्चात् रद्द कर दी गई या अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में ली गई है,

(श्री पानाचन्द)

के संबंध में वास्तुकारों का भुगतान देने हेतु प्राधिकरण द्वारा क्या शर्तें/नियम निर्धारित किये गये? नियम/शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा अन्य किसी कार्य में ली गई उक्त योजनाओं के डिजायनिंग के भुगतान हेतु किन्हीं वास्तुकारों को नेगोशेसन हेतु आमंत्रित किया गया था? यदि हां, तो किस-किस को व किन-किन योजनाओं के संबंध में कब-कब तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या निर्णय लिया गया तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(9) उक्त प्रकरण में वास्तुकारों द्वारा किये गये डिजायनिंग कार्य का भुगतान प्राधिकरण द्वारा अभी तक भी नहीं करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21.10.2005 में टाउन प्लानिंग/आर्किटेक्चरल/अरबन डिजायन हेतु वास्तुकारों का पेनल बनाया गया था। उपरोक्त आदेश के अनुसार तैयार किए गए पैनल की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 24 योजनाओं की डिजायनिंग का कार्य दिया गया था, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	फर्म का नाम	राशि
1.	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम रातल्या	ऐलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेन्ट	37422/-
2.	ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम गोनेर	"	76908/-
3.	ग्रुप हाउसिंग ग्राम योजना अचरावाला	"	53998/-
4.	ग्रुप हाउसिंग ग्राम योजना दहमीखुर्द	"	41474/-
5.	ग्रुप हाउसिंग ग्राम योजना छितरोली	"	65168/-
6.	व्यवसायिक योजना ग्राम अचरोल	"	28721/-
7.	संस्थानिक योजना ग्राम जैतपुरा	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	38024/-
8.	ग्राम ग्वार ब्राहम्णान/जयचन्दपुरा सांगानेर	"	40432/-
9.	आवासीय योजना ग्राम नटाटा	"	364832/-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

10.	आवासीय योजना ग्राम बाजडोली	"	317170/-
11.	आवासीय योजना ग्राम देवलिया/हरचन्दपुरा	"	283500/-
12.	योजना स्वप्नलोक	डिजाइन आर्किटेक्ट	240293/-
13.	योजना जमवारामगढ़	"	119735/-
14.	योजना सिरोली दांतली	"	75672/-
15.	योजना हरध्यानपुरा व योजना जाहोता	एक्सीस	207984/-
16.	योजना गुनावता फार्म हाउस	आर्किमेज प्लानिंग कन्सलटेंसी	247775/-
17.	फार्म हाउस एकान्त विहार	"	262970/-
18.	योजना विमलपुरा व शालिगरामपुरा	"	122500/-
19.	योजना घेंघा	"	8540/-
20.	योजना मोहब्बतपुरा	"	160230/-
21.	योजना वाटिका विश्राम विहार	"	140240/-
22.	योजना जैतपुरा फार्म हाउस	"	45498/-
23.	योजना टाटियावास	"	192602/-
24.	योजना पीताम्बरा	"	788582/-

उपरोक्त के अलावा शेष योजनाओं की समग्र सूचना तैयार कर 1 माह में उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(3) योजनावार मौके पर सर्वे करवाकर वर्तमान स्थिति 1 माह में अवगत करवा दी जायेगी।

(4) उक्त योजना हेतु वास्तुकारों को भुगतान की शर्तें निम्नानुसार थीं :-

1. कार्यालय आदेश दिनांक 21.10.2005 एवं आदेश दिनांक 05.09.2006 के अनुसार योजना की फाइनल ड्राईंग प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत राशि।
2. योजना के सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात योजना मानचित्र की हार्ड/साफ्ट कापी ड्राईंग रिकार्ड में जमा होने के पश्चात शेष सम्पूर्ण राशि।

जविप्रा के आदेश दिनांक 05.09.2006 में भुगतान की शर्तें एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजना तैयार किये जाने हेतु प्रति बीघा राशि निर्धारण भी किया गया था। जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) योजनाओं के डिजायनिंग का कार्य जिन वास्तुकारों को दिया गया था एवं इन योजनाओं में कितना-कितना भुगतान किया गया है का विवरण खण्ड-2 के अनुसार है। 24 योजनाओं के अलावा शेष योजनाओं की समग्र सूचना तैयार कर 1 माह में उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(6) योजनावार मौके पर सर्वे करवाकर वर्तमान स्थिति 1 माह में अवगत करवा दी जायेगी।

(7) योजनावार मौके से सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे पश्चात समग्र सूचना तैयार कर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(8) योजनावार मौके के सर्वे पश्चात 1 माह में सम्पूर्ण समग्र सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(9) योजनावार सर्वे पश्चात समग्र स्थिति सामने आने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के बारे में निर्णय लिया जावेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तो सेवा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक. एफ.()जविप्रा/वननि/बीपीसी/2005/डी-203   दिनांक 15.05.2006

<u>आज्ञा</u>

पूर्व प्रसारित आज्ञा क्रमांक : एफ.() जविप्रा/वननि/बीपीसी/2005/डी -159 दिनांक 21.10.2005 की निरन्तरता में जयपुर विकास प्राधिकरण के आर्किटेक्चरल/अरबन डिजाइन प्रोजेक्टस से संबंधित नियोजन कार्य हेतु जयपुर में कार्यरत निम्नांकित स्थानीय फर्मों/वास्तुकारों को पेनल फर्म के रूप में Empanel किया जाता है :-

क्र. सं.	फर्म/वास्तुकार का नाम
1.	ए.एम. एसोसिएट्स, श्री मनीष कुमार शर्मा, एस-2, द्वितीय तल, पार्वती चेम्बर, लक्ष्मीमंदिर सिनेमा के पीछे, टोंक रोड, जयपुर।

क्र. सं.	फर्म/वास्तुकार का नाम
2.	किशन खांडा एण्ड एसोसिएट्स, श्री किशनलाल खांडा, 225, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर।
3.	लक्ष्य कन्सलटेन्सी, (सह फर्म-मनुकृति) श्री मथुरेश शर्मा, ई-714, नकुल पथ, लालकोठी, जयपुर।
4.	श्री मंगलचन्द कुमावत, 40-बी, अर्जुन नगर (उत्तर), गोपालपुरा बाइपास, जयपुर।

सचिव,

जविप्रा, जयपुर

परिशिष्ट-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रामंक एफ.()जविप्रा/वननि/बीपीसी/2005/डी-159 दिनांक 21.10.05

<u>आज्ञा</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर नियोजन/आर्किटैक्ट फर्मों के एमपैनलमैंट (Empanelment) हेतु दिनांक 22.09.2005 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग/आर्किटेक्चरल/अरबन डिजाईन प्रोजेक्टस से संबंधित नियोजन कार्य हेतु जयपुर में कार्यरत निम्नांकित स्थानीय फर्मों को पैनल फर्म के रूप के रूप में किया जाता है :-

टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स हेतु :-

क्र.सं.	फर्म का नाम
1.	प्रस्तर कन्सलटैन्टस (Prastara Consultants) श्री एच.एस. माथुर, एफ-164 ए, सुरेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
2.	आयोजन (AAYOJAN) श्री के.एस. महाजनी, एस.7, ज्योति नगर विस्तार, जयपुर।
3.	प्लानर्स ब्यूरो श्री ए.के. गुप्ता, सी-6, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
4.	रिनेसन्स (Renaissance) आर्किटैक्ट्स प्रा.लि. श्री एस. सेन, 310, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।
5.	कैडकान इन्जि. कन्सलटैन्टस प्रा.लि. श्री ए.के. भार्गव, डी-224 तंवर रेजीडेन्सी, बनी पार्क, जयपुर।

आर्किटेक्चरल/अरबन डिजाइन प्रोजेक्ट हेतु :-

1.	प्रमोद जैन एण्ड एसोसिएट्स श्री प्रमोद जैन, सी-6, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
2.	आकल्पन (AAKALPAN) श्री पुष्पक पंडित, एस आर-2, जेडीए शोपिंग सेन्टर, बजाज नगर, जयपुर।
3.	स्थापत्य श्री संदीप खण्डेलवाल, ए-58, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
4.	डिजाइन आर्किटैक्ट, श्रीमती रितु सिंह, सी-122, बृज शान्ति, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
5.	एक्सिस (AXIS) श्री मनोज विश्नोई, 508, गीता एनक्लेव, विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
6.	आर्किमेज (ARCHIMAGE) (सह फर्म-लावण्य) श्री संजय कोठारी, डी-1, लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
7.	एलीजेन्ट डिजाइन कन्सलटैन्स श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, 16, गंगाराम नगर, महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर।

सचिव

जविप्रा, जयपुर।

नगर सुधार न्यास माउंट आबू के गठन के पश्चात् भू-रूपान्तरण प्रकरण

142. **श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आबूरोड माउंट आबू नगर सुधार न्यास के गठन का निर्णय किस तिथि को लिया गया? तत्संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्यास क्षेत्र में कौन-कौनसे शहर एवं गांव सम्मिलित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

(3) उक्त न्यास के गठन के पश्चात् उक्त क्षेत्र में कितनी फार्म हाउस योजना के आवेदन प्राप्त हुए एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस के द्वारा जमा करवाई गई है और कितने फार्म हाउस ग्रीन बेल्ट में प्रस्तावित किये गये एवं कितने आवासीय क्षेत्र में? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त न्यास क्षेत्र में कितने भूमि रूपान्तरण एवं कितने भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण अब तक निस्तारण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त न्यास क्षेत्र में न्यास की घोषणा के पश्चात् जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी के स्तर पर उक्त क्षेत्र में कितने भूमि रूपान्तरण एवं भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरण निस्तारित किये गये? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास आबू का गठन नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10 (21) यूडीडी/3/09 दिनांक 10.09.09 द्वारा किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) नगर सुधार न्यास आबू का गठन अधिसूचना दिनांक 10.09.2009 द्वारा नगरपालिका आबूरोड एवं नगरपालिका आबूपर्वत के नगरपालिका क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये किया गया था। नगरपालिका आबूरोड से संबंधित डाफ्ट मास्टर प्लान का प्रकाशन दिनांक 04.12.2009 को होने पर नगर सुधार न्यास द्वारा डाफ्ट मास्टर प्लान में वर्णित निम्न 27 गांवों को सम्मिलित किया गया :- आबूरोड केसरगंज, तरतोली, मोरथला, सांतपुर, चन्द्रावती, वासडा, मावला, आम्बा, खारा, खडात, कुई, सांगना, दुनाकार, ओर, डेरना, मानपुर, आकराभटटा, रेडवाकला, गणका, सियावा, दानवाव, आमथला, उमरनी, कारोली, क्यारीया, पाण्डुरी।

(3) न्यास के गठन के पश्चात फार्म हाउस योजना के कुल 32 आवेदन प्राप्त हुये हैं। प्रकरण वार राशि जमा करवाई गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। उपरोक्त प्राप्त फार्म हाउस आवेदन में से 32 प्रकरण परिधीय नियंत्रण पटटी में स्थित है। आवासीय क्षेत्र में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) न्यास क्षेत्र में आज दिनांक तक भू-रूपान्तरण के धारा 90 (बी) भू

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राजस्व अधिनियम के तहत कुल 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनके निस्तारण की स्थिति निम्न अनुसार है -

1. (1) 90बी के अन्तर्गत स्वीकत प्रकरणों की संख्या 41

(2) 90 बी के अन्तर्गत निरस्त प्रकरणों की सं. 26

(3) धारा 90बी के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों की सं. 33

(4) धारा 90 बी के तहत कुल जारी पटटा विलेखों की सं. 31

2. न्यास क्षेत्र में भू-उपयोग

परिवर्तन के निस्तारित प्रकरणों की सं.   शून्य

(5) दिनांक 10.09.2009 के पश्चात जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भूमि रूपान्तरण के 10 प्रकरण एवं उप खण्ड अधिकारी आबू पर्वत द्वारा 3 प्रकरण डाफ्ट मास्टर प्लान (प्रकाशन दिनांक 04.12.2009) क्षेत्र में निस्तारित किये गये है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

जिला कलेक्टर सिरोही एवं उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा निस्तारित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों की संख्या शून्य है।

<u>संलग्नक</u>

Rajasthan Government

Urban Development Department

No. F. 10(21)UDD/3/09 Date : 10 September 2009

: Notification :

In exercise of the powers conferred by sections 8, 9 and 13 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, (Act. No. 35 of 1959), the State Government hereby orders :-

1. That for the purpose of carrying out improvement of the Urban Area included in the Municipal limits of Mount Abu and Abu Road, a Board of Trustees called the Improvement Trust, Abu shall be established.
2. The said Trust shall consist of following :-

(i)	District Collector, Sirohi.	-	Chairman
(ii)	Sub Divisional officer, Mount Abu.	-	Member.
(iii)	District Forest Officer, Abu Road.	-	Member.
(iv)	Superintending Engineer, Public Works Department (B & R) Abu Road.	-	Member.
(v)	Superintending Engineer, Public Health Engineering Department Abu Road-	-	Member.
(vi)	Concerned Superintending Engineer, Vidhuyt Vitran Nigam Limited, Abu Road-	-	Member.
(vii)	Senior Town Planner, Jodhpur,	-	Member
(viii)	Secretary UIT, Abu.	-	Member Secretary

3. The term of the office of the above trustees shall commence from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

(Gurdial Singh Sandhu)
Principal Secretary

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नियमन/रूपान्तरण शुल्क	बाहह्य विकास शुल्क	लीज राशि	अन्य शुल्क
1	29/10-11	48,59,093.00 नोट :- 1. उक्त रूपान्तरण राशि अन्डर प्रोटेस्ट आवासीय प्रयोजनार्थ दरों 40 रु. प्र.व.ग. के अनुरूप कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 121477.33 वर्गगज पर ली गई है। फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरण दरों के संबंध में राज्य सरकार से परिपत्र चाहे गये हैं। प्राप्त होने पर राशि समायोजन की जावेगी।	9,98,254.00 नोट :- प्रकरण में संयुक्त रूप से ले आउट स्वीकृत होने से अनुज्ञेय अधिकतम बिल्टअप एरिया पर तदानुसार बाह्य विकास शुल्क वसूल किया गया है।	-	53,550.00 नोट :- प्रकरण में संयुक्त रूप से ले आउट स्वीकृत होने से संयुक्त रूप से राशि वसूल की गई है।
2	30/10-11			-	
3	31/10-11			-	
4	32/10-11			-	
5	33/10-11			140453.00	
6	34/10-11			145764.00	
7	35/10-11			180881.00	
8	36/10-11			-	
9	37/10-11			164361.00	
10	38/10-11			140351.00	
11	39/10-11			140351.00	
12	40/10-11			144329.00	
13	41/10-11			167018.00	
14	42/10-11			-	
15	43/10-11			-	
16	44/10-11			-	
17	45/10-11			-	
18	46/10-11			-	
19	47/10-11			152530.00	
20	48/10-11			-	

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	नियमन/रूपान्तरण शुल्क	बाह्य विकास शुल्क	लीज राशि	अन्य शुल्क
21	49/10-11	2. प्रकरण में संयुक्त रूप से ले आउट स्वीकृत होने से प्लाट क्षेत्रफल पर एक मुश्त राशि वसूल की गई है।		117165.00	
22	50/10-11			158436.00	
23	51/10-11			-	
24	52/10-11			-	
25	53/10-11			-	
26	54/10-11			-	
27	55/10-11			-	
28	56/10-11			-	
29	68/10-11	-	-	-	-
30	72/11	-	-	-	-
31	78/11	-	-	-	-
32	84/11	-	-	-	-

सचिव

नगर सुधार न्यास आबू

परिशिष्ट ''ब''

(जिला कलक्टर द्वारा सम्परिवर्तित)

क्र. सं.	नाम आवेदक	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में	सम्परिवर्तन प्रयोजन	सम्परिवर्तन दिनांक
1	श्रीमती सिरमा देवी पत्नी ह्रुमाराम	आमथला	1032/1	3820.125	आवासीय	11.09.2009
2	श्रीमती दिपिका पत्नी मोहन जैन व अन्य	आमथला	636, 639 व अन्य	128614.16	आवासीय	30.09.2009
3	दीपक आचार्य पुत्र मनहर लाल आचार्य व अन्य	आमथला	393	21498.92	आवासीय	15.10.2009
4	श्री पुनाराम पुत्र धन्नाजी गरासिया	सियावा	193/1	10086.82	आवासीय	17.11.2009
5	श्री भैरा, मेघा पि. औदा गरासिया	आमथला	610,611	9990.68	आवासीय	24.11.2009
6	श्रीमती उशा यादव पत्नी रामेश्वर यादव	कारोली	401/1, 401/2, 401/3	14037.54	आवासीय	17.12.2009
7	अचलाराम पुत्र दलाराम मेघवाल	चन्द्रावती	264	6323.21	आवासीय	18.12.2009
8	श्री पूरण दास नाथाजी भील	आमथला	1105, 1266/1106	3877.40	लोकोपयोगी	18.12.2009
9	भीमाराम पुत्र रामाराम	आमथला	1003/1, 1004/1	4299.78	आवासीय	22.12.2009
10	श्री विजय कुमार चौबसिंह	मावल	441/2 1172/441	2408.82	वाणिज्यिक	22.12.2009

उप खण्ड अधिकारी द्वारा सम्परिवर्तित

क्र. सं.	नाम आवेदक	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में	सम्परिवर्तन प्रयोजन	दिनांक
1	श्री बाबु भाराता गरासिया	आमथला	1028/1	1567.72, 185.87	आवासीय वाणिज्यिक	15.12.2009
2	रवि राणा पुत्र हीरा लाल भील	आमथला	1028/2	2154.97, 120.81	आवासीय वाणिज्यिक	15.12.2009
3	थानाराम पुत्र प्रेमाराम भील	आमथला	556	1771.14	आवासीय	24.11.2009

सचिव

नगर सुधार न्यास, आबू

वैर में कंटिन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्डपम्प

143. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में कन्टीजेन्सी प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2009 में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे?

(2) क्या स्वीकृत सभी हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक लगा दिये जायेंगे?

(3) स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाने में हुई देरी एवं जिन अधिकारियों ने इस कार्य में लापरवाही बरती है क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म 2009 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु कंटीजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 72 नये हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई।

(2) जी हां। उपरोक्त स्वीकृति अनुरूप फिजिबल 64 हैण्डपम्प निर्माण उपरांत स्थापित कर दिये गये हैं। शेष 8 हैण्डपम्पों का निर्माण निम्न कारणों से वर्तमान में सम्भव नहीं है:-

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पेयजल गुणवत्ता मानक अनुरूप नहीं होने के कारण	3 हैण्डपम्प
स्थल चयन में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विवाद के कारण	3 हैण्डपम्प
रिग मशीन की पहुंच नहीं होने के कारण (शहरी जल योजना, भुसावर)	1 हैण्डपम्प
भू-जल स्तर अधिक गहरा होने के कारण फिजिबल नहीं	1 हैण्डपम्प

(3) जी नहीं । उपरोक्त वर्णित कारणों से हैण्डपम्प निर्माण कार्य नहीं हो पाने के कारण अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

डूंगरपुर शहर में सोम कमला बांध से पेयजल आपूर्ति

144. श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर शहर में सोम कमला आम्बा बांध का पानी पेयजल हेतु लाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो यह कब तक प्लान बना कर लाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या डूंगरपुर शहर में पेयजल हेतु अन्य कोई स्थाई व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। डूंगरपुर शहर में वर्तमान में दो मुख्य सतही स्रोतों यथा एडवर्ड समंद बांध व विजय चक्र सागर बांध तथा शहर में निर्मित 11 नलकूपों व 5 खुले कुओं के माध्यम से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में 338 हैण्डपम्प भी वर्तमान में क्रियाशील हैं।

उल्लिखित बांधों में जल भराव क्षमता पर्याप्त होने तथा नलकूपों/खुले कुओं से शहर में वर्तमान पेयजल आपूर्ति मानदण्ड अनुरूप होने के कारण सोम

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

कमला आम्बा बांध से शहर हेतु पेयजल लाना वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रस्तावित नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकांशतः भू-जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है । वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त क्षेत्र के 2 ग्रामों क्रमशः माथुगामड़ा एवं सुलई की एक-एक ढाणी में स्थापित एक-एक हैण्डपम्प में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने के कारण, इन 2 हैण्डपम्पों पर डि-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। अगले 6 माह में यह यूनिट स्थापित कर दिये जायेंगे।

अनूपगढ़ के जल स्रोतों की सफाई व्यवस्था

145. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत पांच वर्षों के दौरान कब-कब विभाग की डिग्गियों टंकियों व सी डब्ल्यू आर की सफाई का कार्य किया गया? उक्त हेतु निर्धारित टेण्डर प्रक्रिया एवं व्यय राशि के बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित नियमानुसार समय-समय पर सफाई कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त संबंध में निर्धारित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत पांच वर्षों में विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं अन्तर्गत निर्मित उच्च जलाशयों, स्वच्छ जलाशयों (सी.डब्ल्यू.आर.), भू-तल जलाशयों (उपयोग में नहीं आ रहे को छोड़कर) एवं डिग्गियों की सफाई संबंधी कराये गये कार्यों के संदर्भ में वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'अ', 'ब', 'स' व 'द' पर उपलब्ध है।

उक्त कार्य विभागीय स्तर पर कर्मचारियों, संवेदकों एवं 'महानरेगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया है । विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निर्धारित टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर कराये गये सफाई संबंधी कार्यों के बिल एवं किये गये भुगतान के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। विभाग द्वारा जलाशयों की सफाई के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'र' पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बयाना में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना

146. **श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के भीमनगर, महावर कालोनी, रामायण कालोनी, नगला मौरौल्या, पहरिया भीमनगर में समुचित मात्रा में पेयजल स्त्रोत नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त परिसर क्षेत्र में महावर कालोनी, नगला भौरोल्या पहाडी पर एक टंकी का ऊपरी हिस्सा बना कर पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्व ग्राम बयाना ग्रामीण में सम्मिलित वर्णित मजरे विभिन्न जल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित हैं:-

मजरे का नाम	वर्तमान जनसंख्या	वर्तमान पेयजल व्यवस्था मय जल स्त्रोत
भीमनगर	1218	5 क्रियाशील हैण्डपम्प व 2 पी.एस.पी. (बयाना-भरतपुर रोड स्थित नलकूप नं. 14 द्वारा)
महावर कालोनी	328	2 क्रियाशील हैण्डपम्प, एक सिंगल फेज बिन्दु व 3 पी.एस.पी. (बयाना-भरतपुर रोड स्थित नलकूप नं. 4 द्वारा)
नगला मौरोल्या	80	2 क्रियाशील हैण्डपम्प व 2 पी.एस.पी. (बयाना-भरतपुर रोड स्थित नलकूप नं. 14 द्वारा)
रामायण कालोनी	50	1 क्रियाशील हैण्डपम्प
पहरिया भीमनगर	290	1 क्रियाशील हैण्डपम्प

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। राजस्व ग्राम बयाना ग्रामीण के वर्णित मजरों की आबादी वर्तमान में बिखरी होने के कारण, ये मजरे विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं तथा उपरोक्तानुसार इन मजरों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति सुचारू एवं संतोषप्रद है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

जयपुर जिले में राजकार्यों हेतु अनुबंधित वाहन

147. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय कार्य हेतु विभाग में अनुबंध पर गाड़ी लिये जाने के क्या मानदण्ड हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राजकार्य हेतु टैक्सी जीप व कार ही निर्धारित भुगतान के आधार पर किराये पर ली जा सकती है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर के कई सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों में टैक्सी जीप किराये पर नहीं लेकर प्राईवेट नम्बर की जीपें काम में ली जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध प्राईवेट वाहन काम में लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त प्रवृति पर रोक लगाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रीष्मकाल में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान, जल योजनाओं के संधारण एवं पेयजल संबधी अन्य आवश्यक कार्यों हेतु वित्त विभाग की अनुमति से किराये पर वाहन रखने की क्षेत्र/जिलेवार स्वीकृति जारी की जाती है। ग्रीष्म, 2011 हेतु जारी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में अनेक स्थानों टैक्सी परमिट जीप की अनुपलब्धता की स्थिति में, पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए प्राइवेट नम्बर की जीपें भी किराये पर रखी जाती

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हैं। इस स्थिति में नियमानुसार मासिक देय भुगतान में से 20 रुपये प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से वाणिज्यिक कर की कटौती की जाती है।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाली की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

148. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में गत 5 वर्षों में कहां-कहां के लिये, कितनी राशि की, पेयजल स्कीमों की स्वीकृति हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश स्कीमें आज भी अस्वीकृत तथा अपूर्ण हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित व अपूर्ण स्कीम के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए उक्त में से प्रत्येक स्कीम को स्वीकृत कर पूर्ण करानें का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों (2005-06 से 2009-10 की अवधि) में 230 जल योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई। वांछित सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में से 214 जल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 2 योजनाओं पर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं एक योजना का कार्य स्रोत निर्माण स्थल में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विवाद करने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका।

शेष 13 पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2008 में जारी हुई थी। वर्ष 2008-09 में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं बकाया दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की लागत में संशोधन की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आवश्यकता उत्पन्न होने से ऐसी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिनके विरूद्ध कार्यादेश नहीं दिया गया, को अबेयंस किया जाकर स्वीकृतियों के पुनर्निरीक्षण का निर्णय लिया गया ।

(3) जी हां। उक्त 13 योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की पेयजल व्यवस्था का आंकलन वर्तमान में किया जा रहा है। आंकलन उपरान्त तदनुसार योजनाओं के संशोधित प्रस्ताव बनाये जाकर इनकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु योजना

149. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम उदरासर में जी डब्लू डी के द्वारा ट्यूबवैल बनवाया गया है? यदि हां, तो इसकी क्या लागत आई और ट्यूबवैल बनवाने के बाद चालू हुआ या नहीं? यदि नहीं तो किस कारण से चालू नहीं हुआ? क्या सरकार ग्राम उदरासर में दूसरा ट्यूबवैल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पानी फ्लोराइड युक्त है एवं उनमें नाइट्रेट टीडीएस क्षार आदि प्रचुर मात्रा में है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फ्लोराइड युक्त पानी से क्षेत्र के निवासियों में अनेक तरह की बीमारियां यथा कुबडापन, दांत पीले होना, चेहरे पर झुरियां आदि उत्पन्न हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार इस फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009-10 की आपात योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम उदरासर में एक नलकूप का निर्माण रुपये 8.11 लाख की लागत से भू-जल विभाग के माध्यम से कराया गया। उक्त नलकूप में उपलब्ध भू-जल की गुणवत्ता से लाइन (खारा) होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त ग्राम हेतु भू-जल वैज्ञानिक से पुनः रिपोर्ट ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कुल 119 ग्रामों में से तहसील श्रीडूंगरगढ़ के कुल 22 ग्रामों में से 15 ग्रामों में फ्लोराईड एवं 7 ग्रामों में सैलिनिटी (नाइट्रेट व टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से कुछ अधिक है।

(3) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है। क्षेत्र के फ्लोराइड प्रभावित उक्त 15 ग्रामों में निर्मित नलकूपों पर डि-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

रतनगढ़ की लम्बित पेयजल योजनाएं

150. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के सांगासर, भीचरी व मीठी छाबड़ी हेतु पेयजल योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पेयजल योजनाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृत करा कर कार्य चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त योजना का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के वर्णित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय जल योजना लूंछ-सांगासर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2008 में राशि रुपये 87.05 लाख की जारी हुई थी।

(2) वर्ष 2008-09 में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं बकाया दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की लागत में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

होने से ऐसी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिनके विरुद्ध कार्यादेश नहीं दिया गया, को अबेयंस किया जाकर स्वीकृतियों के पुनर्निरीक्षण का निर्णय लिया गया।

(3) जी हां। भारत सरकार के 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में उक्त योजना में वर्षा जल संरक्षण एवं भण्डारण कार्यों का प्रावधान सम्मिलित करते हुए योजना का प्रस्ताव 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात् इस योजना के संवर्धन का कार्य किया जा सकेगा।

(4) उपरोक्तानुसार।

किशनगढ़बास में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम

151. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बांस में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन-कौनसी योजनायें संचालित हैं तथा इन पर गत दो वर्षों में कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण करवाया गया तथा इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बांस में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" (PYKKA) योजना वर्ष 2008-09 से संचालित है, इस योजना में पंचायत समिति किशनगढ़बास के सात ग्राम पंचायत किशनगढ़बास, किशनगढ़ सिटी, गंज, बागौरा, मूसाखेड़ा, पाटन व सीमरोली पायका केन्द्र के रूप में चयनित है। इन 7 चयनित ग्राम पंचायतों पर वर्ष 2008-09 में निम्न गतिविधियों के लिए निम्नवत राशि स्वीकृत की गई है:-

1. एक मुश्त पूंजीगत अनुदान रुपये 3.50 लाख।

(खेल राज्य मंत्री)

2. क्रीड़ाश्री मानदेय रुपये 0.28 लाख।
3. पायका केन्द्रों पर खेल उपकरण हेतु रुपये 0.35 लाख।
4. ब्लॉक पायका ग्रामीण प्रतियोगिता रुपये 0.50 लाख।
5. खेल मैदान के रख-रखाव के लिए आपरेशनल ग्रांट रुपये 0.14 लाख।

(2) गत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति किशनगढ़बास के सात ग्राम पंचायत किशनगढ़बास, किशनगढ़ सिटी, गंज, बागौरा, मूसाखेड़ा, पाटन व सीमरोली के लिए खेल मैदान के विकास हेतु 50,000/- रुपये प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से कुल 3.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है। खेल मैदान के विकास कार्य प्रगति पर हैं। स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

बनास नदी क्षेत्र बजरी दोहन पर रोक

152. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी से रेती (बजरी) दोहन के कारण क्षेत्र में जल स्तर गहराते जाने के कारण जिला कलक्टरों द्वारा मशीनों से बजरी उठाने पर रोक लगाई जाती रही है? यदि हां, तो इस संबंध में जांच रिपोर्ट की प्रति व विभिन्न जिला कलक्टरों द्वारा विगत 5 वर्षों में जारी आदेशों/निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारण से वर्ष 2004 में राजसमन्द जिले में बनास नदी से रेती (बजरी) दोहन के रायल्टी ठेका को निरस्त कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् अन्य स्थानों पर इस संबंध में समुचित ध्यान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किस कारण से? क्या अब सम्पूर्ण बनास नदी के संबंध में समान निर्णय लिया जावेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? बिन्दुवार ब्यौरे सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न जिलों से बहकर निकल रही बनास नदी से मशीनों के द्वारा किया जा रहा बजरी दोहन रोकने तथा अवैध बजरी निकासी के संबंध में निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की तहसील रेलमगरा में ग्रामीणों के द्वारा बजरी दोहन के संबंध में किये गये विरोध के समाधान हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.20(72)खान/ग्रुप-2/2004 दिनांक 16.11.2004 (परिशिष्ट-1) से एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा यह तय किया गया कि राजसमन्द जिले के रेलमगरा तहसील में वर्तमान में बजरी का ठेका नहीं दिया जाना चाहिये (परिशिष्ट-2)।

उपरोक्त के अलावा सहायक खनि अभियन्ता, टोंक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक एवं देवली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 3.1.2011 एवं 2.2.2011 (परिशिष्ट-3 एवं 4) से उनके क्षेत्राधिकार में स्थित बनास नदी व आसपास के क्षेत्रों में भारी मशीनों से बजरी के दोहन/भराई पर रोक लगाई गई है । शासन के आदेश क्रमांक प.6(52)खान/अनु 3/10 दिनांक 25.10.2010 (परिशिष्ट-5) से खनिज बजरी को उठाने एवं खनन की समस्या के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, टोंक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाकर कमेटी को एक योजना बनाकर अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया।

(2) यह सही है कि दिनांक 11.3.2004 को रेलमगरा तहसील में खनिज बजरी पर रायल्टी संग्रहण हेतु प्राप्त निविदा को निरस्त किया गया है।

यह सही नहीं है कि इसके पश्चात अन्य स्थानों पर इस संबंध में समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सहायक खनि अभियन्ता, टोंक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक एवं देवली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 3.1.2011 एवं 2.2.2011 (परिशिष्ट 3 एवं 4) से उनके क्षेत्राधिकार में स्थित बनास नदी व आसपास के क्षेत्रों में भारी मशीनों से बजरी के दोहन/भराई पर रोक लगाई गई जिस पर शासन के आदेश क्रमांक प. 6(52)खान/अनु 3/2010 दिनांक 25.10.2010 (परिशिष्ट-5) से खनिज बजरी को उठाने एवं खनन की समस्या के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, टोंक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाकर कमेटी को एक योजना बनाकर अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया है।

अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत के अधीन मशीनों के द्वारा बजरी के दोहन के संबंध में हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी

(खनिज राज्य मंत्री)

जांच हेतु उनके द्वारा संबंधित कार्यालय को निर्देशित कर दिया गया है। सम्पूर्ण बनास नदी के संबंध में समान निर्णय प्रस्तावित नहीं है।

(3) विभिन्न जिलों से बहकर निकल रही बनास नदी से मशीनों के द्वारा किया जा रहा बजरी दोहन रोकने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अनाधिकृत रूप से खनिज बजरी का निर्गमन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बडोदामेव पुलिस थाना (अलवर) के भवन हेतु आबंटित राशि

153. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस चौकी बडोदामेव में पुलिस थाना निर्मित होने के पश्चात् सरकार द्वारा अभी तक भवन एवं परिसर हेतु कोई बजट आबंटित नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पुलिस थाना बडोदामेव (अलवर) के भवन परिसर हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिस थाना बडोदामेव नवसृजित होने के पश्चात् भवन एवं थाना परिसर हेतु कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस थाना बडोदामेव के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

(2) पुलिस थाना बडोदामेव के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

सिरोही जिले में नकबजनी एवं चोरी के दर्ज प्रकरण

154. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला सिरोही में वर्ष 2009 एवं 2010 में नकबजनी एवं चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए इन प्रकरणों में कितना-कितना माल चोरी गया? उक्त अवधि में दर्ज चोरी एवं नकबजनी के कितने प्रकरण खोले गये एवं क्या-क्या बरामदगी हुई? वर्षवार/प्रकरणवार/थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला सिरोही में वर्ष 2009 में चोरी के कुल 140 प्रकरण एवं नकबजनी के 114 प्रकरण दर्ज हुए हैं, वर्ष 2010 में चोरी के कुल 130 एवं नकबजनी के 79 प्रकरण दर्ज हुए हैं । विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में साम्प्रदायिक हिंसा के दर्ज प्रकरण

155. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2008 में कब-कब कहां-कहां साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं एवं उक्त संबंध में कौन-कौन से मुकदमे दर्ज किये गये? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही पुलिस थाने में वर्ष 2008 में दर्ज साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में जांच नतीजा कब व क्या आया? उक्त प्रकरणों में कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी है एवं अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? उक्त प्रकरण में कार्यवाही में ढिलाई के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2008 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। प्रकरणों की एफआईआर की प्रतियां संलग्न हैं ।

(2) पुलिस थाना सिरोही में वर्ष 2008 में दर्ज साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर अंकित है।

उक्त प्रकरणों में कार्यवाही में ढिलाई के लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं पाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीराम धर्मशाला आमेट (राजसमन्द) का अवैध बेचान

156. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आमेट ठिकाने के पूर्व महाराजा रावत गोविन्द सिंह द्वारा पचास वर्ष पूर्व श्री बालकिशन पिता लक्ष्मीचंद मूछा को

(श्री गणेश सिंह परमार)

आमेट में सार्वजनिक उपयोग हेतु पट्टा जारी कर सार्वजनिक श्रीराम धर्मशाला बनवाई थी, जो विगत पचास वर्षों से सार्वजनिक रूप से काम में ली जा रही थी? यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या यह वर्तमान में भी सार्वजनिक धर्मशाला के रूप में काम ली जा रही है? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक श्रीराम धर्मशाला का कतिपय लोगों द्वारा विक्रय कर दिया गया है? यदि हां, तो जिन अधिकारियों की इस विक्रय में भूमिका रही है, उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्रीराम, धर्मशाला निर्माण हेतु पट्टा जारी करने के संबंध मे जिले मे कोई अभिलेख उपलब्ध नही है। श्रीराम धर्मशाला सार्वजनिक रूप से काम में नहीं ली जा रही है।

(2) जी नहीं वर्तमान में इसका उपयोग सार्वजनिक रूप में नहीं किया जा रहा है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 21.8.1998 को चार रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के श्री हरिकिशन, श्री रामकुवांर श्री बालकिशन पिता श्री लख्मीचन्द मुछाल एवं श्री देवेन्द्र कुमार पिता श्री रामकिशन जरिये सामान्य अधिकार पत्र धारक श्री लक्ष्मी कुमार पिता श्री हरिकिशन के द्वारा श्री गणपति इन्टरप्राईजेज, आमेट जरिये पार्टनर श्री राजेन्द्र कुमार श्री चम्पालाल, श्री प्रकाश चन्द, श्री महेन्द्र कुंवर, श्री भैरूलाल को कीमतन विक्रय किया गया था। इन विक्रय पत्रों में उक्त विक्रित सम्पत्ति को विक्रेतागण द्वारा आमेट ठिकाने से उनके पूर्वजों द्वारा कीमतन क्रय कर पुस्तैनी होना बताया है। उक्त सम्पत्ति क्रेता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने से उन्हीं के स्वामित्व व आधिपत्य में है।

(3) दिनांक 21;8;1998 को उक्त सम्पत्ति के जरिये चार रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित विक्रेतागण द्वारा क्रेता को अपने पुस्तैनी स्वामित्व की सम्पत्ति दर्शाकर कीमतन विक्रय की गई है। निजी सम्पत्ति के विक्रय में विभाग की कोई भूमिका नहीं होती अत- देवस्थान विभाग के किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नही है।

नगर के पौराणिक मन्दिरों का जीर्णोद्धार

157. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में स्थित जरखोड़ मंदिर सेऊ डीग में स्थित है? क्या यह मंदिर भागवत पुराण के दशवें स्कंध में सौगन्धी शिला, सेऊ गुफा के नाम से उल्लेखित है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पौराणिक व आस्था के केन्द्र जरखोड़ मंदिर के लिए पानी, बिजली व सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अमरदास मंदिर कस्बा नगर में स्थित है? क्या इस मंदिर में पौराणिक व ऐतिहासिक मूर्ति स्थित है? क्या सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार नगरपालिका, नगर की मुख्य सड़क से इसके कच्चे रास्ते को सी.सी. रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की किसी भी श्रेणी का मंदिर नही है चूंकि यह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिर नही होने के कारण इस मंदिर को पानी, बिजली व सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु विभागीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। मंदिर श्री अमरदास कस्बा नगर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की किसी भी श्रेणी का मंदिर नही है। अपितु यह मंदिर राजस्थान सावर्जनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत एक पंजीकत प्रन्यास है। यह मंदिर राजकीय मंदिर नहीं होकर पंजीकृत प्रन्यास होने के कारण ऐसे प्रन्यास मंदिरों के जीर्णोद्वार आदि का कार्य संबंधित प्रन्यास द्वारा ही कराया जाता है तथा ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्वार कार्यों के लिए विभागीय बजट मे कोई प्रावधान नहीं है।

ऐसे प्रन्यास मंदिरों के मुख्य सड़क से कच्चे रास्ते को सी.सी. करने हेतु विभागीय बजट मे कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य में वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था

158. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुखराम)

(1) राज्य के कितने क्षेत्र में वन क्षेत्र फैले हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन क्षेत्रों में किस-किस किस्म के कितने जानवर रहते हैं तथा उनकी सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वनों की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है तथा इसके लिए कितना स्टाफ कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त वनों की सुरक्षा में कितना वार्षिक व्यय होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य का वन क्षेत्र 32,704 वर्ग किलोमीटर है।

(2) वन्यजीव गणना वर्ष 2010 के आंकलन अनुसार वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की अनुमानित संख्या का मानचित्र परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये वन क्षेत्र में नाका एवं चौकियों की स्थापना कर स्टाफ तैनात किया गया है। क्षेत्र की सामूहिक गश्त हेतु गश्ती दलों का गठन किया हुआ है। स्टाफ एवं गश्ती दलों द्वारा वन क्षेत्र की गश्त की जाकर वनों की सुरक्षा की जाती है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन अपराधों की रोकथाम हेतु वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) वनों की सुरक्षा एवं स्टाफ के संबंध में विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) वनों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2009-10 में रुपये 15030.46 लाख व्यय हुये हैं।

परिशिष्ट 'अ'

Wild Life Census year-2010 Inside Protected Areas (Rajasthan)

S. No.	Class	Species Code	Local Name	English Name (Scientific Name)	Total
	A	B	C	D	
1	MM	1139	Bagh	Tiger (Panthera Tigris)	42
2	MM	116B	Baghera	Leopard or Panthera (Panthera Pardus)	408
3	MM	1131C	Bhaloo	Sloth Bear (Melursus ursinus)	645

S. No.	Class	Species Code	Local Name	English Name (Scientific Name)	Total
	A	B	C	D	
4	MM	1115	Bhedia	Indian Wolf (canis lupus palli-pes)	365
5	MM	221A	Bijju	Civets (Viverridae spp.)	622
6	MM	118A	Chausingha	Four-horned antelope (tetraceros)	276
7	MM	305	Cheetal	Chital (Axix axis)	20098
8	MM	115B	Chinkara	Indian Gazelle (Gazelle gazelle benetti)	4461
9	MM	114	Jarakh	Hyena (Hyena hyena)	1517
10	MM	222C	Junglee Billi	Jungel Cat (Felis Chaus)	1011
11	MM	3019	Junglee Suar	Wild Pig (Sus Scrofo)	9788
12	MM	112	Kala Hiran	Black Buck (Antelop cervi-capra)	2025
13	MM	214A	Langur	Common langur (presbytis entellus)	34008
14	MM	116C	Lomdi	Fox/Desert Fox (vulpes bucapus)	1578
15	MM	2216	Nevla	Mongooses (All species of genus)	2118
16	MM	3014	Nilgai	Nilgai (Boselapbns tragocamales)	22772
17	MM	3016	Sambhar	Sambhar (Cerrus unicolor)	16509
18	MM	404E	Sehli (Sehi)	Indian porcupine (Hystrix indica)	1355
19	MM	222B	Siyaar/ Geedar	Jackal (Canis aureus)	6222
20	MM	114	Siyagosh	Caracal (Felis caracal)	38

Wild Life Census, 2010 Outside Protectd Areas (Rajasthan)

S. No.	Class	Species Code	Local Name	English Name (Scientific Name)	Total
	A	B	C	D	
1	MM	1139	Bagh	Tiger (Panthera Tigris)	0
2	MM	116B	Baghera	Leopard or Panthera (Panthera Pardus)	119
3	MM	1131C	Bhaloo	Sloth Bear (Melursus ursinus)	112
4	MM	1115	Bhedia	Indian Wolf (canis lupus pallipes)	924

S. No.	Class	Species Code	Local Name	English Name (Scientific Name)	Total
	A	B	C	D	
5	MM	221A	Bijju	Civets (Viverridae spp.)	573
6	MM	118A	Chausingha	Four-horned antelope (tetraceros)	50
7	MM	305	Cheetal	Chital (Axix axis)	262
8	MM	115B	Chinkara	Indian Gazelle (Gazelle gazelle benetti)	30509
9	MM	114	Jarakh	Hyena (Hyena hyena)	1548
10	MM	222C	Junglee Billi	Jungel Cat (Felis Chaus)	2268
11	MM	3019	Junglee Suar	Wild Pig (Sus Scrofo)	2862
12	MM	112	Kala Hiran	Black Buck (Antelop cervicapra)	10507
13	MM	214A	Langur	Common langur (presbytis entellus)	15518
14	MM	116C	Lomdi	Fox/ Desert Fox (vulpes bucapus)	4193
15	MM	2216	Nevla	Mongooses (All species of genus)	2199
16	MM	3014	Nilgai	Nilgai (Boselapbns tragocamales)	45152
17	MM	3016	Sambhar	Sambhar (Cerrus unicolor)	461
18	MM	404E	Sehli (Sehi)	Indian porcupine (Hystrix indica)	1725
19	MM	222B	Siyaar/Geedar	Jackal (Canis aureus)	16044
20	MM	114	Siyagosh	Caracal (Felis caracal)	349

परिशिष्ट 'ब'

वनों की सुरक्षा एवं स्टाफ के संबंध में विवरण

विभाग में वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित हैं। प्रत्येक वनमण्डल में दो खण्ड बनाये गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षक पदस्थापित है। सामान्यत: एक उपखण्ड 3 से 4 रेंजों का है। रेंजों के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाका का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक होता है। बीट वन प्रशासन की

सबसे छोटी इकाई होती है। वनरक्षक अपने क्षेत्र की नियमित गश्त कर वनों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इस प्रकार वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वनों की सुरक्षा का कार्य किया जाता है।

वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अपराध के चालान/शमन की कार्यवाही की जाती है।

विभाग में वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निम्नानुसार अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत स्टाफ	कार्यरत स्टाफ
1	उप वन संरक्षक	117	96
2	सहायक वन संरक्षक	150	121
3	क्षेत्रीय (प्रथम)	264	238
4	क्षेत्रीय (द्वितीय)	185	153
5	वनपाल	10000	904
6	सहायक वनपाल	919	799
7	वनरक्षक	4002	2735
	योग	**6637**	**5046**

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के नये बाघ शावक

159. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत माह रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में आठ नये बाघ शावक देखे गये थे? क्या उक्त शावक डेढ़ वर्ष पश्चात् उक्त स्थान से अपनी मां को छोड़कर अन्य स्थान पर अपना क्षेत्र स्थापित करने जायेंगे?

(2) क्या वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत उक्त शावक अपना नया क्षेत्र स्थापित कर पायेंगे? यदि हां, तो कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत माह रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में पांच शावक देखे गये हैं।

बाघ शावक सामान्यत: 3 से 4 वर्ष की आयु के होने पर अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं।

(वन राज्य मंत्री)

(2) सामान्य परिस्थितियों में अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए बाघ के शावक 3 से 4 वर्ष का समय लेते हैं। शावक स्वयं अपना प्राकृतिक आवास क्षेत्र का स्थापन्न करते हैं।

लक्ष्मणगढ़ (सीकर)-सालासर सड़क का नवीनीकरण

160. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (सीकर) से सालासर एवं सीकर से सालासर जाने वाले एम. डी. आर. व स्टेट हाइवे की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों के नवीनीकरण/चौड़ाइकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। लक्ष्मणगढ़ से सालासर (एम.डी.आर.-02) एवं सीकर से सालासर (स्टेट हाइवे-20) जाने वाली सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां। लक्ष्मणगढ़-सालासर सड़क कि.मी. 0/0 से 19/500 तक कुल 18 कि.मी. एवं सीकर-सालासर सड़क कि.मी. 1/0 से 50/0 तक कुल 49 कि.मी. महानरेगा (हरित सड़क योजना) के तहत डब्यू.बी.एम. स्तर तक चौड़ाईकरण एवं सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगतिरत है, विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन कार्यो को पूर्ण करने की अवधि आवश्यकतानुसार श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उक्त सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

लक्ष्मणगढ़-सालासर (एम.डी.आर.-02) एवं सीकर-सालासर (स्टेट हाइवे-20) सड़कों पर महानरेगा (हरित सड़क योजना) में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	
I		लक्ष्मणगढ़-सालासर सड़क कि.मी. 1/0 से 19/500 तक में 5.50 मीटर से 7.00 मीटर मीटर मेटल स्तर तक चौड़ाईकरण का कार्य		
1	लक्ष्मणगढ़	कि.मी. 0/0 से 4/0	50.87	4.00
2		कि.मी. 4/0 से 8/0	45.26	4.00
3		कि.मी. 8/0 से 11/500	50.73	3.50
4		कि.मी. 11/500 से 15/500	51.86	4.00
5		कि.मी. 16/500 से 19/500	42.25	3.00
		योग	**240.97**	**18.50**
II		सीकर-सालासर सड़क कि.मी. 1/0 से 50/0 तक में 5.50 मीटर से 7.00 मीटर मेटल स्तर तक चौडाईकरण का कार्य		
1	सीकर	कि.मी. 1/0 से 5/0	50.7	4.00
2	धोद	कि.मी. 5/0 से 9/0	50.7	4.00
3		कि.मी. 9/0 से 13/0	50.7	4.00
4		कि.मी. 13/0 से 17/0	50.14	4.00
5		कि.मी. 17/0 से 24/0	92.39	7.00
6	लक्ष्मणगढ़	कि.मी. 24/0 से 28/0	50.25	4.00
7		कि.मी. 28/0 से 36/0	91.83	8.00
8		कि.मी. 36/0 से 39/500	50.51	3.50
9		कि.मी. 39/500 से 43/0	50.51	3.50
10		कि.मी. 43/0 से 46/500	50.51	3.50
11		कि.मी. 46/500 से 50/0	50.51	3.50
		योग	638.75	49.00

परिशिष्ट-2

लक्ष्मणगढ़ से सालासर एवं सीकर से सालासर सड़कों पर केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	तकमीना राशि (रु. लाख)	प्रस्तावित लम्बाई (कि.मी.)
1.	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ से सालासर सड़क कि.मी. 0/0 से 19/500 तक सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	736.43	19.50
2.	लक्ष्मणगढ़	सीकर सालासर सड़क कि.मी. 24/0 से 52/10 तक का कार्य	1057.35	28.10
		योग	**1793.78**	**47.6**

चौमूं (जयपुर) की नांगल कलां-भूतड़ा सड़क मार्ग पर रपट निर्माण

161. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम नांगल कलां से भूतेड़ा एवं गुडलिया से किशनपुरा का सड़क मार्ग खुर्द-बुर्द व रेतीला क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या इन सड़कों के नदी के पाट पर रपट निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम नांगल कलां से भूतेड़ा एवं गुडलिया से किशनपुरा, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें, सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुई हैं एवं आंशिक क्षतिग्रस्त हैं।

जी नहीं। दोनों सड़कों पर नदी पार करने में रपट की आवश्यकता है, जिनका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हस्तान्तरित सड़कों पर नवीनीकरण हेतु माननीय विधायकों से वर्ष 2010 में अनुशंसा मांगी गई थी, जिनमें इन सड़कों को माननीय विधायक की प्राथमिकता में नहीं दर्शाया गया था। भविष्य में इन सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

कोटपूतली-सीकर मार्ग का नवीनीकरण

162. **श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जिला सीकर की खूड से लोसल 16 किलोमीटर एमडीआर सड़क नं. 24, लोसल से दौलतपुरा 30 किलो मीटर एमडी आर सड़क नं. 24, दौलतपुरा से डीडवाना मेगा हाइवे 7 डी 12 किलोमीटर, डीडवाना से तरनौउ स्टेट हाइवे न. 60, 52 किलोमीटर, तरनौउ से नागौर स्टेट हाइवे नं. 19, 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कितनी-कितनी चौड़ाई के साथ कब कितनी राशि व किस योजना में, किन अधिकारियों की देखरेख में, किन संवेदकों द्वारा किया गया?

(2) उक्त सड़क मार्गों पर कहां-कहां का यातायात संचालित है? गत 10 वर्षों से अब तक उक्त मार्गों की पीसीयू गणना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में कोटपूतली से सीकर होते हुए दौलतपुरा तक बीओटी पीपीपी की टेंडर प्रक्रिया जारी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए इसे नागौर तक बढ़ाने का विचार रखती है?

(श्री रूपाराम डूडी)

(4) क्या सरकार गत 10 वर्षों से अब तक की बढ़ी हुई पीसीयू गणना को देखते हुए इस मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन सड़कों का निर्माण, चौड़ाईकरण, व्यय राशि, निर्माण वर्ष, योजना, देख-रेख करने वाले अधिकारियों का नाम तथा निर्माण करने वाले संवेदकों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़क मार्गों पर सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिलों का यातायात आता जाता है। गत 10 वर्षों से अब तक उक्त मार्गों की पी.सी.यू. गणना का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां।

जी नहीं, इस अतिरिक्त कार्य को कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं। नये राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है। किसी भी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने पर ही घोषित किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

देवली तहसील (टोंक) की क्षतिग्रस्त सड़कें

163. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील देवली जिला टोंक के ग्राम पंचायत चांदली से उथरणा तक सड़क निर्माण पर गत पांच वर्षों में किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उथरणा से ग्राम पंचायत चांदली तक सड़क निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को वर्षा ऋतु में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो अब कब तक किस योजना में सड़क निर्माण करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत सूथडा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के ग्राम रामनगर एवं रामगंज में सड़क नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में यहां के नागरिकों को अपनी फसल ले जाने एवं बीमारों को अस्पताल ले जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इन ग्रामों की सड़क पर कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ग्रामों में सड़क निर्माण पर राशि व्यय किये जाने के पश्चात् वर्षा ऋतु में गांवों के नागरिक आसानी से आ जा सकते है? यदि नहीं, तो इतनी राशि व्यय करने के पश्चात् ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?

(5) क्या सरकार उक्त ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील देवली जिला टोंक के ग्राम पंचायत चांदली से उथरणा सड़क निर्माण पर गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**योजना**	**व्यय राशि (रु. लाख)**
2006-2007	-	-
2007-08	नरेगा	1.69
2008-09	नरेगा	8.74
2009-10	-	-
2010-11	-	-
	योग	**10.43**

(2) ग्राम उथरणा से ग्राम पंचायत चांदली तक ग्रेवल सड़क होने के कारण, अत्यधिक वर्षा के समय को छोड़कर नागरिकों को आने जाने में असुविधा नहीं होती है। इस सड़क का ग्रेवल स्तर से डामर स्तर तक उन्नयन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। ये मार्ग अभी कच्चे रास्ते हैं एवं इन मार्गों पर सड़क निर्माण के लिये गत पांच वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। ग्राम रामनगर (जनसंख्या-73) एवं रामगंज (जनसंख्या -216) हेतु सड़क निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया है। कोई व्यय नहीं किये जाने के कारण मार्ग की वर्तमान स्थिति के लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

(5) जी हां। उक्त ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

डाक बंगला नाथद्वारा में गैर सरकारी व्यक्ति का ठहराव

164. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नाथद्वारा नगर में डाक बंगले (सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस) को एक गैर सरकारी व्यक्ति को एक माह से भी ज्यादा अवधि के लिये लगातार उपलब्ध करवाया गया है और संबंधित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला गया है? यदि हां, तो किसे व क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, नाथद्वारा डाक बंगले (सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस) को किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को एक माह से ज्यादा अवधि के लिए लगातार उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जो व्यक्ति डाक बंगले में रुके उनसे नियमानुसार शुल्क वसूला गया है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या एक के अनुसार।

मकराना की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

165. **श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना की अधिकांश सड़कें कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? उक्त में से प्रत्येक क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई, निर्माण तिथि, वर्ष, सड़क से लाभान्वित गांव, ढाणियों, क़स्बों की सूची, प्रत्येक सड़क से गुजरने वाले ट्रेफिक के औसत आदि का विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुनः डामरीकरण, मरम्मत अथवा पेचवर्क कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो नही क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल 15 सड़कें, जिनकी लम्बाई 44.90 कि.मी. है, हस्तान्तरित की हैं। उक्त हस्तान्तरित सड़कों में से 7 क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बाई, निर्माण तिथि/ वर्ष, लाभान्वित गांव, ढाणियों, कस्बों एवं ट्रैफिक औसत का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में हस्तान्तरित की गई 44.90 कि.मी. सड़कों में 23.30 कि.मी. सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं, जिसमें 1.5 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य भी शामिल है। क्षतिग्रस्त 21.60 कि.मी. में से 5 कि.मी. में पेच मरम्मत कार्य करा दिया गया है, 7 कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य प्रगतिरत है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः डामरीकरण/मरम्मत/पैच वर्क का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहेगा।

परिशिष्ट-1

मकराना विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बाई, निर्माण तिथि वर्ष, लाभान्वित गांव, ढाणियां, कस्बों एवं ट्रैफिक औसत का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण तिथि/वर्ष	लाभान्वित गांव, ढाणी/ कस्बे	औसत ट्रैफिक (प्रतिदिन गुजरने वाले औसत वाहन)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खेडीशीला से बरनेल	वीआर	3.00	2.50	1998-1999	खेड़ीशीला, बरनेल	400	
2	खारडिया से सरनावडा	वीआर	3.50	3.00	2000-2001	खारड़िया, सरनावड़ा	425	
3	मोडी चारण से हुडिया	वीआर	3.00	3.00	2000-2001	मोड़ी चारण, हुड़िया	275	
4	बूडसु से भरनाई	वीआर	3.70	3.70	2000-2001	बूडसु भरनाई	390	
5	बरवाला से बरवाली	वीआर	2.00	2.00	1999-2000	बरवाला, बरवाली	425	
6	तोषिना से धानणवा	वीआर	3.40	3.40	1999-2000	तोषिना, धानणवा	225	वर्तमान में 3 कि.मी. लम्बाई में आरआईडीएफ 16 में स्वीकृत है एवं कार्य प्रगतिरत है।
7	मकराना से चावण्डिया	वीआर	4.00	4.00	2000-2001	मकराना, चावण्डिया	350	वर्तमान में आरआईडीएफ 16 में स्वीकृत है एवं कार्य प्रगतिरत है।
	योग		**22.60**	**21.60**				

सहाड़ा की सड़कों का डामरीकरण

166. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत में अकाल राहत योजनाओं एवं अन्य योजनाओं से रूपपुरा-लापस्या, काराई-कल्याणपुरा, एम.डी.आर. 33 से आटावाडा, छातोल चौराया से छातोल गांव, सांगास चौराया से सांगास गांव, माडा मंगरी से अडसीपुरा एवं अन्य गांवों में डब्ल्यू बी एम सड़क कार्य हुआ एवं डब्ल्यू बी एम सड़क का कार्य उखड़ने से ग्राम पंचायत एवं सरकार ने ग्रेवल डालकर आवागमन चालू कर रखा है?

(2) क्या सरकार उक्त का डामरीकृत कर स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम./ग्रेवल स्तर तक निर्माण 10 वर्ष पूर्व अकाल राहत के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों व सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था, विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सांगास चौराहे से सांगास गांव, छातोल चौराहे से छातोल गांव तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से सड़क का पुन: निर्माण का कार्य महानरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत है, विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। अकाल राहत एवं महानरेगा में निर्मित सड़कों को डामरीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर जिले में हरित सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

167. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में हरित सड़क योजनान्तर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? सूची मय सड़क का नाम, अनुमानित लागत, मानदण्ड के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हरित सड़क योजनान्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं? स्वीकृत सड़कों का नाम मय राशि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवी सिंह भाटी)

(3) क्या यह सही है कि रणजीतपुरा-औसियां सड़क के हरित सड़क योजनान्तर्गत प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें कुछ भाग की सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है और शेष रही सड़क की स्वीकृति जारी नहीं करने का क्या कारण रहा है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क को चौड़ा करने के कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में हरित सड़क योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः-

वर्ष	प्रस्तुत प्रस्ताव
2008-09	शून्य
2009-10	शून्य
2010-11	31 कार्य (4 सड़कों पर)

सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है एवं मापदण्ड परिशिष्ट-2 व 3 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त हरित सड़क योजनान्तर्गत 3 सड़कें (13 कार्य) स्वीकृत की गई। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त सड़क (रणजीतपुरा-औसियां सड़क एम.डी.आर.-37) हेतु 9 कार्यों के 62 कि.मी. के 981.38 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें से 5 कार्य 38 कि.मी. 551.64 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई। महानरेगा अन्तर्गत हरित सड़क योजना के तहत राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों इत्यादि हेतु प्रत्येक जिले में कुल 100 कि.मी. लम्बाई में चौड़ाईकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2010-11 में बीकानेर जिले में 100 कि.मी. के विरुद्ध 97 कि.मी. के प्रस्ताव स्वीकृत होने के कारण इस सड़क के शेष कार्य स्वीकृत नहीं हुये। उक्त सड़क के प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। परन्तु शेष सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बायतू के चारदीवारी रहित विद्यालय

168. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में कितने राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन चारदीवारी विहीन हैं? विधान सभा क्षेत्र बायतू के चारदीवारी विहीन विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चारदीवारी विहीन विद्यालयों में चारदीवारी बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में कुल 3211 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय चारदीवारी विहिन हैं। विधान सभा क्षेत्र बायतू के चारदीवारी विहीन विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजना में अनुमोदन उपरान्त उपलब्ध बजट प्रावधानों की सीमा में चारदीवारी विहीन विद्यालयों में चारदीवारी बनवाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे

169. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू करने के लिए आगामी वर्ष में जयपुर जिले में कितने कक्षा-कक्षों, प्रशिक्षित अध्यापकों तथा कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी?

(2) उक्त कानून की क्रियान्विति के लिए जिला स्तर पर अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं और आगामी वर्ष में अब कब तक क्रियान्वित कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के दौरान कराये गये चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के दौरान कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए डाइस डेटा 2009-10 के आधार पर जयपुर जिले में वर्ष 2011-12 में 737 कक्षा-कक्षों तथा शिक्षकों के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 604 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। उक्त मदों पर आगामी वर्ष में अनुमानित व्यय रुपये 2347.00 लाख होगा।

(2) उक्त कानून की क्रियान्विति के लिए जयपुर जिले के विद्यालयों में 233 अतिरिक्त कक्षाकक्ष तथा 322 चारदीवारी निर्माण हेतु कुल रुपये 1501.90 लाख स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करवाने के यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।

(3) राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा कराये गये चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के आधार पर जयपुर जिले में शिक्षा से वंचित 55,434 बालक-बालिकाएं चिन्हित किये गये हैं। चिन्हित बालक-बालिकाओं का ब्लाकवार, पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय बालिका छात्रावास मटका चौक (श्रीगंगानगर) में व्याप्त अनियमितताएं

170. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मटका चौक श्रीगंगानगर के छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब? शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में छात्राओं ने जिला कलक्टर को भी शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बल्कि सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को राजस्थान पत्रिका के अंक 24.01.2011 में इस बाबत् प्रकाशित समाचार की कतरन भेजी। जिस पर जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के पत्र क्रमांक : एफ. 41(1)(1)विकास/10/653 दिनांक 31.01.2011

(शिक्षा मंत्री)

के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीगंगानगर को जांच हेतु लिखा गया। समाचार पत्र की कतरन एवं इस बाबत् लिखे गये पत्रों का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) प्रश्न के खण्ड 01 के अनुसार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, श्रीगंगानगर के पत्रांक : जिशिअ/गंगा/मा/प्राजांच/विविध/11/2178-79 दिनांक 07.02.2011 द्वारा शिकायत की जांच करने हेतु प्रधानाचार्य, राबाउमावि नं. 4 श्रीगंगानगर एवं श्रीमति सन्तोष झाव व्याख्याता राबाउमावि, नं. 2 श्री गंगानगर को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया है। समाचार पत्र की कतरन एवं इस बाबत् लिखे गये पत्रों का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पाली जिले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एनजीओ द्वारा शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण

171. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार एवं एनजीओ द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला पाली में उक्त विद्यालयों के एनजीओ द्वारा साक्षात्कार लेकर अनुबंध पर लगाई गई शिक्षिकाओं का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस शिक्षिका का व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार बीच सत्र में शिक्षिकाओं का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उक्त शिक्षिकाओं के बीच सत्र में स्थानांतरण के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त शिक्षिकाओं का स्थानांतरण रदद् कर पूर्ववर्ती स्थान पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सत्र 2005-06 से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) चलाये जा रहे हैं। एन.जी.ओ. द्वारा राज्य में कोई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) जी नहीं। जिला पाली में प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानान्तजरण नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सोजत की जांच रिपोर्ट के आधार पर कस्तूणरबा गांधी बालिका विद्यालय में गुटबाजी को समाप्तत करने, शैक्षिक वातावरण एवं व्यवस्था सुधार की दृष्टि से जिला कलक्टर पाली के अनुमोदन के पश्चात संलग्न परिशिष्टट "क" के अनुसार 7 शिक्षिकाओं को व्यवस्थार्थ दूसरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगाया गया है।

(3) प्रशासनिक कारणों से शिक्षिकाओं को बीच सत्र में व्यवस्थार्थ अन्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगाया जा सकता है। उक्त शिक्षिकाओं को भी बिन्दु-02 में उल्लेखित कारणों से व्यवस्थार्थ अन्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगाया गया हैं।

(4) जी नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गुटबाजी समाप्त करने, शैक्षिक वातावरण एवं व्यवस्था सुधार की दृष्टि से उक्त शिक्षिकाओं को व्यवस्थार्थ दूसरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगाया है। अतः इन शिक्षिकाओं को पूर्ववर्ती स्थायन पर पदस्थापन का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

केजीबीवी में प्लेसमेंट एजेन्सी कार्मिकों की व्यवस्थार्थ सूची

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	केजीबीवी पदस्थाप	व्यवस्थार्थ पदस्थापन केजीबीवी
1	श्रीमती स्नेहलता	वार्डन कम शिक्षिका	सोजत	जैतारण
2	श्रीमती शिमला	शिक्षिका	सोजत	बर
3	श्रीमती जयलता	शिक्षिका	सोजत	जैतारण
4	श्रीमती विमला चौहान	वार्डन कम शिक्षिका	बर	सोजत
5	श्रीमती वाजिदा सैयद	शिक्षिका	बर	सोजत
6	श्रीमती ममता राजपुरोहित	वार्डन कम शिक्षिका	जैतारण	बर
7	श्रीमती सीमा चारण	शिक्षिका	जैतारण	सोजत

नागौर जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

172. श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नागौर जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त विद्यालय के लिए भूमि भी आबंटित कर दी गई है? क्या इसका कब्जा ले लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? आबंटित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर में केन्द्रीय विद्यालय कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। जिला कलक्टर नागौर ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को प्रेषित किये हैं।

(2) जी हां। जिला कलक्टर नागौर द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु नागौर के खसरा नं 73 रकबा 7.10 बीघा भूमि आबंटित की गई थी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उक्त आबंटित भूमि को अपर्याप्त बताये जाने व न्यूनतम 7 एकड की आवश्यकता दर्शाई जाने पर उनके द्वारा ख. नं. 73 में 4 एकड़ भूमि और आबंटित की गई है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभी तक आबंटित भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हैं।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सूची

173. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रधानाचार्य (प्रिन्सिपल) की वरिष्ठता सूची वर्ष 1998 के बाद अभी तक जारी नहीं करने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

(2) क्या सरकार 1 वर्ष 1998 के पश्चात् की वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने वर्ष 1998 के बाद की पात्रता सूची बना रखी है? यदि हां, तो वर्ष 1998 से 2004 तक की पात्रता सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वरिष्ठता सूची अब भी जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक : प.4(2)कार्मिक/क-2/अप्र/91 पार्ट-ए दिनांक 22.02.2002 के द्वारा वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई हुई है।

(2) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक : प.4(2)कार्मिक/क-2/अप्र/91 पार्ट-ए दिनांक 22.02.2002 के द्वारा वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन पर लगाई गई रोक हटाए जाने पर ही वरिष्ठता सूची जारी किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं।

(4) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

174. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण एवं पदोन्नति जिला परिषदों अथवा शिक्षा विभाग में से किसके द्वारा की जायेगी?

उत्तर

प्रदेश के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण एवं पदोन्नति का अधिकार वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में निहित है।

अजमेर शहर के राजकीय विद्यालयों में समानीकरण

175. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र (2010-11) में किये गये समानीकरण से पूर्व अजमेर शहर के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी तथा शहर के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी थी? विद्यालयवार व कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 31 जनवरी, 2011 को अजमेर शहर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी तथा शहर के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी थी? विद्यालयवार व कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित अजमेर शहर के राजकीय विद्यालयों में समानीकरण से पूर्व कक्षावार छात्र संख्या तथा कार्यरत अध्यापकों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) 31 जनवरी, 2011 को अजमेर शहर के उक्त विद्यालयों में कक्षावार छात्र संख्या तथा कार्यरत अध्यापकों का विद्यालयवार संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के तकनीकी शिक्षण संस्थान में रिक्त पद

176. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर में वर्तमान में कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला मुख्यालय पर राजकीय पालिटेक्निक कालेज में वर्तमान में व्याख्याताओं, अध्यापकों सहित कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने ट्रेड में शिक्षण कार्य कराया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है जिला मुख्यालय पर संचालित एकमात्र राजकीय पालिटेक्निक कालेज में विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(4) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर में वर्तमान में निम्नलिखित तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं:-

1. राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर।
2. डा. डी.एन. मुथा, इंस्टीट्यूट आफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, गांव-माजीवाला, सिवाना रोड बालोतरा, जिला बाड़मेर।
3. जयनारायण व्यास, स्कूल आफ फॉर्मेसी एण्ड इंजीनियरिंग, जैसलमेर रोड जिला बाड़मेर।
4. श्री हीरालाल योगी, पालिटेक्निक कॉलेज नाकोडाजी तीर्थ रोड गांव -हिमाडा जसोल, तहसील-पचपदरा, जिला बाड़मेर।
5. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पालिटेक्निक पुराना पादरू बस स्टैण्ड के पास, गांव आसाडा बालोतरा, जिला बाड़मेर।
6. महेश इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, एन.एच.-15 बाड़मेर।

(2) राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में शिक्षकों के 36 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स, यांत्रिकी एवं केमिकल संचालित ब्रान्चों में शिक्षण कार्य कराया जाता है।

(3) राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में 36 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 शिक्षक कार्यरत हैं एवं 24 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

(4) जी हां। राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि प्रवक्ताओं एवं अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित शाखाओं के शिक्षकों को समय-समय पर भिजवा कर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

राजकीय पालिटेक्निक कालेज, बाड़मेर में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर में 36 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 शिक्षक कार्यरत हैं एवं 24 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि प्रवक्ताओं एवं अन्य संस्थानों से संबंधित शाखाओं के शिक्षकों को समय-समय पर भिजवा कर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है।

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	1	1	-
2.	विभागाध्यक्ष विद्युत	1	1	-
3.	विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रोनिक्स	1	1	-
4.	विभागाध्यक्ष यांत्रिकी	1	-	1
5.	विभागाध्यक्ष केमिकल	1	-	1
6.	विभागाध्यक्ष अतकनीकी	1	1	-
7.	वरिष्ठ प्रवक्ता विद्युत	1	1	-
8.	वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी	2	1	1
9.	वरिष्ठ प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स	1	-	1
10.	वरिष्ठ प्रवक्ता केमिकल	1	-	1
11.	प्रवक्ता सिविल	2	1	1
12.	प्रवक्ता यांत्रिकी	7	2	5
13.	प्रवक्ता कम्प्यूटर	2	1	1
14.	प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स	4	1	3
15.	प्रवक्ता विद्युत	4	1	3
16.	प्रवक्ता केमिकल	4	-	4
17.	प्रवक्ता अतकनीकी	2	-	2
	योग	**36**	**12**	**24**

संयुक्त निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान-जोधपुर

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शैक्षणिक गतिविधियां

177. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को वार्षिक अनुदान दे रही है? यदि हां, तो कितना?

(2) राज्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय क्या-क्या शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर रहा है?

(3) राज्य में आर.पी.ई.टी. कौन आयोजित करता है?

(4) क्या तकनीकी शिक्षा निदेशालय की गतिविधियां आर.पी.ई.टी. के आयोजन के दायित्व से प्रभावित हो रही हैं? क्या सरकार ने निदेशालय को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए ब्लाक ग्रान्ट दी जा रही है। वर्ष 2009-10 में रूपये 10-00 लाख तथा वर्ष 2010-11 में रुपये 338-50 लाख की ग्रान्ट दी गई है।

(2) तकनीकी विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी विषय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर, प्रबन्धकीय एवं अन्य तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा: एम.बी.ए., मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (एम.सी.ए.) बेचलर आफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलोजी, (बी.एच.एम.सी.टी.) एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

(3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी विनियमों के प्रावधानानुसार इस हेतु राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी है । राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर को यह दायित्व सौपा है ।

(4) जी नहीं । वर्ष 2009 से 2011 तक आर.पी.ई.टी. आयोजन का दायित्व तकनीकी शिक्षा निदेशालय को नहीं देकर प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर को सौपा है ।

कामां पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु बजट का प्रावधान

178. **श्रीमती जाहिदा खान** (कामां) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कामां की कामां पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के रखरखाव एवं मरम्मत के लिये बजट राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत व रखरखाव हेतु 762.40 लाख रुपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। आवश्यक स्वीकृति उपरान्त एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बजट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

बूंदी के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य योजना

179. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत दस वर्षों में बूंदी में भ्रमण हेतु आये देशी एवं विदेशी पर्यटकों की पृथक-पृथक संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बूंदी के सौन्दर्यकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार यहां के विभिन्न चौराहों, दरवाजों आदि का सौन्दर्यकरण निजी संस्थाओं से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों में बून्दी में भ्रमण हेतु आये देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सूचना निम्नानुसार है –

वर्ष	देशी	विदेशी	योग
2001	20911	4334	25245
2002	11811	4000	15811
2003	17041	6916	23957
2004	14296	5516	19812

(पर्यटन मंत्री)

वर्ष	देशी	विदेशी	योग
2005	21582	7866	29448
2006	24332	9072	33404
2007	34781	10665	45446
2008	50406	13244	63650
2009	55150	13695	68845
2010	53867	16188	70055

(2) जी हां। वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा जैतसर तालाब, बून्दी के अनुपम सौन्दर्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में राशि रु. 97.73 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्यादेश जारी किए गये हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत डेस्टिनेशन डवलपमेन्ट आफ बून्दी हेतु रु. 5.00 करोड़ सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इस योजना में बून्दी में कमलेश्वर मंदिर, रानी जी की बावडी, धाभाई जी का कुण्ड एवं चौरासी खम्बों की छतरी के पास पर्यटक सुविधाओं का विकास, लैण्ड स्केपिंग, रास्तों की मरम्मत, साईनेज आदि कार्य सम्मिलित है।

(3) विभिन्न चौराहों, दरवाजों आदि के सौन्दर्यकरण की कोई योजना वर्तमान में पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है वरन् जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा स्थानीय निकाय में उपलब्ध बजट के अनुरूप ऐसे कार्य करवाये जा सकते हैं।

राजसमंद जिले के पर्यटक स्थलों का लघु चलचित्रों में समावेश

180. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लघु चल चित्र बनवा रही है? यदि हां, तो कितने एवं इनकी लागत क्या है?

(2) क्या उक्त चल चित्रों में नाथद्वारा, कुंभलगढ़, राजसमंद झील एवं दिवेर के दृश्य भी सम्मिलित किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान के प्रचार-प्रसार हेतु दो लघु फिल्म बनवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। जिसके लिए प्रत्येक फिल्म हेतु अनुमानित लागत रु. 50.00 लाख निर्धारित है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्ताव खुली निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। इन फिल्मों में राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया जाना है।

पोलीथीन बैगों के उत्पादन पर रोक हेतु प्रभावी कार्यवाही

181. श्री अशोक डोगरा (बूंदी), **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) व **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पोलीथिन बैग के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कब संबंधित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोक के बावजूद आज भी धडल्ले से बाजार में पोलीथिन बैग का सरेआम उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

(3) क्या यह भी सही है कि गुटखा उत्पादों की पैकेजिंग में काम में आने वाला प्लास्टिक पेपर भी पोलीथिन से ज्यादा खतरनाक एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या सरकार प्रदेश में गुटखा उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 के द्वारा दिनांक 01/08/2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है (संलग्नक "अ ")।

(2) प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबन्ध के बावजूद बाजारों में इनके मिलने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । इसके लिए मुख्यत: पोलीथिन कैरी बैग उपयोगकर्ता, विक्रेता, भण्डारकर्ता एवं परिवहनकर्ता दोषी हैं।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 में वर्णित निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर एवं मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त एस ओ 2763 (ई) दिनांक 10/11/2010 के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अधिसूचना क्रमांक एस ओ 2763 (ई) दिनांक 10/11/2010 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत अभियोजन दायर करने हेतु राज्य के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को भी अधिकृत किया गया है (संलग्नक "ब")।

(3) गुटखा उत्पादों की पैकेजिंग के काम मे आने वाला प्लास्टिक भी पोलीथीन जैसा ही खतरनाक एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस ओ 249 (अ) दिनांक 04/02/2011 द्वारा प्रकाशित ''अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्धन और प्रहस्तन) नियम 2011" के अनुसार गुटखा उत्पादों की पैंकेजिग में प्लास्टिक का इस्तेमाल गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भण्डार, पैंकिग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जायेगा जो 04/02/2011 से लागू है (संलग्नक "स")। अतः राज्य सरकार द्वारा अब इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

182. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कई राजस्व गांवों एवं ढाणियों में आंगनबाड़ी, लघु आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक कहां-कहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? केन्द्र का नाम, स्वीकृति क्रमांक व दिनांक, राजस्व गांव, ग्राम पंचायत के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत केन्द्रों में से किन-किन केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं किन-किन की शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे आंगनबाड़ह केन्द्रों के भवन निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1 जनवरी,2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक विधानसभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत 64 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 77 आंगनबाड़ी केन्द्र आदेश क्रमांक 86113 दिनांक 18-12-2009 से स्वीकृत किये गये हैं। केन्द्र का नाम, राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत एवं केन्द्रों की नामवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत केन्द्रों में से जिन केन्द्रों की भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं जिन केन्द्रों की स्वीकृति जारी होना शेष है, की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य की सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कक्ष की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है। सरकार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ में प्रस्तावित निगम बस सेवा

183. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्रामों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु कौन-कौन से मार्ग प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के परिवहन सेवा से वंचित गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ने बाबत् प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर से निम्न तीन मार्गों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई है :-

1. बहरोड़ से गुर्जरवास
2. बहरोड़ से रिवाली
3. बहरोड़ से मोहम्मदपुर पहाड़ी

इन प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

धौलपुर में संविदा वाहनों द्वारा यात्री भार का अवैध उठाव

184. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर से कुल कितने संविदा परमिट निजी यात्री वाहन गुजरते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त वाहनों के पास धौलपुर से यात्री भार उठाने का परमिट है? यदि नहीं, तो उक्त वाहनों द्वारा धौलपुर से यात्री भार किस आधार पर उठाया जा रहा है?

उत्तर

(1) निजी यात्री वाहनों (बसों) को संविदा परमिट देशभर से अधिकृत कार्यालयों द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है। इन संविदा परमिटधारी निजी यात्री वाहनों (बसों) का पूर्व निर्धारित रूट, समय सारणी एवं कार्यक्रम नहीं होने के कारण धौलपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले ऐसे वाहनों का लेखा -जोखा विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

(2) संविदा परमिट यात्री वाहन (बसों) संविदा परमिट के नियम/शर्तों के अनुसार ही वाहन संचालन हेतु अधिकृत हैं।

यदि संविदा परमिट की शर्तों के विरुद्ध कोई वाहन सवारी ढोता/ उठाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

बस्सी की बन्द बस सेवा का पुनर्संचालन

185. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जयपुर से अचलपुरा बस का संचालन दिनांक 14-05-2010 को झालाना आगार से वैशाली आगार में स्थानांतरित होने के बाद बस सेवा बन्द कर दी गई और अन्य मार्गों पर बसें निर्बाध संचालित हैं? क्या सरकार पुनः उक्त बसों के संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार सांगानेर से तुंगा वाया गोनेर सांभरिया, पदमपुरा व

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

कोटखावदा होते हुये बस संचालन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस बस सेवा का संचालन क्रयू के अभाव में कतिपय अन्य सेवाओं के साथ निलम्बित किया गया है।

आवश्यक संख्या में चालक/परिचालक उपलब्ध होने पर इन बस सेवाओं का पुन: संचालन सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी नहीं। सांगानेर से तुंगा वाया गोनेर सांभरिया पदमपुरा व कोटखावदा सीधा मार्ग नहीं होकर पृथक-पृथक छोटी दूरियों में है तथा इन मार्गों में पड़ने वाले कई हिस्सों की मार्ग स्थिति बस संचालन के अनुकूल नहीं है।

अत: प्रश्नगत वायाज होकर बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

आदिवासी छात्राओं को साइकिल वितरण में अनियमितता

186. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आदिवासी छात्राओं को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए स्कूल परिसर से दो से पांच कि.मी. दूर रहने वाली कक्षा नवीं की छात्राओं के लिए साईकिल मुहैया कराने की योजना प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो वर्ष 2008-09 व 2009-10 में जिला प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा व सिरोही में नवीं कक्षा की छात्राओं की कितनी संख्या थी और कितनी बालिकाओं को मुफ्त साईकिलें मुहैया कराई गईं? जिलेवार वर्षवार लाभान्वित बालिकाओं का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कक्षा 9वीं की जनजाति छात्राओं के लिए नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना संचालित नहीं की जा रही है। यद्यपि 10वीं कक्षा की छात्राओं हेतु साईकिल वितरण योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है जिसमें छात्राओं से 300 रुपये हिस्सा राशि लेकर उन्हें साईकिल उपलब्ध करवाई जाती है। अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति छात्राओं की

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

हिस्सा राशि का पुनर्भरण शिक्षा विभाग को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2008-09 व 2009-10 में शिक्षा विभाग की मांग अनुसार निम्न छात्राओं हेतु हिस्सा राशि का पुनर्भरण शिक्षा विभाग को किया गया है-

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1	बांसवाड़ा	2967	2990
2	डूंगरपुर	2091	2794
3	उदयपुर	1100	1856
4	प्रतापगढ़	128	416
5	आबूरोड	-	10
	योग	**6286**	**8066**

रेवदर में टाडा/माडा योजनान्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

187. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में टाडा/माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभिन्न प्रकार के कार्य कराये जाने के लिये सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो प्राप्त सभी प्रस्तावों एवं उन पर की गई कार्यवाही व पूर्ण /अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रस्तावों में से अधिकांश प्रस्तावों पर अब तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति से वंचित हैं?

(3) क्या सरकार लम्बित प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कराने तथा पहले से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र रेवदर के 819.73 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसकी कार्यवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

प्राप्त प्रस्तावो में से उपलब्ध धन संसाधन के सापेक्ष जिन कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राप्त प्रस्तावों में से कुछ कार्यो की स्वीकृतियां अभी तक धन संसाधन की उपलब्धता एवं प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ नहीं होने के कारण प्रसारित नहीं हुई है जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रस्तावित कार्यों की औचित्यता एवं तकनीकी साध्यता का आंकलन उपरान्त उपलब्ध धन संसाधन के सापेक्ष स्वीकृति पर विचार किया जावेगा व अपूर्ण कार्यों को यथा शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं उपाध्याय विद्यालय चिराणा में रिक्त पद

188. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं उपाध्याय विद्यालय चिराणा में शिक्षक, व्याख्याता, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदस्थापित हैं और स्वीकृत पदों में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में विकास कार्य हेतु अब तक कितनी राशि जमा है एवं विकास कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और क्या सरकार लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, चिराणा में शिक्षक, व्याख्याता, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, चिराणा में विकास कोष में 58722/- रुपये जमा हैं। इस कोष के उपयोग हेतु महाविद्यालय कोष समिति स्वयं सक्षम है। सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

यू.जी.सी. की धारा 2 एफ एवं 12 बी के तहत विकास हेतु अनुदान कालेज को प्राप्त हैं । चालू योजना आज तक 986689/- रुपये जमा शेष हैं। यू.जी.सी. के निर्देशानुसार (खेल मैदान का अभाव होने के कारण) खेल के मैदान के निर्माण विकास हेतु दिनांक 27.7.2010 को यथा नियम प्रस्ताव भोपाल (मध्यप्रदेश) भेजा था, किन्तु केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट 'क'

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, चिराणा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्त पद कब से है
1	प्राचार्य	1	1	-	-
2	व्याख्याता	5	4	1	01.09.2004 से
3	शारीरिक शिक्षक	1	1	-	-
4	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	-	-
5	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	-	-
6	च.श्रे.क.	2	1	1	01.01.2011

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, चिराणा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्त पद कब से है	वि. वि.
1	प्राचार्य	1	1	-	-	
2	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-प्रथम	5	5	-	-	
3	अध्यापक ग्रेड-।।	4	3	1	04.08.2007 से	03.07.2010 से विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं।
4	अध्यापक ग्रेड-।।	3	3	-	-	-
5	प्रयोगशाला सहायक	1	1	-	-	
6	वरिष्ठ लिपिक	1	1	-	-	
7	च.श्रे.क.	1	1	-	-	

श्री महाराज उम्मेदसिंह कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर का जावाल यार्ड

189. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्री महाराजा उम्मेदसिंह कृषि उपज मंडी सुमेरपुर के जावाल यार्ड में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने से लक्ष्य के अनुरूप जावाल यार्ड का कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो जावाल यार्ड में वर्तमान में भौतिक रूप से कार्य क्या हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। गौण मण्डी यार्ड, जावाल में चारदीवारी गेट-चैकपोस्ट, कवर्ड ऑक्शन प्लेट फार्म, आन्तरिक सडकें, ऑफिस बने हुए हैं। प्रकाश, जल, चौकीदारी आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। प्रथम चरण में दुकान, गोदामों के भूखण्डों का आबंटन कर संबंधित व्यापारियों एवं कृषकों को दिनांक 8.12.2010 को कब्जा दिया जा चुका है। दुकान, गोदामों के टाइप डिजाइन संबंधित आबंटियों को उपलब्ध करवा दिया गया है। आबंटित भूखण्डों पर गोदामों-दुकानों का निर्माण नियमानुसार अब संबंधित फर्मों द्वारा करवाया जाना है।

दुकान-गोदामों के निर्माण नहीं होने के कारण अभी व्यापार स्थानान्तरित नहीं है।

निवाई-पीपलू की क्षतिग्रस्त सड़कें

190. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मरम्मत योग्य सडकों के पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा 59 सड़कें निर्मित की गई थीं इनमें से 33 सड़कें क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ4(6)कृषि/ग्रुप-2/2010 जयपुर दिनांक 29 जून, 2010 की अनुपालना में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित समस्त सड़कें रखरखाव एवं मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं ।

मरम्मत योग्य सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में कृ.उ.म. समितियों द्वारा निर्मित सड़कों में से क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य सड़कों की सूची

क्र. सं.	क.उ. म.स.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)
1	2	3	4
1	निवाई	स.स. बहड से जामडोली	2.90
2	निवाई	स.स. चेनपुरा	1.00
3	निवाई	स.स. डागरथल से झुझारपुरा	1.20
4	निवाई	स.स. लालसोट चाकसू रोड से हरभांवता	1.00
5	निवाई	स.स. वनस्थली रोड से पलाई	2.00
6	टोंक	स.स. झिराना रोड से छोटी हांडी	0.40
7	निवाई	स.स. गुंसी से लुहारा	3.40
8	निवाई	स.स. चेनपुरा से ललवाडी	12.17
9	निवाई	स.स. सिरोही से टिटोलीया गांव	4.64
10	टोंक	स.स. सोहेला डिग्गी रोड से चौगाई 0/0 से 6/0	6.00
11	टोंक	स.स. जयपुर रोड जौला	3.70
12	टोंक	स.स. जयसिंहपुरा पीपलू रोड से लोहरवाडा	1.90
13	निवाई	स.स. लालसोट कोथून रोड हरभांवता	1.00
14	निवाई	स.स. ललवाडी से दहलोद	3.87
15	निवाई	स.स. करीरिया से भरथल	3.78
16	निवाई	स.स. झिलाई से खिडगी	4.40
17	निवाई	स.स. बडा गांव से चुराडा	3.60

1	2	3	4
18	निवाई	स.स. एन.एच. 12 से चनानी	0.70
19	निवाई	स.स. सुर्या से सुनारा	4.40
20	निवाई	स.स. झिलाई-सिरोही रोड से सिरोही	3.42
21	निवाई	स.स. वनस्थली रोड से सुनारा	4.25
22	निवाई	स.स. झिलाई से सिंदरीया	3.40
23	टोंक	स.स. झिराना से निम्हेडा	3.00
24	निवाई	स.स. ललवाडी से श्रीरामपुरा	4.70
25	निवाई	स.स. अलियाबाद से बिडोली	3.50
26	टोंक	स.स. ढुढीया से कुरेडी	3.70
27	टोंक	स.स. गहलोद डोडवादी रोड से मुण्डिया	1.55
28	निवाई	मि.लि. गुंसी रोड से चनानी	2.50
29	निवाई	मि.लि. दतवास से दलोद वाया कुरावडा	11.15
30	निवाई	स.स. श्रीरामपुरा से भगवतपुरा	4.85
31	निवाई	स.स. बोली निवाई रोड से भगवानपुरा	0.80
32	निवाई	स.स. बौली से भैरूपुरा	0.90
33	निवाई	स.स. टोरडी से जिला सीमा तक	0.60
		योग	**110.38**

कृषि उपज मण्डी समिति डेगाना द्वारा संचालित योजनाएं

191. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति डेगाना के द्वारा कृषकों के हितार्थ कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं?

(2) उक्त योजनाओं के द्वारा कितने किसानों को गत दो वर्षों में कब-कब लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में कृषि उपज मण्डी डेगाना की क्या राजस्व प्राप्तियां रही हैं तथा कृषि मण्डी समिति ने किन-किन मदों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति डेगाना के द्वारा कृषकों के हितार्थ राजीव गांधी कृषक साथी योजना संचालित है।

(2) उक्त योजना के तहत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) कृषकों को दी गयी सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक	कृषकों की संख्या	सहायता राशि
9.4.2008	5	168500/-रु.
10.7.2008	2	53000/- रु.
11.9.2008	5	205000/- रु.
2.1.2009	5	118500/- रु.
17.6.2009	8	308000/- रु.
28.10.2009	5	183000/- रु.
24.1.2010	4	120000/- रु.
24.5.2010	2	100000/- रु.
8.9.2010	3	145000/- रु.
23.12.2010	5	450000/- रु.

(3) कृषि उपज मंडी समिति डेगाना की वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (फरवरी, 2011 तक) की आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2008-09 में मंडी शुल्क से 41.45 लाख, अन्य आय 13.34 लाख कुल 54.79 लाख की आय हुई । जिसके विरुद्ध संस्थापन पर 12.58 लाख, किसान कल्याण कोष 1.42 लाख, निर्माण कार्यो पर 26.75 लाख, लघु निर्माण कार्यो पर 0.09 लाख, मंडी सुविधा पर 13.04 लाख एंव विविध पर 17.20 लाख कुल 71.04 लाख रु. की राशि व्यय की गई।

वर्ष 2009-10 में मंडी शुल्क से 53.65 लाख, अन्य आय 13.44 लाख कुल 67.09 लाख की हुई । जिसके विरुद्ध संस्थापन पर 15.41 लाख, किसान कल्याण कोष 1.40 लाख, निर्माण कार्यो पर 18.00 लाख, लघु निर्माण कार्यो पर 0.78 लाख, मंडी सुविधा पर 13.88 लाख एवं विविध पर 9.10 लाख कुल 58.57 लाख रु. की राशि व्यय की गई ।

वर्ष 2010-11 (फरवरी, 11) में मडी शुल्क से 51.11 लाख, अन्य आय

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

10.26 लाख कुल 61.37 लाख की आय हुई। जिसके विरुध संस्थापन पर 15.98 लाख, किसान कल्याण कोष 1.64 लाख, निर्माण कार्यों पर 56.97 लाख, लधु निर्माण कार्यों पर 1.32 लाख, मंडी सुविधा पर 10.15 लाख एवं विविध पर 11.53 लाख कुल 97.59 लाख रु. की राशि व्यय की गई ।

खाजूवाला, पूगल व छतरगढ़ तहसीलों में निर्मित राजीव गांधी पाठशाला भवन

192. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील खाजूवाला, पूगल व छतरगढ़ में राजीव गांधी पाठशाला के नाम से कितने भवन बने हुए हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवनों में विद्यालय संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील खाजूवाला में 05, पूगल में 09 तथा छरतगढ़ में 05 कुल 19 राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन बने हुए हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में जब भी नये विद्यालय खोले जावेंगे, इन भवनों का आवश्यकतानुसार उपयोग किये जाने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-क

तहसील खाजूवाला, पूगल तथा छतरगढ़ में निर्मित राजीव गांधी पाठशालाओं के भवनों की स्थिति

क्र.सं.	तहसील	जिस गांव में रागापा का भवन बना है का नाम
1.	छतरगढ़	1 एआर एस, (खारवाली)
2.	छतरगढ़	3 सीएचटीएम (खारवाली)
3.	छतरगढ़	4 आरजेडी (खारवाली)
4.	छतरगढ़	9 एडब्ल्यूएम (लूणखां)
5.	छतरगढ़	13 एलकेडी (लूणखां)

क्र.सं.	तहसील	जिस गांव में रागापा का भवन बना है का नाम
6.	पूगल	3 केएचएसएम (गंगाजली)
7.	पूगल	13 एडी (पूगल)
8.	पूगल	9 डीकेडी (डण्डी)
9.	पूगल	हुणवंत सिंह की ढाणी (मकेरी)
10.	पूगल	2 एमएसएम ए (मकेरी)
11.	पूगल	30 डीओडीडी (मकेरी)
12.	पूगल	2 बीएली पहलवान का बेरा
13.	पूगल	3 एडीएम पहलवान का बेरा
14.	पूगल	22-23 केएलडी (बल्लर)
15.	खाजूवाला	4 पीडब्ल्यूएम (3 पीडब्ल्यूएम)
16.	खाजूवाला	1 बीडी (8 केवाईडी)
17.	खाजूवाला	33 केवाईडी (34 केवाईडी)
18.	खाजूवाला	15 केवाईडी (22 केवाईडी)
19.	खाजूवाला	सामरदा फांटा (सामरदा)

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुए माना गया)

जोधपुर शहर में चोक सीवर लाइनों से अव्यवस्था

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में जिस तरह प्रातःकाल अवस्था में 30 मुख्य स्थानों से सीवर लाइनों चाक होने से गन्दा पानी बेसुमार सड़क पर बहने के कारण वहां से गुजरने वाले स्कूल विद्यार्थी, धार्मिक स्थान पर जाने वाली महिलाओं, वृद्धजनों के साथ आमजन का इन रोडों पर से गुजरना किसी नाले को पार करने जैसा है। यह प्रतिदिन की समस्या है। इस हेतु कई बार निगम के अधिकारियों, जिला कलक्टर एवं यहां तक कि जोधपुर के प्रभारी मंत्री माननीय राजेन्द्र जी पारीक के सम्मुख भी उक्त समस्या के स्थायी हल हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। निगम अधिकारियों को दूरभाष पर निवेदन करने के उपरान्त भी चार-चार घण्टे तक निगम कर्मियों का उक्त स्थलों पर नहीं पहुंचने से स्थिति और भयावह हो जाती है। इस हेतु जनता को नगर निगम का ध्यानाकर्षण करने के लिए कई बार आन्दोलन करने के साथ, धरना प्रदर्शन एवं रास्ता रोकने इत्यादि जैसी प्रक्रिया अपनाने को मजबूर होना पड़ता है जिससे जिला एवं पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करने के साथ कई निर्दोष लोगों पर मुकदमा इत्यादि भी दर्ज हो जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी सीवर लाइनों के चाक होकर बहते हुए गन्दे पानी की फोटो रोजाना देखने को मिलती है। इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार निगम अधिकारियों को उनके इस रवैये को लेकर नाराजगी प्रकट कर समयबद्ध ठोस योजना बनाकर इस समस्या से आमजन को निजात दिलाने के निर्देशित भी किया गया है।

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सम्बन्धित विभागों के मुख्य अधिकारियों ने एक योजना बनाई है जिसमें समस्त सीवरेज लाइनें, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं या जो लीकेज है और पी.एच.ई.डी. की पाइप लाइनों से जुडकर जहां पीने के पानी के साथ सीवर का गन्दा पानी मिलकर आ रहा है पूर्व में कई जगह गन्दे पानी की सप्लाई होने के कारण वहां के निवासियों को पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ा था। शहर के परकोटा की सीवर

लाइन छोटी है तथा 25-30 वर्ष पुरानी होने के कारण गल गई है। इसी के साथ जोधपुर के करीब 22 ऐसे प्रमुख नाले हैं उनकी सफाई समय पर नहीं होने एवं उनमें सीवर लाइन का जो गन्दा पानी आता है वह नाले बार-बार अवरूद्ध होने के कारण जोधपुर शहर में बढते भू-जल स्तर का एक कारण है। यह भू-जल स्तर बढ़ने के एक सर्वे में आए वैज्ञानिक का कहना है।

अतः राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर 15 लाख से अधिक जनता निवास करती है उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों ने जो योजना बनाई है वह 350 करोड़ रुपये की है जिससे उक्त समस्या का स्थायी समाधान सम्भव हो सकेगा। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना विशेष सहयोग देकर 350 करोड़ की राशि स्वीकृति कर इस कार्य योजना का शुभारम्भ कर जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करावें। क्योंकि उनका विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा भी शहर का मुख्य हिस्सा है।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

चौहटन में बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान

आपके मार्फत विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन पिछले दिनों में हुई बिना मौसम की वर्षा के कारण क्षेत्र में जीरे की खड़ी फसल चौपट हो चुकी है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है और शेष जीरे में चर्मा रोग लग चुका है। पिछली मौसमी बारिश से किसानों को खुशी थी मगर इस बिना मौसम की बारिश से वो खत्म हो चुकी है। किसानों को इस जीरे की फसल से काफी आस थी।

मौसमी फसल बीमा के मापदण्ड अनुसार सर्वे करवाया जावे ओर सर्वे अनुसार एक हैक्टेयर में हुये नुकसान के मुताबिक किसानों को मुआवजा दिलाया जावे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

पदमाराम मेघवाल

(चौहटन)

नगर (भरतपुर) के पुलिस थानों में संसाधनों की उपलब्धि

उपरोक्त विषय में नियम 295 के अन्तर्गत मैं गृह मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कोतवाली नगर, एक थाना सीकरी, आधा हिस्सा डीग कोतवाली का कई चौकियां आती हैं और चुकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुडा हुआ है अपराध के बाद अपराधी इसका फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं और पुलिस के पास पीछा करने के लिए वाहन इतने खटारा हैं जिन्हें जनता उडन खटोला कहती है, पकड़ पाना असम्भव लगता है वर्तमान में अपराधी जहां हाईटेक हो चुका है और वारदात के वक्त लग्जरी गाडी का उपयोग करता है वही थाना क्षेत्र में गश्त के लिए पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के पास एक अदद दुरस्त गाड़ी तक नहीं है वे खटारा गाड़ी में ही गश्त करने को मजबूर हैं।

मैं उस विधान सभा क्षेत्र से हूं जो मेवात का हिस्सा जहां पर हर रोज पुलिस पर पथराव होता है पुलिस को पीटा जाता है अभी हाल में भी चन्दुपुरा (पहाड़ी) में पुलिस के सामने जाटवों पर समुदाय विशेष ने पथराव किया और पुलिस मूक दर्शक खड़ी देखती रही। इसके बावजूद राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है यह इस बात से प्रमाणित होता है। कि 2010-11 में के जारी स्वीकृति के बावजूद आज तक वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। पिछले हफ्ते पुरानी गाड़ी नगर थाने की जमा करवा ली और नई गाड़ी कब देंगे 'राम भरोसे'। सीकरी थाने की गाड़ी भी बिलकुल खराब, कण्डम हो चुकी।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इन थानों में अच्छी गाड़िया देवें, स्टाफ बढ़ाएं और अच्छे हथियार उपलब्ध कराएं जिससे अपराधों पर अंकुश लगे और अपराधियों में भय रहे।

अनीता सिंह

(नगर)

चौमूं तहसील में ओलावृष्टि से कारित नुकसान का मुआवजा

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि चौमूं तहसील में 15 फरवरी, 2011 को रात्रि में भयंकर ओलावृष्टि से अनेक गांवों में फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ग्राम कचोलिया, सामोद, महारकला, झीडा, डेहरा, कानपुरा आदि गांवों की बेर, आंवला, टमाटर, ककड़ी, सरसों व जो की फसल 80 प्रतिशत तक नष्ट हो चुकी है। इसी तरह ग्राम नांगलकलां, कीर्तिसिंह का वाश, गुडालिया, ढोढसर,

सिगादे, तिगरिया आदि गांवों में मैथी, सरसों व जौ-गेहूं की फसलों में भारी नुकसान हो चुका है। इस समबन्ध में मेरा अनुरोध है कि जब भी गांवों में फलों या सब्जियों की फसलें प्रकृति आपदा के कारण नष्ट हो जाती हैं, तो सरकार इनको सहायता नहीं देती है, जबकि चौमूं तहसील में बेर, ककडी, आंवला, मैथी, सरसों व जौ की फसल का भी भारी नुकसान हो चुका है।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैंकों द्वारा प्रत्येक काश्तकार से 500 रुपये बीमा राशि के वसूल किए गए हैं, जिनका किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है।, बीमा राशि का प्रतिफल बीमा कम्पनी से दिलवाया जाये।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि चौमूं तहसील के समस्त ग्रामों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चिकित्सालयों में काफी पद रिक्त हैं। क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में स्वीकृत 8 कनिष्ठ विशेषज्ञों के विपरीत 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा 3 चिकित्साधिकारियों के प्रति 2 चिकित्सक कार्यरत हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर में स्वीकृत दो कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं दो चिकित्साधिकारियों के प्रति मात्र एक चिकित्सक ही पदस्थापित है इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ी में स्वीकृत 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं 2 चिकित्साधिकारियों के प्रति केवल 1 चिकित्सक कार्यरत है। इस प्रकार पूरे विधान सभा क्षेत्र की करीब 3.5 लाख से अधिक जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार द्वारा मात्र 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा 4 चिकित्सक लगा रखे हैं तथा स्वीकृत कुल 11 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों में से 9 पद तथा 7 चिकित्साधिकारियों में से 3 पद रिक्त है। ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्तियों को साधारण बीमारी के इलाज करवाने के लिए जिला मुख्यालय या फिर अन्य जिलों के चिकित्सालयों में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में दन्त चिकित्सक का एक पद, दन्त तकनीकी सहायक का एक पद रिक्त है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकांश गरीब काश्तकार निवास करते हैं जो नजदीक इलाज नहीं मिलने पर दूरस्थ जिला मुख्यालय तक नहीं जा सकते है तथा समुचित इलाज के अभव में मरीजों की अकाल मृत्यु हो जाती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब काश्तकारों को नजदीकी इलाज की सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर, पण्डेर एवं कोटड़ी में कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

डेगाना के किसानों को घटिया बीज वितरण

कृषि आज हमारे राज्य का मुख्य व्यवसाय है। किसानों की उन्नति एवं सहायता के लिए कृषि विभाग बना हुआ है। लेकिन जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो किसान का कोई धणी धोरी नहीं है। राजस्थान के किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार के उपक्रम राज्य बीज निगम का है। लेकिन राज्य सरकार की मिलीभगत के कारण प्रदेश में निजी कम्पनियां किसानों को बीज उपलब्ध करा रही हैं, जिससे किसानों को घटिया बीच के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सरकार का यह कार्य निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचाने की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। राज्य सरकार द्वारा निजी कम्पनियों के मार्फत किसानों को निःशुल्क बीज देकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को थांवला ग्राम में कषि विभाग यू.पी.एल. बीज कम्पनी के अधिकारियों के साथ कृषक सेवा सहकारी समिति के प्रांगण में क्षेत्र के किसानों का शिविर आयोजित करके 300 किसानों को गोभी एवं टमाटर के गोल्डन सीड्स (Golden Seeds) मार्का के किस्म का बीज निःशुल्क वितरित किये गये। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों के विश्वास में उक्त गोभी और टमाटर के बीज की लगभग 1000 बीघा में बुआई कर दी तथा महंगा खाद डालकर, तीन माह तक मुंह मांगी मजदूरी देकर फसल की परवरिश की लेकिन किसानों की मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब गोभी के पौधे पर फूल आने के बजाय सीधे बीज ही निकल कर आने लगे तथा टमाटर का आकार बहुत छोटा एवं पैदावार नहीं के बराबर है।

किसानों ने तुरन्त घटिया बीज की शिकायत स्थानी एवं जिला मुख्यालय के कृषि अधिकारियों से की लेकिन कृषि विभाग ने एवं जिला प्रशासन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया।

आज किसान एवं उनका परिवार परेशान है, प्राकृतिक आपदा (ओले एवं पाले) के पश्चात कृषि विभाग पर विश्वास के कारण उनके खेत खाली पड़े हैं तथा गोभी व टमाटर की सम्पूर्ण पैदावार से उन्हें हाथ धोना पड़ा है एवं करोड़ों रुपयों का नुकसान सहना पड़ा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि घटिया बीज के वितरण के कारण प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जायेगा तथा संबंधित निजी कम्पनी एवं संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

अजय सिंह

(डेगाना)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदाकर्मियों की आयकर कटौती

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त अधिकतर संविदा कर्मी अल्प वेतन भोगी हैं। एवं उनकी कुल वार्षिक वेतन आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आती है। परन्तु विभाग द्वारा बिना वेतन श्रृंखला पर विचार किये अंकेक्षण रिपोर्ट पालना का हवाला देते हुए समस्त कर्मियों के वेतन में से प्रति माह आयकर कटौती (टी.डी.एस.) 10 प्रतिशत की जा रही है।

इसके साथ-साथ चिन्ता का विषय है कि श्रीगंगानगर जिले में सम्बन्धित लेखाकारों द्वारा अपनी इच्छानुसार अलग-अलग कर्मियों से अलग-अलग अनुपात में कटौती की जा रही है। माहवार कटौती न की जाकर एक माह में कटौती कर वेतन का 40 से 50 प्रतिशत अंश आयकर कटौती के रूप में जमा कर शेष वेतन भुगतान किया गया है। जिससे अल्प वेतन भोगी कर्मियों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा भी टी.डी.एस. कटौती सही एवं नियमानुसार करवाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त कर्मी जिनकी वार्षिक वेतन आयकर श्रेणी

में नहीं आती उनकी टी.डी.एस. कटौती बन्द की जाये। श्रीगंगानगर जिले में टी.डी.एस. कटौती के सम्बन्ध में हुई अनियमितताएं एवं मनमर्जी की जांच कर दोषी कार्मिक एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

पवन दुग्गल

(अनूपगढ़)

सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन

मैं, राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड सिवाना की जनसंख्या 2001 के अनुसार 213648 है। जिससे ग्राम पंचायत सिवाना व समदड़ी की क्रमशः 40000 व 35000 के लगभग जनसंख्या है। इस उपखण्ड क्षेत्र में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आये हुए हैं। किसी भी स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है एवं न ही कोई महिला चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं साथ ही न कोई वेकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वीकृत पद के विरुद्ध भी कोई महिला चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। इस कारण से इस क्षेत्र की महिलाओं को महिला रोगों की समस्या व डिलेवरी केसों के लिए बालोतरा 40 कि.मी., जोधपुर 115 कि.मी. आना-जाना पड़ता है। जिससे जन व समय का भी नुकसान होता हैं। कभी-कभी तो गम्भीर बीमारी होने पर महिलाओं को जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। जिससे उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) नहीं होने के फलस्वरूप काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र व उपखण्ड स्तर पर महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं होने से उक्त अव्यवस्थाएं प्रेस समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

अतः जनमांग व महिलाओं के हितों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना व समदड़ी में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पदों को स्वीकृत करवाकर महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करावें एवं जब तक पदों की स्वीकृति नहीं होती है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वीकृत पद के विरुद्ध कोई महिला चिकित्सा अधिकारी लगाई जाकर उपखण्ड क्षेत्र की जनता एवं महिलाओं को राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

बाड़मेर के आसपास अधिकांश भूमि की अवाप्ति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे के ऊपर आकर्षित करते हुऐ कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में मिले खनिज तेल एवं लिग्नाइट भण्डारों के फलस्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर जो कि बाड़मेर शहर एवं बाड़मेर तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र है जिसमें करीबन 4000 हजार बीघा जमीन को अवाप्त किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, एक आंकलन के अनुसार देश की अब तक की सबसे बडी भूमि अवाप्ति है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि देश एवं प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए हमारे किसानों ने सरकार का सहयोग करते हुए अपनी भूमि सरकार को सौंपी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सबसे बड़ी भूमि अवाप्ति हुई है यह मेरे विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में ही हुई है। इस कारण क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र की भूमि अवाप्त हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी भी सरकार बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में और भूमि अवाप्त करने जा रही है जो कि बाड़मेर शहर के इर्द-गिर्द है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ क्षेत्र में बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियों के फलस्वरूप शहर का विकास द्रुत गति से हो रहा है वही शहर के ही सटे हुए इलाकों की भूमि को अवाप्त किया जा रहा है तो बाड़मेर शहर का विकास कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भूमि बहुत अवाप्त हो चुकी है अब तक क्षेत्र के किसानों ने एवं आम जनता ने सरकार का सहयोग करते हुए विकास में सहयोग दिया है लेकिन अब जबकि शहर के आसपास भूमि अवाप्ति की बात हो रही है। जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में भारी असंतोष है और अगर भूमि अवाप्ति की गई तो व्यापक जन असंतोष का सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वर्तमान में बाड़मेर शहर के आसपास जो और भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया हो रही है उसको जनहित में बंद करे अथवा बाड़मेर शहर के 10 से 15 किमी. की परिधि में भूमि को छोड़कर भूमि अवाप्ति की जाये। अन्यथा बाड़मेर शहर का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

कोटा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में भेदभाव

सभापति महोदय, निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अति लोकमहत्व का मामला उठाते हुए मैं आपके माध्यम से सदन का व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में कोटा शहर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया जिसमें अनन्तपुरा तालाबा, बरबा बस्ती, आंवली रोजडी बसती में बुलडोजर चला कर ऐसे लोगों को बेघर कर दिया गया जो पिछले 10-15 वर्षों से वहां रह रहे थे जिनके पास राशन कार्ड थे, मतदाता सूचियों में नाम थे जिनको सरकार ने वैध मानते हुए पानी, बिजली के कनेक्शन भी दिये फिर लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद इन गरीबों के आशियानों को बेदर्दी से उजाड़ दिया गया और गम्भीर बात यह है कि बस्तीयों में बुलडोजर चलाने से पहले न बस्ती वासियों का कोई पूर्व सूचना दी न ही कोई नोटिस दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन्दगी भर की खून-पसीने की कमाई के घर के साथ घरेलू सामान न खाना बनाने के बर्तन, कपड़े व कई कीमती सामानों का मलबे का ढेर हो गया उनकी आंखों के सामने ही उनके पूरे अरमान चकनाचूर हो गये।

सभापति महोदय, अगर सरकार की इन बस्तियों के स्थान पर कोई योजना प्रस्तावित थी तो वर्षो से बसे इन लोगों को उजाड़ने से पहले इनके पुर्नवास के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए था और ऐसा होता भी आया है लेकिन पुर्नवास के बारे में न तो बस्तीयां तोड़ने से पहले विचार किया गया और न ही अब किया जा रहा है और मानवता को तिलांजलि देने के इस निर्णय का नतीजा यह हो रहा है कि लगभग 500 गरीब परिवार बेसहारा होकर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं न तो उनके पास पहनने के पर्याप्त कपड़े हैं न ओढ़ने बिछाने का है दाने- दाने को मोहताज हो रहे इन परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत खड़ी हो गयी है। अगर प्रशासन ने समय रहते पुर्नवास योजना बनाकर उन्हें कोटा शहर के पास ही कहीं सिर ढकने के लिए जगह नहीं दी तो हालात विकट हो जायेंगे और वे आत्म हत्या पर उतारू हो जायेंगे जिसका कलंक सरकार के माथे पर लगेगा इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि एक तरु तो वो रोज गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं की घोषणा करती है। दूसरी तरफ पहले से ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे गरीबों को उजाड़ रही है वह इस दोहरी नीति को

छोड़े और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोटा में बेघरबार हुए गरीबों को कहीं भी जगह देकर पुनः बसावे, साथ ही उनके नुकसान का मुआवजा भी देवे।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

बेमौसम वर्षा से किसानों को कारित नुकसान

सभापति महोदय, निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अति लोममहत्व का मामला उठाते हुए मैं आपके माध्यम से सदन का व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि किसानों द्वारा इस वर्ष जीरे व ईसबगोल की फसल अत्यधिक बोई गयी लेकिन मौसम खराब होने के कारण किसानों के सपने अधूरे रहे गये। उनका एक सपना बिटिया के हाथ पीले करने का कार्यक्रम तय किये गये थे लेकिन बेमौसम की बारिश से फसले खराब हो गयीं। ऐसे में किसानों को नये सिरे से सोचना पड़ रहा है। कई किसानों को शादी विवाह के कार्यक्रम तक स्थगित करने पड़ रहे हैं, वहीं बिजली का बिल व अन्य खर्चे चुकाना भी मुश्किल हो गया है। इस बार किसानों ने काफी बडे हिस्से में जीरे की फसल की है इसलिए उन्हें सेठ साहूकारों से कर्जा तक लेना पड़ा, उन्हें फसल से ही उम्मीद थी कि वे कर्ज वापिस चुकता कर पायेंगे लेकिन इस आशा में थे कि 25 दिन में जीरे की फसल पक कर तैयार हो जायेगी। 15 अप्रेल तक फसल निकाल कर बाजार में बेच देंगे। इसी अनुसार उन्होंने शादी-विवाह के कार्यक्रम तय कर रखे थे लेकिन बारिश से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गयी। पौधे काले पड़ गये, 50 से 60 प्रतिशत खेतों में तो देखने की ही जरूरत नहीं बची है। इस नुकसान के बाद किसानों को बिजली का बिल, कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है। बेटे-बिटिया की शिक्षा के सपनों के भी अधूरे होने की उम्मीद पूरी नजर नहीं आ रही है।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि नियमों में संशोधन कर जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा कर किसानों को राहत दिलाई जावे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो सके।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

शेरगढ़ तहसील की वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 में राजस्व गांवों को जोड़ा जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि तहसील शेरगढ़ की वृहद

जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ कनोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा के द्वितीय चरण की योजना जो कि जनगणना 2001 के अनुसार कुल गांव 129 तथा वर्ष 2007 में नये राजस्व गांवों सहित 264 गांवों को सम्मिलित करते हुए द्वितीय चरण के लिए दिनांक 11.10.2007 को पी.पी.सी. की 178 वी बैठक में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 234.46 करोड़ की जारी की गई थी। इस योजना के 02 पैकेज-पैकेज प्रथम व द्वितीय स्वीकृत किये गये थे। द्वितीय चरण के पैकेज प्रथम को आगे 07 सब पैकेज में बाटकर उसमें से 04 सब पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु शेष 03 सब पैकेज की तकनीकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है।

योजना की तकनीकी स्वीकृति के तहत ढाणियों की बसावट व रेतीले धोरों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम छोर तक पेयजल की समस्या का समाधान हो तथा अन्तिम छोर तक पानी पहुंचे, इस हेतु योजना की मुख्य पाइप लाइन (Rising Trunk mains) के आस-पास आने वाले गांवों के मुख्यालय पर उच्च जलाशय बनाकर उसके आस-पास के नये राजस्व गांव व ढाणियों को जोड़ने की नितान्त आवश्यकता है।

इसी संदर्भ में निवेदन है कि वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ कनोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा के द्वितीय चरण के पैकेज प्रथम में ग्राम राजस्व लोड़ता अचलावता में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम लोड़ता अचलावता, रामसर को जोड़ा जाये, ग्राम लोड़ता हरिदासोता में उच्च जलाशय बनकार राजस्व ग्राम लोड़ता हरिदासोता, मुकनसर, कालाणीनगर, खंरीगसर को जोड़ने, राजस्व ग्राम कनोडिया पुरोहितान में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम कनोडिया पुरोहितान, हस्तिनापुर, प्रेमसिंहनगर, छतरसिंहनगर, टीकमसिंहनगर, रतनेश्वरनगर, खेतेश्वरनगर को जोड़ने, ग्राम राजस्व आसरलाई में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम आसरलाई, कौशलसिंहनगर, शिवनाथसिंहनगर, पन्नेसिंहनगर, दौलतगोगानगर, पूनासर, कालूसिंहनगर को जोड़ने, राजस्व ग्राम देचू में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम देचू, फतेहगढ़ को जोड़ने, राजस्व ग्राम देचू-।। में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम भीखमनगर, धनसागर, अनोपगढ़, भूरसिंहनगर को जोड़ने, राजस्व ग्राम गुमानपुरा में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम गुमानपुरा, लालसर, आनन्दनगर को जोड़ने, राजस्व ग्राम गोदेलाई में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम गोदेलाई, लालनगर, रूण एरिया, टिलाणनगर, बाबूनगर,

बगताणनगर, मोतीनगर को जोड़ने, राजस्व ग्राम चामू में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम चामू, बाघसागर, सज्जनसागर को जोड़ने, राजस्व ग्राम चामू-।। में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम हरिसागर, रणजीतसागर, राजसागर, मोतीसागर को जोड़ने, राजस्व ग्राम पण्डितों को बास में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम पण्डितों का बास, बीगादेवनगर को जोड़ने, राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा, मूलोजी का बेरा, सारणनगर, सायबनगर, मां सतीनगर को जोड़ने की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर कार्य शुरू करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)